राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या : 16

गुरुवार,

31 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार नमस्कार। राम राम सा।

अनेक माननीय सदस्य: राम राम सा। राम राम सा।

प्रश्नकाल। श्री हरिसिंह रावत।

तारांकित प्रश्नोत्तर

भीम की फ्लड डेमेज में क्षतिग्रस्त सड़कें

261. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्ष 2008 से 2013 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कों का निर्माण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कें सभी मानदण्डों के अनुरूप बनाई गई हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के लिए 5 वर्ष तक निर्माण करने वाले ठेकेदार की जिम्मेदारी तय की गई है? यदि हां, तो कितनी ऐसी सड़कें हैं, जो क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों को पुन: दुरुस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत वर्ष फ्लड डेमेज के अन्तर्गत टोगी, कुकडा, नन्दावट, सारोठ, राजोर, रामाठाकुर का बाडिया सड़कों की साइड की रिटेनिंग वाल टूट गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार इसे तत्काल बनाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से (1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्ष 2008 से 2013 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुल 15 सड़कों का निर्माण किया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 एवं 2 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सभी सड़कें मानदण्ड के अनुरूप ही बनाई जाती हैं।

(3) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण की गई उक्त सड़कों के निर्माण पूर्ण होने की दिनांक के बाद 5 वर्षो तक रख रखाव की जिम्मेदारी संवेदक की होती है। गारण्टी अवधि की सड़कों की सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। जिसमें से मात्र एक सड़क आंजना पारड़ी सड़क से कुन्दवा गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त है। जो कि माइन्स के भारी वाहनों के कारण क्षतिग्रस्त हुई है। जिस पर दुरुस्तीकरण का कार्य प्रगति पर है। माह सितम्बर, 2014 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) जी हां। गत दो वर्ष पूर्व अतिवृष्टि के कारण उक्त सड़कों पर दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिनके पुन: निर्माण हेतु अतिवृष्टि मद में स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर, राजसमन्द को प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे परन्तु फ्लड में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। उक्त रिटेनिंग दीवारों का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बोला कि हमारी सभी सड़कें मापदण्ड से बनी हुई हैं, पूर्ण हैं और ठीक हैं। एक तरफ तो बोल रहे हैं कि सभी ठीक है, दूसरी तरफ यह खुद ही लिख रहे हैं कि आंजना पारड़ी से भचेडिया तेलीखेड़ा दुरुस्त कर दी गई है जबकि कहीं दुरुस्त नहीं हुई है। रोड़ पूरी सैटल हो गई है और माइनिंग की वजह से पूरे रोड़ डेमेज हो गये हैं जिसकी कई बार हमने शिकायत भी की लेकिन कोई कार्यवाही हुई नहीं है। दूसरा, सम्पर्क सड़क नराणा से माताजी का गांव के लिए भी लिखा है कि क्षतिग्रस्त लम्बाई मात्र 250 मीटर है, दुरुस्तीकरण कार्य प्रगति पर है लेकिन अभी तक कोई प्रगति पर नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी को कि जो भी रिपोर्ट दी है वह गलत दी है इसलिए तत्काल इनकी पुन: जांच करवायें और सड़कें जहां डेमेज हुई हैं उनको आप ठीक करायें। इन्होंने लिखा है नम्बर चार पर, गत फ्लड में ये सभी टोगी से कूकडा,

(श्री हरिसिंह रावत)

नन्दावट से सारोठ बादसी और टोगी से कुकडा, और राजोट से ऊमरवाड़ी सड़कें, यह 2012 में डेमेज हुई थीं लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं की है। अभी माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं कि उक्त रिटेनिंग दीवारों का निर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्ध होगा तो कर दिया जायेगा तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कब तक आपका वित्तीय संसाधन होगा और तैयार कर दी जायेगी?

दूसरा, इसी अनुरूप माइनिंग के हिसाब से जो मेरे ब्लाक देवगढ़ में आमेट से एनएच 8 पर 40 मील वाया देवगढ़ लसानी ताल, कांकरोज से मालकोट, आंजना पारड़ी वाया जगदीश, नराणा से भुरवाड़ा, आमेट से पानड़ी और बगतपुरा से सालेखेड़ा और मालकोट से करठा, इन सभी छह रोडों पर हैवी ट्रैफिक चलता है। ग्रेनाइट और फेल्सपार की माइन्स हैं मेरे यहां, जिससे सभी रोडें क्षतिग्रस्त हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त रोडों को कब तक आप दुरुस्त कर देंगे, कब इनको स्पेशल प्रायोरिटी पर लेकर कर देंगे तो मैं समझता हूं कि हैवी ट्रक गुजरने से भी रोड डेमेज है तो आने जाने का यातायात भी हमारा सुगम हो सके, इनको अच्छा थोड़ा रोड बनवा दें। दूसरा मेरा निवेदन है कि 2500 की आबादी वाले...

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आने दीजिये फिर दूसरा पूरक प्रश्न पूछिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने मैंने जब यह जवाब दिया कि जी हां, मापदण्डों के अनुसार बनती है तो जिस सड़क की आपने बात की कुंदवा की, उसका कार्य प्रगति पर है और सितम्बर तक उसको पूरा कर लिया जायेगा, यह मैंने कहा है। दूसरा आपने विभिन्न गांवों के नाम लिये देवगढ़, मुण्डावरा, मालकोट, ये जो 6 सड़कें हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने क्षतिग्रस्त बताई हैं और क्षतिग्रस्त होने का कारण ओवर लोडेड ट्रकों की वजह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी ध्यान है, क्योंकि आप पूर्व में इस विभाग के मंत्री भी रहे हैं, उस क्षेत्र में ज्यादातर माइनिंग है और माइनिंग में ग्रेनाइट और मार्बल यह सब चीजें निकलती हैं, राजसमन्द, उदयपुर, डूंगरपुर और उन जिलों के अन्दर। ब्लाक्स हैं उनकी कटिंग नहीं हो पाती है, और कटिंग नहीं होने से ओवरलोड होने से काफी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, राजसमन्द और इन जिलों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका तो अलग से एक योजना जैसे मैंने बताया कि माइनिंग रोड बनाकर हम कर ही रहे हैं।

(श्री युनुस खान)

जहां तक रिटेनिंग वाल की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुरानी रिटेनिंग वाल है और कुछ कच्ची भी बनी हुई थी, पिछले वर्ष ज्यादा वर्षा होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है और माननीय सदस्य की यह चिंता कि उनको हमने पहले भी लिखकर दिया और इनका दुरुस्तीकरण नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि हम इनको प्राथमिकता पर लेकर, चूंकि अभी आपको भी ध्यान है, सदन को भी पता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अलग-अलग सम्भाग में जा रही हैं। अभी हमारा भरतपुर और बीकानेर सम्भाग हो गया, अगले महीनें में हम उदयपुर भी जायेंगे तो इन सड़कों को देखेंगे और प्राथमिकता पर लेकर इनकी जो भी मरम्मत होगी वह करवायेंगे। कुछ जिला कलक्टर के पास जो पैसा पड़ा रहता है उसे भी काम में लेकर इनका दुरुस्तीकरण करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि स्टेट हाई-वे घोषित हुआ था मादड़ी से 40 मील वाया ताल लसानी देवगढ़, इसका मादड़ी से लेकर आमेट तक तो रोड हो गया लेकिन आमेट से लेकर 40 मील वाया देवगढ़ तक अभी तक यह रोड अपूर्ण है तो क्या कारण है कि पूरी सैंक्शन होने के बाद भी यह आधा हो गया और आधा अधूरा है, क्यों है ऐसा? जो अपूर्ण है उसको पूर्ण करने की सरकार नीयत रखती है या नहीं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जी हां, मावली, आमेट से जिस हाई-वे की आपने चर्चा की उसको पूर्ण करने की मंशा सरकार रखती है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री फूलचन्द भिण्डा। पूरक प्रश्न फूलचन्दजी। (व्यवधान) नहीं आपका नहीं फूलचन्दजी का।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में गारण्टी पीरियड की सड़कों के रिपेयर के नाम पर पैसा उठ गया और महालेखाकार ने उसमें टिप्पणी की है, 2011 में भी है, 2012 में भी की है, 2013 में भी की है। ऐसे प्रकरण में सम्बन्धित जिन्होंने पैसा उठाया है और महालेखाकार ने टिप्पणी की है डबल पैसा उठ गया गारण्टी पीरियड में, मतलब रिपेयर हुई नहीं और पैसा उठ गया लेकिन मौके पर एक बार भी रिपेयर नहीं

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हुआ। इसके बारे में तीन बार क्वेश्चन लगा चुका, क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लेंगे। जिन अधिकारियों ने पैसा उठा लिया, रिपेयर किया नहीं। गारण्टी पीरियड की सड़कें हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। रिपीट मत कीजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि माननीय सदस्य ने पहले भी इसी सत्र में इस विषय पर चर्चा की थी और मैंने सदन में ही घोषणा की थी कि इसकी सारी जांच करवा लेंगे और कल हम व्यक्तिश: मिले तब भी यह चर्चा आई थी। मैंने कहा कि सत्र पूरा होते ही इन सारी सड़कों को दिखवा कर, जांच करवा कर कार्यवाही करेंगे, कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। किरण माहेश्वरीजी। (व्यवधान) आ गया वह चर्चा में ।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगी जैसा उन्होंने रिप्लाई में दिया कि पांच साल तक जो सड़क बनती है उसके रख रखाव के लिए ठेकेदार जिम्मेदार रहता है। लेकिन क्या यह सम्भव है कि वह बोर्ड लगा दे पीएमजीएसवाई की सड़क के ऊपर कि इस साल में यह सड़क निर्माण हुआ और अगले पाँच साल तक इस सड़क की टूट-फूट अगर कुछ भी हुई है तो उसका यह ठेकेदार है, वह जिम्मेदार होगा इसको करने के लिए और वह ठेकेदार के टेलीफोन नम्बर उस बोर्ड पर लिख दिए जायें। दूसरा मेरा...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक ही कीजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक मिनट। बस एक छोटा सा। इसमें जिस तरीके से नरेगा के तहत पीडब्ल्यूडी सड़क बनाती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामान्यत: देखा जाता है कि नरेगा में और तो बहुत सारे काम होते हैं लेकिन सड़क बनाने का काम है वह स्पेशली पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है कि पीडब्ल्यूडी सड़क बनायेगी लेकिन सामान्यत: देखा गया है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कोई इण्टरेस्ट नहीं होता है कि वह नरेगा के कोई काम करें। जितने प्रपोजल्स हमारे नरेगा में सड़क बनाने के लिए हैं, गिट्टी सड़क बनानी होती है लेकिन गिट्टी सड़क बनाने में भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कोई इण्टरेस्ट नहीं होता, इसकी वजह से छोटी-छोटी सड़कें गांव की नहीं बन पाती हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

तो मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि आप नरेगा के अन्दर जो प्रपोजल्स आये हुए हैं उनके लिए कभी बिठाकर मीटिंग करवाएं जिससे पता चले कि कितने सारे प्रपोजल्स पीडब्ल्यूडी के पास पैंडिंग पड़े हुए हैं। क्या इस पर बताएंगे माननीय मंत्री महोदय?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा सड़कों के निर्माण के बाद संवेदक का नाम, उसकी तिथि और कितनी राशि खर्च हुई, इस तरीके के बोर्ड लगाये जाते हैं। अब नये सिरे से हम निर्देश दे देंगे कि जो भी योजना है, जितनी राशि स्वीकृत हुई है, पूरे विवरण का बोर्ड लग जाएगा, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

आपने दूसरा सप्लीमेंट्री नरेगा के बारे में किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जब बैठक ली थी उसमें माननीय पंचायत राज मंत्री, पीडब्ल्यूडी और सभी विभागों के अधिकारी और मंत्रीगण थे, उसमें ये निर्देश दिये हैं कि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा काम नरेगा के पीडब्ल्यूडी के मार्फत हों और जो हमारा श्रमिक कम्पोनेंट है, मैटेरियल कम्पोनेंट है, किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है उस बारे में जैसा मैंने पहले सदन में बताया कि माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी से भी हमने चर्चा की है, माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय से हमने निवेदन भी किया और उन्होंने भी हमें विश्वास दिलाया कि हमारे और उनके अधिकारी मेरे स्तर पर और माननीय मंत्रीजी के स्तर पर बैठक कर लेंगे और इसकी रीति-नीति तय करके इस कार्यवाही को करेंगे। भविष्य में मनरेगा की सड़कें पीडब्ल्यूडी कैसे बना सकती है उसका पूरा विस्तृत विवरण हम तैयार करें। मैं आपको यही विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी चीजें आएंगी नरेगा की, पीडब्ल्यूडी उसका निर्माण करेगी, हमारे अधिकारी जरूर रुचि लेंगे। इसके लिए हम अलग से सैल बना देंगे और उसमें कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के बराखन से कंटालिया पाली सीमा तक और बराखन से सारण बसें चलती हैं, बामनहेडा चौराहे से गापसरूपा तक बस चलती हैं, रोडवेज की बसें लगी हुई हैं

(श्री शंकर सिंह)

उन बसों को आने-जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, कुछ एरिया वन विभाग का पड़ता है। वहां पर पक्की सड़कें बनी हुई हैं। गत कार्यकाल में भी हमने उनको रिपेयर कराने के लिए, डामरीकरण के लिए लिखा था, लेकिन वन विभाग के अधिकारी उनको पक्की नहीं होने दे रहे हैं। वापस डामरीकरण करवाने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि तीनों सड़कों को पक्की करवाने के लिए आप आदेश दिलाएं। वे स्टेट हाइवे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तीन पूरक प्रश्न हो चुके हैं, इतने हरे-हरे आ रहे हैं। मैं अगला सवाल लूंगा इस उत्तर के बाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए, एक मिनट सबको देना पड़े तो...(व्यवधान) आप बैठिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है, एक पर्ची भी इनकी अभी निकली है, उसमें भी इन्होंने यही विषय उठाया है। इसलिए जब इनकी पर्ची आएगी उसमें विस्तृत रूप से कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। श्री गोतम लाल।

लसाड़िया (उदयपुर) में विद्युत उपखण्ड कार्यालय की स्थापना

262. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड लसाड़िया में विद्युत उपखण्ड कार्यालय नहीं होने से आमजन को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है एवं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर जाना पड़ता है?

(2) क्या सरकार उपखण्ड लसाड़िया में विद्युत उपखण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) लसाड़िया के आमजन की विद्युत समस्याओं को दूर करने के लिए कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय स्थापित है। उसका सहायक अभियन्ता कार्यालय भिण्डर में है। भिण्डर से लसाड़िया की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। वर्तमान में सहायक अभियन्ता कार्यालय में भिण्डर के अधीन लगभग 28000 उपभोक्ता हैं।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

(2) जी नहीं। विद्युत निगमों में औसतन 17500 उपभोक्ताओं पर सहायक अभियन्ता कार्यालय स्थापित किये जाने का प्रावधान है। लसाड़िया में वर्तमान में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 7233 होने के कारण नया सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, लसाड़िया मुख्यालय से भिण्डर 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने से पहाड़ी क्षेत्रों में 20-25 किलोमीटर दूरी में बस्ती बिखरी हुई है। 2008 में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने लसाड़िया में नई तहसील व पंचायत समिति खोली। उसके बाद में उपखण्ड कार्यालय खोला। उसके बाद में हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, इन्होंने सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला। माननीय सिंचाई मंत्री सांवर लालजी ने हमारे वहां सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग का कार्यालय खोला। अभी-अभी सरकार बनते ही ब्लाक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय शिक्षा मंत्रीजी ने खोला है।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए।

श्री गोतमलाल (धरियावद): सिर्फ एक आरएसईबी कार्यालय वहां नहीं खुला है। सभी कार्यालय तहसील मुख्यालय पर खुल गये हैं। मंत्री महोदय सुराज संकल्प यात्रा में आये, हमारा एरिया भी देखा हुआ है। वहां आपका यह मापदण्ड 17500 है, आप तो एक बार कार्यालय खोलो, यह हो जाएंगे। 7500 उपभोक्ता होने में 65 साल लगे हैं तो 17500 उपभोक्ता तो 100 साल बाद भी पूरे नहीं होंगे। आप उपखण्ड मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखते हैं? विचार नहीं, आप तो खोल ही दो, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भिण्डर जो एईएन सब डिवीजन है इसमें लगभग 28 हजार कंज्युमर्स हैं। यदि आप अजमेर डिस्काम का एवरेज देखें तो भिण्डर से ज्यादा डीडवाना के अन्दर 40528 कंज्युमर्स हैं, एक एईएन आफिस चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक मोहन लालजी, डिस्टर्ब होता है, ये जवाब दे रहे हैं। आपसी बात मत कीजिए, बैठिए। (व्यवधान) आप बात करते हो तो डिस्टर्ब होता है। आप जवाब दीजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): जैसे मैंने अभी आंकड़े पेश किये थे भिण्डर के अन्दर 28 हजार उपभोक्ता हैं। डीडवाना के अन्दर 40528 हैं, डेगाना के अन्दर 36 हजार प्लस हैं, विजयनगर में 34 हजार प्लस हैं, मकराना में लगभग 34 हजार हैं, नसीराबाद में लगभग 33 हजार उपभोक्ता हैं। इसका एवरेज 28 हजार उपभोक्ता हैं। इन 28 हजार उपभोक्ताओं के अन्दर केवल लसाड़िया के 7233 ही हैं। यदि आप इसको टेक्नीकल टर्म्स में देखें, एईएन आफिस जब खुलता है 17500 का हमारा एवरेज है पूरे राजस्थान का, 17500 में एक एईएन आफिस है।

श्री अध्यक्ष: आदिवासी एरिया के लिए कोई कंसेशन है क्या?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): उसके लिए अलग नहीं है, वह उपभोक्ता के ऊपर है कि नम्बर आफ कंज्युमर्स। सर्विसेज देने का है बेसिकली। Services are rendered to the number of people.

श्री अध्यक्ष: आदिवासी क्षेत्र में दूर-दूर तक छितराये हुए आवास होते हैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): साहब, आपने जो आज्ञा दी है उसकी पालना करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विचार कीजिए इस पर।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): बिलकुल करेंगे। 29.3.2011 को एक आर्डर निकला था राज्य सरकार से जिसमें 92 एईएन सब डिवीजन क्रिएट हुए थे। इसके अन्दर कंडीशन लिखी गयी थी तीनों डिस्काम के अन्दर कि AEN sub divisions will be opened until 31.12.16 मेरा यह सोचना है कि It is not logical to make such date based announcement. Announcements should be made as per the consumers. Base. मैं एक और चीज आपके माध्यम से विधायक महोदय को बताना चाहूंगा कि खाली पोपुलेशन का आधार नहीं होना चाहिए इसके अन्दर डिस्टेंसेज और टोपोग्राफी है उसको भी महत्व देना चाहिए। जैसे जैसलमेर जिला है जहां उपभोक्ता कम हैं, उनको 100-100 किलोमीटर एईएन आफिस जाना पड़ता है। हमारी सरकार ने हमारी नीति के अन्दर, आपने जो आदिवासी क्षेत्र के बारे में फरमाया और लो-डेंसिटी पोपुलेशन के एरियाज् हैं उनको डिस्टेंसेज और डिफिकल्ट टापोग्राफी पर कंसीडरेशन दिया जाएगा।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया पर्याप्त।

श्री गोतमलाल (धरियावद): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय की

(श्री गोतमलाल)

जानकारी में लाऊंगा कि हमारे जब तहसील खोली तो दो पंचायतें सलूम्बर की मिलायी थीं। सलूम्बर के कुछ गांव हैं वे आज भी सलूम्बर के एईएन कार्यालय में जाते हैं। आपको पूरी जानकारी नहीं है, पूरे आंकड़े नहीं हैं, हमारी काफी फाइलें अटकी हुई हैं, कुओं की फाइलें भी हैं। पिछली सरकार ने एक भी कुएं का कनेक्शन नहीं दिया है। बीपीएल, एपीएल को भी कनेक्शन नहीं दिये हैं। आप तो कनेक्शन दें और वहां पर सहायक अभियन्ता कार्यालय दूरी के हिसाब को देखते हुए और टीएसपी एरिया को देखते हुए खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। लसाड़िया से सम्बन्धित कोई सवाल करना हो तो। मैं जनरल नहीं होने दूंगा इसको। यह लसाड़िया के बारे में स्पेसिफिक सवाल पूछा गया है। (व्यवधान) जनरल नहीं। नेक्स्ट। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

प्रदेश में सोयाबीन उत्पादों को प्रोत्साहन की योजना

263. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के हाड़ौती क्षेत्र में सोयाबीन की फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है तथा विश्व में सोयाबीन को प्रोटीन का सबसे सस्ता व सुलभ स्रोत माना जाता है? यदि हां, तो सोयाबीन के उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सोयाबीन से किसानों द्वारा छोटे स्तर पर प्लांट लगाकर सोया दूध, सोया पनीर, आटा, आइस्क्रीम, सोया दही, सोया बिस्किट, सोया पाव, रोटी आदि उत्पादन बनाये जाते हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनको क्या-क्या सुविधायें किस-किस नियम के तहत उपलब्ध कराई जाती हैं व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन हाड़ौती क्षेत्र में होता है एवं यह भी सही है कि विश्व में सोयाबीन को प्रोटीन का सुलभ एवं सस्ता स्रोत माना गया है। सोयाबीन के उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु राज्य कृषि प्रसंस्करण एवं व्यवसाय प्रोत्साहन नीति 2010 जारी की गई है जिसके तहत उद्यमियों को देय सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

(2) जी हां। सोयाबीन से किसानों द्वारा छोटे स्तर पर प्लांट लगाकर सोया दूध, सोया पनीर, आटा, आइस्क्रीम, सोया दही, सोया बिस्किट, सोया पाव, रोटी आदि उत्पाद बनाये जा सकते हैं। वर्तमान में राज्य में किसानों द्वारा सामान्यतया इन उत्पादों का विनिर्माण नहीं किया जा रहा है। किसानों एवं लघु उद्यमियों को इस कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण मिशन लागू किया गया है जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रुपये तक का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत सोया उत्पादों पर भी लाभ देने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जिस सम्भाग से मैं आती हूं, सोयाबीन की जो आवक है, जो खरीफ की हमारी सोयाबीन फसल है उसका आप देखिये कि 2012 में 11.83 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन वहां पर हुआ। हमारे वहां पर सोयाबीन की इतनी आवक है पर उसके बावजूद जो मुझे आंसर मिला उसमें मैंने यह भी देखा कि आपने सोयाबीन के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य कृषि प्रसंस्करण एवं व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 को जारी किया है। मैं आपके माध्यम से मात्र इतना सा निवेदन करना चाहती हूं कि किसानों को सुविधा देने हेतु हमने इस नीति को बना लिया तो क्या यह नीति मात्र यहां कागजों में सीमित रह जाए और मुझे लगता है कि मैं आज इस बात की चर्चा कर रही हूं तो हो सकता है किसानों को इस नीति का ध्यान में भी आ जाए लेकिन इस नीति को बढ़ावा देने के लिए आज तक विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा कोई पहल नहीं की गई। यह बहुत गलत है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि जिस सोयाबीन को विदेशों में, इतना पनीर बनाया जाता है, सारे देश उसको लाइक करते हैं फिर हम क्यों इसमें पीछे हैं? यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या यह सही है कि सोया पनीर, सोया दूध, आटा, आइस्क्रीम, सोया दही, सोया पाव, रोटी आदि के उत्पादन के लिए आज तक कोई प्लांट हाड़ौती में,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कोटा सम्भाग में नहीं लगा? आपने उत्तर दे दिया कि नहीं लगा। मैं कहना चाहूंगी कि अगर नहीं लगा तो इसके उत्पादन के लिए आपकी नीति बनाने के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं करने का क्या कारण रहा, क्यों नहीं हमने इसकी व्यवस्था की? इससे किसानों का कितना नुकसान हुआ? किसानों को सब्सिडी देने के लिए जो 50 लाख तक की सीमा तय की है उसका फायदा किसान क्यों नहीं उठा पाये? इसके लिए आपके जो विभाग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लोगे क्योंकि 2010 से नीति बनी हुई है और आज तक उस नीति का कोई फायदा नहीं मिला?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, जवाब आने दीजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): प्रश्न एक साथ कर लूं साहब।

श्री अध्यक्ष: एक साथ करेंगी तो दूसरा पूरक प्रश्न नहीं करेंगी क्या?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): जी। बिलकुल मैं लीक से नहीं हटूंगी और यही प्रश्न मैं करना चाह रही हूं। क्या यह भी सही है कि सरकार की गलत नीति की वजह से कोटा सम्भाग के क्षेत्रवासियों को बाजार से जो अन्य राज्य हैं उनके सोया उत्पादनों को महंगी दरों पर क्रय करना पड़ रहा है जिससे सीधा-सीधा किसानों का, जनता का, खासकर सम्भाग का ही नहीं, पूरे प्रदेश का बहुत जबरदस्त नुकसान है? दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कोटा सम्भाग में प्रतिवर्ष 11 से 12 मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है लेकिन इसका अधिकांश भाग, आप भी जानते हैं, माननीय मंत्रीजी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं 58 प्रतिशत का उपयोग हम लोग तेल बनाने में करते हैं और बाकी 42 प्रतिशत का खल बनाने में करते हैं। विदेशों में भी इसको निर्यात हम लोग करते हैं लेकिन कोटा सम्भाग में सोयाबीन के तेल का...

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न बहुत लम्बा हो गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): तेल को निकालने की तो लगभग 12 इकाइयां स्थापित हैं लेकिन सोयाबीन का दूध और पनीर बनाने के लिए एक भी प्लांट नहीं लगा है। सोयाबीन का जो पनीर है वो पाश्चात्य देशों में टोफू के नाम से जाना जाता है, कितना लोकप्रिय है और क्यूब के रूप में तैयार करके पैकिंग करके विपणन भी किया जाता है। यदि कोटा सम्भाग में

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

सोया दूध और सोया पनीर का सरकारी, निजी क्षेत्र में प्लांट स्थापित करवाया जाता है तो विशेषकर कृषकों के लिए यह बहुत लाभकारी होगा।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, बहुत लम्बा हो गया। आप सवाल कीजिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्या सरकार यह विचार करती है कि निजी क्षेत्र में तैयार करवाकर या सरस तिलम संघ है जैसी सरकारी संस्थाओं के माध्यम से इसका विपणन भी सरकार करना चाहती है? ऐसा मुझे जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: दीजिये मंत्रीजी जवाब।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, वास्तव में जायज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि सोयाबीन के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे सोया पनीर हो, चाहे सोया दूध हो, चाहे और भी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो निश्चित रूप से दूध से सस्ते मिलते हैं और गरीबों के लिए इससे बढ़िया विकल्प नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण नीति बनाई जाती है। 2010 में भी बनी, 2012 में भी बनी। जब 2008-09 में हमारी सरकार थी उस वक्त भी हम लोगों ने एक नीति बनाई थी और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि राजस्थान में कोई भी कृषि जीन्स का प्रोसेसिंग करेगा या फिर किसान अपने खेत पर किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करेगा तो उसमें अनुदान देने के पूरे प्रावधान किये किये गये थे चाहे उसमें हार्टिकल्चर क्राप्स हों, चाहे कोई भी खाद्यान्न हों, चाहे तिलहन हों चाहे ऐसी कैश क्राप हों। जिनका प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन कोई भी काश्तकार करेगा उसको अनुदान देने के प्रावधान किए थे और किसानों के खेत में जो भी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करेगा, अध्यक्ष महोदय, 2012 में एक नीति और आई थी उसमें 50 प्रतिशत तक या एक करोड़ रुपये तक के अनुदान देने के प्रावधान भी किये गये थे। मैं सदन के माध्मय से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि इन नीतियों के अन्तर्गत जो प्रोसेसिंग पालिसीज बनी हुई हैं, कोई भी एंटरप्रिन्योर्स हों, चाहे प्राइवेट सैक्टर में हों, चाहे फार्मर्स हों, किसानों के लिए अलग नीति है, एंटरप्रिन्योर्स के लिए अलग नीति है। जो भी कोई इसमें आयेगा निश्चित रूप से सरकार उनको अनुदान देगी, इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

अभी हाल ही में हम लोग एक व्यवस्था और कर रहे हैं कि इस प्रोसेसिंग नीति में और सरलीकरण कैसे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पालिसी बनी है उसमें कृषि भूमि पर कोई भी इकाई स्थापित करने के प्रोविजन्स हैं उनमें कोई भी बैंक उनको ऋण इसलिए नहीं देती क्योंकि उसका कन्वर्जन नहीं हो पाता। इन सारे विषयों पर गम्भीरता से विचार कर रही है और हम उसका और सरलीकरण करेंगे ताकि जो सोया प्रोडक्ट के बारे में माननीय सदस्य ने चिंता की है, निश्चित रूप से किसानों को उसका लाभ मिले, ऐसी कार्यवाही हम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं, दूसरा, निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह बहुत आवश्यकता है और पूरे विश्व ने इस बात को जाना है कि सोयाबीन का जो प्रोडक्ट है, सोयाबीन की जो उपयोगिता है मानव शरीर के लिए वह बहुत जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अध्ययन करने पर यह बताया कि सोया प्रोटीन बीमारियों के बचाव के लिए भी बहुत जरूरी है। खासतौर से जो सोया तेल की बात की गई है इसमें पाली अनसेचुरेटेड वसा मिलती है यह एंटी, कोलेस्ट्राल फ्री होती है और इसको खाने से किसी भी प्रकार की कोरोनरी हार्ट डिजीज, ओस्टियोपोरोसिस, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट इस प्रकार के जो कैंसर हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जरूरी है। चूंकि दूध का जो उत्पादन है यह उतना नहीं हो पा रहा है लेकिन इसका विकल्प यदि प्रोटीन के क्षेत्र में हम जाते हैं तो 40 प्रतिशत प्रोटीन, 20 प्रतिशत वसा सोयाबीन में मिलती है, ओमेगा थ्री फैटी एसिड इसमें पाया जाता है और वो बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन होगा कि सोयाबीन में विटामिन बी के रूप में जो नाइसिन, पायरिडाक्सिन और फालीसिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुलभ सन्दर्भ में रिकार्ड से मैंने इसको देखा है, निश्चित रूप से माननीय सदस्य की चिंता है और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके बारे में जो भी हर सम्भव प्रयास सरकार कर सकेगी वो करेगी और इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हाड़ौती क्षेत्र में अपना काम करेगी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): धन्यवाद मंत्रीजी। माननीय अध्यक्षजी, जो मैंने आपसे निवेदन किया है कि सरस और तिलम संघ के द्वारा इसका विपणन भी हम लोग करवा सकते हैं तैयार करवाकर और

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

इसके लिए भी अगर कुछ होगा तो मुझे लगता है कि हाड़ौती के किसानों का बहुत बड़ा फायदा इससे होने वाला है। क्योंकि हाड़ौती में सोयाबीन की इतनी आवक है, हम सबको मालूम है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री सुरेश धाकड़, पूरक प्रश्न।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाह रहा हूं कि हम सोया प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यह प्रश्न उसी पर चल रहा है लेकिन अभी जो बीज किसानों को दिया है और विशेषकर मेरी विधान सभा में जो क्रय-विक्रय के माध्यम से या सीड प्रोग्राम के माध्यम से दिया है वो सोयाबीन 99 प्रतिशत अंकुरित ही नहीं हुआ। उसके कारण से किसानों को दुबारा बीज खरीदकर वापस बुवाई करनी पड़ी और मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में यही स्थिति होगी। इसके साथ में एक निवेदन और है कि सीड प्रोग्राम के लाट वगैरह के अलाटमेंट होते हैं तो ये केवल कागजी खानापूर्ति कर लेते हैं, अधिकारी कोई वहां जाकर देखते नहीं हैं और हर किसी को कह देते हैं कि आप सोयाबीन बो दो और फिर व्यापारियों से खरीदकर इनकी खानापूर्ति करके पूर्ति कर देते हैं।

मेरे वहां तो बोर्डर से, एम.पी. से सोयाबीन खरीदकर राजस्थान में सप्लाई कर देते हैं तो ऐसी दोनों स्थितियों में मंत्री महोदय, किसानों को इसमें कोई उचित मुआवजा मिल पायेगा कि उनके बीज अंकुरित नहीं हुए ? इनकी जांच करा लें और अखबारों में भी छपा है, यह आप लोगों ने देखा होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें कुछ करवायें।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, एक मिनट। पहले पूरक प्रश्न का जवाब आने दीजिये ना। फिर आपका नम्बर है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन के बारे में माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है, मैंने सदन में भी बताया था। सोयाबीन में कम अंकुरण की मात्रा को लेकर मैंने आश्वस्त किया था कि तीन दिन में मैं इसकी जांच कराऊंगा और वह जांच रिपोर्ट मुझे प्राप्त हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछले तीन वर्षों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में, तीनों ही राज्यों में अतिवृष्टि के कारण से फसलों का खराबा निश्चित ही हुआ और सोयाबीन का बीज कहीं भी उपलब्ध नहीं हुआ। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सदस्य कह रहे हैं कि राजस्थान के सीड कारपोरेशन और सरकारी उपक्रम के माध्यम से बीज ग्राम योजना के तहत 26,000 क्विंटल के लगभग बीज वितरण किया गया था, 10,000 क्विंटल बीज, बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान पर सरकार के द्वारा, जो भारत सरकार का सरकारी उपक्रम है, एनसीसीएफ के माध्यम से खरीदा गया था। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा उसका प्रमाणीकरण किया गया था और उसके बाद में हमारे सीड कारपोरेशन के द्वारा क्रय करके किसानों को दिया गया था लेकिन वास्तव में अध्यक्ष महोदय, यह चिंता जायज है, हम लोगों ने चिंता की है और अभी कल ही हम लोगों ने बैठक करके यह फैसला किया है कि जिन क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल का अंकुरण कम हुआ है या 50 प्रतिशत से कम अंकुरण हुआ है, उन किसानों की लाट की हम लोगों ने जांच कराई, जिनमें अंकुरण की मात्रा या अमानक लाट, पाये गये हैं, उन सभी लाटधारक किसानों के लिए बीज देने के बारे में हम लोगों ने अभी कल ही फैसला किया कि उनको नि:शुल्क, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन करके, यदि वह सोयाबीन बोना चाहते हैं तो जेएस-335 का बीज या वह मूंग की फसल करना चाहते हैं तो मूंग का बीज लाट फेल हुए हैं, जिनके जांच में पाया गया है, उन किसानों को नि:शुल्क उपलब्ध कराने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग उनको दुबारा बीज उपलब्ध करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री भवानी सिंह राजावत। पूरक प्रश्न।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या ने सोयाबीन प्रोडक्ट्स के बारे में चिंता व्यक्त की लेकिन चिंता का विषय अभी यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा, सोयाबीन पैदा होती है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा इन जिलों में। मंत्री महोदय कह रहे थे, जवाब दे रहे थे लेकिन सवाल खड़ा होता है सोयाबीन का सर्टिफाइड बीज जो सरकार के बिक्री केन्द्रों से किसान लेकर गया, लगभग 50,000 हैक्टेयर में वह सर्टिफाइड बीज उगा नहीं, अंकुरित नहीं हुआ। उस सोयाबीन के बीज की भ्रूण हत्या हो गई। किसान तबाह हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मंत्री महोदय को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई अधिकारी अगर जिम्मेदार है, अगर कोई एजेंसी जिम्मेदार है। मैं अभी कोटा गया, मेरे पास किसान आये, फूट-फूटकर रोने लग गये कि एक दाना नहीं उगा और उसके बाद माननीय

(श्री भवानी सिंह राजावत)

अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी है। अभी कोटा में बाढ़ के हालात खड़े हुए हैं। सोयाबीन के पूरे खेतों में दो-दो फीट पानी है। एक दाना सोयाबीन का नहीं उगा, प्रोडक्ट कहां से पैदा होंगे? सोयाबीन पर आधारित तेल के कारखाने हैं, उन पर ताले लगेंगे। प्रोडक्ट पैदा होना दूर की बात है, तेल नहीं होगा, दूध नहीं होगा, पनीर नहीं होगा। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को बचाइये। आज जैतून की खेती की बात तो बार-बार करते हो, जैतून की खेती पैदा करो। जो सोयाबीन है, उस सोयाबीन की खेती को बचाओ। किसान तबाह हो रहा है, उसको मुआवजा देने का तय करो। जो फसल डूब गई, अंकुरित नहीं हुई, उस किसान को मुआवजा दिया जाये। नीति स्पष्ट की जाये।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उनके गले का वोल्यूम कम है, इनके गले का वोल्यूम ज्यादा है। अब आप सुनिये आगे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का अपना बौद्धिक ज्ञान सोयाबीन पर दिया, निश्चित रूप से उनके ज्ञान को तो मैं सलाम करता हूं लेकिन मैं उनको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि कोटा सम्भाग में मात्र 10,000 क्विंटल बीज, बीज ग्राम योजना में दिया था। उसमें प्रत्येक किसान को 0.04 हैक्टेयर के लिए ही अनुदान दिया था और उसका बीज दिया था। बाकी जो बीज था, 1.33 लाख क्विंटल बीज कोटा सम्भाग में किसानों के द्वारा बोया गया है। उस बीज का मात्र 10,000 क्विंटल बीज ही राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन के द्वारा बीज ग्राम योजना में दिया गया था, बाकी बीज इन्होंने प्राइवेट कम्पनियों से, प्राइवेट दुकानों से खरीदा था। मात्र बीज का 24 से 30 प्रतिशत सीड रिप्लेसमेंट रेट के आधार पर हम लोग उपलब्ध कराते हैं। 60 प्रतिशत के लिए जैसा मैंने कहा, इसमें छूट दी गई थी फिर भी जहां 0.04 हैक्टेयर में ही उनको फसल बोना था, बाकी बीज मिश्रित करके। प्राइवेट सैक्टर से जो बीज आया, उस बीज में 10 बीघा, 20 बीघा, 40 बीघा बीज बो दिया, उसमें राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन का मात्र 0.04 हैक्टेयर ही था। जहां फसलों में सोयाबीन के अंकुरण की कमी पाई गई, सरकार ने इसको बहुत गम्भीरता से लिया है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

मैं फिर सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, सारे विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन, राजफैड और तिलम संघ, तीनों सरकारी उपक्रम हैं। प्राइवेट कम्पनी के माध्यम से एक भी दाना राज्य सरकार के द्वारा नहीं खरीदा गया है। सारे सरकारी उपक्रम हैं, लेकिन पिछली बार भी सोयाबीन में अतिवृष्टि हुई कोटा सम्भाग में, किसानों को लगभग 64 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला। सारी फसल नष्ट हो गई। बीज का अंकुरण नहीं होने का कारण बीज की अमानकता रही, बीज की अनुपलब्धता रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में भारत सरकार स्तर भी कई मीटिंगें हमारे अधिकारियों द्वारा की गई लेकिन बीज उपलब्ध नहीं हो पाया था। फिर भी राजस्थान स्टेट सीड कारपोरेशन के द्वारा दिया गया यह बीज का कम अंकुरण पाया गया तो उसके बीज को रिप्लेस करने की मैंने सदन में घोषणा की है। हम किसानों की चिंता करते हैं, उनके हित में हम लोग काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: आखिरी पूरक प्रश्न, श्री हीरालाल नागर। (व्यवधान) आखिरी पूरक प्रश्न, श्री हीरालाल नागर।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सोयाबीन का बीज हाड़ौती में नष्ट हुआ, लेकिन वह फिर वापस पुनरावृत्ति हो रही है। इस साल भी स्थिति ठीक नहीं है। किसानों ने बीज बोया। एक तो बीज ठीक नहीं मिला, जिस वजह से फसल नहीं हुई, फिर दुबारा बारिश हो गई तो बारिश से भी बीज नष्ट हो गया। सरकार आने वाले अगले साल भी सोयाबीन के बीज का संरक्षण हो और किसान को सही बीज, अंकुरित बीज मिल सके, इसके लिए क्या व्यवस्था करने जा रही है, मंत्रीजी एक तो यह बतायें ताकि किसानों को दुबारा इस तरह से प्राइवेट कम्पनियों के द्वारा उन्हें जिस तरह से नोचा जा रहा है, उसमें वहां वापस वही स्थिति किसानों की नहीं बने।

श्री अध्यक्ष: सवाल हो गया आपका।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): एक मेरा प्रश्न है, जो रामगंजमण्डी से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया था कि हम सोयाबीन के बाई-प्रोडक्ट जो हाड़ौती में प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्या सरकार...

श्री अध्यक्ष: आ चुका है। रिपीट मत कीजिये। रिपीट मत कीजिये। विराजिये। (व्यवधान)

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): ...जिस तरह से दिल्ली में मदर डेयरी सोयाबीन के बाई-प्रोडक्ट उत्पादन करती है, चाहे वह दूध हो, पनीर हो। इसी तर्ज पर क्या यहां राजस्थान में सरस डेयरी के द्वारा सरकार बाई-प्रोडक्ट उत्पादन कराने का विचार रखती है? मंत्रीजी, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय मंत्रीजी को अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है, कोटा में बहुत बड़े रकबे में सोयाबीन नहीं उगी है।

श्री अध्यक्ष: आप उनसे कार्यवाही करने के लिए कहिये। हां, माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) नहीं, बिलकुल नहीं। नो नो, तीन हो गये। कतई नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा सम्भाग में जब एक सदस्य को बोलना है तो दूसरे को बोलना जरूरी हो जाता है। मैंने कहा है, मैंने सारा जवाब आपको दिया है क्योंकि अब बोलना जरूरी है ना, बताना भी तो पड़ेगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी कोटा सम्भाग से आने वाले माननीय सदस्यों ने...

श्री अध्यक्ष: कहना चाहिए। क्षेत्र में इनका प्रतिनिधि यहां है, यह जाना चाहिए। ये ठीक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): उन्होंने जैसा कहा, जब बीज का अंकुरण नहीं हो रहा, बीज खराब नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, दो लाख क्विंटल बीज के लिए हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम लेकर 6,000 क्विंटल बीज जेएस-9560 की उपलब्धता करके किसानों को बीज उत्पादन का कार्यक्रम दे दिया है और निश्चित रूप से अगले साल की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसमें किसी भी सदस्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलचन्द भिण्डा। (व्यवधान) नो नो बैठिये आप। श्री फूलचन्द भिण्डा। बैठिये आप, बैठिये। नहीं। श्री फूलचन्द भिण्डा। (व्यवधान) बिलकुल नहीं, बैठिये आप।

विराटनगर में स्वीकृत पेयजल योजनाएं

264. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक कौन-कौनसी जल योजनाएं स्वीकृत हुईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(2) उक्त स्वीकृत योजनाओं में से कितनी योजनाएं पूर्ण हो चुकीं तथा कितनी अपूर्ण हैं तथा शेष को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं के प्रस्ताव में परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो क्या व किसकी स्वीकृति से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सांवर लाल) : (1) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुचारु एवं सामान्य बनाए रखने हेतु वर्णित अवधि में 65 हैण्डपम्प, 452 सिंगल फेज नलकूप तथा 60 संवर्धन/पुनर्गठित जल योजनाओं की स्वीकृति राशि रुपये 3842.95 लाख की आवश्यकतानुसार जारी की गई। वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ, ब एवं स पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृति के विरुद्ध समस्त 65 हैण्डपम्प एवं 452 सिंगल फेज नलकूप तथा 49 जल योजनाओं के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष 11 अपूर्ण संवर्धन/पुनर्गठित जल योजनाएं चरणबद्ध रूप से माह जनवरी, 2015 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित हैं। वांछित विवरण क्रमश: संलग्न परिशिष्ट-अ, ब एवं स में निहित है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-1

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों द्वारा जो दिया गया असत्य विवरण है वह माननीय मंत्रीजी द्वारा पढ़ा दिया गया है। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने बताया कि केवल 65 हैण्डपम्प, मेरे हाथ में लिस्ट है 124 हैण्डपम्प तो केवल 10.6 और 15.6.2013 को मंजूर हुए हैं। उसमें से 24 गड़े हुए बताया गया है जबकि यह कह रहे हैं 24 ही स्वीकृत हुए हैं। यह आदेश हैं मेरे पास, आदेश की प्रति मैं लेकर आया हूं। इसी प्रकार से सिंगल फेज इन्होंने 65 बताया जबकि 124 तो इन्होंने गाड़ना बताया है और 82 ऐसे हैं जो गड़े नहीं हैं। इसी प्रकार से इन्होंने बताया 22 स्कीमें हैं जिनमें 13 स्कीमें पूर्ण हो गई और 9 बकाया हैं। जबकि हकीकत यह है कि मेरे पास आर्डर है पिछले जून में 48 स्कीमें पास हुई हैं उनमें से केवल 22 पर काम प्रारम्भ हुआ है और अब लिखा है कि माह जनवरी, 2015, ये जून, 2013 में मंजूर हुई और ठीक 18 महीने बाद पूर्ण होगी। पानी के लिए 18 महीने तक आदमी जिंदा रहेगा यह स्थिति है। यह अधिकारी

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं एक विराटनगर की शहरी स्कीम थी 381.43 करोड़ की। इसमें केवल छह वार्ड थे। पांच, छह, तेरह, चौदह, पन्द्रह चार टंकियां बनी हैं उच्च जलाशय की और तीन उसमें जीएलआर बने हैं। लेकिन दो टंकियों में पानी नहीं है क्योंकि एक तो वन विभाग में बोरिंग कर दिया गया उसको एक महीने बाद वन विभाग ने नष्ट कर दिया। अब यह कौन अधिकारी हैं जिसने वन विभाग की बिना अनुमति के किया और एक में केवल पानी टंकी तक जाना बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। उन छह वार्डों के लिए 3 करोड़ 81 लाख की स्कीम मंजूर हुई लेकिन बीस ढाणियां अभी भी बाकी हैं जिनमें लाइन तक नहीं गई। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से मेरे जितने स्वीकृत हैण्डपम्प बाकी हैं तथा जितने सिंगल फेज स्वीकृत बाकी हैं और जितनी स्कीम बाकी हैं उनको कब तक पूरी कर देंगे? एक तो मेरा यह निवेदन है। दूसरा,

श्री अध्यक्ष: दूसरा बाद में कीजिए, पहले इसका जवाब आने दीजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि अधिकारियों ने गलत जानकारी उपलब्ध करा दी है। अधिकारी ही जानकारी उपलब्ध कराते हैं अगर वह गलत है तो सरकार निश्चित उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। माननीय सदस्य को मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने एक सवाल किया है कि जंगलात के अन्दर बोरिंग किया, फिर वो बंद हो गया, इस वजह से टंकी में पानी नहीं आ रहा है। तो निश्चित रूप से फोरेस्ट में हमारे विभाग को जानकारी करके ही बोरिंग करना चाहिए कि सिविल एरिया में, फोरेस्ट में होने से फोरेस्ट वालों का प्रतिबंध रहता है। इस बारे में भी मैं जानकारी लूंगा और जानकारी लेने के बाद अगर माननीय सदस्य की बात सही पाई जाएगी तो एक्शन होगा, यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा जो इन्होंने मंथवाइज सैंक्शन लिखी है मैंने पूरे पांच साल की सैंक्शन और यह व्यवस्था दी है। इसके अलावा इनके जो कुछ 99 सिंगल फेज निर्माण के जो सैंक्शन थे और जो लगा नहीं पाए थे उनको स्थगित किया और माननीय सदस्य से रिवाइज प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद वो सिंगल फेज जहां पर यह चाहेंगे वहां पर हम वापस पुन: लगा देंगे यह इनको भरोसा दिलाता हूं। बाकी अब हर जगह की जो जानकारी माननीय सदस्य सब है और ये जैसे-जैसे जानकारी देंगे उसके हिसाब से अगर विभाग ने

(श्री सांवर लाल)

कुछ इंटेशनली गड़बड़ की है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर-2

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, इसमें 18 महीने की बात कही गई है। 18 महीने जनवरी, 2015 में पूरे होंगे। इसके बाद 18 महीने तक पब्लिक कैसे रहेगी। बीस ढाणियां हैं, हमेशा वहां प्रदर्शन होता है जब भी मैं विराटनगर जाता हूं। महिलाएं आकर के घेर लेती हैं, कहती हैं कि हमें तो अभी व्यवस्था कराकर के जाइए और अधिकारी बार-बार झूठ बोलते हैं। जिला परिषद की मीटिंग में यह कहा गया कि एमएलए जगह बदलना चाहता है। जगह बदलने की बात पर मैंने प्रिंसीपल सेक्रेटरी साहब को कहा। उन्होंने कहा मैं दिल्ली से आकर के उसी दिन कर दूंगा, आज 22 दिन हो गए हैं। मैंने चीफ इंजीनियर को कहा मैं कर दूंगा, डेढ़ महीने तक एक भी सिंगल फेज मंजूर नहीं किया और जिला परिषद में उसी अधिकारी ने यह कहा कि एमएलए जगह बदलवाना चाहता है। ये गड़े ही नहीं हैं तो किसकी जगह बदलवाऊंगा मैं? ऐसे अधिकारी के खिलाफ कम से कम कार्यवाही की जाए, उसको सस्पैण्ड किया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, मंत्री महोदय।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय सदस्य चिंता जो प्रकट कर रहे हैं अगर किसी अधिकारी ने जवाब ढंग से नहीं दिया तो उनके खिलाफ एक्शन होगा और भविष्य में माननीय सदस्यों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए इस बात के लिए भी मैं इनको पाबंद करुंगा। इसके अलावा ये जो सिंगल फेज वगैरह है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जरूरत के अनुसार जहां-जहां होगी वो खोदते जाते हैं। क्योंकि अब वाटर लेवल हमारे यहां का डाउन होता है। इस वजह से आवश्यकता बढ़ गई है, नहीं तो एक बार सिंगल फेज खोद दिया जाए और चालू कर दिया जाए तो दस वर्ष तक जरूरत नहीं होनी चाहिए। पर चूंकि वाटर लेवल डाउन जाता है इस वजह से आवश्यकता होती है और मैं माननीय सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां-जहां इस प्रकार की स्थिति होगी निश्चित रूप से सरकार को जितने सिंगल फेज की हो, चाहे हैण्डपम्प की हो, चाहे ट्यूबवैल की आवश्यकता होगी, सबको हम यह व्यवस्था करवा देंगे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): पैसा उठ गया, अधूरी हैं, अभी पानी नहीं पहुंचा है बीस ढाणियों में, उस अधिकारी को सस्पैण्ड तो कराइए कम से कम, इतना असत्य जवाब दिया है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए, आ गया जवाब। कह चुके हैं आप, इन्होंने कहा कार्यवाही करेंगे, आप विराजिए। यह सवाल विराटनगर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है वहां से सम्बन्धित कोई पूरक प्रश्न हो तो मुझे बतायें, बाकी इसके बाहर का होगा तो मैं अलाउ नहीं करुंगा।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन था कि बारिश नहीं होने की वजह से टैंकर जो हैं, यह पूरे राजस्थान की समस्या है। जहां बारिश नहीं हुई वहां टैंकर चालू करवाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, विराटनगर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित कोई पूरक प्रश्न हो तो कीजिए, मैं अलाउ नहीं करुंगा। वह आप अलग से बहस कर लीजिए। विराटनगर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित सवाल हो तो कीजिए। श्री हीरालाल।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ...(व्यवधान) यह क्या बात हुई। मैं पूछ सकता हूं, मैं मेरी तरफ से अपने विचार तो अध्यक्ष महोदय को रख सकता हूं। मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: विराटनगर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है क्या? नहीं-नहीं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, दूसरे मंत्रियों के जवाब में भी सब अपनी-अपनी विधान सभा का प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वो ही पूछेंगे और वो ही जवाब आएगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरी आपसे हाथ जोड़कर के विनती है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हाथ मत जोड़िये, व्यवस्था में मदद कीजिए। श्री हीरालाल। इसके साथ ही प्रश्न संख्या-281 इसी तरह का सम्बन्ध है आप उसका भी जवाब दे दीजिए।

निवाई/पीपलू में ओवरलोड वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कें

265. श्री हीरालाल (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या निवाई/पीपलू विधान सभा क्षेत्र में बजरी के ट्रक/डम्पर को ओवर लोड भरकर बनास से जयपुर तक परिवहन किया जाता है?

(श्री हीरालाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त कारणों से निवाई एवं पीपलू के ग्रामों एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 पर गड्डे हो गए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? हां, तो क्या कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) जी हां।

(2) निवाई-पीपलू विधान सभा क्षेत्र में 183 सड़कों की कुल लम्बाई 793.36 किलोमीटर में से 17 सड़कों की 194.48 किलोमीटर लम्बाई पर बजरी के ओवर लोडेड ट्रक्स/डम्पर्स गुजरते हैं जिससे 135.83 किलोमीटर लम्बाई क्षतिग्रस्त स्थिति में है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

जी हां। उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए राशि रुपये 128.10 करोड़ की आवश्यकता है।

जी हां। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2014-15 के अनुसार स्टेट हाइवे एवं मुख्य जिला सड़कों का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) योजनान्तर्गत तथा शेष अन्य ग्रामीण सड़कों का आउटपुट एण्ड परफोरमेन्स बेस्ड रोड कान्ट्रेक्ट (ओपीआरसी) पद्धति के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर से कोटा तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 का रख रखाव भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण (भाराराप्रा) द्वारा किया जा रहा है। भाराराप्रा के प्रबंधक (तक.) से दिनांक 9.7.2014 द्वारा प्राप्त जवाब के अनुसार 'रियायतग्राही करार के अनुसार मरम्मत का कार्य रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा है।' भाराराप्रा से प्राप्त जवाब दिनांक 09.07.2014 की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि जो ओवरलोड बजरी ट्रक परिवहन करते हैं उनसे मेरे पीपलू विधान सभा क्षेत्र की सारी सड़कें नष्ट हो गयी हैं। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर भी सड़कें डेमेज हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये परिवहन करते हैं ओवरलोड इनसे जिस तरह बजरी का टोल का पैसा लिया जाता है, जिस तरह से टोल फोर लेन राजमार्ग पर इनसे पैसा लिया जाता है इसी तरह इन वाहनों से पैसा लिया जाए। चूंकि ये निजी वाहन हैं, सरकार

(श्री हीरालाल)

सड़कें बनाती है और ये तोड़ देते हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पैसा इनसे वसूला जाए और जिस तरह से एनएच-12 पर फोर लेन वाले करते हैं उस तरह से किया जाए। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि वास्तव में पीपलू और निवाई विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं इस पूरे जिले में ही सड़कों की हालत इस वजह से खराब है क्योंकि बनास से जो बजरी लाई जाती है जो ओवरलोडेड ट्रक आ रहे हैं उनकी वजह से जिले में चारों विधान सभा क्षेत्रों में सड़कें खराब हैं यह बात सही है और दूसरा एक कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा क्षेत्र में जब राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 का निर्माण हुआ उस समय आस-पास के क्षेत्र से बजरी या रोड़ी ओवरलोडेड ट्रक से भर करके आयी उसकी वजह से भी ये सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया तो इनके सुझाव को ध्यान में रखते हुए भी और इससे पहले भी मैं विधान सभा में घोषणा कर चुका हूं कि जो हमारी ये माइन्स की सड़कें हैं जहां माइनिंग हो रही है, बजरी है, मार्बल है, कोटा स्टोन है, भीलवाड़ा का स्टोन है और सीमेंट है, इस तरीके की जहां पर सड़कें हैं वो ओवरलोड की वजह से टूटती हैं इसलिए उसके लिए हम अलग से नीति बना रहे हैं और जो ट्रक इन पर ओवरलोडेड चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही कर रहे हैं और नीति बना करके उनसे अलग से टोल भी वसूला जाएगा और अलग से एक्स्ट्रा चार्जेज भी लिया जाएगा क्योंकि वो सड़कों को क्षतिग्रस्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं परिवहन विभाग ने भी अप्रैल से लेकर अब तक कार्यवाही की है, लगभग 3008 ओवरलोडेड व्हिकल्स का चालान भी हुआ है, 285 लाख रुपये की पैनल्टी भी लगायी गयी है। सरकार इन सड़कों के बारे में चिन्ता कर रही है और आपने जो सुझाव दिया उसकी घोषणा हो चुकी है उसको इम्प्लीमेंट हम इसी साल से कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय ...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं हो तो आप विराज जाइये।

श्री हीरालाल (निवाई): आपने बताया कि बहुत अच्छा सुझाव दिया। सड़कें तोड़ते हैं वो और जनता परेशानी पाती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपलू की यह स्थिति है माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां सड़क बनी है वहां मिट्‌टी नजर आती है। चाहे जेबाड़ा हो, चाहे गेलोद, चाहे ककराज हो, चाहे डोडवाड़ी हो इस तरह मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, कि आप कब तक ये प्रस्ताव पास कर लोगे और कब तक सड़कें बन जाएंगी? आप तुरन्त इनसे पैसा चार्ज करके सड़कें बनायें। सरकार सड़कें बनाती है और ये तोड़ देते हैं, इनसे तुरन्त पैसा लिया जाए और सड़कें बनायी जाएं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैंने यह कहा कि वास्तव में 17 सड़कें इनके विधान सभा क्षेत्र की ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता है और 194 किलोमीटर में से आप देखें कि 135 किलोमीटर सड़कें टूट चुकी हैं और वो क्षतिग्रस्त हैं। अब डीएलपी में जो संवेदक हैं जिनको इन क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करना है वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं कि साहब हम सड़क तो बना रहे हैं उसकी रिपयेर भी कर रहे हैं वापस लेकिन वो फिर ओवरलोडेड ट्रक आ जाते हैं टूट जाती है तो उसकी विस्तृत योजना बना ली और मैं आपको कह रहा हूं कि इस सत्र के समाप्त होते ही अगले अगस्त माह में पूरे राजस्थान को हमने नक्शे पर उतार लिया कि कहां-कहां पर कौन-कौन सी माइनिंग है, उन पर कौन-कौन सी सड़कें हैं, उन सड़कों का भी चिन्हीकरण कर दिया और कहां-कहां पर किस तरह के व्हिकल चल रहे हैं इसलिए विस्तृत योजना बन गई उसको इंप्लीमेंट शीघ्र कर देंगे। आपकी चिन्ता वाजिब है और आपकी सड़कों को प्राथमिकता पर लेकर के उनका पुनर्निर्माण करवाएंगे और जो ओपीआरसी हमने बनाई है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार, हाउस में कल भी घोषणा की थी और 14 जुलाई को भी इसकी विशेष रूप से घोषणा की थी तो उसको हम शीघ्र ही लागू कर देंगे। आपकी चिन्ता से और सदन की चिन्ता से सरकार वाकिफ है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री मदनजी राठौड़। (व्यवधान) नहीं हो गये आपके। विराजिये। पूरक प्रश्न श्री मदनजी राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही मेरा जो प्रश्न है 281 उसमें मंत्रीजी ने जवाब दिया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राठौड़ साहब, आप एक मिनट रुकिये। डीग-कुम्हेर के

(श्री अध्यक्ष)

विधायक बहुत दिनों के बाद सदन में पधारे हैं इसलिए आपका मैं स्वागत कर रहा हूं और आप हमेशा पधारा करें, यह आपसे निवेदन है।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमार था लेकिन आपकी याद इतनी आ रही थी कि आना पड़ा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही मेरा प्रश्न है जिसमें मंत्रीजी ने जवाब दिया है खण्ड-2 में कि एनएच-65 पर पुल उचित चौड़ाई के ही बनाये गये हैं जबकि नदियों को छोड़ करके एक भी पुल नहीं बना तो क्या पाली-रूपावास-आहौर-भाद्राजून वाले मार्ग पर फोर लेन पर पुल बनवायेंगे? ये आप कृपया घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कहां से कहां पहुंच गये और हमें मौका ही नहीं दिया पानी पर बोलने का आपने। ये कोई बात हुई क्या पानी पर बोलने का मौका... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा प्रश्न है। मंत्रीजी, जवाब दो। मंत्रीजी, आप घड़ी का इंतजार मत करो जवाब दो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 814 नम्बर प्रश्न संख्या के हमारे माननीय सदस्य ने जो बात कही राजमार्ग संख्या 14 और 65 के बारे में।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पैंसठ, पैंसठ, सिक्सटी फाइव।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, 65 ही बोला है मैंने।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं 65 की ही बात कर रहा हूं आपने लिखा है कि पुल उचित चौड़ाई के बने हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, जवाब दे देता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा यह कहना है कि एक भी पुल नहीं बना नदियों को छोड़ करके इसलिए मेरा यह कहना है कि रूपावास-भाद्राजून वाले मार्ग पर पुल बनवायेंगे जहां एक ट्रैक्टर के तीन टुकड़े हो गये, आठ एक्सीडेंट अभी तक हो चुके हैं। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके सवाल के जवाब में भी कहा है कि एनएचआई की जिस सड़क की आप चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग है 65 उसका निर्माण हो रहा है और उस

(श्री युनुस खान)

पर आपने पहले भी यह मुद्दा उठाया था। आज प्रश्न के माध्यम से भी यह बात कही है कि जो वहां निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें नोर्म्स के अनुसार नहीं हो रहा है। कई जगह ऐसी हैं जहां पुल की आवश्यकता है आरयूबी, आरओबी की वहां नहीं बने तो वो भी आपने लिख कर के दिया है। एनएचआई के अधिकारियों से चर्चा करके माननीय सदस्य ने जो सुझाव भी दिये हैं और जो मांग की है उसको पूरा करने का राजस्थान सरकार प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी रोड पर एनएच-65 पर माननीय मंत्री महोदय, ध्यान भंग हो रहा है आपका। एनएच-65 पर मैंने भी आपको लिख कर दिया है गांव दोनों तरफ आये हैं। मैंने कहा है गांव मीमला, मोगड़ाकलां, काकाणी और कुड़ी। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया और मंत्री महोदय को लिख कर भी दिया। तीन बार एप्लीकेशन भी दी। गांव दो तरफ आये हुए हैं और 7 और 8 फीट ऊंची रोड बन रही है, गांव डिवाइड हो जाएंगे। स्कूल एक तरफ रह जाएगी और गांव एक तरफ रह जाएगा। अस्पताल एक तरफ रह जाएगा और गांव एक तरफ रह जाएगा उसके बावजूद भी दिन-रात काम हो रहा है रोड बनने के बाद अण्डर पुल या ओवरफ्लाई अगर नहीं बनेंगे तो हमेशा-हमेशा के लिए पूरे बीस गांवों के लिए तकलीफ हो जाएगी और गांव बंट जाएंगे, बिलकुल डिवाइड हो जाएंगे, खतम हो जाएंगे इसलिए कृपया अण्डर पुल बनायें, ओवरफ्लाई बनायें, जो भी बनायें इसके साथ ही बनायें। हमने आपसे अनेक बार निवेदन कर दिया ये कब तक पूर्ण करेंगे? कृपया सदन को बतायें। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेरे यहां दो मेगा हाइवे स्वीकृत हुए हैं एक धौलपुर ... (व्यवधान) मेरे यहां दो मेगा हाइवे स्वीकृत हुए हैं एक लालसोट धौलपुर और एक मथुरा सवाईमाधोपुर। धौलपुर और आपका जो लालसोट वाला मेगा हाइवे है उसको अगर ...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त । स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से ग्राम गौरीर, तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं में भूमाफिया द्वारा राजस्व प्रशासन से मिलीभगत कर गरीब अनपढ़ किसानों की जमीन अपने नाम फर्जी रजिस्ट्री से कराकर जबरन कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) म. रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से राज्य में बाल लिंगानुपात में बढ़ रही विषमता में सहायक नियमों को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से कापड़ियों की ढाणी (हंसीयास) मेड़ता रोड, नागौर में लिग्नाइट माइन्स में 126 काश्तकारों की खातेदारी जमीन ले लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से जिला चूरू के अभावग्रस्त घोषित 16 गांवों के किसानों को खरीफ फसल 2013 का बीमा क्लेम गिरदावरी रिपोर्ट को गलत मानते हुए कम देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के आह्वान पर राज्य की 36 हजार शिक्षण संस्थाओं के आज हड़ताल पर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री मानिक चन्द सुराना को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती अनिता कटारा, सदस्य की ओर से पंडित दीनदयाल राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय सागवाड़ा में डाक्टर्स के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(2) श्री हीरालाल ,सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई की

(श्री अध्यक्ष)

ग्राम पंचायत पहाड़ी में अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी के 32 लोगों को 12 जुलाई तक मकान खाली करने के वन विभाग द्वारा दिए गए नोटिस से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बीकानेर पश्चिम के ग्रामीण इलाकों में स्थित बंगला नगर, करमीसर, सुजानदेसर, श्रीरामसर आदि में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के सम्बन्ध में।

(4) कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली औद्योगिक नगरी बालोतरा को विकसित करने के सम्बन्ध में।

(5) डा. प्रेमचन्द बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू में विभिन्न निजी कालोनाइजर्स....

व्यवस्था का प्रश्न

आसन के पांवों पर होने की स्थिति में अधिकारी दीर्घा में आवागमन

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आप जब व्यवस्था देते हैं, आप खड़े होते हैं तब यह सारे अधिकारी आते-जाते रहते हैं। कई बार इनको कहने के बावजूद भी मानते नहीं हैं, इनकी कोई व्यवस्था कराई जाए। अभी भी चार जने उठकर गए, वापिस आये और फिर आ रहे हैं यह कौन। अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा के विपरीत है। माननीय जितने भी यहां पर अधिकारी आते हैं उनको, आपके पांव पर जब तक आसन, खड़े रहे जब तक, इनको यहां बैठे रहना अनिवार्य है। उसके बावजूद भी यह मानते नहीं हैं, तो इसकी व्यवस्था की जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर सदन की परिभाषा में हमारी आफिसर गैलेरी भी है, दर्शक दीर्घा भी है, पत्रकार गैलेरी भी है, अध्यक्ष महोदय, यह जो आदत हो रही है, मैं सचेतक महोदय ने जो कहा है, जो-जो अधिकारी आसन पैरों पर था उस समय उठकर गए उनका नाम भी चिह्नित करेंगे, उन्हें नोटिस भी देंगे और एक निर्देशन भी जारी करेंगे, दुबारा सर्कुलर कि कोई भी अधिकारी जब आसन पैरों पर हो, तब उठकर नहीं जाए।

व्यवस्था

आसन के पांवों पर होने की स्थिति में अधिकारी दीर्घा से जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

श्री अध्यक्ष: मेरा आपसे निवेदन है कि अधिकारी की 11.00 बजे ही यहां पर ड्यूटी लगा दी जाए और जब तक सारी व्यवस्थाएं खतम नहीं हो जाएं, तब तक जाने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू कीजिए।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(5) डा. प्रेमचन्द बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू में विभिन्न निजी कालोनाइजर्स द्वारा सिवाय चक एवं नदी के बहाव क्षेत्र में आवासीय कालोनियां विकसित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती सोना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की पंचायत 90 जीबी में चक 91 जीबी के अन्दर घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में पुल बनाने के सम्बन्ध में।

(7) डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री सुखाराम, सदस्य की ओर से मेड़ता सिटी के राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री राजेन्द्र गुर्जर, सदस्य की ओर से बंद राजस्थान स्टेट टेनेरीज लिमिटेड, टोंक द्वारा हस्तानान्तरित निजी कम्पनी, राजस्थान लैदर इण्डस्ट्रीज की पुनर्स्थापना नहीं होने तथा अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती अलका सिंह, सदस्य की ओर से राज्य की महिला कार्मिकों के लिए चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान लागू करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री श्रीराम भींचर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना में स्वीकृत सीवरेज लाइन एवं सड़क निर्माण कार्यों का निर्माता फर्म को भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से जिला अलवर के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत देशी-विदेशी कम्पनियों द्वारा श्रमिकों के आवास के लिए कालोनियां नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

मैंने देख लिया उसको, वह बाद में, इसमें नहीं है। वह व्यवस्था में नहीं है। व्यवस्था तो नियमों से ही होगी। फिर आज अपने पास समय जरा ज्यादा है, जितने भी विधायक बोलना चाहेंगे, उनको हम छूट दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत है? आज है समय, अपन बैठे रहेंगे। विधायकों की वह भी आज पूरी हो जाएगी, क्या कहते हैं, बोलने की।

पर्ची से।

(1) श्री शंकर सिंह रावत, ब्यावर क्षेत्र में वन क्षेत्र की सड़कों की खराब स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोतम कुमार, जाखम बांध से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती शिमला बावरी, अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के घड़साना रावला में आवासीय पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री केसाराम चौधरी, प्रदेश में एपीएल परिवारों को आटा वितरण में पूववर्ती सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

श्री मानिक चन्दजी सुराना।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, दो मिनट...

श्री अध्यक्ष: मैं दूंगा लेकिन व्यवस्था में नहीं दूंगा। वह ऐसा प्रश्न ही नहीं है जिसे अविलम्बनीय लोक महत्व का क्या, मैं पढ़ देता हूं आपका देखिये। विराजिये, नहीं, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इस प्रावधान का, ...(व्यवधान) बोलने के अवसर को प्राप्त करने के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं करूंगा अलाउ व्यवस्था में। लेकिन आज समय है, हो सका तो बाद में आपको दो मिनट बोल दूंगा। दूसरे भी हैं। लेकिन मैं व्यवस्था में इनको नहीं लूंगा। मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज ही हड़ताल है इसलिए मैंने अलाउ किया है इनको ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

शिक्षण संस्थाओं की हड़ताल

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): स्थगन प्रस्ताव आपको प्रस्तुत किया है, उस प्रस्ताव के जरिए मैं राज्य सरकार का ध्यान अध्यक्ष महोदय के माध्यम से 37 हजार शिक्षण संस्थाओं में आज जो हड़ताल है और उनके 10 लाख कर्मचारी वह सब आज हड़ताल पर हैं। सात हजार शिक्षण संस्थाओं के कर्ता धर्ता महावीर विद्यालय के प्रांगण में इकट्ठे हो चुके हैं और उनका मुद्दा यह है कि जो निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी फीस निर्धारण के लिए कमेटी, जस्टिस श्री शिव कुमारजी शर्मा की अध्यक्षता में बनी हुई है और फीस निर्धारण करना एक क्वासी जुडीशियल अर्द्ध न्यायिक काम है। वह न पूरा कार्यकारी काम है न पूरा न्यायिक काम है, वह क्वासी जुडीशियल अर्द्ध जुडीशियल और अर्द्ध कार्यकारी काम है। उसमें निश्चित रूप से सुनवाई का अधिकार शिक्षण संस्थाओं को होना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि आखिर तो मदनमोहन मालवीयजी के निजी प्रयत्नों के कारण बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। श्री कन्हैयालालजी मुंशी के अथक प्रयत्नों से भारतीय विद्या भवन की स्थापना हुई थी। जब सारी शिक्षा के दायित्व को धारा आर्टिकल 21 (1) (ए) में लिखा हुआ है संविधान के, हम पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उनकी जो भी न्यायसंगत मांग है उस न्याय संगत मांग पर हम ऐसा एटीट्यूड नहीं ले कि हमें कोई मतलब नहीं। हमें काई मतलब नहीं है। आखिर आपको मतलब तो करना ही पड़ेगा। आपका मतलब है ही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस शिक्षण संस्था में, माननीय अध्यक्षजी, सात अधिकारी आपके हैं और यह जो कांग्रेस सरकार ने जो विद्यालय एक्ट पास किया उसी से तो वे दुःखी हैं। उनका कहना है कि यह संविधान के विपरीत है। शिक्षण संस्थाएं हवा से नहीं चल सकती। एक विद्यार्थी पर 14 हजार रुपये आप खर्च कर रहे हैं, राजस्थान के विद्यार्थियों की संख्या पर। 14 हजार रुपये खर्च करने की सीमा तक शिक्षण संस्था फीस ले साल भर में, तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ कुछ क्रियाशील काम करें ताकि इनकी समस्या का समाधान हो। (व्यवधान)

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वकील हड़ताल पर हैं, रोडवेज हड़ताल पर है, शिक्षण संस्थाएं हड़ताल पर हैं, कुछ तो करिये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी शिक्षण संस्थाओं का जहां तक सवाल है, ये पिछले दिनों मेरे से मिले थे और मैं अधिकारियों के साथ इनकी दो मीटिंग्स करवा चुका। उसमें ये बहुत ही संतुष्ट थे। अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है और जो सहमति बनी, उसके आधार पर उनकी जो और समस्याएं हैं, उनके बारे में तो निस्तारण हो गया। जहां तक फीस निर्धारण का सवाल है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा यह बात सही है कि आज शिक्षण संस्थाओं की जो स्थिति है, मनमानी फीस वसूल करना, मोजे भी वहीं से खरीदो, किताबें भी वहीं से खरीदो, यानि अभिभावक आज इनसे बहुत परेशान हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: डूब मरना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): इसलिये, यानि एक-एक लाख रुपया फीस यदि लेंगे तो अभिभावक, हम सबके भी बच्चे पढ़ते हैं, तो यह मनमानी तो उनको नहीं करने दी जाएगी। जहां तक इस कमेटी का सवाल है, हाई कोर्ट में पी.आई.एल. लगी और हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि एक्ट बनाकर फीस निर्धारण के लिये कमेटी का निर्माण कराया जाए। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार रिटायर्ड जस्टिस शिवकुमारजी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण हुआ। आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस कमेटी के माध्यम से हमने 230 विद्यालयों की फीस निर्धारित कर दी। 21524 जो विद्यालय हैं, उनको हमने फीस निर्धारित करके, आपत्तियों के लिये एक महीने का समय होता है, हमने उनको सूचना दे दी कि एक महीने में यदि कोई आपत्ति हो तो बता दें। उसके बाद 21524 की भी हम फीस निर्धारित कर देंगे। जिन्होंने अभी तक अपने अकाउण्ट्स नहीं दिये या कितनी फीस है, उसके बारे में नहीं बताया, उनको हम नोटिस देंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जहां तक आपने कहा कि जब 14 हजार रुपये आर.टी.ई. के माध्यम से वसूल करने का अधिकार है तो इससे कम जो फीस है, उनको हम क्यों परेशान करें। यह जो 14 हजार की फीस है, यह मैक्जिमम है। यह मिनिमम नहीं है। मान लीजिये, कोई निजी विद्यालय पांच हजार रुपया ही फीस लेता है, हमने 14 हजार

(श्री कालीचरण सराफ)

की लिमिट कर दी और हमने उनसे पूछताछ नहीं की, वह कल से 14 हजार लेने लग जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो फीस ही पांच हजार लेता है, तो वह अपने लेखे के साथ, अकाउण्ट्स के साथ यह बता दे कि हम इतनी फीस लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: महिला विधायक आपस में बात नहीं करें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): और इस कारण से लेते हैं तो हम उनको कोई परेशान नहीं करेंगे। यह केवल कि हमारी फीस कम है, हम पांच हजार ही लेते हैं, हम सात हजार ही लेते हैं, अब 14 हजार की लिमिट है, इनको हम यदि पूछेंगे ही नहीं तो वह कल 14 हजार कर देंगे, बच्चे को तो 14 हजार रुपये फीस देनी पड़ेगी। यह निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिये फीस निर्धारण समिति जो काम कर रही है, उस पर हमारी पूरी नजर है। यह नहीं है कि हमें क्या मतलब है, पूरी नजर है। हमारे अधिकारी भी उसके मैम्बर हैं। कहीं किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा, जो काम हो रहा है बिलकुल सुचारु रूप से हो रहा है। पर यह बात सही है कि आज पूरे प्रदेश के अभिभावक और जनता इस बात से प्रसन्न हैं कि मनमानी निजी विद्यालयों की हम नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

श्री ओटाराम (सिरोही): पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: माननीय, मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान) नहीं, मेरी बात सुन लीजिये। यह नियमित बिजनेस के बाद मैं आपको भी मौका दूंगा, मानसिंहजी को भी दूंगा, रामलालजी को भी दूंगा, आपको भी दूंगा, सबको अवसर दूंगा लेकिन नियमित बिजनेस के बाद। (व्यवधान) विराजिये। मैं कह रहा हूं, मैं मौका दूंगा बोलने का। नियम 295 के तहत। (व्यवधान) आ गया ना जवाब।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, नहीं, एक मिनट के लिये।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं लम्बी बहस में नहीं जा रहा हूं। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि 14 हजार रुपये एवरेज फीस राजकीय स्कूलों की है। जो राजकीय स्कूल हैं उनमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनका एवरेज है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): यह मैक्जिमम लिमिट है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। पर यह जो मैक्जिमम है, यह एवरेज है आपके स्कूलों की फीसों का।

श्री अध्यक्ष: आपने अपना ध्यान खींच लिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं कह रहा हूं, गुणात्मक जो महारानी गायत्री देवी स्कूल, सेंट जेवियर, जिनके लड़के फर्स्ट और सैकिण्ड आते हैं उनकी फीसों को भी जो क्वालिटी स्टूडेंट प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फीस के बारे में भी उनके एक्चुअल खर्चों को देखकर, आखिर तो महारानी गायत्री स्कूल, सेंट जेवियर जैसी सैकड़ों संस्थाएं हैं और आप क्वालिटी को खतम न करें राजस्थान में। आप अपने विवेक से फीस निर्धारित करें। मैं किसी के शोषण के पक्ष में नहीं हूं। लाख रुपये की फीस के पक्ष में नहीं हूं। पर मेरा निवेदन यह है कि एक स्टीम रोलर चला दिया जाए, ऐसा भी न हो।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये आप।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नाम आपने लिये सेंट जेवियर, एस.एम.एस. और यह जो बड़े-बड़े स्कूल हैं, इन सबको, उनके लेखे-जोखे, आपका कितना खर्चा होता है, आप क्वालिटी की शिक्षा देने के लिये क्या कर रहे हैं, यह सब बातें लेकर के हम, उनकी कोई 14 हजार लिमिट नहीं है। यदि मान लीजिये, वह सारे खर्चे बताकर कहते हैं कि हमारी फीस हम 30 हजार रखना चाहते हैं और यदि कमेटी उसको यह मानती है कि बिलकुल सही है तो हम उसको अलाउ करते हैं। ऐसा नहीं है। सारे जितने भी जो बड़े-बड़े स्कूल हैं, उसमें कोई 14 हजार फीस हमने निर्धारित नहीं की है। किसी की 20 हजार भी की है, किसी की 25 हजार की है, किसी की 30 हजार की है, वह जो अपना सारा खर्चा बताते हैं, पर फीस के नाम पर मोजे भी वहीं से खरीदो, किताबें भी वहीं से खरीदो, यह तो नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह ऐतिहासिक निर्णय है, इसको सब सराह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। नियम 295, श्रीमती अनिता कटारा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अगर आपकी अनुमति हो तो एक मिनट, मंत्रीजी को...।

श्री अध्यक्ष: नहीं, एक मिनट नहीं। मैं आपको दूंगा अवसर, लेकिन इस बिजनस के बाद। बोलने दें ...(व्यवधान) बोलिये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सागवाड़ा के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि जनहित को देखते हुए प्रदेश के जनजाति क्षेत्र सागवाड़ा उप खण्ड मुख्यालय पर स्थित पंडित दीनदयाल राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय संचालित है। इस चिकित्सालय में आस-पास के दूरदराज गांवों सहित पड़ौसी जिलों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व सीमा से सटे पड़ौसी राज्यों गुजरात व मध्य प्रदेश के गांवों से भी रोगी अपने इलाज के लिये आते हैं। चिकित्सालय में रिक्त चल रहे चिकित्सकों के पदों के कारण यहां की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में माननीय वसुंधरा राजेजी की भा.ज.पा. सरकार में जन सहयोग से चिकित्सालय को आधुनिक तरीके से भव्य स्वरूप दिया गया है और भव्य चिकित्सालय को देखकर रोगियों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन चिकित्सकों के रिक्त पदों के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त चिकित्सालय में कुल स्वीकृत 28 पदों में से 12 रिक्त पद हैं। गायनीक वार्ड में प्रति माह 500 से 600 महिलाओं का प्रसव होता है।

श्रीमान से निवेदन है कि जनजाति क्षेत्र के इस आधुनिक राजकीय चिकित्सालय की विकट परिस्थिति को देखते हुए गायनीक की तीन महिला डाक्टरों सहित सभी रिक्त पड़े पदों को भर कर क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

सूचना

सिरोही के संजीवनी अस्पताल में आपरेशन के दौरान मृत्यु

श्री ओटाराम (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन। मेरे सिरोही विधान सभा क्षेत्र में अभी-अभी मुझे खबर मिली है कि दो-चार दिन से, एक संजीवनी हास्पिटल है, उसमें एक व्यक्ति की आपरेशन करने के बाद में डैथ हो गई। वहां भील समाज के लोग इकट्ठे हो गये। जिस तरह से वहां लॉ-एण्ड-आर्डर हो रहा है, मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री महोदय विराजे हैं। एक बार उसको देखकर, मंत्री महोदय इसके बारे में, संजीवनी प्राइवेट हास्पिटल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, आपकी बात पर ध्यान देकर आपको संतुष्ट कीजिए। इन्फोर्मेशन लेकर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: इन्फोर्मेशन मंगा लीजिए आप।

श्री ओटाराम (सिरोही): बता देंगे, बता देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): निजी चिकित्सालय है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर भी मैं ज्वाइंट डाइरेक्टर को वहां पर भेजता हूं और पूरी स्थिति दिखवाता हूं।

श्री ओटाराम (सिरोही): और जो भी स्थिति, उस गरीब परिवार को जो भी सहायता मिल सके, उसको सहायता प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

निवाई की ग्राम पंचायत पहाड़ी में वन विभाग द्वारा मकान खाली करवाने के नोटिस

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई के रक्तांचल पर्वत की तलहटी में बड़ी बरथल गांव, ग्राम पंचायत पहाड़ी में बसे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ.बी.सी. के 32 लोगों को 15 जुलाई तक मकान खाली करने के नोटिस उप वन संरक्षक, वन विभाग, टोंक द्वारा जारी किए गए हैं। न्यायालय सहायक वन संरक्षक, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(3) के तहत नोटिस में 15 जुलाई, 2014 से पूर्व खाली करने का आदेश दिया गया है।

उक्त अनुसूचित जाति, जनजाति व ओ.बी.सी. के लोग पिछले 40-50 वर्षों से बसे हुए हैं। आज तक इन्हें पूर्व में किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। सभी 32 परिवारों के मकान खसरा नम्बर 10, 11, 12-1/2 की 11 बीघा जमीन पर पक्का निर्माण है। इनमें कई आवास इंदिरा आवास के तहत बने हुए हैं। यहां पर पक्की सड़कें, हैण्डपम्प, ट्यूबवैल लगे हुए हैं। विद्युत विभाग द्वारा विद्युतीकरण भी किया जा चुका है।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन है कि इन परिवारों को बेदखल होने से रोके जाने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

बालोतरा का औद्योगिक नगरी के रूप में विकास

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान की विशेष रूप से बाड़मेर जिले की जीवन रेखा कही जाने वाली औद्योगिक नगरी बालोतरा को विकसित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में निवेदन है। यहां पर पापलीन एवं रंगाई-छपाई उद्योग लाखों लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया है। इसको अनवरत चलाने और पापलीन एवं रंगाई-छपाई उद्योग को विकसित करने के लिए कई प्रकार के सुधार और सरकारी सहायता की दरकार है। पेटीकोट पर हाल ही में प्रस्तावित 5 प्रतिशत वैट लगाया गया है।

मेरी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया वसुन्धराजी राजे से विनम्र विनती है कि पेटीकोट को वैट से मुक्त रखा जाना चाहिए। औद्योगिक नगरी बालोतरा को औद्योगिक दृष्टि से विकास में और अधिक बल मिल सके। बालोतरा टैक्सटाइल्स उद्योग में कपड़ा अन्य राज्यों से आता और जाता है। बालोतरा टैक्सटाइल्स उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए इस सैक्टर में बिजली बिलों में अनुदान दिलवाने की आवश्यकता है। अनुदान देने से इस कार्य को और अधिक बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। यहां के उद्योगों को चलाने के लिए कोयला गुजरात व अन्य राज्यों से राजस्थान में आता है। टैक्सटाइल्स उद्योग के उपयोग में लिए जाने वाले कोयला को कर-मुक्त किया जाना चाहिए।

बालोतरा के टैक्सटाइल्स उद्योग से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा रोकने के लिए और गंदे पानी को साफ करने के लिए आर.ओ. प्लांट लगाते हुए ट्रीटमेंट प्लांट को अनुदान देकर बालोतरा की जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पानी तथा साफ-सुथरा पर्यावरण सुलभ करवाना चाहिए। राज्य सरकार ने बालोतरा की जनता को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 1264 बीघा जमीन डी.एल.सी. दर पर आबंटित की है। उस जमीन को टोकन मनी पर आबंटित करवाना चाहिए जिससे ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित करने में गति देने में आसानी हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल जोशी।

बीकानेर के पश्चिम ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री गोपाल कृष्ण)

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बीकानेर में पश्चिमी ग्रामीण के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां एक इंसान को रोजमर्रा का जीवन जीने के लिये मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। यहां के ग्रामीण इलाकों में खासकर बंगला नगर, करमीसर, सुजानदेसर, श्रीरामसर आदि कई इलाके ऐसे हैं जिनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़कों की हालत तो देखते ही बनती है व बरसात के दिनों में आये दिन कोई न कोई दुर्घटना अवश्य होती है। बंगला नगर व करमीसर के कई क्षेत्र में सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवा के लिए साधन मुश्किल से पहुंच पाते हैं। इन क्षेत्रों में पानी, बिजली, सड़क, नालियां कुछ नहीं हैं। वहां के लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाकर पीने को मजबूर हो रहे हैं। सामान्य दिनों में भी पानी की समस्या से बीकानेर वासी परेशान रहते हैं और गर्मियों के दिनों में पेयजल संकट से स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इसी तरह से बिजली आपूर्ति का अभाव, कई क्षेत्रों में खम्भे भी नहीं लगे हुए हैं। वहां पर बिजली के खम्भे लगवाकर बिजली की व्यवस्था करवाई जाये।

उक्त समस्याओं के निदान उपरांत ही वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। अत: शीघ्रातिशीघ्र सड़क, पानी, बिजली, नाली आदि की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द बैरवा।

दूदू में सिवाय चक व बहाव क्षेत्र में आवासीय बस्तियों का विकास

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-295 विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम महलां से झग रोड, बाड़ी नदी से उगरियावास ग्राम एवं जयपुर से अजमेर दूदू मार्ग पर विभिन्न कालोनाइजर्स द्वारा सिवाय चक एवं नदी के बहाव क्षेत्र में आवासीय कालोनियां विकसित की जा रही हैं। कालोनाइजर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों से जमीन खरीदकर निजी आवासीय योजना बनाकर जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत करते हैं। जे.डी.ए. द्वारा निजी आवासीय योजनाओं को अनुमोदित करने से पूर्व सरकारी सिवाय चक जमीन, नदी बहाव क्षेत्र, चरागाह जमीन को चिह्नित

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

किया जाना चाहिए तथा नदी के बहाव क्षेत्र में किसी भी आवासीय कालोनी को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए लेकिन निजी कालोनाइजरों के दबाव के कारण कई कालोनियों को इन गांवों में जे.डी.ए. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए निम्न आवासीय योजनाएं जो बहाव क्षेत्र में विकसित की गई हैं, इस प्रकार हैं:-

1. पंचशील कालोनाइजर,
2. ग्रासफील्ड,
3. आनन्द विहार,
4. राहेजा ग्रुप,
5. आशपूरणम,
6. विनायक कालोनाइजर, एवं
7. एस.एन.जी. ग्रुप आदि।

यहां तक कि कि बाड़ी नदी एवं हिंगोनिया बांध के भराव क्षेत्र में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण बेशकीमती सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है और धीरे-धीरे पटवारी के माध्यम से मिलकर खसरा नम्बरों में हेरा-फेरी की जा रही है। अत: प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-295 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

रायसिंहनगर की पंचायत 90 जीबी में चक 91 जीबी के अन्दर घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में पुल निर्माण

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की पंचायत 90 जी.बी. में चक 91 जी.बी. के अन्दर घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में पुल नहीं है जिससे कि बरसात के दिनों में और नदी के बहाव के समय बहुत से गांव जैसे- 91 जी.बी., 92 जी.बी., बिंजोर, 90 जी.बी. व अनूपगढ़ मंडी आदि का आपस में सम्पर्क टूट जाता है। गांव की अधिकांश सुविधा और स्कूल भी इसी क्षेत्र में होने के कारण गांव के बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते तथा गांव वाले भी अपना कोई कार्य नहीं कर पाते हैं जिससे इनका पूर्ण जन-जीवन प्रभावित होता है व कई बार इस कारण बड़े हादसे भी हो चुके हैं।

(श्रीमती सोनादेवी)

इस पुल की लम्बाई लगभग 150 फुट व चौड़ाई लगभग 30 फुट है तथा इस सम्बन्ध में पहले भी जन-प्रतिनिधियों व सम्बन्धित विभाग द्वारा कई बार अवगत करवाया जा चुका है व इसकी स्टेटस रिपोर्ट भी सम्बन्धित स्थानीय विभाग द्वारा कई बार दी जा चुकी है परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अत: आपसे निवेदन है कि उक्त समस्या को गम्भीरता से लेते हुए जल्दी से जल्द कोई ठोस कदम उठायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. जसवन्त सिंह।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरा आ गया?

श्री अध्यक्ष: आना ही था, आपने दिया है तो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन तो सब निकल जाते हैं। ठीक है।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं, अब देखते हैं। विधायकगण पर निर्भर करता है।

बहरोड़ में पीने के पानी की समस्या का समाधान

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पीने के पानी की समस्या के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पीने के पानी की समस्या बहुत भारी है। यह क्षेत्र डार्क जोन घोषित हो चुका है। वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। जितने भी पहले से सिंगल फेस नलकूप व थ्री फेस नलकूप लगे हुए थे, सब सूख चुके हैं। यह नलकूप ऐसा प्रतीत होता है कि जिन कम्पनियों ने यह बोरिंग किये थे, जो जितने गहरे करने थे, वह उतने गहरे नहीं किये गये। पीने के पानी की समस्या के कारण निम्नलिखित गांवों में पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि मची हुई है तथा लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। ये गांव निम्नलिखित हैं :-

1. भीटेड़ा 2. माचल 3. निमोर 4. कोरहाणा 5. बन्हड़ 6. अन्न्तपुरा 7. ढूढारिया 8. दूघेड़ा 9. बिजौरवास 10. सातों 11. उटोली 12. गुजरवास 13. डवानी 14. भगवाडी कला 15. भगवाड़ी खुर्द 16. बालपुरा 17. कूरेली 18. बसई खोहर 19. मांढ़न 20. विजयसिंह नगर

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

उपरोक्त गांवों में थ्री फेस जल्दी करवायें।

निम्नलिखित गांवों में एन.आर.टी.डब्ल्यू.पी. से पेयजल योजनाएं मंजूर हैं:-

1. दहमी
2. गुती
3. उटोली

इन गांवों में इस योजना को तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ कराया जावे और 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14, जो भी सिंगल फेस या थ्री फेस नलकूप लगे हैं, उनकी जांच कराई जाकर सम्बन्धित अधिकारी या ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या पर तुरन्त कार्यवाही करें, जिससे लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखारामजी।

मेड़ता सिटी के राजकीय चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

श्री सुखाराम (मेड़ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेड़ता सिटी (नागौर) से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने हेतु आपसे निवेदन है कि राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत एवं चिकित्सा सुविधा बढ़ाने हेतु निम्नलिखित समस्याओं का समाधान कर जनता को लाभान्वित करावें:-

1. मेड़ता सिटी स्थित राजकीय चिकित्सालय (रैफरल) जिसमें वर्तमान में 40 बैड स्वीकृत हैं, जहां पर आस-पास के 200 गांवों के मरीजों का आना-जाना रहता है तथा प्रतिदिन 800-1000 मरीज ओ.पी.डी. में आते हैं एवं 50-60 मरीज भर्ती होते हैं।

2. यह चिकित्सालय राष्ट्रीय राजमार्ग 89 (अजमेर-बीकानेर) राजमार्ग 39 (ब्यावर–मेड़ता) पर स्थित है, जहां पर प्रतिदिन 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं हेतु दुर्घटनाग्रस्त मरीज आते रहते हैं। इतने कार्य के दबाव के विपरीत इस चिकित्सालय में कनिष्ठ विशेषज्ञ अस्थि रोग, नेत्र रोग, महिला रोग विशेषज्ञ, निश्चेतन चिकित्सक के पद लम्बे समय से रिक्त हैं। अत:

(श्री सुखाराम)

आपातकालीन सेवाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु और चिकित्सक एवं स्टाफ लगाये जावें।

3. इस क्षेत्र में निकटतम जिला चिकित्सालय 80 किलोमीटर दूर (नागौर जिला चिकित्सालय एवं अजमेर सम्भागीय मेडिकल कालेज) है।

4. चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन, डिजिटल एक्स-रे एवं स्टाफ हेतु क्वार्टर्स एवं कैम्पस से क्वार्टर्स तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दिलावें।

अत: जनता की सुविधाओं हेतु इस चिकित्सालय को 100 बैड स्वीकृत कर चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ लगाने का श्रम करावें।

इसके साथ-साथ जहां ए.एन.एम. के रिक्त पद चल रहे हैं वे गांव इस प्रकार हैं- बड़ायली, रोहिसा, रोहिसी, चम्पापुर, केरिया माकड़ा, खेड़ा धुणा, चुन्दिया, सियास, जैसास राहिट, धनेरिया, डुकिया, मुगदड़ा, फालकी, सुरपुरा एवं जसवन्ताबाद के उप केन्द्रों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे पदों को भरने का कष्ट करावें।

श्रीमानजी से निवेदन है कि वर्तमान चिकित्सालय शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर होने के कारण शहर के बीच में स्थित पुराने चिकित्सालय को राजकीय डिस्पेंसरी स्वीकृत कर दो चिकित्सक, महिला स्टाफ एवं अन्य स्टाफ की स्वीकृति दिलावें ताकि शहरवासियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं लगातार मिल सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र गुर्जर।

राजस्थान स्टेट टेनेरीज लिमिटेड, टोंक की पुनर्स्थापना के अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये राजस्थान स्टेट टेनेरीज लिमिटेड टोंक के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि राजस्थान स्टेट टेनेरीज लिमिटेड टोंक में दिनांक 1.4.1988 से उत्पादन बंद होने पर मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 58/88 दिनांक 27.5.88 के द्वारा इस कम्पनी के स्वामित्व को निजी इकाई को देने का निर्णय होने के फलस्वरूप मंत्रिमण्डल आज्ञा 184/92 के द्वारा इस इकाई के टी.टी.पी.एल. को स्थानान्तरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन हुआ था, जिसके क्रम में राजस्थान स्टेट टेनेरीज प्रा. लि. टोंक (वर्तमान में

(श्री राजेन्द्र गुर्जर)

राजस्थान लैदर इंडस्ट्रीज, टोंक) को हस्तानान्तरित की गई थी। किन्तु निजी कम्पनी ने प्रश्नगत इकाई को पुनर्स्थापित करने हेतु प्रयास नहीं किये। निजी कम्पनी द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ण पालना नहीं की गई, बल्कि इस इकाई की भूमि संयंत्रों व परिसम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया व करने का प्रयास किया जा रहा है।

जबकि दिनांक 12.11.1992 से लेकर भूमि का उपयोग आज तक इकाई की पुनर्स्थापना हेतु प्रयास नहीं किये गये। प्रश्नगत इकाई द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर भूमि में कृषि की जा रही है।

अत: राज्य सरकार द्वारा उक्त अनुबंध को समाप्त कर प्रश्नगत भूमि जिन किसानों की इकाई की स्थापना हेतु अवाप्त की गई थी, उन कृषकों को देवें एवं वर्तमान प्रबन्धन के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के क्रम में विधिक कार्यवाही भी करवाई जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान प्रबन्धन प्रश्नगत भूमि पर आधुनिक स्लाटर हाउस एवं फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हेतु राज्य सरकार उद्योग विभाग राजकीय उपक्रम विभाग से एन.ओ.सी. लेने हेतु प्रयासरत है, जबकि उक्त भूमि के आस-पास प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं एवं समीप में बनास जैसी पवित्र नदी बहती है। जहां से टोंक के निवासियों को पीने का पानी दिया जा रहा है। अत: एन.ओ.सी. नहीं दी जाकर वर्तमान प्रबन्धन के खिलाफ शर्तों के उल्लंघन करने के कारण विधिक कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत भूमि उन कृषकों को दी जावे, जिनसे अवाप्त की गई थी अथवा प्रश्नगत भूमि पर मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज खुलवाया जावे।

महोदय, उपरोक्त परिस्थितियों से वहां का स्थानीय जनमानस आक्रोशित है, अत: माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

महिला कार्मिकों के लिए चाइल्ड केयर लीव

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह राजस्थान राज्य में महिला कर्मचारी व अधिकारियों को चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान करने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

(श्रीमती अलका सिंह)

राजस्थान की महिला कर्मचारी व अधिकारी सुशासन में अपना कर्तव्य निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करती हैं। केन्द्र सरकार के अधिकारी व कर्मचारियों हेतु छठे वेतन आयोग ने महिला कार्मिकों को 730 दिन का (अधिकतम) चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान करने की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार ने 27 अगस्त, 2011 में केन्द्रीय सेवाओं में महिला कार्मिकों को चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान केन्द्र सरकार की तर्ज पर कई राज्य सरकारों ने भी महिला कर्मियों के लिये चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान किया है। पश्चिमी बंगाल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय कार्मिकों की भांति चाइल्ड केयर लीव की सुविधा महिला राज्य कार्मिकों को दे दी है। यह प्रावधान महिला अधिकारी व कार्मिकों को बेहतर प्रोफेशनल के रूप में उभरने में मददगार प्रमाणित होगा। वहीं दूसरी ओर इस प्रावधान पर हुआ समस्त खर्चा जेण्डर बजटिंग हैड में दिया जाकर महिला कर्मियों की कार्यक्षमता में मददगार साबित होगा।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि इसी वित्तीय वर्ष में चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान लागू कर समस्त महिला कर्मियों को लाभान्वित करें, जिससे उनके मनोबल में वृद्धि हो व वे अपने सामाजिक व राजकीय कार्यों का भली-भांति निर्वहन कर सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीराम भींचर।

मकराना में सीवरेज व सड़क निर्माण कार्य का भुगतान

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मकराना में स्वीकृत सीवरेज लाइन एवं सड़क निर्माण कार्य के भुगतान के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद मकराना में स्वीकृत सीवरेज लाइन एवं सड़क निर्माण कार्य के भुगतान के सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री से जानकारी चाहता हूं कि नगर परिषद मकराना क्षेत्र में गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा सीवरेज लाइन व सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था। उक्त कार्य करने हेतु करुशी इन्फ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के नाम से टैण्डर स्वीकृत हुआ। कम्पनी ने कार्य आदेश अनुसार कार्य प्रारम्भ कर मार्च, 2014 को सात करोड़ के बिल वाउचर नगर परिषद कार्यालय मकराना में भुगतान हेतु पेश कर दिये। जिसके पेटे फर्म को 2.50 करोड़ का

(श्री श्रीराम भींचर)

भुगतान कर दिया गया तथा शेष भुगतान 4.50 करोड़ आज दिनांक तक नहीं किया गया है जिसके कारण फर्म द्वारा निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है।

सीवरेज लाइन डालने हेतु मकराना की सम्पूर्ण सड़कों को तोड़ दिया गया है जिससे शहर के सभी मार्ग अवरुद्ध हैं जिसके कारण आम जनता को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मार्ग में जगह-जगह खड्डे होने के कारण आये दिन दो पहिया वाहन एवं चार पहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। अगर फर्म को समय रहते भुगतान नहीं किया गया तो कार्य समय पर सम्पादित नहीं हो पायेगा। वर्तमान में वर्षा का समय है अगर समय रहते निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो वर्षा के मौसम में शहरवासियों का आवागमन बंद हो जायेगा।

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उक्त फर्म का बकाया भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? स्थिति स्पष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

अलवर के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों हेतु आवासीय बस्तियों का अभाव

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन है कि जिले में बहरोड़, नीमराणा, शाहजहांपुर, खुशखेड़ा, भिवाड़ी, चोपाकी, मटीला, टपूकड़ा, खैरथल, किशनगढ़पुरा औद्योगिक क्षेत्र अलवर, अटिराणा रोड, ओबेड़ा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ़, खेड़ली, तिजारा औद्योगिक क्षेत्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन औद्योगिक क्षेत्रों में, देशी-विदेशी बड़े-बड़े उद्योग कार्यरत हैं। विशेष रूप से नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन, कोरिया जोन, खुशखेड़ा एवं टपूकड़ा के पास होण्डा सीएल फैक्ट्री है। कोरिया एवं जापानी जोन में टैक्सटाइल, बिस्कुट फैक्ट्री, आटोमोबाइल इण्डस्ट्री, बैल्ट फैक्टरी सहित बहुत सारे इंजीनियरिंग उद्योग आदि कार्यरत हैं। दुख का विषय है कि इन उद्योगों में श्रमिकों सम्बन्धी कानून का उल्लंघन तो होता ही है किन्तु श्रमिकों के आवास हेतु ना तो कोई सरकारी कालोनी है और न ही बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने कोई आवासीय कालोनी बनाई है।

जबकि 20-30 साल पहले बड़े-बड़े उद्योग लगने से पूर्व में उद्योगपति

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

श्रमिकों के आवास के लिए विशेष आवासीय कालोनी पहले बनाते थे। पुराने उद्योगपति बिड़ला, टाटा, बांगड़, बग्गड़, तापड़िया, कांकड़िया, मोदी, मोरारका, प्रेमजी जैसे सेठ श्रमिक कालोनियों का ध्यान रखते थे। श्रमिकों के रहने की पूरी सुविधा मुहैया कराते थे। किन्तु अब वो बात नहीं। कोई उद्योगपति श्रमिकों की आवासीय कालोनी नहीं बनाता है। श्रमिक दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं। महंगे-महंगे कमरे किराये पर लेकर एक-एक कमरे में कई-कई श्रमिक जानवरों की भांति रहते हैं और ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में किराये के कमरे मिलना भी मुश्किल होता है।

अत: मेरा हमारी राजस्थान सरकार एवं हमारी दयालु यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी से करबद्ध निवेदन है कि इन गरीब श्रमिकों, मजदूरों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इन गरीबों के लिए भी रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आवासीय कालोनियां बनाई जावें ताकि गरीब भी अपनी मूलभूत सुविधाएं पा सकें एवं उद्योगों में आराम से काम व उत्पादन में सहयोग एवं उत्पादन की गुणवत्ता भी ला सकें। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े-बड़े बिल्डर्स एवं डवलपर्स भी कार्यरत हैं, सरकार इन्हें भी आदेश देकर सस्ती आवासीय कालोनियां बनवा सकती है। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री किशनाराम।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, नम्बर तो आया। इसमें पहले नाम नहीं बोला जब मेरे को संकोच हो गया कि आज भी शायद नम्बर नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष: मैंने आज स्पष्ट कर दिया कि सबको बोलने का अवसर मिलेगा, कुछ और भी नाम आये हुए हैं, आज अपने पास समय है। इसके बाद चन्द्रकान्ताजी, इसके बाद चिट वाले, इसके बाद और इधर से जो बोलेंगे इसलिए आप बोलिये।

श्रीडूंगरगढ़ के गांवों को कंवरसेन लिफ्ट नहर से जलापूर्ति

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि श्रीडूंगरगढ़ तहसील क्षेत्र के उत्तरी तरफ लूणकरणसर तहसील की सीमा से लगते हुए गांव पीने योग्य पानी की क्षमता की दृष्टि से अभावग्रस्त हैं। मेरे क्षेत्र के ग्राम राजपुरा, बींझासर, माणकरासर, गुसाईंसर बड़ा,

(श्री किशनाराम)
डेलवा, धोलिया, उदरासर, जालबसर, बीरमसर, लादड़िया, सुरजनसर, उदासर चारणान और लाखनसर इत्यादि में खारे पानी वाले क्षेत्र हैं जहां भूमि का जल स्तर काफी गहरा एवं कम है।

वर्तमान में पेयजल के लिए इन गांवों को समीप के अन्य गांवों की जल योजनाओं पर निर्भर रखा हुआ है जहां से इन गांवों को पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के समीपस्थ लूणकरणसर तहसील को इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कंवरसेज लिफ्ट योजना से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। मेरे क्षेत्र के ये गांव लूणकरणसर तहसील की सीमा पर ही हैं तथा वर्तमान कंवरसेन लिफ्ट नहर योजना से गांवों की दूरी अधिक नहीं है।

अत: इन गांवों को कंवरसेन लिफ्ट नहर से पेयजल आपूर्ति कराने हेतु नवीन योजना स्वीकृत करवाकर जन मानस को राहत प्रदान करने की अनुकम्पा करावें। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

सूचना

अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अति आवश्यक बिन्दु की तरफ मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि सरकार ने, 25 जुलाई, 2014 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक आदेश जारी किया कि जितने भी हमारे अनुदानित छात्रावास हैं उनके अन्दर 25 प्रतिशत अंकों से कम के बच्चों को तुरन्त प्रभाव से निकाला जाए और जो ज्यादा प्रतिशत वाले हैं, 50 प्रतिशत अंकों से जिनके ज्यादा हैं, उन्हीं का एडमिशन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि इन हास्टलों में अनाथ बच्चे रहते हैं, इनमें विधवा महिलाओं के बच्चे रहते हैं और बी.पी.एल. परिवार के बच्चे पढ़ते हैं तो ऐसे बच्चों के साथ में इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है, यह अन्याय है।

और हम यह सोचते हों कि एस.सी. के हास्टल में एस.सी. के बच्चे ही पढ़ने के लिए रहते हों, यह बिलकुल गलत है। अनुदानित छात्रावासों के

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

संचालन के लिए 2012 के नियम 5 और 6 के अन्तर्गत 60 परसेंट बच्चे तो उसमें एस.सी. के एडमिशन के लिए बिलकुल पाबंद किया जाता है कि उन्हीं को लिया जायेगा, इसके अलावा 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के होते हैं, 15 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के होते हैं और 15 प्रतिशत जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उसके बच्चे भी इसके अन्तर्गत एडमिशन के लिए आते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हम उन अनाथ बच्चों को भी क्योंकि 31 जुलाई तक एडमिशन हमारे विभाग द्वारा किया जाता है और आज 31 जुलाई हो चुकी है, अगर हमने एडमिशन नहीं दिया तो मैं मानती हूं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

सरकार ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश को वापस लेने का मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

पर्ची के माध्यम से श्री शंकर सिंह रावत।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

वन क्षेत्र में पक्की सड़क के निर्माण की अनुमति

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से आपके द्वारा जो विषय माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहूंगा वो एक महत्वपूर्ण बिन्दु है कि अजमेर जिले और पाली जिले को जोड़ने वाली वन विभाग के बीच में होकर के जो सड़कें जाती हैं उनमें बराखण्ड से झिंझाड़ी कंटालिया तक, दूसरी सड़क है ब्यावर से सारण वाया पाली सीमा तक जो बराखण्ड से सारण तक, तीसरी सड़क है बामनहेड़ा चौराहा से गापा और सरूबा तक, चौथी सड़क है बराखण्ड से दुधालेश्वर महादेव तक।

अध्यक्ष महोदय, यह चारों सड़कें वन विभाग के अन्दर से होकर जाती हैं और चारों पक्की सड़कें हैं।

उसके ऊपर टैम्पो, टैक्सी और बसें भी चलती हैं। लेकिन गत कार्यकाल के अन्दर सरकार की तरफ से विधायक कोष से जो 5-5 किलोमीटर सड़कें दी गई थीं, हमने उसके माध्यम से करवाने के लिए मंजूर भी करवाया था। लेकिन वन विभाग के अधिकारी आकर के उसमें रोड़ा लगा देते हैं। वह सड़क को पक्की नहीं होने देते हैं।

(श्री शंकर सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से और सरकार से निवेदन है कि वह सड़कें जो आलरेडी पक्की हैं, उसके ऊपर बसें भी चलती हैं, उनको कौनसी सज़ा हम देने जा रहे हैं कि उन रोडों पर भी आराम से नहीं चल पा रहे हैं। इस आजाद देश के अन्दर सड़कें तो कम से कम सही मिलें। हमारे विधायक कोष से भी जो सड़कें मिलती हैं, चाहें उसमें भी आप कमी कर देवें लेकिन इन सड़कों को आप पक्की कराने के लिए आज ही उन लोगों को आप राहत देंगे। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री महोदय, रेस्पोंड करेंगे? चलिये, मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिन सड़कों की चर्चा की, यह बात सही है कि वह सड़कें पहले स्वीकृत थीं पीएमजीएसवाई में और उन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि ब्यावर खण्ड में 3 सड़कें रावली रेंज वन्य जीव अभयारण्य में आती हैं और वन्य जीव अभयारण्य में आने वाली सड़कों के लिए भारत सरकार ने नीतिगत निर्णय ले रखा है कि वह सड़कें पक्की यानि डामरीकृत सड़कें नहीं बनेंगी। सिर्फ ग्रेवल सड़कें बन सकती हैं कोई नयी बनी तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पुरानी सड़कें हैं उनके नवीनीकरण की बात है, उसके लिए भी माननीय उच्चतम न्यायालय में यह केस जायेगा, वहां से परमिशन होगी उसके बाद निर्माण होगा। इसलिए वन्य क्षेत्र में जो सड़कें निकली हुई हैं उनका काम कुछ का चला भी था और वन विभाग ने रुकवा दिया था। उसका कारण यही था कि यह नीतिगत निर्णय है और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि जिन सड़कों की आपने चर्चा की है, उनका माननीय उच्चतम न्यायालय से शीघ्र निर्णय करवाकर लायें क्योंकि जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसमें भी हम इसको ले गए हैं। इसका निर्णय जल्दी करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार। आ गया शंकर सिंहजी, जवाब आ गया। आप और चैम्बर में जाकर के मिल लीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इसी सम्बन्ध में एक लाइन का और है। एक लाइन का ही मैं बोलूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज समय भी है आपके पास में।

(श्री शंकर सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़कें पक्की हैं, आलरैडी इनके ऊपर बसें चलती हैं। अब उन सड़कों के लिए आप कहोगे, पहले वालों ने भी तो उन पर डामर डाला है। वन विभाग भी नहीं था, अभी हुआ है। ऐसी पाबंदी उन पर क्यों? या तो रास्ते बंद कर दिये जायें। उन सवारियों को वहां से जाने के लिए 100 किलोमीटर का रास्ता तय करके फिर पाली जाना पड़ेगा। मेरा आग्रह है कि वह सड़कें आलरेडी पक्की थीं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): उसके ऊपर परमिशन दिलाई जाए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मंत्री महोदय से जवाब दिलायें।

श्री अध्यक्ष: घूम-फिरकर वही जवाब आएगा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो existing roads हैं, उनका भी मैंने जैसे कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की जो कमेटी है उससे परमिशन लेकर के होगा। इसलिए उसको हम भेज देंगे वहां। उसके बिना नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष: आप तो बहुत जल्दी आ गये वहां से। श्री गोतम कुमार।

जाखम बांध से विद्युत उत्पादन

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय है उसको रखना चाह रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में एक जाखम बांध है जो लगभग 25-30 साल पहले सिंचाई के और बिजली के उत्पादन के लिए बना था। इस बांध से सिंचाई तो अभी लगातार हो रही है कृषि उत्पादन में इससे हमें फायदा भी हुआ। किन्तु इस बांध का जो मूल उद्देश्य था बिजली उत्पादन, वह अभी तक पूरा प्रारम्भ नहीं हुआ। इससे बिजली उत्पादन के लिए जो मुख्य बाधा आ रही है वह यह है कि वन विभाग से इसकी स्वीकृति नहीं मिल रही है। इस देश में आज जिस तरह से कोयले का संकट है। करोड़ों-अरबों रुपए लगाकर के हम नये-नये प्लांट लगाना चाह रहे हैं। चूंकि बांध बन चुका है और जमीन जो उसमें काम आनी चाहिए थी वह काम आ चुकी है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि आज कोई नया संयंत्र हम लगाते हैं तो उसमें अरबों रुपए खर्च होते हैं। इसका टनल भी बन चुका है।

(श्री गोतम कुमार)

आधी टनल भी इसकी पूरी हो चुकी थी। अरबों रुपए इसमें लग चुके हैं। शीघ्र ही वाइल्ड लाइफ से आप परमिशन लेकर के इसमें विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करावें जिससे क्षेत्र की जनता को और पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय रेस्पोंड करेंगे? मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, hydel power जो है वह best source of energy है आज के टाइम में। बड़ी सादड़ी से पधारने वाले विधायक ने जो सुझाव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और आपने फर्माया कि 25 साल से यह बिजली उत्पादन का प्लान बना था। मैं उसकी पूरी स्टडी करा लूंगा और वन विभाग के रूल्स, रैगुलेशन हैं उनकी भी मैं पूरी जानकारी ले लूंगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि बिजली उत्पादन का अगर प्रपोजल बनता भी है तो वहां पर डूब में कितने गांव आएंगे।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): कोई नहीं आएंगे। बड़ा बांध बना हुआ है और कालोनी के लिए जमीनें वगैरह सारी बनी हुई हैं। कालोनी भी बनी हुई है। अभी खाली भी है। अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: आप पूरी जानकारी दे दीजिएगा।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शिमला बावरी।

रावला-घड़साना में आवासीय पट्टों का आबंटन

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरी अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर घड़साना व रावला क्षेत्र आता है। वहां घड़साना में पट्टे की बहुत ज्यादा समस्या है। घड़साना में अमर कालोनी, जाट कालोनी, भगतसिंह नगर, 2 एसटीआर, 3 एसटीआर में अभी तक पट्टे नहीं दिये गये हैं। जबकि घड़साना को बसे हुए 50-60 साल हो गये हैं। वहां की जनता हलफनामे के आधार पर वहां बैठी है। वहां बहुत ही ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। उनको ना तो बिजली का कनेक्शन मिलता है और ना ही उनको पीने के पानी के लिए कनेक्शन मिलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब लेने के लिए उनको एनओसी

(श्रीमती शिमला बावरी)

चाहिए। एनओसी नहीं मिलने से उनको यह सारा लाभ नहीं मिल पाता है। ना तो इंदिरा आवास योजना का लाभ उनको मिल पाता है। यही स्थिति रावला की है। पट्टे नहीं होने के कारण वहां पर भू-माफिया भी बहुत पनप गए हैं। यह भू-माफिया प्लाटों के हलफनामों के आधार पर आगे 2-3 जगह बेच देते हैं। इससे गरीब जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इनके द्वारा 2-3 जगह प्लाट बेच देने के कारण से एक कहता है कि प्लाट मेरा है, दूसरा कहता है कि मेरा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे परेशान होकर वहां पर धरना भी अभी चल रहा है। 22 तारीख से लेकर के अभी तक वहां धरना भी चल रहा है। वहां पर गोलियां भी चली हैं। मेरा निवेदन है कि इन कालोनियों में पट्टे अवश्य बांटे जाएं। माननीय मंत्री महोदय मुझे यह बताएं कि कालोनियों में पट्टे कब तक बंटवा देंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, घड़साना मंडी बहुत बड़ी मंडी है। उसके अन्दर ना तो कोई सफाई की व्यवस्था है, ना ही कोई नाली की व्यवस्था, ना ही किसी सड़क की व्यवस्था है। 2007 में जब हमारी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी थीं तब घड़साना को नगरपालिका का दर्जा दिया था। कांग्रेस की सरकार आते ही उसको निरस्त कर दिया था। मैं यह भी मांग करूंगी कि घड़साना को नगरपालिका भी बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्रीजी कृपया जवाब दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो विषय उठाया है वह वास्तव में बहुत ही गम्भीर है और बहुत लम्बे समय से इसकी समस्या है। जो क्षेत्र आबादी क्षेत्र में है उसके लिए तो पट्टे हम हमेशा देते रहे हैं और दे रहे हैं। जो मंडी का क्षेत्र है रावला और घड़साना, उसका एक तो मंडी क्षेत्र में आया है और उसका प्रशासन भी मंडी के पास ही है। उसमें आबादी के पट्टे देने के काम के लिए हमने मंडी से कहा है कि वह जमीन के अधिकार अगर पंचायत को देंगे तो ही पंचायत उसका पट्टा दे सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा कुछ उपनिवेशन का भी क्षेत्र उसमें आता है और उपनिवेशन का क्षेत्र होने के कारण से पंचायत उसमें पट्टे देने में असमर्थ है। हमने दोनों ही विभागों को लिखा है कि वह हमें इस बात का

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
अधिकार दें, उपनिवेशन विभाग को भी और मंडी के जो प्रशासक हैं उनको भी। अभी जब हम बीकानेर गए थे तो सामान्यत: हर गांव में सबसे बड़ी समस्या पट्टों की ही उभरकर आई है। मैंने अपने विभाग की एक स्पेशल कमेटी बनाई है। वह कमेटी विभिन्न पंचायतों में पट्टों में आने वाली समस्या का निदान करने के लिए कोई गाइडलाइन बनाएगी और उसके आधार पर करेंगे।

(13.00 बजे)

प्रश्न तो भले ही आपका अनूपगढ़ का होगा लेकिन राजस्थान की हर पंचायत में आने वाली दिक्कतों को भी यह कमेटी देखकर निर्णय करेगी। यह जो दोनों कच्ची बस्ती के कारण से भी और उपनिवेशन के कारण से भी आपके क्षेत्र में जो समस्या आ रही है उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको उस समस्या से निजात मिले।

श्री अध्यक्ष: केसाराम चौधरी।

प्रदेश में एपीएल परिवारों को आटा वितरण में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खाद्य मंत्रीजी का पर्ची के माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार एक योजना लेकर आई थी, एपीएल परिवारों को आटा बांटने की योजना थी और वह करीबन 18 महीने तक चली। हमारी सरकार ने आते ही गड़बड़झाला देखकर इस योजना को बंद कर दिया। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मगर मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में जो आटा बंटा, पूरे विधान सभा क्षेत्र में, वह सहकारी समितियों के मार्फत और राशन डीलरों के मार्फत बांटा गया मगर आटा बिलकुल कुछ भी नहीं बांटा गया, केवल उस मील से बिल आया, डीएसओ और अपने कोआपरेटिव का वहां जो बाबू लगा हुआ है, उस बाबू के मार्फत सीधा बिल गया, दस्तखत करवाये और जो डीलर था उसको पांच रुपये पर किलो के हिसाब से, आटे के पैसे देकर, मान लो उसने पचास क्विंटल आटा लिया तो पचास क्विंटल के पच्चीस हजार रुपये उसको सीधे दे दिये, पांच रुपये प्रति किलो के हिसाब से और शेष उसके लिए जिम्मेदारी दी कि आप अपना रजिस्टर संधारण कर लेना। डीलर की भी कोई हिम्मत नहीं थी कि वह डीएसओ और कोआपरेटिव वालों का जो आदेश था, उसके ऊपर उनका सरकार

(श्री केसाराम चौधरी)

की मिलीभगत होने के कारण से वह उनका प्रतिकार भी नहीं कर सके। सभी डीलरों ने अपने रजिस्टरों में असत्य संधारण करके उस आटे को वितरित बताया। यह मेरे क्षेत्र की ही घटना नहीं है, मेरे क्षेत्र का कल प्रश्न भी लगा था लेकिन आपने उसको स्थगित कर दिया मगर उसमें पूरी रिपोर्ट है, मुझे करीब-करीब वहां से ही पता लग गई कि आटा बंटा ही नहीं, एक क्विंटल आटा भी बंट गया होता तो अफसोस नहीं होता। पहली बार जब आये तो उन्होंने केवल दस-दस क्विंटल आटा जरूर बांटा था उसके बाद देखा कि कोई लेने वाला नहीं है आटा तो इन्होंने देखा कि यह मामला ठीक मिला। कहीं पांच क्विंटल दिया, कहीं कुछ दिया और, साठ-साठ क्विंटल, पचास-पचास क्विंटल, एक-एक डीलर को देकर रजिस्टरों में तो बिलकुल सही संधारण मिल जायेगा मगर मैं विश्वास और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में इस तरह का कोई आटा नहीं बंटा। इसी तरह से प्रदेश में भी कहीं नहीं बंटा। आटे के बीस रुपये किलो से इसका पैसा सरकार का उठ गया और इतना गड़बड़झाला है कि मैं मांग करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत से खाद्य मंत्रीजी से कि इसकी एसीबी से जांच करवाई जाये, दोषियों को दण्ड दिलवाया जाये और कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के लिए चलती हैं उसके मार्फत जो सरकारों की मंशा होती है कि कल्याण हो मगर इन्होंने कल्याण, कांग्रेस सरकार ने अपना कल्याण खुद का किया और गरीबों को कहीं भी आटा नहीं मिला, पूरे प्रदेश में इस तरह का गड़बड़झाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, रेस्पोंड करेंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। प्रदेश में एपीएल परिवारों को आटा वितरण करने के बाबत पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में पांच प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जिनमें दो प्रकरण जयपुर, एक बारां एवं एक-एक धौलपुर एवं बीकानेर का है। उक्त प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है तथा प्रकरण पुलिस अनुसंधान तथा न्यायालय में विचाराधीन है। यदि माननीय सदस्य के पास और कोई विशेष जानकारी इस बाबत उपलब्ध है तो मुझे अवगत करायें, निश्चित रूप से नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी और प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

करवाकर दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव का व्यवस्थापक जो वहां लगा हुआ है, रवि शर्मा, को तुरन्त प्रभाव से वहां से हटवाकर जांच करवायें।

श्री अध्यक्ष: पूरी जांच का बता दिया। माननीय सदस्य, राम लाल शर्मा।

सूचना

चौमूं (जयपुर) में आबादी क्षेत्र में लगे मोबाइल टावर्स से लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि राजस्थान में जिन-जिन आबादी क्षेत्रों के अन्दर टावर लगे हैं मोबाइलों के ये टावर मौत के टावर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं इस बात का दूंगा कि मेरे नगरपालिका क्षेत्र धोलीमण्डी में एक टावर लगा हुआ है। उस टावर के मात्र 50 मीटर की परिधि के अन्दर कन्हैयालाल सेठी, अंजू अग्रवाल, जमीला बानो, जगदीश कुमावत, गोपाल बुनकर, इन पांच लोगों की मौत हो चुकी है। कौशल्या देवी, कृष्णा जांगिड़, रीना अग्रवाल, शांति देवी, सीमा और दिशा, इन 6 लोगों की कीमोथेरेपी और थाइराइड का इलाज चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिन घनी आबादियों के अन्दर ऐसे मोबाइल टावर लगे हुए हैं, जिनकी रेडिएशन से आम आदमी का जीवन खतरे में पड़ गया है, कृपा करके इनकी जांच करवाकर इनको आबादी क्षेत्र से बाहर निकालने का काम करें, नहीं तो वहां के मनुष्य का जीवन संकट में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इस पर आप तत्काल कार्यवाही करवायें। चौमूं के एसडीएम और तहसीलदार भी मौके पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक परिवार से मिल कर आये हैं और उन्होने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि निश्चित रूप से 50 मीटर की परिधि के अन्दर जो टावर से रेडिएशन निकल रहा है इस खतरनाक रेडिएशन की वजह से यह बीमारियां घर कर रही हैं इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि आबादी क्षेत्र से इन टावरों को बाहर किया जाये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश की समस्या है इसलिए सरकार इस पर बयान दे। (व्यवधान) एक विधान सभा क्षेत्र नहीं पूरे प्रदेश की समस्या है।

श्री अध्यक्ष: आपने मांग कर ली, सरकार विराज रही है, सरकार इसका....

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक विधान सभा क्षेत्र का नहीं, पूरे राजस्थान का विषय है इसको गम्भीरता से लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: आ जाये, जवाब आ जाये। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड लगेगा, इस पर राजस्थान उच्च न्यायालय में विषय चला। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में विभिन्न न्यायालयों में भी कई वाद चल रहे हैं, कई तरह के विशेषज्ञों की कई तरह की स्टडी भी इसमें है, इन सारी चीजों का संकलन करके जो भी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होगी, सरकार निश्चित रूप से उठायेगी।

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को निवेदन करना है कि हमारे यहां संचालन सम्बन्धी नियमों में कई नियम हैं। उनमें कई नियमों को बहुत गम्भीरता से हमें लेना चाहिए जैसे स्थगन प्रस्ताव का जो नियम है। मैंने पिछली बार भी कहा कि इसको बोलने का अवसर प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाने लगा और इसलिए मैंने उसी दिन कह दिया था कि इसकी गरिमा, इसका महत्व तभी रहेगा जब हम इसको ठीक ढंग से काम में लें। इसीलिए मैंने आज भी व्यवस्था में बिलकुल हल्के स्तर के जो सवाल आये उनको मैंने रिजेक्ट किया था लेकिन मैंने आश्वासन दिया था कि उसके बाद दो-दो मिनट बोलने का आपको अधिकार दे दूंगा। दो-दो मिनट के बजाय जो समझौता हुआ है, चार मिनट होते ही घण्टी बजेगी उससे आगे कोई विषय नहीं लेगा, प्रतिपक्ष के साथ यह आया।

मैं श्री पूरणमल सैनी से अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान) चाय पीने गये हैं? बुला लो जल्दी। मैं फिर अवसर दे दूंगा। खाना खाने गये हैं तो बुला लो, तब तक तीन और बोल लें। श्री रणधीर सिंह भीण्डर। (व्यवधान) भूरि-भूरि प्रशंसा कीजिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आज कांग्रेस पार्टी लीव पर है, दिल्ली गई हुई है। आज यहां कोई नहीं है, दो माननीय वरिष्ठ सदस्य कांग्रेस के बैठे हैं, बाकी पूरी की पूरी पार्टी, दल दिल्ली गया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए मैं देख रहा हूं कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गये?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन इतना ही है कि बहुत ज्यादा मुस्करा रहे हो, कुछ बात ऐसी है जो छिपा रहे हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इनकी तो किताब खुली है, इनको छिपा कर करना क्या है?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राज्य में बाल लिंगानुपात में बढ़ रही विषमता में सहायक नियमों की समाप्ति

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, बहुत गम्भीर विषय है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको तो सम्बोधित कर ही रहा हूं बाकी सदन के माननीय बाकी सदस्य भी इस पर ध्यान दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2001 व 2011 की जनगणना देखने पर पता चलता है कि राज्य में जीरो से दस वर्ष की आयु में लिंगानुपात जबरदस्त बिगड़ रहा है। सैक्स रेशो बहुत बुरी तरह से बिगड़ रहा है। इसके बिगड़ने से आगामी वर्षों में कानून व्यवस्था बिगड़ने व अन्य प्रांतों में बढ़ोत्तरी होने की आशंका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2001 में 1000 बालकों के मुकाबले 909 बालिकाएं थीं पर 2011 की जनगणना में इसमें 26 बिन्दुओं की तीव्र गिरावट हुई है और 909 की जगह 883 बालिकाएं प्रति 1000 बालक हो गई हैं।

जबकि पूरे भारत की सेंसस देखें तो लिंगानुपात में 1000 के साथ 914 बालिकाएं हैं। 2011 के बाद इसमें और भारी गिरावट होने का अंदेशा है। अगर इसी तरह गिरावट होती रही तो सम्बन्धित अपराधों में वृद्धि होने की सम्भावना बनी हुई है।

महोदय, कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च किया और उनका यह मानना है ऐसा इसलिए हो रहा है कि राज्य सरकार ने कुछ ऐसे प्रावधान डाले हैं जिससे लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कई कारण गिनाये

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

जिसमें से एक तो यह है कि पंचायती राज व स्थानीय निकाय में दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने की अपात्रता। इससे क्या हो रहा है कि जैसे ही दो बच्चे होते हैं और तीसरा बच्चा होने वाला होता है तो वह सदस्य जो चुनाव लड़ने की मंशा रखता है सोचता है कि अब यह न हो तो ठीक रहेगा। अबोर्शन्स इसीलिए होते हैं और उसमें बहुत सी बच्चियां भी मारी जाती हैं।

(13.10 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, 20.6.2001 को राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला, नोटिफिकेशन उसमें लिखा है- "No person shall be considered for promotion for 5 recruitment years from the date on which his promotion becomes due, if he/she has more than 2 children on or after Ist June, 2002." इसी तरह एक और नोटिफिकेशन निकला, जिसमें यह कहा गया- "The appointing Authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 1.6.2002 prior to granting ACP." एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन में भी एम्प्लोई को ''But the employee having more than 2 children shall not be deemed to have been disqualified so long as the number of children he or she has on 1.6.2002 does not increase." मतलब दो बच्चे से कम है तो उसे एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, इस पर रिसर्सेज हुई हैं और उनमें यह कहा गया है कि "Census 2011 highlighted the steep decline in child sex ratio in Rajasthan. In the 0-6 age group there were 6,50,000 fewer girls than boys. The 6.97% decline in population growth in Rajasthan from 28.41% in 2001 to 21.44% in 2011 which represents the highest rate of decline amongst the Empowered Action Group States (EAGS) and is believed to be largely at the cost of girls who were eliminated due to societal preference for sons." इनमें यह भी आया सभापति महोदय, "For mounting an urgent and comprehensive response towards a declining sex ratio, and the growing impediments to the survival, care, protection and overall development of the girls child, a defined policy and concerted framework for action are imperative. The Constitution of India and various international conventions and covenants promote equality before law, prohibition of discrimination and equality of opportunity for all." हमारा संविधान भी यह गारंटी लेता है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश ने 22.11.2005 को "The State Cabinet chaired by the Chief Minister Shri Babulal Gaur here today decided to delete the provision of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Act

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

which disqualifies a person having over two children after Jan. 26, 2001 for contesting elections for panchayat, civic bodies, mandi and cooperative societies. As per the provision if anyone wins an election and meanwhile a child is born in his family, he or she is disqualified for the once he or she holds. The provision is in force since Jan. 26, 2001 in the State. The Cabinet decided to delete the provision." यानी कि मध्य प्रदेश में यह पात्रता अब नहीं रखी गयी हैं और जिनके दो बच्चे से ज्यादा हैं वे पंचायत चुनाव व नगरपालिका चुनाव में भाग ले सकते हैं।

इसी तरह से हरियाणा ने 22.07.06 को यह किया है- "The Haryana Cabinet on Friday decided to promulgate an Ordinance to amend Sec. 175(q) of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 retrospectively with effect from Jan. 1, 2005 to omit the section according to which no person having more than two children could be a Sarpanch or Panch of a Gram Panchayat or a member of a Panchayat Samiti or Zila Parishad or continue as well. The Chief Minister Bhupinder Singh Hooda told media persons that the Assembly not being in session, it was decided to promulgate an Ordinance to amend the Act. He said that it was left that the two child norm resulted in social distortions including giving children away in adoption, forced abortion and non-registration of births. Even studies assigned by the Central Govt. had indicated that the two child norm resulted in adverse effects on women's employment, especially in the cast of Dalits and weaker sections of society."

सभापति महोदय, इसी तरह हिमाचल प्रदेश ने "Now having more than two children will not attract disqualification for a member from the panchayat elections. The State Govt. has proposed this amendment in the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment Bill 2005) which was introduced in the Vidhan Sabha today."

अध्यक्ष महोदय, सभी राज्यों से (व्यवधान)

श्री सभापति: सभापति महोदय। आप भूल से सभापति को अध्यक्ष बोल देते हैं, वह तो चल जाएगा, लेकिन अगर अध्यक्ष को सभापति बोल दिया तो मुश्किल हो जाएगा।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माफी चाहता हूं सभापति महोदय।

श्री सभापति: कर दी वह तो आपको।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, जब सभी राज्यों से पंचायती राज और स्थानीय निकायों में दो बच्चे से ज्यादा जिनके हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। हमारे यहां पर एमपी, एमएलएज् तो चाहे जितने बच्चे हों वे चुनाव लड़ रहे हैं। लालू प्रसादजी के

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

सुना है 12 बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहां पर भी क्यों न इसको हटा दिया जाय?

दूसरा, सभापति महोदय हम जो भी कार्यक्रम करते हैं वह आधा-अधूरा करते हैं।

श्री सभापति: हमारे पंचायत राज मंत्रीजी के भी चार बच्चे हैं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): एक तरफ परिवार नियोजन अपनाने का...(व्यवधान) वह अभी नहीं सुनेंगे।

श्री सभापति: अभी नहीं सुनेंगे वे। मैं यह कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मेरे जैसा सीधा आदमी और आप आसन पर विराजे हो, फिर मैं इधर-उधर देख लूं। मेरी औकात इतनी?

श्री सभापति: आप तो एस्प्रो की गोली हो जी। सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो तो एस्प्रो लो। तो कहीं भी सरकार के दर्द हो तो आप खड़े हो ही जाते हो। पंचायती राज मंत्रीजी, माननीय सदस्य कह रहे थे लालू प्रसादजी यादव के इतने बच्चे हैं फिर भी वे चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने कहा कि पंचायत राज मंत्रीजी के भी चार बच्चियां हैं।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): अभी तो इनको छूट है।

श्री सभापति: अभी छूट दिला देंगे सबको।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, हम लोग राजस्थान में जो भी कार्यक्रम करते हैं उसे आधा-अधूरा लागू करते हैं। एक तरफ हम परिवार नियोजन अपनाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कहते हैं आपके यहां 500 की आबादी होगी तो सड़क में प्राथमिकता मिलेगी, 250 की आबादी होगी तो प्राथमिकता मिलेगी, 1500 की आबादी होगी तो पेयजल योजना मिलेगी, आपके यहां 30 बच्चे होंगे तो आप स्कूल खोल पाओगे। सभापति महोदय, ये आधा-अधूरा काम क्यों करें? इसी तरह पंचायतों में, स्थानीय निकायों में दो से अधिक नहीं हो, वे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। इस चीज को हटा ही देना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। इसमें और कुछ ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जिससे कि लोगों को परिवार नियोजन की तरफ और ज्यादा जाने का मन हो। जैसे हमारे जिला परिषद, उदयपुर में 2003 से 2008 के बीच में हमने यह तय किया था कि जिस पंचायत में, even one year period सबसे कम percentage of increase in population होगा

(म. रणधीर सिंह भीण्डर)

उसको एक लाख रुपया देंगे। इस तरह पुरस्कार देने वाली बात करेंगे तब तो यह प्रोग्राम लागू होगा, बाकी हमें ऐसे कार्यक्रमों को थोड़ा सोचकर बदलने का प्रयास करना चाहिए, धन्यवाद सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: इनको बोलने दो। पंचायत राज मंत्रीजी रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, आप जो कह रहे हैं बिलकुल सही है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कई जगह ऐसे मामले हुए हैं कि बच्चे भी हुए हैं, लेकिन नाम नहीं रख पा रहे हैं। (व्यवधान) वही है कुल मिलाकर। आप यह गलतफहमी मत पालना कि बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं छोड़ रहा है यह। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसके पीछे मंतव्य तो यही था कि पोपुलेशन पर कैसे कंट्रोल हो। इसका यह नहीं था कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस पर कंट्रोल करने की दृष्टि से एक प्रोग्रेसिव बिल, उस समय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे, हिन्दुस्तान में पहला कोई राज्य है जो इस प्रकार का प्रोग्रेसिव कानून लाया। उसके कारण से बाकी सब स्टेट ने भी इसको अपनाया, लेकिन धीरे-धीरे कई जगह बार-बार इस विषय पर चर्चा बढ़ रही है, कुछ राज्यों ने अपने आपको बैक किया। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में तुरन्त तो कुछ हो जाय ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी लोग गये, लेकिन राजस्थान में कोर्ट से भी उनको यह रिलीफ नहीं मिली कि वे दो बच्चों के बाद नहीं लड़ सकते या उनकी अयोग्यता खत्म नहीं होती। वे केस हार गये। उसके कारण से विषय, यह जरूर हो सकता है कि हम इसको फिर खोल दें।

तो मैं सोचता हूं कि जिस प्रोग्रेसिव कानून की दृष्टि से आगे बढ़े हैं, यों तो मेरे भी बच्चियां बहुत हैं पर अगर कानून यह बन जाए कि मैं एम.एल.ए. का चुनाव नहीं लड़ सकता तो नहीं लड़ सकूंगा, इसमें क्या दिक्कत है। अगर कानून बन जाएगा तो इसकी पालना करेंगे और कानून नहीं बना तो पालना नहीं हो रही है। कोई इस कारण से यह कहें कि हम योग्य हैं और वो अयोग्य हैं, ऐसा नहीं है। हमने प्रयत्न किया कि नीचे से ही इस जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे हो सकता है उसके लिए प्रयास मात्र है। जो विषय आपने रखा है उस पर फिर से चिंतन करेंगे और उसमें आप सब लोगों की राय लेकर देखेंगे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कि कुछ आगे बढ़ा जा सकता है या जिस लाइन पर हम बढ़ गये हैं वहीं हम स्थिर रहें, यह विचार का विषय है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, मैं यहां से बोल सकता हूं आपकी इजाजत से?

श्री सभापति: हां, हां बोल सकते हैं पर पहले वो भिण्डाजी बोल दें फिर आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापतिजी, मेरा एक निवेदन है कि राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है और इन दो कारणों से बढ़ रही है। चुनाव के कारण से और नौकरी के कारण से। जिसके पहली बालिका होगी वो निश्चित तौर पर भ्रूण हत्या 99 प्रतिशत कर रहे हैं, एक तो निवेदन यह है। नौकरी में भी राज्य सरकार के अन्तर्गत या राजस्थान में नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं, केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा जो केन्द्र सरकार के नौकर हैं उन पर भी लागू नहीं हैं। तीसरा जो वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने आंकड़े देकर उठाया उसमें इतना ही नहीं है, इसमें जो आंकड़े हैं उसमें पिछले 10 साल में जो युवकों की मोटर साइकिलों या एक्सीडेंट से मृत्यु के कारण से जो विडो हैं, वो भी शामिल हैं वर्ना तो एक्चुअल में शादियों लायक लड़कियां तो बहुत कम हो गई हैं। यह स्थिति है और हरियाणा में तो हटाते समय हुड्डा जी ने यह कहा कि अगर इसको नहीं हटाऊंगा तो बिहार से लड़कियां लाकर के जो 6 फीट के जवान पैदा होते हैं वो खतम हो जाएंगे तो राजस्थान में नस्ल का संकट भी आने वाला है इस कारण से मेरी प्रार्थना है इस पर विचार किया जाए।

श्री सभापति: विराजिये। आप कुछ कहेंगे। (व्यवधान) 6 फीट वालों की डिमाण्ड है। आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, निश्चित रूप से प्रोग्रेसिव कानून है। मैं माननीय कटारियाजी की बात से बिलकुल सहमत हूं। यह भ्रांति है कि चुनाव की वजह से या अन्य नौकरी की वजह से, दहेज भी इसका एक मूल में कारण है। जो हो रहा है उसका दहेज भी मूल में एक कारण है। तो इस प्रोग्रेसिव कानून को मेरी समझ में वापस लेना मुनासिब नहीं है, मैं अपनी इसमें यह बात कह कर समाप्त करता हूं कि मेरी राय यह है।

श्री सभापति: मंत्रीजी ने बता ही दिया है। श्रीचन्दजी, मंत्रीजी ने सारी बात बता दी। हां बोल लें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो अभी माननीय सदस्य ने बात उठायी है, चाहे राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ हों, चाहे गुलाब चन्दजी कटारिया साहब हों, चाहे कालीचरणजी सराफ हों, हम विधायक के नाते जब इनके पास काम के लिए जाते हैं और अब कालीचरणजी के पास किसी भी स्कूल के लिए आप जाओ तो कहेंगे कि बच्चों की संख्या इतनी है तो स्कूल हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा। राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ के पास हास्पिटल के लिए जाओ तो आपके शहर की आबादी इतनी है तो होगा और कम होगी तो नहीं होगा। इसलिए मेरे यह समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो आपने पंचायती राज में कानून लगा रखे हो कि बच्चे पैदा कम करो और दूसरी तरफ आपने कानून बना रखा है कि संख्या ज्यादा होगी तो स्कूल खोलेंगे, संख्या ज्यादा होगी तो सड़क करेंगे। तो हमें बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए यह बताओ। (व्यवधान) कितनी बड़ी दिक्कत का कानून है।

श्री सभापति: इस पर आसन कोई व्यवस्था नहीं कर सकता माननीय सदस्य। विराज जाएं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सच्ची बात कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय गुंजल साहब।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस पर तो आसन व्यवस्था दे सकता है। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया कि इस कानून से बच्चे पैदा होना बन्द नहीं हुआ लेकिन कानून के कारण पैदा होने वाले बच्चे पर एक प्रभाव पड़ने लग गया कि दो से तीसरी सन्तान के रूप में वो बच्चा पैदा हुआ तो वो अपने बाप का नाम नहीं ले पा रहा है। यह बहुत गम्भीर विषय है। अपने बाप का नाम नहीं ले पाने की पीड़ा जो जीवनभर कर्ण ने भुगती उसको इतिहास आज तक नहीं भूल पाया है और अपने इस राजस्थान में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका पिता तीसरी-चौथी सन्तान के कारण चुनाव लड़ रहा है और अपने बाप का नाम वो बच्चा नहीं पा रहा है। यह गम्भीर विषय है और इस पर व्यवस्था दी जानी चाहिए।

श्री सभापति: बैठिये माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, एक अति गम्भीर विषय पर यहां चर्चा उठ खड़ी हुई है और आपने बड़ी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सहृदयता से सबको अनुमति भी दे दी। सभापति महोदय, यह नहीं भूलना चाहिए कि आज राजस्थान के अन्दर जो टी.एफ.आर. है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसमें हम हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर खड़े हैं। सभापति महोदय, 17 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। सभापति महोदय, यह कहना बिलकुल गलत है कि इससे कन्याओं का, लिंगानुपात बिगड़ा है। सभापति महोदय, जो बेटी बचाओ अभियान को हमने प्रारम्भ किया है और राजस्थान में 2 अक्टूबर के बाद कहीं भी बेटी पैदा होगी तो मुख्य मंत्रीजी सचित्र बधाई सन्देश उनको हम भेजेंगे। हम राजलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत उनको 7300 रुपये देंगे वो आनलाइन देंगे। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि चैरिटी बिगिन्स फ्राम होम, हम यहां पर बड़े लम्बे-लम्बे भाषण करते हैं, परिवार कल्याण की बात, परिवार नियोजन की बात करते हैं, सभापति महोदय, आप तो इसमें जीता-जागता खुद उदाहरण हों पर आज अगर हम हाउस में बैठे लोग संकल्प लें कि मैं अपने यहां से परिवार कल्याण और परिवार नियोजन की बात खुद से शुरू करूंगा, मेरे परिवार से शुरू करूंगा तब तो हम सन्देश दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो प्रोग्रेसिव कानून आया, उस समय बहुत बड़ी महती आवश्यकता थी और माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत लेकर आये, सभापति महोदय, यह आज की आवश्यकता है। आज कितने वर्षों से यह कानून चल रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जनसंख्या नियंत्रण पर कभी अलग से डिबेट हो तो सारी बात सामने आयेगी और लिंगानुपात के लिए सरकार चिंतित भी है, योजना भी बनाई है और इसीलिए मैटरनल डैथ पर हर डैथ की सोशल आडिट कराने का फैसला भी किया है। हमने कई और प्रावधान भी किये हैं और सरकार इसमें सजग है।

श्री सभापति: धन्यवाद। चर्चा इसमें नहीं होगी। श्री हनुमान बेनीवाल। कापड़ियों की ढाणी।

कापड़ियों की ढाणी (हंसीयास) मेड़ता रोड, नागौर में लिग्नाइट माइन्स में 126 काश्तकारों की खातेदारी जमीन

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कापड़ियों की ढाणी (हंसीयास) मेड़ता रोड, जिला नागौर में 2007 में एक कम्पनी श्रीराम डीसीएम कंसोलिटेड, कोटा को एक ब्लाक आबंटित हुआ कोयला खदान के लिए। कम्पनी के लोग 2007 में वहां पहुंचे और 126 किसानों की 1550 बीघा जमीन के सहमति पत्र

(श्री हनुमान बेनीवाल)

ले लिये। उसमें डेढ़ लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया और बाद में यह कहा कि जब भी रजिस्ट्री होगी तब पांच लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आपको हम दे देंगे। आप जमीन दे दो नहीं तो जमीन एक्वायर की जाएगी। भोले-भाले किसानों ने कम्पनी को सहमति पत्र दे दिये। सभापति महोदय, अब पता लगा कि न तो कोई कोल आबंटन हुआ, न पर्यावरण विभाग की एनओसी उक्त कम्पनी को मिली और न ही ग्राम पंचायत की एनओसी इस कम्पनी ने ली। सभापति महोदय, वर्तमान में खातेदारी किसानों के नाम है और अभी किसान उस जमीन पर खेती कर रहे हैं। 350 बीघा भूमि की रजिस्ट्री कुछ किसानों ने कम्पनी के नाम करा दी। सभापति महोदय, कम्पनी ने तीन मुकदमे वहां के किसानों पर पिछले साल किये उनमें एफ.आर. लगी। नागौर के जिला कलक्टर से मिलकर कम्पनी के लोग वहां मेड़ता रोड क्षेत्र में आये दिन पहुंचते हैं, सम्बन्धित थानों में मुकदमे दर्ज कराते हैं। कभी पटवारी जाता है, कभी आर.आई. जाता है, कभी तहसीलदार जाता है, कभी एसडीएम जाता है और लोगों को जबरन बेदखल करना चाहते हैं। सभापति महोदय, आज वहां जमीन की कीमत 50 लाख रुपये बीघा है और जो गजट नोटिफिकेशन उस समय कम्पनी के अधिकारियों ने दिखाया था उसमें यह था कि 36 महीने के अन्दर हम काम शुरू करके सारी रजिस्ट्रियां हम करा लेंगे। लेकिन उस बात को 7 साल गुजर गये, 2007 का मामला है। सभापति महोदय, कम्पनी के लोग मेड़ता में सिविल न्यायालय में गये और उस जमीन पर स्टे चाहा कि किसान वापस खेती करें तो हमें स्टे दिया जाए पर सिविल न्यायालय ने यह कहते हुए स्टे खारिज कर दिया कि आपका खाली सहमति पत्र से इस पर अधिकार नहीं बनता इसलिए आपको स्टे नहीं दिया जा सकता। सभापति महोदय, अभी वर्तमान में कम्पनी के लोग जब जिला कलक्टर से मिले और कलक्टर ने पटवारी, एसडीएम और तहसीलदार को जांच के लिए कहा तो पटवारी की जो वर्तमान रिपोर्ट आई उसके अन्दर उस जमीन में एलपीजी का गोदाम बना हुआ है, कालोनियां बन गईं, मकान बन गये, ग्रीन हाउस बना हुआ है, डोली की जमीन है, गोचर की जमीन है, यह आया। सभापति महोदय, लैण्ड एक्विजिशन का सैक्शन 101, अगर जमीन पांच साल पड़ी रह जाए तो या तो किसानों के पास जाएगी या फिर राज्य सरकार के पास जाएगी।

यह जमीन अभी भी किसानों के पास है। मैं सरकार से मांग करता हूं

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कि 126 परिवार जो इस इलाके के अन्दर हैं, उनके सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। बहुत अच्छी, उपजाऊ जमीन मेड़ता रोड क्षेत्र की है जो नागौर जिले में है। सबसे ज्यादा जीरा, सरसों, गेहूं और कपास का उत्पादन क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच कराकर, वहां के किसानों को राहत प्रदान करें और अगर सरकार को जमीन चाहिए और जमीन का अधिग्रहण करना हो तो सभापति महोदय, नया भूमि अधिग्रहण बिल जो दिल्ली के अन्दर पेश हो चुका है, उसके हिसाब से वहां के लोगों को मुआवजा दिया जाये और उस बिल के प्रावधान से अगर मुआवजा देते हैं तो वहां के किसानों के साथ न्याय होगा।

इसी नागौर जिले के अन्दर मातासुख कसनाऊ लिग्नाइट परियोजना चल रही है, जिस कम्पनी को काम दिया था। आज तक अरबों-खरबों रुपयों का कोयला खोदकर ले गये, लेकिन 100 रुपये भी उन्होंने विकास के नाम पर नागौर जिले के जायल इलाके में नहीं लगाये।

मेरे जिले में लाइमस्टोन के, जिप्सम के, चाइनाक्ले के, संगमरमर के अथाह भण्डार हैं और अगर इस तरह किसानों की जमीनें सरकार जबरदस्ती कम्पनियों के साथ मिलकर अधिग्रहीत करेगी तो इससे बहुत बड़ा जन आन्दोलन होने की सम्भावना है। किसानों ने संघर्ष समिति बना ली है और बहुत बड़ा जन आन्दोलन उस इलाके में खड़ा हो गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी फ्राड कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही की जाये और वहां के किसानों को राहत प्रदान करते हुए विशेष पैकेज, अगर वास्तव में सरकार को, कोयला वहां पर है और सरकार को हकीकत में कोयले की अगर आवश्यकता है तो किसानों को मुआवजा जो नया भूमि अधिग्रहण बिल आया है, उस बिल के माध्यम से किसानों को मुआवजा दिलाकर नागौर के किसानों के साथ न्याय किया जाये।

सभापति महोदय, वहां की जिला कलक्टर खुद इस कम्पनी के अधिकारियों के साथ मिल गई और हमारी जिला कलक्टर के बारे में तो पूरा प्रदेश जानता है कि किस तरह कलक्टर के चैम्बर के अन्दर +++

श्री सभापति: ऐसा नहीं है माननीय सदस्य। आप निकाल दें इसको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ...दुनिया जानती है उसको। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सही आदेश फरमायें और नागौर के किसानों को राहत प्रदान करें। नागौर के किसानों को न्याय दिलायें।

श्री सभापति: नहीं नहीं, ऐसे शब्द काम में नहीं लें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सदन चल रहा है सभापित महोदय। बहुत बड़ी कल...

श्री सभापति: आप किसानों की बात रख दीजिये। वह तो आपने ढ़ंग से रख दी है। अब उसके आगे धारा 24(2) के अन्तर्गत कार्यवाही करें। आपकी बात सदन में आ गई है माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसानों के साथ न्याय करें और ऐसी भ्रष्ट कलक्टर के खिलाफ भी कार्यवाही करें जो कम्पनी के लोगों के साथ मिलकर वहां के किसानों को डराने-धमकाने का काम कर रही हैं। मंत्रीजी, इसमें दो मिनट आप बतायें। यह बहुत गम्भीर मामला है साहब। लोग पलायन कर रहे हैं वहां से। छोड़कर जा रहे हैं सरकार के डर से, प्रशासन के डर से। इसलिए दो मिनट मेरे विषय पर मंत्रीजी बोलेंगे साहब।

श्री सभापति: विराजें। माननीय सदस्य, मंत्रीजी को आसन बाध्य नहीं कर सकता जवाब देने के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने जो तथ्य रखे हैं, उन सारे तथ्यों की जानकारी मंगवा लेंगे। जो भी कानून सम्मत बात होगी, निश्चित तौर पर करेंगे।

श्री सभापति: विराजें। श्री मनोज कुमार।

सादुलपुर में फसल का बीमा क्लेम

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, मेरे चूरू जिले के विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में खरीफ और रबी फसल 2013-2014 के बीमा क्लेम के बाबत निवेदन करना चाहता हूं। मौसम सन्दर्भ केन्द्र, रामसरा ताल के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायत व ग्राम भीमसाणा के रजपुरिया, धांगड़ा, रामसरा ताल, ताम्बाखेड़ी, टूंडाखेड़ी, धोलिया, किशनपुराबास, चूबगयागढ़, धानोटी छोटी तथा रामसरा टिब्बा उक्त गांवों को राज्य सरकार ने पूर्णत: अभावग्रस्त घोषित किया। आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग कार्यालय जिला कलक्टर, चूरू द्वारा क्रमांक 13734-800 दिनांक 28.1.2014 को कलक्टर से प्राप्त खरीफ फसल सन् 2013 की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एकेक्टस एरिया सस्पेंशन आफ प्रोसीडिंग्स एक्ट, 1952, राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952 की धारा 394 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा चूरू जिले के 16 गांवों को अभावग्रस्त घोषित

(श्री मनोज कुमार)

किया, जिसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के 11 गांव जो मैंने बताये, वह शामिल हैं। राज्य सरकार ने उनको मुआवजा दे दिया लेकिन, बीमा कम्पनी जिनको सन् 2013 और 2014 में किसानों ने 200 रुपये प्रति हैक्टेयर बीमा का भुगतान किया लेकिन बीमा कम्पनी ने राज्य सरकार के द्वारा पूर्णत: अभावग्रस्त घोषित करने के बावजूद भी किसानों का पर हैक्टेयर 200 रुपये बीमा राशि ली, उसके मुकाबले 85 रुपये मात्र प्रति हैक्टेयर के हिसाब से किसानों को बीमा भुगतान किया। सरकारी रिपोर्ट पूर्णत: अभावग्रस्त घोषित मान रही है और बीमा कम्पनी द्वारा मौसम सन्दर्भ केन्द्र के अलावा रिपोर्ट के माध्यम से मात्र 85 रुपये उनको दिये गये।

इसी तरीके से किसानों के साथ 2014 की खरीफ फसल में, रबी फसल में मौसम सन्दर्भ केन्द्र, रामसरा ताल का 28-29-30 दिसम्बर और दिनांक 1-2-3 जनवरी, 2014 को सर्दी का छह दिन तापमान माइनस में रहा, किसानों की फसल पूर्णत: बरबाद हो गई। उसका क्लेम बीमा कम्पनी ने मात्र 1650 रुपये प्रति हैक्टेयर दिया, जो कि इनके आंकड़ों के हिसाब से 5-6 हजार रुपये का प्रति हैक्टेयर बीमा किसानों का बनता है लेकिन बीमा कम्पनी के जो मौसम केन्द्र लगे हुए हैं, उन केन्द्रों पर किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं है। वह अपनी मर्जी से इनके आंकड़े तय करते हैं और उनका बीमा निर्धारित करते हैं। इसलिए माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त प्रकरण में किसानों के साथ हो रहे अन्याय की निष्पक्ष जांच करवाकर पूर्णत: लाभ दिलाया जाये और दोषी बीमा कम्पनी के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री झाबर सिंह खर्रा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सीकर के किसानों के चने के बकाया भुगतान में विलम्ब

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2014 से जून, 2014 के पहले हफ्ते तक नेफेड द्वारा राज्य के किसानों से 92 खरीद केन्द्रों के जरिये समर्थन मूल्य पर खरीदे गये चने के करोड़ों रुपयों के बकाया भुगतान अब तक नहीं होने जिसमें मेरे श्रीमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र का भी लगभग छह करोड़ रुपये बकाया है,

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

उससे किसानों को हो रही आर्थिक परेशानी की ओर माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति: आप केवल ध्यान आकर्षण करें। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सभापति महोदय, सीकर जिले में राजफैड के द्वारा चना खरीद के तीन केन्द्र स्थापित किये गये थे। एक सीकर में, एक श्रीमाधोपुर में और एक दांतारामगढ़ में और वहां पर सम्बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से चने की खरीद की गई थी। सीकर के अन्दर 2,141 किसानों से चना खरीदा गया, 419 किसानों को 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। श्रीमाधोपुर में 1,169 किसानों से चना खरीदा गया, उनमें से 294 किसानों को 1.69 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। दांतारामगढ़ में 781 किसानों से चना खरीदा गया, उनमें से 62 किसानों को 83 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। इस तरह से सीकर, श्रीमाधोपुर और दांतारामगढ़ में अभी भी 3,316 किसानों को 26.87 करोड़ रुपये का भुगतान अभी करना बाकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह शेष भुगतान इसलिए है कि नैफेड के द्वारा राजफैड को भुगतान नहीं किया गया। इसके लिए सरकार भी चिंतित है और अभी नैफेड को पूरे राज्य के स्तर पर देना था 486.48 लाख रुपये, उसमें से राजफैड को उन्होंने 131.19 लाख का भुगतान किया है। अभी राजफैड को नैफेड के द्वारा 355.29 लाख रुपये का भुगतान करना है और 85.74 लाख का भुगतान तिलम संघ को भी करना है। इसके लिए हम चिंतित हैं। भारत सरकार को तीन पत्र भी मेरी तरफ से हमने लिख दिये हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज्योंही नैफेड भुगतान करेगा, किसानों को भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री सभापति: श्री झाबर सिंहजी, कुछ पूछना है?

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन यह प्रकरण माननीया मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाकर, उनके द्वारा भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी के स्तर पर हस्तक्षेप करवाकर, जितना जल्दी सम्भव हो सके, यह गरीब किसानों को उनका भुगतान दिलाने का प्रयास करें ताकि उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सभापतिजी, उक्त प्रकरण को मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में ला दिया गया है और आपको विश्वास दिलाता हूं कि विधान सत्र के बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैं स्वयं दिल्ली जाकर कृषि मंत्रीजी से सम्पर्क करके प्रयास करूंगा, जल्दी से जल्दी किसानों का भुगतान करा देंगे।

श्री सभापति: धन्यवाद मंत्रीजी। कह दिया उन्होंने, और क्या है? पर एक ध्यान रखें, ''भूखो तो ध्यायां ही पतीजै'' तो किसान को पैसा जल्दी मिले।

दूसरा, डाक्टर अलका सिंहजी।

जयपुर स्थित लालकोठी क्षेत्र में बिना मानदण्डों के संचालित कोचिंग संस्थान

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत जयपुर स्थित लालकोठी क्षेत्र में बिना मानदण्डों के संचालित कोचिंग संस्थानों के सम्बन्ध में नगरीय विकास मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, विधान सभा के आसपास लालकोठी क्षेत्र में विभिन्न कोचिंग संस्थान बिना किसी मापदण्ड के मात्र 2 से 4 कमरों में संचालित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, न ही अग्निशमन यंत्र स्थापित है। इसके अतिरिक्त इन व्यावसायिक संस्थानों में पानी और बिजली का घरेलू कनेक्शन ही काम में लिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि लालकोठी योजना लगभग चालीस पचास वर्ष पुरानी योजना है। इसमें राजस्थान विधान सभा, स्टेडियम, नेहरू पैलेस, व्यावसायिक योजनाएं, वित्त भवन, विद्युत भवन, राज्य सरकार के अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, शापिंग सेंटर, किसान भवन, फुटकर सब्जी मण्डी इत्यादि स्थित हैं। उक्त योजना केन्द्रीय स्थान पर स्थित होने के कारण यहां पर आमजन की आवाजाही बनी रहती है।

आवासीय भवनों में अनधिकृत उपयोग के प्रकरण प्राधिकरण के ध्यान में आने पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत कार्यवाही

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की जाती है जो एक सतत प्रक्रिया है। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 32 में किसी भी भूमि का अवैध उपयोग और अवैध निर्माण को हटाने के लिए भवन मालिक अथवा उपयोगकर्ता को नोटिस दिए जाने का प्रावधान है। यदि भवन मालिक अथवा उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित समयावधि में नोटिस की पालना नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध चालान पेश किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए लालकोठी क्षेत्र में स्थित आवासीय कालोनी सत्य विहार के भूखण्डों में अवैध भू-उपयोग पाए जाने पर कुल 17 भूखण्ड मालिकों को जयपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिए हैं। लेकिन यह बात सच है कि नोटिस सारे के सारे अभी-अभी दिए गए हैं। पहला नोटिस आर के जैन को 13.1.14 को दिया गया है। उसके बाद देवकी नंदन को 10.6.14 को, उसके बाद भगवान सहाय को 10.6.14 को और बाकी सारे के सारे इन 17 लोगों को नोटिस जारी किए हैं।

धारा-32 के अन्तर्गत नोटिस मार्च, 2013 में भी जारी किए गए थे। वर्तमान न्यायालय में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-1 जयपुर विकास प्राधिकरण में 16 भूखण्ड मालिकों के विरुद्ध वर्ष 2014 में चालान पेश किए गए हैं। माननीय न्यायालय स्तर पर वाद प्रक्रियाधीन है। एक भूखण्ड मालिक ने नोटिस के फलस्वरूप अवैध भू-उपयोग समाप्त कर दिया है। इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 34(1) में भूखण्डधारी के अवैध निर्माण का अवैध उपयोग रोकने बाबत नोटिस जारी करने के पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भवन को सील किए जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्राधिकरण ने कार्यवाही करते हुए जून, 2014 में 14 ऐसे भवन मालिकों के विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 34(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं। जिसकी सूची मेरे पास हैं, अगर चाहे तो मैं पूरी सूची पढ़ सकता हूं। इनमें 21 कोचिंग सेंटर चलाये गए। इन कोचिंग संस्थाओं द्वारा पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश और निकास की अलग-अलग व्यवस्था तथा अग्निशमन हेतु व्यवस्था तीन माह में किए जाने का एक शपथ पत्र, जब इनको नोटिस दिया तो उन्होंने यह शपथ पत्र दिया कि आपकी ये जो आवश्यकताएं हैं इसकी हम पूर्ति तीन महीने में करेंगे, यह उनका शपथ पत्र है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा कोचिंग संस्थानों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वाले भवन मालिकों को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के अनुरूप नोटिस दिया जाकर विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है।

उपयुक्त के अलावा नगर निगम, जयपुर की ओर से भी लालकोठी क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों का अंतरिम सर्वे कराये जाने पर पाया कि 43 कोचिंग संस्थाएं आवासीय परिसरों में संचालित हैं। जिसकी सूची मेरे पास है जो मैं सदन में रख सकता हूं। इन संस्थानों में न तो उपयुक्त पार्किंग पाई गई और न ही पर्याप्त अग्निशमन यंत्र पाये गए। ऐसे कोचिंग संस्थान जो बेसमेंट में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा मानकों के बिना खतरनाक स्थिति में संचालित किए जा रहे हैं। इन्हें सार्वजनिक जनजीवन परिसंकटमय की स्थिति में पाए जाने पर तत्काल विद्यार्थियों और स्टाफ को जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनहित में नगर निगम द्वारा नगरपालिका अधिनियम की धारा 243 के अन्तर्गत 8 कोचिंग संस्थानों को परि-संकटमय मानते हुए प्राथमिक तौर पर 27.6.14 अभी हुआ है, जरूर आपने इसके बाद 27.6.14 को सीज किया है। सीज के पश्चात भी उक्त संस्थाओं द्वारा पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश और निकास के अलग-अलग व्यवस्था, अग्निशमन हेतु व्यवस्था किए जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर 7 भवनों को वापस इसी 2.7.14 को तथा एक भवन को दिनांक 7.7.14 को जो चस्पा हमने उसको सीलिंग किया था, उनको मुक्त कर दिया। निगम द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि बेसमेंट में कोई कक्षा संचालित नहीं की जाएगी। इन कोचिंग संस्थानों के पानी और बिजली के कनेक्शन पर व्यावसायिक दर से प्रभार किए जाने के प्रावधान हैं। यदि इन संस्थानों द्वारा घरेलू कनेक्शन काम में लिए जा रहे हैं, लिए क्या जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। लेकिन यह सरकारी शब्दावली होती है, सच में ये घरेलू कनेक्शन से ही चल रहे हैं और इसलिए दोनों विभाग को दिया है कि वो कामर्शियल कनेक्शन के रूप में इनको कन्वर्ट करें।

कोचिंग संस्थान संचालन के लिए वर्तमान में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। यह प्रदेश की सभी बड़े शहरों की समस्या है। अत: इसमें नीति निर्धारण की आवश्यकता है जिसके लिए नगरीय विकास विभाग आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करेगा। जो समस्या आपने बताई है वह बिलकुल सही है और ये व्यावसायिक जिस प्रकार से चल रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में उनको तुरन्त एक मिनट में बंद कर उन बच्चों के साथ भी हम हित नहीं कर पाएंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

इनको कानून के दायरे में हम कैसे ला सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधाओं से कैसे जोड़ सकते हैं। इतना एरिया अगर उसमें सड़क हो तो उसमें बनाया जा सकता है, कितना बनाया जा सकता है, पार्किंग की व्यवस्था कैसी होगी, क्या वह अपने अन्दर पार्किंग लेंगे? इन कुछ बातों को बाध्य करते हुए निश्चित रूप से अतिशीघ्र इस बारे में कार्यवाही करेंगे। केवल यही नहीं राजस्थान के बाकी जहां बड़े शहरों में भी इस प्रकार के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जहां सामान्य जन जीवन को आने-जाने में और बाकी परेशानियां हो रही हैं, जितना प्रतिबंधित किया जा सकता है, आपके इस प्रश्न के बाद, केवल आपका ही नहीं, मैं सोचता हूं राजस्थान के उन बाकी शहरों को भी हम कोई नीतिगत निर्णय करके और निश्चित रूप से उसके कुछ नियम बनाकर के इनको प्रतिबंधित करने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी से बहुत आदर के साथ एक चीज पूछना चाहूंगी कि यह जो आवासीय भवन हैं विधान सभा के आसपास इनमें हाई-कोर्ट का एक रूल है कि 40 फीट की रोड हो वहीं, व्यावसायिक गतिविधियां हो सकती हैं। 25-25 फिट की कालोनीज की रोड हैं और वहां पर दो-दो, तीन-तीन कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। बेसमेंट हैं, फर्स्ट फ्लोर दे दिया, ऊपर फैमिलीज रह रही हैं, पानी का और बिजली का डोमेस्टिक कनेक्शन है ही, वह रेवेन्यू लास गवर्नमेंट को हो रहा है। लेकिन उसके अलावा जो कालोनी के निवासी हैं उनको बहुत ज्यादा असुविधा होती है। अगर सुबह उन्होंने गाड़ी निकाल ली तब तो ठीक है और क्लासेज चालू होने के बाद वह अपनी गाड़ी भी बाहर नहीं निकाल सकते और इन संस्थानों में आने वाले सभी बच्चे बहुत पढ़ने वाले हो, यह भी नहीं होता है। तो जनरली होता यह है कि इन कालोनीज में असामाजिक तत्वों की भी आवाजाही निरन्तर रूप से रहती है। जिससे कि कालोनीवासियों को, मेरे पास बहुत से इन कालोनीज के लोग मिलने के लिए आए थे और इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन लगाया था। तो मैं माननीय मंत्रीजी से एक और बात पूछना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों ने सोचा कि विवाह स्थल होते हैं उनके लिए बायलाज बनाने के बारे में गवर्नमेंट ने सोचा है और बायलाज शायद बन भी गए हैं और ये टावर्स वगैरह के बारे में, तो क्या इस तरह से इन शिक्षण संस्थाओं या इन व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के लिए भी सरकार कोई कानून बनाने पर विचार रखती है। आवासीय कालोनी में 40 फीट या 44 फीट से कम जो हाई-कोर्ट के रेग्यूलेशन के खिलाफ हैं वहां तो कार्यवाही करें। वैसे

(श्रीमती अलका सिंह)

सेंट्रल पैलेस हैं बच्चों का बुरा भी नहीं होना चाहिए लेकिन वहां जो रहने वाले लोग हैं उनकी कानून और व्यवस्था बनी रहे और उनको भी सुविधा रहे इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और निश्चित रूप से उनकी पीड़ा नहीं है। उन कालोनियों में रहने वाले सब लोगों की पीड़ा है इसलिए निश्चित रूप से बायलाज बनाएंगे। ऐसे आवासीय क्षेत्र में जो भी कोचिंग सेंटर, चाहे राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में चल रहे हैं उसके बायलाज बनाएंगे और यह मैं आश्वस्त करता हूं कि 40 फीट से कम चौड़ी सड़क पर कोई भी इस प्रकार का कोचिंग सेंटर नहीं चल सकेगा जिसकी पार्किंग की व्यवस्था स्वयं की नहीं होगी। ऐसे कुछ आधार बनाकर के हम इस काम को कर रहे हैं। निश्चित रूप से बायलाज बनाकर इसको रेगूलर करने का प्रयास करेंगे।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री सभापति: धन्यवाद, मंत्रीजी। आ गया सब इसमें। विधायी कार्य। विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक। (व्यवधान)

बैठिये माननीय सदस्य। सदन में एक प्रक्रिया है कि जब माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाता है उस समय माननीय सदस्य अगर सदन में नहीं होते हैं तो उसके बाद दुबारा आगे कार्य निकल जाने के बाद में उनका नाम नहीं पुकारा जाता है, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: जनमत जानने हेतु श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (अनुपस्थित) श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपना वक्तव्य देने का अवसर दिया। आज चार

(श्री जोगाराम पटेल)

विभिन्न प्रकार के विधेयकों पर चर्चा हो रही है। परन्तु मेरा यह मानना है कि ये चारों ही लेबर ला से सम्बन्धित हैं कुल मिलाकर उसमें जो कुछ भी बातें आयी हैं वो लेबर ला से सम्बन्धित हैं पहला जो अधिनियम है औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 और उसके कांसिक्वेंसेज से दूसरे सेन्ट्रल एक्ट में संशोधन के प्रावधान आये हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान शक्ति और समर की भूमि है, यहां पर संख्या और भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से एक अपना अलग महत्व है। भले ही भौगोलिक क्षेत्र से ये देश का पहला क्षेत्र हो लेकिन जनसंख्या के लिहाज से भी धीरे-धीरे वृद्धि होते-होते सात करोड़ के लगभग हुई है और उसमें 18 से 34 साल के नवयुवक जो रोजगार की अपेक्षा रखते हैं, जो अपने भविष्य की ओर देखते हैं, कहते हैं कि हम जीवन में सैटल हो जाएं उनकी संख्या करीब चौंतीस प्रतिशत है और लेबर ला में अमेंडमेट जो आये हैं, जो मंशा रही है उसके पीछे भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। राजस्थानवासी हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में गया या राजस्थान में रहा है वो आत्म सम्मान से जीने का हमेशा पहला पक्षधर रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार हमारा लेबर फोर्स दिनोंदिन बढ़ रहा है और करीब तीन करोड़ बेरोजगार के आस-पास हमारी संख्या होने के अवसर मिल रहे हैं, सम्भावना बन रही है। 2004 से 2009-10 तक जो रोजगार में वृद्धि हुई है वो मात्र 0.67 की हुई है और इस तरह से अगर स्पीड बढ़ती रही तो आने वाले समय में क्योंकि हर वर्ष 8 प्रतिशत लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जब आठ प्रतिशत लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं और हमारा एम्प्लायमेंट परसेंटेज मात्र 0.67 है तो हम यह मानते हैं कि 2020 तक करीब 46 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन परिस्थितियों में राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी राजे ने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल के दौरान मिशन आन लाइवलीहुड बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने, नियोजक की जानकारी देने, मिसमैस करने इत्यादि के प्रावधान बनाये थे ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। राजस्थान कौशल एवं आजीविका निगम अब राजस्थान मिशन आन लिवलीहुड के रूप में परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है कि सभी बेरोजगारों को सरकारी मिल जाए लेकिन अगर उनको प्रशिक्षण मिल जाए और अपना स्वयं का सेल्फ एम्प्लायमेंट मिल जाए तो वो आत्म सम्मान के साथ अपना खुद का रोजगार करेंगे और इसीलिए एम्प्लायमेंट ओरियेंटेड स्किल ट्रेनिंग का जो प्रोविजन बिल में लाये हैं उसके लिए हम राजस्थानवासी

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय मुख्यमंत्रीजी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने पहली बार ऐसा विचार किया है कि अब एम्प्लायमेंट ओरियेंटेड स्किल ट्रेनिंग जरूरी है। कोई छोटा बच्चा भी अगर, कोई बेरोजगार युवा भी अपना खुद का कोई स्किल सीख लेगा चाहे तो कैसी ही छोटी दुकान करे, छोटी इंडस्ट्री लगाये, किसी भी प्रकार का अपना धन्धा अपनाये तो अधिक आत्म सम्मान के साथ अपने आपको मानेगा कि मेरा खुद का रोजगार है। ये मेरी अपनी स्थिति है और उसमें जितनी उसको आत्मसंतुष्टि मिलेगी वो उसको सरकारी नौकरी से भी अधिक मिलेगी इसीलिए बजट में भी प्रावधान किया गया है। रीको द्वारा स्किल डवलपमेंट हब स्थापित किया जाएगा। आई.टी. द्वारा कम्पनी स्थापित करके डवलपमेंट बिजनेस सेन्टर खोले जाएंगे। आई.टी. द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया में काम्प्लेक्स बनाये जाएंगे। ऐसे अनेक विकसित जोन लाये जाएंगे और उन विकसित जोन के आधार पर यह प्रयास किया जाएगा कि हमारे राजस्थान का जो अनएम्प्लायड व्यक्ति है जो नौजवान युवा, जिसको रोजगार की आवश्यकता है उसको रोजगार मिलेगा और मैं अपने हिसाब से अपनी भाषा में इसको बांटूं तो जो ये जो एक्ट में अमेंडमेंट हो रहे हैं उसके पीछे तीन लाजिक हैं। औद्योगिक निवेश और उत्पादन, औद्योगिक निवेश होना चाहिए। उद्योग बढ़ने चाहिए उसमें लेबर मिल जानी चाहिए। उत्पादन बढ़ना चाहिए, नियोजन हो जाना चाहिए। औद्योगिक निवेश और नियोजन हो जाएगा तो हमारे यहां लेबर की जो प्राब्लम है, अनएम्प्लायमेंट की जो प्राब्लम है वो समाप्त हो जाएगी और इन्हीं को परिदृश्य में रखते हुए, इन्हीं को आधार मानते हुए हमारे लेबर लाज में जो संशोधन लाया गया है। मैं यह मानता हूं कि इस संशोधन से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो या इसके कांसिक्वेंसेज से जो तीनों एक्ट हैं वो सब औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में अधिक नियुक्ति करने और एम्प्लायर को भी सुविधा देने के लिए ताकि वो अपने ऐसे एम्प्लाई बढ़ा सके इसीलिए इसे लाया गया है। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का। 1947 के उपरांत कई परिस्थितियां बदली हैं। कई एम्प्लायर और एम्प्लायमेंट दोनों में परिस्थितियां बदली हैं इसीलिए समय-समय पर राजस्थान इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट भी लाये गये। सन् 1970 में लाये गये, सन् 1958 में लाये गये और उसके बाद भी लाये गये। अभी जो अमेंडमेंट किये गये इसमें चार तरह के प्रोविजन रखे गये हैं। एक प्रोविजन रखा गया है डिलीटिंग

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रोविजन्स। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो डिलीटिंग प्रोविजन्स इसीलिए रखे गये हैं कि उनकी उपयोगिता अब अनावश्यक हो गयी है और उनकी उपयोगिता अनावश्यक होने की वजह से वो डिलीटिंग प्रोविजन्स रखे गये हैं। दूसरा जो अभी निवेदन करूंगा टाइम लिमिट के कुछ प्रोविजन्स बनाये गये हैं। इन एक्ट में कोई टाइम लिमिट के प्रोविजन्स नहीं थे इसलिए टाइम लिमिट के प्रोविजन बनाये गये और तीसरा लिमिटेशन फोर रजिस्ट्रेशन आफ द यूनियन बनाती है, लेबर्स की जो यूनियन होती है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या प्रोविजन्स होने चाहिए, टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितनी संख्या होनी चाहिए, उसके सम्बन्ध में प्रोविजन्स बनाये गये हैं और चौथा बनाया है परमीशन टू रिट्रैचमेंट जो बनाया गया है कब क्लोजर होना चाहिए, कब तालाबंदी होनी चाहिए, कब कोई इंडस्ट्री अपनी बंद कर सकता है उसके सम्बन्ध में प्रोविजन बनाया गया है और पांचवां बनाया गया है कंडीशन प्रेसीडेंट टू रिट्रैचमेंट के लिए जो कंडीशन प्रेसीडेंट होनी चाहिए तीन महीने का नोटिस, छह महीने का नोटिस, इतना पेमेंट इसके सम्बन्ध में बनाया गया है और लास्ट गो स्लो की जो डेफीनेशन नहीं थी उसको डिफाइन किया है। मैं सबसे पहले आपके सामने निवेदन करूंगा डिलीटिंग प्रोविजन्स जो बनाये गये हैं सेन्ट्रल एक्ट में ...।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको रोकना नहीं चाहता लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जो अपने, विराजिये, बिल जब आते हैं तो तीन स्टेज होती है। पहली स्टेज प्रस्तुत करने की होती है। सैकंड स्टेज विचारार्थ लिये जाते हैं तो जनमत जानने के लिए प्रसारित करते हैं उस समय अगर बिल में हमें कोई दिक्कत नजर आती है तो उन बातों का प्रकटीकरण करते हैं सदन में लेकिन अगर बिल की अच्छाई के बारे में बोलना है तो थर्ड पारित करने की, उस समय में बोलते हैं। अपन इसमें जनमत में भी बोल सकते हैं बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन ये तीन स्टेज हैं हमारी पारित में। माननीय सदस्यों का सबको बोलने का अधिकार, जो आसन की आई कैच कर लेगा, अब आई कैच करने के अलावा इधर वो निशान कर दिया है बटन भी दबा देगा तो काम हो जाएगा। जो स्टेज है जनमत की इसलिए आती है कि ये बिल ऐसा है इसको तुरन्त पास नहीं किया जाना चाहिए और इस पर जनमत लेना चाहिए लेकिन तुरन्त पास करने की स्थिति में अपन हैं और अपने सुझाव क्या-क्या

(श्री सभापति)

प्रोविजन आये इनके क्या-क्या लाभ हैं, थर्ड स्टेज पर बोलें या मंत्रीजी बोलें। आपको जनमत जानने के लिए क्यों आवश्यकता है इस विषय पर आप अपनी राय प्रकट करेंगे तो इसमें रहेगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह था ...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, वास्तव में आसन ने जो व्यवस्था दी व्यवस्था तो यही है परन्तु परम्परा यह रही है कि जनमत जानने हेतु ...(व्यवधान)

(14.00 बजे)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह निवदेन कर रहा था कि परम्परा रही है कि ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अपना समग्र विचार माननीय सदस्य रख देते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह था कि समय की भी बचत होगी और...

श्री सभापति: बोलिए, बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि डिलिटिंग प्रोविजन की आवश्यकता इसीलिए हुई, सैक्शन 2 (जी) थर्ड और सैक्शन 2 का (एच) यह प्रोविजन तो, एम्प्लायर को कब-कब किस तरह से होना चाहिए इसके लिए टाइम टू टाइम राजस्थान में भी अमेंडमेंट हो गए और सेन्ट्रल एक्ट में भी हो गए। अल्टीमेटली होने के बाद एम्प्लायर को सिम्पलीफाइड करने के लिए वर्कमेन और उसको सिम्पलीफाई करने के लिए लेबर रेग्यूलेशन एक्ट एबोलेशन 1970 में जो प्रोविजन आ गए थे, उसके बाद में सेन्ट्रल अमेंडमेंट हो गए थे उनको सिम्प्लीफाई करने के लिए अब उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि कोई सेन्ट्रल एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है इसलिए सैक्शन 2 जी, ए थर्ड और सैक्शन 2 एस में डी-लिटिशन के प्रोविजन लाए गए हैं। सैकण्ड जो लाया गया है वह इम्पोर्टेंट है और इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि हर चीज की कोई न कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। जनरल हमारे यहां हिन्दुस्तान और राजस्थान में जितने भी कानून बने हुए हैं भूल से या इन्टेंशनली अगर कोई टाइम लिमिट के प्रोविजन नहीं बनाए तो एक

(श्री जोगाराम पटेल)

जनरल क्लाजेज एक्ट है। जनरल क्लाजेज का आर्टिकल 114 यह कहता है कि अगर मान लो किसी भी एक्ट में कोई टाइम लिमिट के प्रोविजन नहीं बनाये गए हैं तो उसके लिए तीन साल मानकर चलो। अपील का, रिवीजन का, और कोई भी अपील फाइल करने का, डिस्प्यूट रेज करने का, अगर किसी में कोई प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं तो जनरल क्लाजेज एक्ट यह कहता है कि थ्री ईयर डीम टू बी एम्प्लाइड एज ए थ्री ईयर्स, पहले यह प्रोविजन नहीं थे और इसलिए भी जनरल आवश्यक हो गया था कि इसमें टाइम लिमिट का प्रोविजन लाया जाए। यह सैक्शन 2 (ए) यह टाइम लिमिट का प्रोविजन नहीं, कोई भी कर्मकार है, कोई भी मजदूर है, पांच साल नहीं बोले, सात साल नहीं बोले, दस साल नहीं बोले, उसके बाद जाकर अपनी ग्रिवेंस बताए कि साहब मेरी तो यह ग्रिवेंस है, तो वह ठीक भी नहीं है। अगर वह तीन साल के अन्दर अपनी कोई ग्रिवेंस चाहे वह मजदूरी से सम्बन्धित है, चाहे वह और किसी डिस्प्यूट से सम्बन्धित है, अगर वह तीन साल के अन्दर-अन्दर रेज करता है तो वह वाजिब है और उसका निस्तारण भी हो सकता है, उसका इफेक्टिवली कम्प्लीट निस्तारण भी हो सकता है। अगर तीन साल बाद में, एम्प्लाई बदल जाए, कानून बदल जाए, डाकूमेंट नहीं मिले। इसलिए सभापति महोदय, सैक्शन 2 (ए) में टाइम लिमिट का प्रोविजन बनाया गया है वह इस लिहाज से भी बहुत उचित है।

दूसरा इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट राजस्थान अमेंडमेंट एक्ट में न्यू चैप्टर 2 (बी) मैं निवेदन कर रहा था कि लिमिटेशन फोर रजिस्ट्रेशन और अदर जो प्रोविजन हैं, क्योंकि दो बार अलग-अलग तरीके से, राजस्थान में अमेंडमेंट हो तो गए और सेन्ट्रल एक्ट में अमेंडमेंट हो तो गए, प्रोविजन ओवरराइडिंग होने लगे इसलिए इसको सिम्पलीफाई करने के लिए जो प्रोविजंस बनाए गए हैं इसको अब इस तरह से बनाए 9 सी, 9 डी, 9 ए, जो प्रोविजंस किए गए हैं वह प्रोविजंस भी ठीक है। राजस्थान में 1958 में अमेंडमेंट हुआ, 1970 में अमेंडमेंट हुआ। सेन्ट्रल एक्ट में भी बार-बार अमेंडमेंट हुए। लास्ट में अभी 2010 में सेन्ट्रल एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है। तो इन सबको एक साथ करके पढ़ने में सुविधा रहे, समझने में सुविधा रहे, निर्णय करने वालों को सुविधा रहे, अपनी ओर से प्लीड करने वालों को सुविधा रहे और एम्प्लायर व एम्प्लाई दोनों को सुविधा रहे इस लिहाज से भी यह सही है। तीसरा रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, कितने कर्मकार

(श्री जोगाराम पटेल)

इकट्‌ठे हों और अपनी यूनियन का रजिस्ट्रेशन करावें ऐसे प्रोविजन, पहले एम्बीग्युटी थी प्रोविजन में। अब इस प्रोविजंस के द्वारा जो टोटल पहले था, अपने टोटल एम्प्लायज, कर्मकार थे उसका 15 परसेंट हो जाने पर किसी भी यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो जाता, तो ऐसे करते-करते राजस्थान में और हिन्दुस्तान में, विषय अपने राजस्थान का है इसलिए मैं हिन्दुस्तान की बात नहीं करूंगा। लेकिन राजस्थान में इतनी अधिक यूनियन हो गईं कि आपस में टकराव होने लगा। शांति व्यवस्था पर विवाद होने लगा। एक यूनियन दूसरी यूनियन के प्रति अविश्वास करने लगी। इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूनियन को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए संख्या के लिहाज से 15 परसेंट के स्थान पर 30 परसेंट किया है, मेरा मानना है कि यह बिलकुल ठीक है। यह आपसी विवाद और संघों की अधिकता को रोकने के लिए भी उचित है। इसीलिए माननीय सभापति महोदय, लिमिटेशन फार रजिस्ट्रेशन के लिहाज से, वैसे भी यूनियन तो एक होनी चाहिए। पर आज की तारीख में कितनी यूनियन बन गई हैं, मेरे और मेरे साथी भाई के नहीं बना तो 15 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी इकट्‌ठे किए और मैंने यूनियन बना दी। आप देख रहे हैं कि अभी राजस्थान में कितने तरह की चाहे शिक्षक संघ के नाम से हो, चाहे पीएचईडी डिपार्टमेंट में हो, या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हो या और किसी में हो, अनेकों तरह के ऐसे संघ बन गए हैं जिनकी वजह से आपसी खींचतान भी रहती है, विवाद भी बढ़ता है और उसका निराकरण करने में भी तकलीफ रहती है, इसलिए भी मेरे लिहाज से यह ठीक है। परमिशन टू रिट्रेंचमेंट, किसी कर्मकार के उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी या पर्यवसान से सम्बन्धित, यह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। एम्प्लायर व एम्प्लाई के बीच में यह विवाद हमेशा ही रहता है। कब किस उद्योग को बंद करना, कब किस उद्यमी के द्वारा अपने व्यापार को बदलना, कब किसी कर्मकार को, ठीक नहीं कर रहा है, उसको हटाना, ऐसे प्रोविजंस के लिए पूर्व के जो प्रोविजंस हैं चाहे वह सेन्ट्रल एक्ट के हैं, चाहे स्टेट अमेंडमेंट के द्वारा हैं, अन्य किसी राज्यों में भी हैं, उसकी भी स्टडी की गई तो पाया गया कि वर्तमान में जो प्रोग्रेसिव युग आया है, इस प्रोगेसिव युग में थोड़ी बात को लेकर भी विवाद हो जाता है। पहले न एम्प्लायर विवाद करता था, न एम्प्लाई करता था। अब दोनों ही तरफ से दिनों-दिन इसका ह्रास होता जा रहा है। इसलिए इस पर दोनों की तरफ से नुकसान हो रहा है । छोटी -छोटी बात के लिए अगर विवाद पलेंगे तो माननीय सभापति महोदय, किसी

(श्री जोगाराम पटेल)

भी उद्यमी द्वारा उसका उद्यम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी भी उद्यमी द्वारा कर्मकार के साथ अगर दूसरा व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है तो कर्मकार के साथ भी नुकसान होता है। इसलिए एम्प्लायर और एम्प्लाई दोनों की सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए गए हैं, अभी तक जो प्रोविजन थे कि पिछले 12 महीनों में अगर 100 कर्मकार उसने रख दिए या 100 एम्प्लाई रख दिए हैं तो वह सारे प्रोविजन जो इण्डस्ट्री एक्ट के हैं, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हैं या दूसरे एक्ट हैं वह लागू हो जाएंगे। पर उसके स्थान पर अब 300 की संख्या बनाएं। बाकी इसमें प्रोविजन सेम रखे गए हैं। 100 के स्थान पर 300 की संख्या बढ़ाया गया है। 100 के स्थान पर 300 की संख्या बढ़ाने से एम्प्लायर निश्चित होकर अपने उद्यम को चलाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है क्योंकि जब तक इतना नहीं हो जाएगा तो मैं कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं कर पाऊंगा। एम्प्लाई है उसको भी निश्चितता रहेगी कि मुझे तब तक न तो हटाया जाएगा, न मेरी तनख्वाह कम की जाएगी, न मुझे नोटिस दिया जाएगा, न मेरे साथ कोई अन्याय होगा। तो चाहे वह एम्प्लाई है, चाहे वह एम्प्लायर है उन दोनों की दृष्टि से भी यह परमिशन टू रिट्रेंचमेंट, और क्लोजर के जो प्रोविजन थे उसमें अमेंडमेंट लाया गया है, मेरे हिसाब से उचित है लेकिन कहां-कहां थोड़ी सी कमी है वह मैं आपसे अभी निवेदन करूंगा।

सैक्शन 25 में पहले यह प्रोविजन था कंडीशन प्रेसीडेंट टू रिफ्रेशमेंट आफ ए वर्क मेन। सभापति महोदय, आप बहुत पुराने अनुभवी रहे हैं और आपको काम भी पड़ता रहता है। अनेकों बार ऐसे विवाद आए। दिनों-दिन लेबर कोर्ट बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में अनेक तरह के हजारों डिस्प्यूट लेबर कोर्ट में विचाराधीन हैं। कमी भी इसीलिए नहीं हो रही है कि वह दिनों-दिन छोटी-छोटी बात के लिए होता है। पहले यह था कि तीन माह का नोटिस या तीन माह का वेतन, दोनों की कंडीशन प्रेसीडेंट थी एंड वर्ड था। इसकी वजह से दोनों ही, उस एम्प्लायर के लिए जरूरी था 3 महीने का नोटिस और 3 महीने की तनख्वाह।

(14.08 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदया, तीन माह का नोटिस या तीन माह का वेतन, अब उसके स्थान पर तीन माह के वेतन के प्रोविजंस किए गए हैं ऐसी

(श्री जोगाराम पटेल)

स्थिति में एम्प्लायर एक तरह से निश्चित हो गया कि मुझे किसी कर्मकार को, अगर वह सही तरीके से काम नहीं करता है, टाइम पर नहीं आता है, मन लगाकर नहीं करता है, या मैं उसको जितनी मजदूरी दे रहा हूं उसकी अपेक्षा वह काम नहीं कर रहा है तो उसको यह अधिकार प्राप्त है कि वह उसको कह सकता है कि यह तीन महीने की आपकी तनख्वाह, अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। यह प्रोविजन जो बनाए गए हैं, वर्तमान प्रोग्रेसिव युग में, इसके लिए इसे बनाया गया है और गो स्लो की डेफिनेशन नहीं थी उसको डिफाइन किया गया है। माननीय सभापति महोदया, इन सबके बावजूद भी मेरे दो-तीन सुझाव हैं। मैं निवेदन भी करूंगा कि यह सरकार एम्प्लाई और एम्प्लायर दोनों के हितों को बराबर ध्यान में रख रही है। उससे भी अधिक राजस्थान के विकास को ध्यान में रखेगी कि हमारे राजस्थान का विकास होना चाहिए, हमारे यहां उद्यमी ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए।

हमारे यहां वर्तमान प्रोग्रेसिव युग के अनुसार जो उद्योग हैं, वे आने चाहिए। ऐसे-ऐसे उद्योग लगने चाहिए जिससे हमको रोजगार अधिक मिले। हमारा प्रोडक्शन अधिक हो। हमारे राजस्थान का विकास हो। हमारी पर-कैपिटा इनकम बढ़े। उसके लिये भी है। तो यह सारे प्रोविजन जरुरी हैं, परन्तु फिर भी मेरा यह सुझाव है कि नोटिस के जिस प्रावधान को हम बिलकुल ही समाप्त कर रहे हैं, यह एक तरह से उचित नहीं है। अगर हम यह कर सकते हैं तो इसको अग्रिम चेतावनी, नोटिस, क्योंकि अपोर्च्युनिटी आफ हियरिंग जनरल ला का हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन अपोर्च्युनिटी आफ हियरिंग बेसिक प्रिंसिपल है और नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मेरा इतना सा सुझाव है कि हम कोई न कोई उसकी अवधि निश्चित अवश्य करें। एम्प्लायर को यह कहें कि किसी भी एम्प्लायी को अगर आप हटाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो कम से कम उसको 15 दिन, 20 दिन, महीना, पहले तीन महीने थे, कम-ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसको नोटिस अवश्य दिया जाना चाहिए। उसको कारण बताया जाना चाहिए ताकि वह यह नहीं कहे कि मुझे कुछ भी नहीं बताया। अपनी मनमर्जी से इन्होंने जब जचा, तब हटा दिया। अदरवाइज, हमारे लिये यह तकलीफदेह हो सकता है। वह यह कह सकता है कि मुझे कोई भी किसी तरह का कारण नहीं बताया गया है। इस बात को लेकर वह विभिन्न न्यायालयों में भी जा सकता है। वह कांस्टीट्यूशन के तहत जाकर, ऐसे आर्टिकल 25 का सहारा लेकर वह

(श्री जोगाराम पटेल)

किसी भी माननीय न्यायालय में जा सकता है और यह कह सकता है कि मुझे अपोर्च्युनिटी आफ हियरिंग नहीं मिली। मेरे खिलाफ जो आरोप लगाया गया है या जिस आरोप के आधार पर मुझे हटाया गया है, मेरी तनख्वाह रोकी गई है, मेरी तनख्वाह कम की गई है, उसको वह चेलेंज कर सकता है। ऐसी स्थिति में नोटिस की अवधि कम-ज्यादा की जानी चाहिए। लेकिन उसको अपोर्च्युनिटी आफ हियरिंग दी जानी चाहिए। चाहे वह किसी भी फोर्म में देवें। वह नोटिस के फोर्म में देवें, और किसी रूप में देवें। लेकिन उसको अपोर्च्युनिटी आफ हियरिंग मिलनी चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है। सम्भव हो अगर एम्प्लायी जो काम करने योग्य नहीं है और एम्प्लायर उसको हटाना चाहता है। वह काम करने के योग्य भी है लेकिन मन से काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उसके साथ यह परिस्थिति हो सकती है, उसके परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं रहे। उस परिस्थिति में उसके परिवार के साथ अन्याय भी हो सकता है। हम उस परिवार के न्याय करने के लिये, क्योंकि हमारा शासन न्याय करने के लिये है। जितना अधिक विकास और जितना न्यायप्रिय हमारा शासन, वसुंधराजी दे रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन यह है, उसको यह भी अपोर्च्युनिटी दी जा सकती है कि आप आपके और किसी परिवार के सदस्य को लगा दें, जो हमारे यहां बराबर काम करे, हमारे यहां बराबर काम मिलता रहे। अगर उसको आप्शन भी दिया जा सकता है तो इस आप्शन के प्रोविजन पर भी विचार किया जा सकता है। अगर यह सम्भव हो तो इसमें आप्शन डाला जा सकता है कि आपकी काम करने की शक्ति नहीं रही है, काम नहीं करते हैं, आपके काम करने से बराबर यह उद्यम नहीं चल रहा है। इसीलिये परिवार में इस योग्य अगर काम करने वाला कोई हो तो उसको अपोर्च्युनिटी या आप्शन दिया जाना चाहिए। अगर आप्शन में जाकर उस उद्यमी का फायदा होता हो, एम्प्लायर का फायदा होता हो तो उस बारे में विचार किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि लेबर हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोविजन भी बनाये जा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदया, इन सबके बावजूद भी यह जो प्रोविजंस बनाये गये हैं, सैकण्ड जो आज रखा हुआ है, शिक्षु संशोधन, इसमें विशेष कोई प्रोविजन नहीं है। इस इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो प्रोविजंस अमेंड किये जा रहे हैं, उसके कांसिक्वेंसेज में ही है यह। इसमें मात्र थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वह चेंज भी इसके कांसिक्वेंसेज में है। इसी तरह से काण्ट्रेक्ट लेबर

(श्री जोगाराम पटेल)

रेग्यूलेशन एक्ट में इसके 50 प्रतिशत के जो प्रोविजंस थे, उसके स्थान पर सिर्फ संख्या का इधर-उधर हो रहा है। बाकी प्रोविजंस सेम रह रहे हैं। इसीलिये मेरा निवेदन है, इन दोनों के 12 प्रतिशत, 12 per cent is more than जो उसके प्रोविजंस थे, उसको 20 प्रतिशत की जगह 30 प्रतिशत, या 30 प्रतिशत का 50 प्रतिशत या 30 प्रतिशत, इन सारे एक्ट में जो चेंज किये जा रहे हैं, वह इस लिहाज से भी किये जा रहे हैं कि labour as well as employer, उन दोनों की सुरक्षा हो और वर्तमान में सरकार की जो मंशा है, विशेषकर सरकार ने जो अपने बजट में भी घोषणा की है, उसको ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक निवेश, उत्पादन तथा नियोजन को बढ़ावा देने के लिए श्रम नियोजन की रिजिडिटिज को कम करने हेतु राज्य सरकार ने इन-इन प्रोविजंस में अमेंडमेंट करने का विचार रखा है। उसी के अनुसरण में यह जो अमेंडमेंट एक्ट लाए गये हैं, मेरा ऐसा निवेदन है कि यह हमारा जो मेनिफेस्टो था उसके अनुसरण में है, जो बजट प्रावधान थे, उनके अनुसरण में है तथा एम्प्लायर और एम्पलायी दोनों के हित में है। इसलिये निवेदन करुंगा कि मैंने जनमत जानने हेतु जो प्रस्ताव रखा है, उसको मैं विदड्रा करने की अनुमति भी चाहता हूं, साथ-साथ, क्योंकि उस स्टेज पर नहीं मांग करके मैं इस स्टेज पर ही मांगता हूं। आपने मुझे अपोर्च्युनिटी दी, उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रस्ताव रखकर अभी विदड्रा कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक साथ रखेंगे, एक साथ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चलो, बाद में आ जाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): राजेन्द्रजी, वह बाद में आएगा, अभी क्यों ले रहे हैं।

श्री सभापति: हां, बाद में आएगा, सभी का साथ में ले लेंगे। श्री प्रहलादजी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक, 2014 पर जनमत जानने का मैंने प्रस्ताव दिया है। उस पर चर्चा के लिये आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, विधेयक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, बजट भाषण के समय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक संकल्प दोहराया

(श्री प्रहलाद गुंजल)

था कि हम राजस्थान में ऐसा वातावरण तैयार करेंगे, उद्योग के प्रति निवेश का आकर्षण हो, रोजगार के अवसर बढ़ें और उद्योगों में श्रमिक विवाद कम से कम हों, और राजस्थान में जो स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही थी उसको मूर्त रूप शिक्षु अधिनियम में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने देने का प्रयास किया है। चारों बिल आज चर्चा में लिये गये हैं, चारों के चारों बिल माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण की उसी भावना का प्रतिबिम्ब हैं। मैं औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पर चर्चा करना चाहूंगा। यह जो संशोधन पेश किया है, माननीय सभापति महोदय, अच्छा होता कि इस संशोधन को पेश करने के साथ-साथ विधान सभा के द्वारा, सरकार के द्वारा 1958 का गजट इस विधेयक के साथ माननीय सदस्यों को पहुंचाया जाता। इस विधेयक में क्या संशोधन करना चाहते हैं, क्या मंशा है, ठीक प्रकार से सदन के माननीय सदस्य पढ़ पाते और व्यापक चर्चा और व्यापक समझ इस विधेयक के बारे में माननीय सदस्यों की बनती। इस विधेयक के खण्ड-दो में 1947 के केन्द्रीय अधिनियम 14 की धारा 2 का संशोधन, उसकी धारा 2 के खण्ड (छ) में विद्यमान उपखण्ड (iii) को हटाया जाएगा। खण्ड (ध) में विद्यमान अभिव्यक्ति, 'ऐसे नियोजक के साथ उसकी संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में किसी नियोजक या संविदाकार' को हटाया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, यह मूल अधिनियम की धारा 2 (छ) और (छ) का (iii) और (ध), यह केवल नियोजक और कर्मकार की परिभाषाओं को दर्शाता है। यह इस मूल अधिनियम के अन्दर हमने 1958 के राजस्थान संशोधन द्वारा, जो केन्द्र का मूल अधिनियम है, उसमें जोड़ी थी राजस्थान के संशोधन के द्वारा। आज इसको हटाने के पीछे जो तर्क है कि 1970 में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम जो बना है उसके बाद इनकी प्रासंगिकता खतम हो गई। माननीय सभापति महोदया, मेरे यह समझ में नहीं आया कि 1970 के ठेका श्रम अधिनियम के प्रभावी होने के बाद इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा-2 की परिभाषाएं- 'नियोजक' और 'कर्मकार' यह निष्प्रभावी कैसे हो गई? यूं तो मैं समझता हूं कि यह दोनों ही एक्ट एक दूसरे के पूरक हैं।

अगला जो संशोधन आपने दिया है विधेयक के खण्ड-3 में अधिनियम की धारा-2क की उपधारा (3) के बाद एक नई धारा-4 स्थापित कर दी जाएगी। नहीं, उप धारा नई-3 जोड़ दी जाएगी।

माननीय सभापति महोदया, धारा-3 के बाद, उप धारा-3 के बाद उप

(श्री प्रहलाद गुंजल)

धारा-4 जो जोड़ने का काम किया है यह एक अच्छा कदम है। इसका जो मूल अधिनियम है, उसकी धारा-3 में जो प्रावधान किये गये हैं माननीय सभापति महोदया, यह 2क का संशोधन है। मूल अधिनियम की 2क में विद्यमान उपधारा -3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ दी जाएगी:- धारा 2क में विवादों को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को उल्लेखित किया गया है। धारा 2क की उप धारा-1 में विवाद को उल्लेखित किया है और उप धारा-2 में यह साफ लिखा है कि सुलह के समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन किया है, 45 दिन की समाप्ति के पश्चात् उसमें निर्दिष्ट विवाद के न्याय करने के लिए श्रम न्यायालय अधिकरण को सीधा आवेदन कर सकेगा और उप धारा-3 में इसको बाउंड किया है कि तीन साल की समय-अवधि की समाप्ति से पूर्व इस प्रकार का वाद न्यायालय में निश्चित रूप से कर्मकार के द्वारा किया जाना चाहिए, इसमें उप धारा-4 जोड़कर माननीय सभापति महोदया, सरकार ने एक प्रिविलेज दिया है कि अगर कर्मचारी तीन साल में किसी भी कारण से अपना वाद दायर नहीं कर पाया और कोई युक्तियुक्त कारण सरकार के सामने पेश करता है तो सक्षम अधिकारी उसको विलम्ब का लाभ देकर तीन साल की अवधि के बाद भी उसको वाद दायर करने का अधिकार दे सकेगा, यह निश्चित रूप से लेबर इंटरेस्ट में किया गया परिवर्तन है लेकिन मूल अधिनियम की धारा-2 का जो संशोधन है खण्ड-(ध) में, इसमें माननीय सभापति महोदया, 'ऐसे नियोजक के साथ उसके संविदा के निष्पादन के सम्बन्ध में किसी नियोजक या संविदाकार' को हटाया जाएगा। और इसमें (ध) में (i), (ii), (iii) और (iv), 4 प्रकार के जो सेवा-नियम के अधीन आने वाले कर्मचारी हैं उससे इसको कवर होना नहीं माना गया लेकिन मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदया, जब इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1970 का ठेका श्रम अधिनियम लागू होने के बाद यह अभिव्यक्ति निष्प्रभावी हो गयी। इसका आशय आपने यह मान लिया कि आपकी जो (ध) की जो उप धारा-4 है, (i), (ii), (iii) और (iv) के जो कर्मचारी इससे कवर नहीं होंगे, आपने इसमें स्वाभाविक रूप से यह मान लिया कि ठेका श्रम अधिनियम में जो 10 और 20 कर्मचारी कार्यरत थे, जो इससे कवर होते थे, उसके नीचे के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स भी इसमें नहीं आएंगे और आज आप उस 10 और 20 को, उसकी संख्या भी आप बढ़ाने जा रहे हैं, 20 और 40 करने जा रहे हैं। 20 और 50 और इसीलिए माननीय सभापति महोदया, सरकार की मंशा तो ठीक है, औद्योगिक विवाद कम हो, लेबर और मालिक का विवाद कम हों लेकिन हमको बहुत ईमानदारी से यह भी विचार

(श्री प्रहलाद गुंजल)

करना पड़ेगा कि हम पब्लिक वैलफेयर स्टेट के कंसेप्ट से काम कर रहे हैं।

एक उद्योगपति के सारे अधिकार की रक्षा करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और इंडस्ट्रीज राजस्थान में पनपे यह हमारा दायित्व है लेकिन जब हम वैलफेयर स्टेट के कंसेप्ट से विचार करेंगे तो 10 नहीं, 20 नहीं, एक-एक व्यक्ति भी अगर उसमें काम करता है तो निश्चित रूप से उसके हक-अधिकार के प्रावधान या उसकी चिंता करने का राज्य सरकार को निश्चित रूप से कोई न कोई पैरामीटर तय करना चाहिए।

इस विधेयक के खण्ड-4 और 5 में मामूली संशोधन है। 4 और 5, 1958 के संशोधन अधिनियम-34 के द्वारा अन्त:स्थापित किया गया था, उन्हें अध्याय II-ग और 9-ग के रूप में पुन:स्थापित किया जाएगा, उन धाराओं को पुन:स्थापित किया जाएगा, यह कोई विशेष संशोधन नहीं है केवल उनको पुन:स्थापित किये जाने का कार्यक्रम है।

विधेयक के खण्ड-6 में केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14 की धारा 9-घ में 1958 के राजस्थान संशोधन अधिनियम की संख्या-34 के द्वारा अन्त:स्थापित की गई थी, में विद्यमान अभिव्यक्ति 'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर अभिव्यक्ति 'तीस प्रतिशत' करना होगा।

माननीय सभापति महोदया, कारखानों में श्रमिक विवाद कम करने के लिए यह संशोधन किया है। निश्चित ही नियोजक को इसका लाभ मिलेगा कि कारखानों में जो भी लेबर यूनियन रजिस्टर्ड होगी, पुराने प्रावधानों के तहत पन्द्रह प्रतिशत मजदूरों के उस यूनियन में होने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता था, अब बढ़ा कर आपने उसको तीस प्रतिशत कर दिया। निश्चित रूप से इंडस्ट्रियलिस्ट को इसका लाभ मिलेगा, विवाद कम होंगे लेकिन मैं आज भी बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कारखाना अधिनियम का वायलेशन कर रहे हैं और केवल 20 और 50 लेबर वाले ही नहीं माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्थान में ऐसे कई कारखाने बता सकता हूं जो कारखाना एक्ट, कम्पनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है लेकिन वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, श्रमिक ठेका नियम, कारखाना अधिनियम के तहत लेबर के साथ अन-जस्टिस कर रहे हैं, जैसे कोई ठेकदार मजदूरी ले रहा है सवेरे से रात तक, 12-12 घंटे की ड्यूटीज, कई कारखाने ऐसे हैं जो लेबर से ले रहे हैं और हमने ऐसे कारखानों में जहां पर लेबर का शोषण हो रहा है, जहां पर समय से ज्यादा श्रम लेबर से करवाया जा

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रहा है, वहां पर अगर यूनियन की बाउंडेशन 30 प्रतिशत की कर दी तो लेबर अपने इंटरेस्ट को, अपने हक को, अपने अधिकार को प्रोटेस्ट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी यह भी चिंतन हमको करना चाहिए। हम इस डिस्प्यूट को कम करने के लिए लेबर यूनियन की सदस्यता को 30 प्रतिशत बढ़ा दें लेकिन लेबर के साथ कारखाना मालिक द्वारा अगर किसी प्रकार की दुर्भावनावश अधिक श्रम, अधिक उपयोग, मेहनत उसके द्वारा करवाया जाता है तो उसके हक-अधिकार को सुरक्षित करने के लिए निश्चित रूप से हमको प्रयास किया जाना चाहिए।

दूसरा, इस विधेयक के खण्ड-7 में माननीय सभापति महोदया, केन्द्रीय अधिनियम संख्या-14 की धारा-25-ट के उपखण्ड-1 व 2 को संशोधित स्वरूप में स्थापित किया गया है, जिसमें खण्ड(1) में 100 की जगह पर 300 कर्मकार नियोजित होना और अध्याय 5-ख के लागू होने के सम्बन्ध में अनिवार्यता 300 श्रमिकों की प्रस्तावित की गई है।

माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, जिस कारखाने में पहले 100 कर्मचारी काम करते थे, कोई भी विवाद होता था, तो श्रमिक को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत लाभ मिलता था। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत अपने हक-अधिकार के संरक्षण के लिये न्यायालय में जा सकता था। अब आपने कह दिया कि जो कारखाना 300 श्रमिक वाला होगा, वही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत कवर होगा। पर इसमें आपने अध्याय 5 ख में केवल आन्तरिक रूप से लागू होंगे, 300 कर्मकार नियोजित थे, धारा (2) में आपने कहा राज्य सरकार उसका समाधान हो जाए, औद्योगिक शांति बनाये रखने, कर्मकारों पर अत्याचार को रोकने के लिये ऐसा अपेक्षित है कि राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के उपबन्ध एवं ऐसे औद्योगिक मौसमी प्रकार का स्थापन नहीं है या जिसमें केवल आन्तरिक रूप से होता है, लागू कर सकेगी जिसमें पूर्ववर्ती 12 मास के प्रति कार्य संदाय की औसतन ऐसी संख्या में कर्मकार नियोजित थे, जो 300 से कम हों, परन्तु 100 से कम न हों, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

एक तरफ तो आप लिबर्टी दे रहे हैं कि सामान्यत: इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में 300 से कम जिस कारखाने में मजदूर होंगे, वह नहीं आयेगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

फिर एक तरफ, गवर्नमेंट यह अधिकार ले रही है कि जिसमें 300 से कम, किन्तु 100 से अधिक मजदूर होंगे, वहां किसी भी प्रकार का विवाद होगा, जहां सरकार यह आवश्यक समझे कि इंटरवेंशन किया जाना चाहिए, हस्तक्षेप किया जाना चाहिए मजदूर के हित में, तो निश्चित रूप से सरकार अधिसूचना इस कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार के द्वारा ही अपना हस्तक्षेप कर सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, फिर मैं यह कारण जानना चाह रहा हूं कि सरकार को एक तरफ यह भी चिन्ता है कि 100 से अधिक और 300 से कम में कहीं डिस्प्यूट होगा तो मजदूर का, उस कर्मकार का हक हमको सुरक्षित रखना है और दूसरी तरफ हम कारखाना मालिकों को यह लिबर्टी भी दे रहे हैं कि आप 300 से कम होने की स्थिति में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत कवर नहीं होंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि राजस्थान में ऐसे वो कारखाने, निश्चित रूप से कारखाने बढ़ेंगे, जो 300 से कम लेबर पर काम करेंगे और जहां लगातार लेबर का शोषण हो रहा है, आज 30 प्रतिशत से कम पर यूनियन भी रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि हर कारखाने का और मजदूर का दु:ख-दर्द सरकार तक पहुंच जाए। इससे कारखाना मालिकों की मोनोपोली बढ़ेगी। नियोजक की मनमानी बढ़ेगी, श्रमिकों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेंगे और निश्चित रूप से जिस बात की हम कल्पना कर रहे हैं कि लेबर और इंडस्ट्री मालिक के बीच के डिस्प्यूट कम हों, यह डिस्प्यूट और अधिक बढ़ने की सम्भावना प्रबल होगी। इस कानून का फायदा उठाकर नियोजक अपनी मनमानी पर आयेगा और जब नियोजक मनमानी पर आएगा तो अपने हक-अधिकार को असुरक्षित महसूस करने वाला कर्मचारी निश्चित रूप से अपने हक के लिये लड़ेगा और मैं समझता हूं जहां तक एक तरफ विवादों की कम गुंजाइश की कल्पना कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से विवाद बढ़ेंगे। हालांकि उन विवादों पर नियन्त्रण रखने के लिये पुराने एक्ट में 100 श्रमिक होने का जो आपने प्रावधान किया है, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके सरकार ऐसे मजदूरों के हित के लिये निश्चित रूप से काम करने के लिये कटिबद्ध है।

विधेयक के खण्ड 8 में केन्द्रीय अधिनियम की संख्या 14 की धारा 25(ढ) में उपधारा 1 के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिये मजदूरी का संदाय कर

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दिया गया हो। माननीय सभापति महोदय, पहले यह प्रिविलेज था कि तीन महीने की सूचना या तीन महीने की तनख्वाह, अगर नियोजक ने मजदूर को दे दी तो उसकी छंटनी कर सकता था। अब नये संशोधन एक्ट में हमने यह तय कर दिया क्योंकि सामान्यत: जब छंटनी करता था नियोजक तो मात्र 3 महीने की सूचना देता था, 3 महीने का वेतन नहीं देता था। 3 महीने की सूचना दे दी और उसके आगे हमने उप धारा 9 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'के औसत वेतन के पश्चात्' और अभिव्यक्ति 'के बराबर के बीच में' यह तय कर दिया उसके 3 माह के औसत वेतन के बराबर की रकम अन्त:स्थापित की जाएगी। इस एक्ट के माध्यम से हम मजदूर के हित का संरक्षण करना चाहते हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, संशोधन करके हमने 15 दिन के स्थान पर 3 माह की औसत रकम जो अन्त:स्थापित की है, उसमें खण्ड 8 के उप खण्ड (ख) में संशोधन करके 15 दिन के स्थान पर 3 माह के औसत वेतन की रकम में अन्त:स्थापित कर दिये। पुराने प्रावधानों में तीन माह की सूचना और तीन माह का वेतन, दोनों साथ-साथ। अब इससे कर्मकार तीन माह के वेतन का हकदार हो जाएगा। लेकिन जो एक विसंगति इसमें आई है, इसमें जो तीन माह का वेतन तय होगा, छंटनी के पश्चात् वह वेतन, जो माननीय श्रम न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित नियमों के तहत दिलाया जाएगा। एक लम्बी प्रक्रिया हो जाएगी। इसके लिये आपको तय करना चाहिये कि जो तीन माह का औसत वेतन है, नियोक्ता जब उसकी छंटनी करे, उसी समय उसको अनिवार्य रूप से लेबर कमिश्नर की जानकारी में डालकर तीन माह का वेतन दिया जाना चाहिये। नहीं, तो निश्चित रूप से तीन माह की सूचना के बाद जब कर्मकार को नियोजक नौकरी से हटा देगा, और जब तक वह लीगल डिस्प्यूट में जाएगा, न्याय मिलने में उसको एक बहुत लम्बा समय लग जाएगा और इसी तरीके से, विधेयक के खण्ड-10, '1947 के केन्द्रीय अधिनियम की संख्या-34 की पांचवीं अनुसूची में संशोधन पैरा, इस पैरा के प्रयोजन के लिये धीमी गति से किसी उद्योग में नियोजित सहयोगी के रूप में।' यह जो धीमी गति उल्लेखित की गयी है, माननीय सभापति महोदय, धीमी गति के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को साबित करने का भार नियोजक के पास होना चाहिये और युक्तियुक्त कारण होना चाहिये वर्ना यह जो धीमी गति की लिबर्टी है, कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, कोई लेबर-मालिक का विवाद नहीं है पर केवल मात्र यह धीमी गति को आधार बनाकर कारखाना मालिक अगर कोई कारखाने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

को बंद करना चाहता है तो धीमी गति का आशय क्या है और धीमी गति का मूल्यांकन क्या है? धीमी गति का आधार क्या है? यह धीमी गति के कारण उत्पन्न परिस्थितियां साबित करने का भार नियोजक के ऊपर होना चाहिये और नियोजक द्वारा जो कारण बताया जाएं उसका मूल्यांकन जब तक सरकार द्वारा नहीं करा लिया जाएं, तब तक नियोजक को इस बारे में अग्रिम कदम उठाने से बाध्य किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं सरकार ने यह जो तमाम प्रकार के संशोधन किये हैं इस विधेयक के अन्दर यह दोनों प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। प्रदेश के अन्दर औद्योगिक वातावरण का निर्माण करेंगे, लोगों को निवेश के लिये आकर्षित करेंगे, कम से कम लेबर और मालिक के बीच में विवाद हो, इस प्रकार की परिस्थितियां भी पैदा करेंगे। सरकार की मंशा भी ठीक है, लेकिन इन सबके बाद सरकार ने यह भी चिन्ता की है कि इस कानून के माध्यम से किसी भी प्रकार का विवाद होने के बाद सरकार लेबर के संरक्षण का अधिकार अपने पास रखे।

पुराने एक्ट में व्याप्त प्रावधानों के अनुसार यह सब कुछ होते हुए भी हमको निश्चित रूप से इन प्रावधानों में इस बात का एक बार और मूल्यांकन करना चाहिए कि हम केवल प्रदेश में निवेश आकर्षित करना चाहते हैं, रोजगार बढ़ाना चाहते हैं, इस कारण से ले-मेन के प्रति जो हमारी जवाबदेही सरकार की भावना है, कहीं उसका उन्मूलन तो नहीं हो रहा है? वैलफेयर कंसेप्ट, उसमें 100 आदमी नहीं होते, जो वैलफेयर स्टेट होती है उसके कंसेप्ट में लाख आदमी नहीं होते उसके कंसेप्ट में एक आदमी भी होता है और इसलिए यह मूल्यांकन और चिन्तन करके निश्चित रूप से यह सदन इस विधेयक को पारित करे।

मैंने इसको जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अपने इस जनमत जानने के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: एक साथ ही सभी का लेंगे। श्री मदनजी राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का मैंने भी प्रस्ताव किया था और उसमें मुख्य रूप से बहुत बड़ा कारण तो यही था कि इसमें 'धीमी गति' शब्द आया है इसको परिभाषित करने का

(श्री मदन राठौड़)

जो इन्होंने प्रयास किया उसमें एक बहुत बड़ा विवाद है। पैरा दस में 1947 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 14 की पांचवीं अनुसूची का भाग दो, इसमें पैरा पांच में स्पष्टीकरण इन्होंने लिखा है कि- 'इस पैरा के प्रयोजन के लिए, 'धीमी गति' से किसी उद्योग में नियोजित, सहयोगी रूप से या सामान्य मति से कार्यरत कितने भी व्यक्तियों का उद्देश्यपूर्वक किया गया ऐसा कोई क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिसके द्वारा उत्पादन या कार्य की प्रक्रिया को धीमा करना या देरी करना है, चाहे नियम के अनुसार कार्य करने या अन्य किसी नाम से जाना जाये', अब यह अन्य किसी नाम से जाना जाये से क्या अभिप्राय है? मैं सोचता हूं कि अन्य किसी नाम से जाना जाये, अब इसके लिए इनको कोई शब्द देना चाहिए था, इसमें आगे कोमा दिया है, अब यह तो कोई मतलब की बात नहीं हुई।

इसके लिए तो मैं सोचता हूं इनको यह करना चाहिए था कि प्रति कर्मकार द्वारा औसत उत्पादन से दस प्रतिशत कम या और किसी भी प्रकार से कोई प्रतिशत आप कर लेते तो फिर भी समझ में आता था, 'अन्य किसी भी नाम से जाना जाये' और यह करके इन्होंने कोमा लगा दिया, इसको यहीं छोड़ दिया। 'जिससे कि संस्थापन के कर्मकार या कर्मकारों के उत्पादन या कार्य', अब या कार्य, यहां लाकर के छोड़ दिया, 'निर्गम का नियम या औसत या सामान्य स्तर प्राप्त नहीं किया जाता।'

अब जबकि पहले जो प्रावधान था इसमें केवल यह था, मैं पैरा पांच को ही वापस पढ़ रहा हूं- 'दबाव डालने वाले ऐसे कार्य, जैसे कि जानबूझकर 'धीमी गति' काम के घंटों के पश्चात् काम के परिसर पर लेट जाना या प्रबंधकीय सदस्यों में से किसी एक का या अन्य कर्मचारिवृन्द का 'घेराव' करना, प्रदर्शित, प्रोत्साहित या दुष्प्रेरित करना', यह पहले प्रावधान था। इसमें आगे इन्होंने यह जो जोड़ा है, मैं सोचता हूं कि इसको परिभाषित करने की आवश्यकता थी। 'धीमी गति' जो शब्द आपने लिया है इसको आधार बना कर के किसी को अपन दण्डित करना चाहें तो उसको परिभाषित किया जाना बहुत जरूरी था। इसके लिए मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का आपके सामने निवेदन किया था।

सभापति महोदय, जब अभी यह व्यवस्था दे दी गयी है कि इसकी अच्छाइयों के बारे में भी कुछ बता दिया जाए तो इसमें धारा 2 का जो 'क' है (क) का खण्ड (छ) जिसमें उप-खण्ड (iii) जिसको इन्होंने अभी हटाया है और

(श्री मदन राठौड़)

जिसमें पहले यह प्रावधान था कि- 'जब किसी उद्योग का स्वामी, उद्योग के संचालन के दौरान या उसके प्रयोजनार्थ किसी सम्पूर्ण कार्य या उसके किसी भाग के, जो साधारणत: उस उद्योग का भाग है, किसी संविदाकार द्वारा या उसके अधीन निष्पादन के लिए, किसी व्यक्ति के साथ संविदा करता, तो उद्योग का स्वामी।' इसको इन्होंने हटाया है।

सभापति महोदय, मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहूंगा। कोलकाता का एक उदाहरण है। वैसे देखिये कोलकाता, मुम्बई से किसी भी रूप में कम नहीं है, कोलकाता बहुत बड़ा महानगर है लेकिन हम मुम्बई को आर्थिक नगरी मानते हैं लेकिन कोलकाता को, मैं सोचता हूं यह शब्द प्रयोग करना नहीं चाहिए लेकिन कई लोग इसको 'नारकीय जीवन', इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते हैं। उसका एक मात्र कारण है, मेरे सामने एक दृष्टांत है मैं एक दुकान पर गया था और वहां पर दुकान के मालिक ने मेरे सामने चाय रखी। कई लोग वहां बैठे थे, चाय पी रहे थे और योग से चाय गिर गयी तो दुकान के मालिक ने मुनीम को कहा कि थोड़ा यहां पर कपड़ा लगा देना। उस मुनीम ने कहा, मेरा यह काम नहीं है, मैं यह काम नहीं करूंगा, यह मेरी नियमावली में नहीं आता है, यह काम मुझे नहीं करना है। उसने जो हमाल था उसको कहा, भाई, तू कर दे। उसने कहा, नहीं, मैं भी नहीं करूंगा, मेरे हमाल एसोसिएशन का यह कानून बनाया हुआ है, मैं यह काम करने वाला नहीं हूं। आपको आश्चर्य होगा कि दुकानदार को खुद को कोई कपड़ा ला करके साफ करना पड़ा। यह कैसी स्थिति है?

मैं आपके सामने यह बात इसलिए रखना चाहूंगा कि नियोक्ता और नियुक्त के बीच में एक पारिवारिक वातावरण होना चाहिए। उसके मन में इस प्रकार का भाव होना चाहिए कि यह मेरा प्रतिष्ठान है, मुझे यहां से रोजी-रोटी मिल रही है, इस प्रतिष्ठान को सम्पन्न करना, यह मेरा दायित्व है। इस प्रकार का भाव, जो कर्मकार है उसके मन में पैदा होना चाहिए। वो केवल यह भाव नहीं रखे कि मैं तो नियमों से चलूंगा, इसमें यह यूनियनबाजी है और यूनियन का इस प्रकार से निर्देश है कि आप यह काम करेंगे नहीं, तो मैं सोचता हूं कि वह उस उद्योग के प्रति या नियोक्ता के प्रति सद्‌भावना नहीं रखता है और, सभापति महोदय, यदि वो उसके प्रति सद्‌भावना नहीं रखेगा तो वो प्रतिष्ठान किसी भी रूप में सम्पन्न बन नहीं सकता, फल-फूल नहीं सकता। यदि उसके मन में इस प्रकार का भाव है कि मैं तो उसी प्रावधान के तहत ही काम करूंगा

(श्री मदन राठौड़)

जो मेरी यूनियन ने मुझे कहा है तो मैं सोचता हूं कि यह अच्छे भाव नहीं है और वो प्रतिष्ठान निरन्तर गिरता जायेगा, वो सम्पन्न नहीं होगा। यही कारण है कि मुम्बई में इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहां पर जो कर्मकार है वो भी यह चाहता है कि यह प्रतिष्ठान फले-फूले, यह सम्पन्न हो, यह निश्चित रूप से सम्पन्नता प्राप्त करेगा तो मेरी इनकम भी बढ़ेगी, मेरी तनख्वाह भी बढ़ सकती है और मैं आगे बढ़ सकता हूं, मेरा परिवार भी फलेगा-फूलेगा। लेकिन कोलकाता में ऐसा नहीं है, वहां पर निरन्तर गिरावट आती जा रही है, वहां से लोग पलायन करते जा रहे हैं। यह स्थिति बन नहीं रही है।

आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रावधान इसमें होने चाहिए ताकि नियोक्ता और कर्मकार के बीच में प्रेम का, सदभावना का, आपसी समन्वय का वातावरण बन सके।

एक इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यूनियन की जो संख्याएं हैं, पहले 15 प्रतिशत मजदूर होते ही एक यूनियन बना कर आ जाता था, मैं सोचता हूं इसमें यह ठीक किया कि यूनियन बनाने के लिए कुल जो मजदूरों की संख्या है उसका 30 प्रतिशत कम से कम किसी भी यूनियन की सदस्य संख्या हो तो ही यूनियन को मान्यता मिलेगी। इस प्रकार का प्रावधान इस बिल में रखा है। मैं सोचता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि आपने कहा कि 300 से कम और 100 से अधिक, इसमें थोड़ा है 100 भी, 100 को भी उसमें मान्य रखा गया है यानी 100 से कम उसमें नहीं होना चाहिए। यह इस प्रकार का प्रावधान है। 100 से अधिक और 300 से कम नहीं है, 300 से कम लेकिन 100 से कम नहीं, यह प्रावधान यानी 100 वाला भी उसमें गिनती में आयेगा। यह जो इन्होंने संशोधन रखा है, मैं सोचता हूं कि यह ठीक है।

ऐसे ही इन्होंने एक यह हटाया है, समय सीमा निर्धारित करने का जो इन्होंने प्रयास किया है कि जैसे पहले था 15 दिन का, जैसे (8) में था, '(8) जहां उप-धारा (2) के अधीन किसी उपक्रम के बंद कर दिये जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती है या जहां उप-धारा (3) के अधीन बंद कर दिये जाने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व उस उपक्रम में नियोजित प्रत्येक कर्मकार

(श्री मदन राठौड़)

प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरन्तर सेवा के हर सम्पूरित वर्ष या छह माह से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर है।' अब मैं सोचता हूं कि यह पहले 15 दिन का था, अब इन्होंने इसमें संशोधन किया है कि उसके बीच में यह जोड़ा है।

जो 'ख' की उपधारा 9 में विद्यमान अभिव्यक्ति के औसत वेतन के पश्चात अभिव्यक्ति के बराबर होगा। इससे पूर्व यह जोड़ा है 'और उसके 3 मास के औसत वेतन की रकम यह अंत:स्थापित की जाएगी' यह इसमें बीच में जोड़ा जाएगा। मैं सोचता हूं कि यह ठीक बात है और इसमें कोई विवाद का विषय है नहीं। अगर जोड़ा है तो यह मजदूरों के हित में ही होगा।

माननीय सभापति महोदय, जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव किया था, आपकी अनुमति चाहूंगा कि मैं इसको विदड्रा करुं। धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री जोगाराम पटेल, श्री प्रहलाद गुंजल, श्री मदन राठौड़ ने औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री मानिक चन्द सुराणा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो संशोधन लाया जा रहा है उसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है।

माननीय सभापति महोदय, यह प्रस्ताव इसलिए है कि इस औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 में 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आज जिन उद्योगों में 100 आदमी काम करते हैं उनकी जगह 300 की संख्या में काम करने वाले कर्मकार होंगे वहां पर ही यह लागू होगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि 3 साल का एक अमेंडमेंट लाया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि 3 साल के बाद कोई विवाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी, पर्यवसान के लिए। जिसको हम अंग्रेजी में discharge, termination, detachment सब कवर होते हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

माननीय सभापति महोदय, तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस अधिनियम के शुरू में ही खण्ड 6 के उप खण्ड 3 को हटाये जाने का प्रस्ताव है। वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन यह है कि आप खण्ड 6(3) को पढ़ें। 6 (3) को मैं सदन की जानकारी के लिए दुबारा पढ़ता हूं कि उसमें कहा क्या है, नियोजक से तात्पर्य भारत सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी विभाग का जो enterprise है, उद्योग है, वहां कहा गया है कि यदि कोई उसका विहित प्राधिकारी नहीं है authorised officer, तो फिर विभागाध्यक्ष से मतलब होगा एम्प्लायर का, ठीक है। यह खण्ड 6 (3) का 1 है और खण्ड 6 का सैकण्ड यह है कि जो प्रावधान भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए है वही लोकल अथोरिटी के लिए है। लोकल अथोरिटी कोई उद्योग चलाती है तो यदि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो head of the department जो है लोकल अथोरिटी का, वह उसका नियोजक कहलायेगा।

अब 3 में इस पूरे एक्ट में कहीं नहीं कहा गया है संशोधन विधेयक में कि इस 6 (3) को हटाना क्यों आवश्यक है। खण्ड 3 से अभिप्राय तो बहुत साधारण है कि जब किसी उद्योग का स्वामी उद्योग के संचालन के दौरान या उसके प्रयोजनार्थ किसी सम्पूर्ण कार्य या उसके किसी भाग के जो साधारणतया: उस उद्योग का भाग है, किसी संविदाकार द्वारा या उसके अधीन निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति के साथ संविदा करता है तो उद्योग का स्वामी नियोजक कहलायेगा।

अब मेरे समझ में नहीं आया कि यह उद्योग का स्वामी, यानि फिर आप इस एम्प्लायर की डैफिनेशन में या तो भारत सरकार को रख रहे हैं या राज्य सरकार को रख रहे हैं या लोकल अथोरिटी को रख रहे हैं। फिर निजी entrepreneur यह बिलकुल इसमें से गायब हो जायेगा, industrial dispute act में निजी एम्प्लायर होगा ही नहीं। आपने जो प्रस्ताव रखा है, इसलिए मैंने निवेदन किया है कि प्रस्तुत विधेयक की क्लाज 2 में खण्ड 6 के उप खण्ड को हटाने का काम इसके कई एंगल हैं। इस एंगल को प्रवर समिति ही ढंग से देख सकती है कि इसे हटाना क्यों आवश्यक है।

आप मजदूरों के कानूनों में सुधार करें। उदारीकरण का युग है। कुछ उदारता लानी पड़ेगी। उस मूलभूत नीति से मेरी असहमति नहीं है। लेकिन उदारता का कहीं कोई विवेक सम्मत कारण तो हो। किसलिए उदारता? यदि कांट्रेक्टर किसी को रखता है, उसके माध्यम से काम कराता है किसी उद्योग में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तो आखिर जो उसका स्वामी है, जो कांट्रैक्टर को रख रहा है वही तो उसका नियोजक होगा। जो भी कर्मकार हैं उनके। हटाने का कोई कारण इस विधेयक में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अगर अध्यक्ष महोदय भी निकल जाये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आदरणीय हैं इसलिए सभापति महोदया हम कह ही रहे हैं। लेकिन आदत है कभी अध्यक्ष महोदय, कभी सभापति रहते हैं कुर्सी पर तो कुछ न कुछ स्लिप हो जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं क्लाज 3 में हमने लिखा है कि समय सीमा 3 साल होगी। उप धारा 1, 2 व 3 में किसी बात के होने पर भी किसी कर्मकार और उसके नियोक्ता के बीच ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी, पर्यवसान के सम्बन्धित या उसके कारण उठने वाला ऐसा विवाद या मतभेद औद्योगिक विवाद नहीं समझा जाएगा। यदि ऐसा विवाद ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, छंटनी, पर्यवसान की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के भीतर सुलह कार्यवाही में नहीं उठाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस है कि कानून को पढ़ तो लेते ठीक से कि हम लिख क्या रहे हैं। यह धारा जो आपने सब क्लाज 4 जोड़ा है, उप खण्ड 4 वह कहता है समय सीमा 3 वर्ष की कालावधि के भीतर-भीतर सुलह कार्यवाही में नहीं उठाया गया, आप मूल धारा 2 (क) जो एक्ट की है, आप वह तो पढ़िए कि 2 (क) क्या कहता है। 2 (क) का क्लाज 3, पूरे क्लाज को मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्लाज 1 में कहा गया है कि what is an industrialist dispute, औद्योगिक विवाद क्या है? उसमें मुख्य बात जो कही गयी है कि वह यह है इस बात के होते हुए भी कि ना तो कोई अन्य कर्मकार और ना कर्मकारों का कोई संघ उस विवाद में पक्षकार है, औद्योगिक विवाद समझा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को यदि उन्मोचित किया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है, उसकी छंटनी कर दी जाती है, उसकी सेवाएं अन्यथा पर्यवसित कर दी जाती हैं, terminate कर दी जाती हैं तो वह औद्योगिक विवाद की परिभाषा में आएगा।

माननीय सभापति महोदय, क्लाज 2 में कहा गया है, धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई कर्मकार जो उप धारा 1 में विनिर्दिष्ट है, उस तारीख से जिसको उसने विवाद के सुलह के लिए समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन किया है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(15.00 बजे)

45 दिन की समाप्ति के पश्चात् उसमें विनिर्दिष्ट विवाद के न्याय निर्णयन के लिए श्रम न्यायालय अधिकरण से सीधा आवेदन कर सकेगा। इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट रेज किया, 45 दिन तक कोई नतीजा नहीं हुआ तो उसको अधिकार है कि वह श्रम न्यायालय में जाये। और तीसरे में क्या कहा है, आलरेडी प्रावधान है तीन साल का, उप धारा 2 में निर्दिष्ट आवेदन श्रम न्यायालय या अधिकरण को उप धारा 1 में यथा विनिर्दिष्ट पद भार मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति की तारीख से 3 वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जायेगा। आलरेडी प्रावधान है कि यदि टर्मिनेशन हो, उसकी छंटनी कर दी जाये, उसको डिसमिस कर दिया जाये, उसको पदच्युत कर दिया जाये तो जिस दिन वह डिस्प्यूट रेज हुआ उसके विदिन थ्री ईयर्स उसको श्रम न्यायालय में जाना पड़ेगा। (व्यवधान) प्रोविजन मैं पढ़ रहा हूं। उप धारा 2 का मतलब है कि वह श्रम न्यायालय में जाने को स्वतंत्र है। 2 (क) को देखें आप गौर से। धारा 10 में यही कहा गया है कि सुलह अधिकारी, आपका कंसीलेशन आफिसर, समझौता अधिकारी यदि 45 दिन में सुलह नहीं करा पाता है तो उसको श्रम न्यायालय में जाने का अधिकार है और (1) में कहा गया है कि चाहे कोई दूसरा कर्मकार या कर्मकारों का संघ उसका साथ दे या न दे तो भी वह इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट है, औद्योगिक विवाद है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो कानून देश में सन् 1947 से चल रहा है, धारा 2 कब जोड़ी गई है, मैं अभी नहीं कह सकता लेकिन 2 (क) मौजूद है और आपने इसको कोट किया है यह ओरिजनल आप इसको देखें। उप धारा 2 में विनिर्दिष्ट आवेदन श्रम न्यायालय या अधिकरण को उप धारा 1 में यथा विनिर्दिष्ट पद भार मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या सेवा से समाप्ति की तारीख से 3 वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जायेगा। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप नई बात क्या कह रहे हैं? आपने जो क्लाज 3 इण्ट्रोड्यूस किया है और इस सदन से चाहते हैं कि यह मान लिया जाये, हम क्यों मान लें? आलरेडी देयर, वर्तमान कानून में ही प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार क्या नई बात लाना चाहती है? 3 साल की अवधि की बात पर तो कोई डिस्प्यूज रेज ही नहीं हो सकता, श्रम न्यायालय में जा नहीं सकते, सरकार या तो इसको एक्सप्लेन करे और एक्सप्लेन न करे तो प्रवर समिति को भेजे।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कानून बनाते समय मेरा नम्र निवेदन है माननीय सभापति महोदय, हां पक्ष और ना पक्ष का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप तो व्हिप उस वक्त जारी कर देना जब कोई नैतिक, सैद्धांतिक मुद्दा है कि जिस पर भाजपा का बिलकुल मूलभूत सिद्धांत है अन्यथा कानून बनाते समय आपको देश की परिस्थितियां, राजस्थान की परिस्थितियां, उद्योग की परिस्थितियां और वर्तमान कानून की परिस्थितियां, इनको देखना चाहिये। आपका संशोधन खण्ड नम्बर 3 में रिडण्डेंट है, बिलकुल सरप्लस है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब कानून की व्याख्या होती है अदालतों में, मुझे दस-बीस साल हाई-कोर्ट जाने का भी अवसर मिला है। उस वक्त में लेजिस्लेचर ने इसको देखा नहीं जबकि जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसीपल है कि लेजिस्लेचर सब जानता है, लेजिस्लेचर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह सर्वज्ञ है और कानून के मामले में तो सर्वज्ञ है ही तो जब लेजिस्लेचर को जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक प्रिंसीपल्स में सर्वज्ञ माना गया है तो आप इसको प्रवर समिति को क्यों न भेजें? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2 (क) में जो आप संशोधन करना चाहते हैं वह आलरेडी जो मानकर आप कर रहे हैं वह खण्ड 2-3 में ...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Because provision is already there.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): राष्ट्रपतिजी के पास तो अपन जब भेजेंगे तब जायेगा। वह ठीक है कि ना होगा। मैं यह कह रहा हूं कि हम ऐसा, आखिर हम तो एक विवेक सम्मत, रेशनल, जिसको पढ़ने के बाद लगे कि विधान सभा ने पूरा विचार करके संशोधन किया है, ऐसा कानून होना चाहिए। खण्ड 2 में जो पहले मैंने 6 पढ़ा, खण्ड 2 का, धारा 2 में खण्ड 6 का उप खण्ड 3 का संशोधन आपने जो 'हटाया जाना' लिखा है, मैंने निवेदन किया है कि उसको रखने से ही सारा प्रयोजन कानून का होगा। अन्यथा निजी, आपके एक लोकल अथोरिटी, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट बस यही है हिन्दुस्तान में? वह जो प्राइवेट नियोजक है वह कहां चला गया? आप ऐसा कानून बनायें जिस पर अदालतें हंसें या जनता हंसें और कहने लगे कि क्या कानून बनाया है? मेरा निवेदन है कि खण्ड 3 में यह 3 साल का प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है वर्तमान कानून में यह मौजूद है। खण्ड 4 और 5 के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि यह सिर्फ धाराओं के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कोई नाम बदले गये हैं, पहले कुछ 'सैकण्ड ख' था तो उसको 'अध्याय सैकण्ड ख' कहा जा रहा है, इस सब में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

मानतीय सभापति महोदय, मूल बात जो है ट्रेड यूनियन की मान्यता के सम्बन्ध में 15 परसेंट को जो 30 परसेंट किया जा रहा है, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। पहले अवेयरनेस कम थी मजदूरों में इसलिए 15 परसेंट का प्रावधान था अब अवेयरनेस बहुत है और ऐसे संघ हैं जिनके 30 परसेंट लोग हैं मैम्बर इसलिए मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है और इस कारण से मैं इसको प्रवर समिति में नहीं भेज रहा हूं। इसके आगे का संशोधन है 25 (क) खण्ड में कहा गया है कि 100 से 300 की संख्या हम फैक्ट्रीज की, इण्डस्ट्रियलिस्ट के लिए, ऐसे कारखानों में जहां अभी 100 लोग हैं उनको हम 300 लोग करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि सारे हिन्दुस्तान में 100 की संख्या है, राजस्थान अगुवाई करना चाहता है तो वह बहुत अलग बात है कि राजस्थान अगुवाई करे श्रम न्यायालयों के उदारीकरण में, श्रम कानूनों के उदारीकरण में, लेकिन 100 से सीधे 300 करने की आवश्यकता पर प्रवर समिति को विचार करने दीजिये। 100 से 200 रखें, 250 रखें, सीधा 100 से 300 तो जितने भी 100 में रजिस्टर्ड हैं और जिन पर भी औद्योगिक विवाद बन सकता है वह सब उसकी परिधि से निकल जायेंगे तो मेरा निवेदन यह है कि यह 100 से 300 का प्रकरण और फिर जहां 3 वर्ष की संशोधन की आवश्यकता नहीं हो, वहां संशोधन और जहां जिस खण्ड को हटाने की आवश्यकता नहीं है उस खण्ड 2 (6) उप खण्ड (3) को हटाने का प्रस्ताव, इन तीनों बातों पर आप ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि इस सारे पर विचार और मंथन, चिंतन प्रवर समिति को भेजने से होगा। हमें कानून में सुधार करना है तो सुधार भी तो पूरे सोच समझकर चिंतन मनन के साथ हो और वह काम प्रवर समिति ही कर सकती है। माननीय सभापति महोदय, इसके आगे मूल अधिनियम की धारा 25 (घ) है उसमें जो संशोधन किये गये हैं उसमें मजदूरों के हक में 3 माह का वेतन और दिये जाने का प्रावधान जो किया गया है वह बहुत सराहनीय है यानि किसी का टर्मिनेशन होता है तो वर्तमान प्रावधानों में जितने वर्षों की उसकी सर्विस है या 6 महीने से अधिक की सर्विस हो गई है उसमें 15 दिन का औसत वेतन के साथ 3 महीने का वेतन और जो दिये जाने का प्रावधान किया है उसकी मैं बहुत सराहना करता हूं क्योंकि जो आदमी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

टर्मिनेट हो रहा है, हो सकता है कि 2-3 माह उसको नौकरी नहीं मिले तो उसके लिए उसको 3 महीने का वेतन दिये जाने का प्रावधान बहुत ठीक है।

सभापति महोदय, धीमी गति के बारे में अभी हमारे सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा what is "go slow" और गो-स्लो को आपने जो डिफाइन किया है उस पर सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य बोले, वे संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है प्रस्ताव एक प्रक्रिया है, प्रस्ताव तो हो सकता है कि मैं भी हाउस का मूड देखूं तो वापस ले लूं, लेकिन बात जो उन्होंने कही उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि गो-स्लो की डेफिनेशन बहुत सही होनी चाहिए। इसलिए मैं तीन वे कारण और चौथा गो-स्लो का कारण, इन चारों आधार पर मेरा आपसे निवेदन है कि इस औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कृपा करें, इसी निवेदन के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है (व्यवधान) प्रभारी मंत्रीजी उत्तर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, सदन औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का अपना प्रस्ताव दिया और उसके बाद संतुष्ट होकर अपना प्रस्ताव वापस लिया। मैं लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रवर समिति को सौंपने के अपने प्रस्ताव के माध्यम से कुछ बेसिक मुद्दे जो इस औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 से सम्बन्धित हैं वे सदन में उठाये।

सभापति महोदय, जिन-जिन संशयों को माननीय सदस्यों ने यहां प्रकट किया है उन्हें मैं संतुष्ट कर सकूं, जिस दिन यह औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक आर्डिनेंस के रूप में पारित किया गया था उस समय पूरे देश के अन्दर एक प्रतिक्रिया हुई थी कि राजस्थान इन औद्योगिक संशोधन के माध्यम से, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नये संशोधन के माध्यम से किस प्रकार का वातावरण बना रहा है।

सभापति महोदय, इण्डियन एक्सप्रेस लिखता है ''लेट अस फोटो कापी राजस्थान'', एडिटोरियल लिखता है। टाइम्स आफ इण्डिया 4.7.2014 को लिखता है "to generate jobs and we must adopt Rajasthan labours law reforms

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

model" बिजनेस स्टैण्डर्ड लिखता है, "labour reforms Haryana in Rajasthan full steps." मैं सबकी बात करूंगा तो लम्बा समय लगेगा, पर इसके पीछे जो कारण हैं मूल रूप से, मुख्य मंत्रीजी ने जब अपना बजट भाषण पढ़ा उसके पैरा 98 में उन्होंने कहा ''राज्य सरकार द्वारा इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट में व्यापक सुधार के लिए लाये जा रहे संशोधन की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है।'' इसके पीछे हेतु यही था कि मुख्य मंत्रीजी ने जो 15 लाख नये रोजगारों के सृजन की बात कही, यह 15 लाख नये रोजगारों का सृजन तब होगा जब राजस्थान के अन्दर निवेशकर्ता आएगा, उद्यमी और कामगार के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे, औद्योगिकीकरण का वातावरण आज बना है वह औद्योगिकीकरण का वातावरण और गति से आगे बढ़ेगा।

यह सही है कि आज राजस्थान की 24 फीसदी आबादी नौजवानों की है। इनको रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार के लिए राजस्थान में कृषि के बाद हमारी जीएसडीपी में हमारी सर्विसेज को छोड़ दें तो सबसे बड़ा योगदान हमारे उद्योग का है। मूल रूप से अगर मैं यह कहूं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जो इसका मूल एक्ट है वह हमारे देश का सबसे बड़ा श्रमिक कानून है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अधिनियम के माध्यम से उद्यमी और कामगारों के बीच जो औद्योगिक विवाद खड़े होते हैं उनकी जांच और निस्तारण के पूरे प्रावधान किये गये हैं। मोटे तौर पर कहूं तो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस समझौता अधिकारी की बात की, श्रम कल्याण अधिकारी की बात की, जिस श्रम न्यायालय की बात की, जिस ट्रिब्युनल की बात की उनकी स्थापना का प्रावधान भी इसमें है।

सभापति महोदय, इसी औद्योगिक विवाद अधिनियम, जो मूल अधिनियम है इसके चैप्टर 5(बी) के सैक्शन 25(एम) में प्रावधान किया है कि ले-आफ कब हो सकता है। कच्चे माल का नहीं मिलना, उत्पादन के लिए पर्याप्त आर्डर नहीं मिलना, इन सारी बातों का उल्लेख इसमें किया है कि आधा वेतन देकर ले-आफ किया जा सकता है। मूल अधिनियम के चैप्टर 5(बी) के सैक्शन 25(एन) में अगर उत्पाद और बिक्री का संतुलन बिगड़ जाए और प्रबंधन के पास कोई चारा न बचे कि वह नियोजित श्रमिकों की संख्या में कमी करे, छंटनी का प्रावधान भी इसी में है। 25(ओ) यह कहता है कि सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो क्लोजर करने से पहले उनको क्या-क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे श्रमिकों के लिए, उन सभी का प्रावधान भी है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसी के 5(ए) के सैक्शन 2(आर)(ए) के अन्दर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की बात भी कही गयी है। सभापति महोदय, जिस अधिनियम पर संशोधन की चर्चा हम कर रहे हैं, जिन परिभाषाओं के बारे में माननीय सदस्यों ने कई प्रकार से अपनी टीका-टिप्पणी की है मूल अधिनियम के अन्दर धारा 2 है, उसके अन्दर जो उद्योग की परिभाषा दी है, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कितनी व्यापक परिभाषा है। इस उद्योग के अन्दर सारे कारखाने हैं, व्यापार है, व्यवसाय है, दुकान/वाणिज्यिक संस्थान हैं, आफिस है, सरकारी आफिस है। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर पंजीकृत कारखाने हैं, जो फैक्ट्री एक्ट, 1948 के तहत पंजीकृत हैं उनकी संख्या 13 हजार है और पंजीकृत दुकानें व वाणिज्यिक संस्थान हैं 5,13,628 जो राजस्थान शाप एण्ड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हैं।

सभापति महोदय, यह कानून सेंट्रल एक्ट है यह सही बात है। इस सेंट्रल एक्ट में पहली बार संशोधन नहीं हुआ है। सभापति महोदय, आप तो संसद में विराजे हैं, आर्टिकल 226 के शिड्यूल 7 के अन्दर वह लिस्ट है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार किन-किन विषयों में कानून बना सकती है। यह यूनियन लिस्ट भी है, स्टेट लिस्ट भी है, कंकरेंट लिस्ट भी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कंकरेंट लिस्ट में है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कंकरेंट लिस्ट के अन्दर इसका है। उसी आर्टिकल 254 के परिप्रेक्ष्य में हम यह कानून लेकर आये हैं। इस कानून को मंत्रिमण्डल ने अनुमोदित किया है, विधान सभा में आपकी कृपा से इसका पारण होगा, राष्ट्रपति महोदय के पास हम इसको निश्चित तौर पर भेजेंगे। सभापति महोदय, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत पुराना कानून, 1947 का बना हुआ कानून जिसके बारे में लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी टीका-टिप्पणी की, जिसके लिए कोटा (उत्तर) से आने वाले माननीय सदस्य ने भी की।

सभापति महोदय, वातावरण बदला है, उदारीकरण का जमाना आ गया। उदारीकरण के जमाने में ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट आ गया। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इन सारे पुराने श्रमिक कानूनों और दूसरे कानूनों की एक बार विवेचना हो। नेशनल लेबर कमीशन बना और नेशनल लेबर कमीशन ने रवीन्द्र वर्मा के नेतृत्व में एक कमीशन बना था, 10 सदस्यीय कमीशन था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कब बना था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह 29 जून, 2002 को इस लेबर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी। यह संशोधन है इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बेसिस लिया गया है वह नेशनल लेबर कमीशन जिसकी सिफारिशों के आधार पर व्यापक दौरा करने के पश्चात इस कमीशन ने कुछ सिफारिशें की थीं उन सिफारिशों के आधार पर हम यह अमेण्डमेंट लेकर आये हैं।

सभापति महोदय, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कानून के पीछे सरकार की जो इच्छाशक्ति है राजस्थान में औद्योगिक निवेश के बनते वातावरण में और गति हो और इसमें भी सच्चाई है कि श्रम कानून के अन्दर अगर लचीलापन नहीं होगा तो श्रम कानून की परिधि में आने वाले श्रमिकों के आधार पर जो कारखाने, उद्योग लगने चाहिए उनमें कमी आयेगी और मैं आगे चलकर यह प्रयास भी करूंगा आपके सामने रख सकूं कि किस प्रकार कमी आयेगी। यहां जो संशोधन अभी प्रस्तावित है औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014, उसमें धारा 2 (जी) के सब-क्लाज 3 को विलोपित करने की बात चली जिस पर लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात भी कही। सभापति महोदय, यह औद्योगिक विवाद अधिनियम में यह पहली बार संशोधन हो रहा है ऐसी बात नहीं है, अपने राजस्थान ने 1958 में इसमें संशोधन किया, 1970 में संशोधन किया और 1984 में हमने संशोधन किया। सभापति महोदय, 2 (जी) के सब-क्लाज में 3, जिसमें परिभाषा है और परिभाषा को विलोपित करने की बात इन्होंने कही, सभापति महोदय, राज्य संशोधन अधिनियम, 1958 के द्वारा पूर्व में एक प्रावधान जोड़ा गया था और उसमें जो उद्यमी है, जिसको हम नियोजक कह सकते हैं, की परिभाषा में ठेका श्रमिक के लिए भी मुख्य नियोजक उसी को मान लिया गया और इसको नियोजक समझने का प्रावधान किया।

सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा ठेका श्रमिकों के लिए एक पृथक ठेका श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970 बनाया गया। इसके आने के बाद एक तरह से निष्प्रभावी हो गया पर यह सही है कि यह संशोधन बहुत पहले आ जाना चाहिए था। राजस्थान की सरकार की अपन बात करें तो कितनी बड़ी संख्या में आज संविदा पर, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कितने कर्मचारी, कितने लोग काम कर रहे हैं और अब इनमें से कोई भी खड़ा हो जाए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि सरकार हटाये तो मुझे नियमों के अनुसार कम्पनसेट करो क्योंकि मेरी मुख्य नियोजक तो सरकार है। सभापति महोदय, इस नाते, इस उद्देश्य को लेकर इस डेफिनेशन के अन्दर जो एक संशय था, जो कांट्रैक्ट लेबर है, कांट्रैक्ट लेबर के परिप्रेक्ष्य में उसका नियोजक कौन, इसके लिए यह संशोधन लेकर आये हैं। इसलिए सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसको आगे चलकर और स्पष्ट कर दूंगा और इसी के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों को जोड़कर हम देखें तो धारा 2 (एस) के अन्दर भी जो संशोधन है उसमें श्रमिक की परिभाषा के अन्दर संशोधन है। वो संशोधन इसीलिए है कि इसके अन्दर भी ठेका श्रमिक कौन, यह परिभाषित किया गया है। इसमें भी, सभापति महोदय, केन्द्र सरकार जो 1970 में कानून लेकर आई जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया कि ठेका श्रमिकों के लिए पृथक से ठेका श्रम विनियम एवं उन्मूलन अधिनियम, 1970, उसके बाद 1982 में एक और संशोधन हो गया था। इसलिए यह दोनों जो डेफिनेशन थीं वो अप्रासंगिक हो गई इसलिए इनमें संशोधन लेकर आये हैं।

यहां व्यक्तिगत विवाद उठाने के बारे में समय सीमा की बात कही गई। तीन साल की समय सीमा नहीं निर्धारित की जानी चाहिए थी, पहले भी इसमें समय सीमा निर्धारित है, आपने इस कानून में इसको ठीक नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो समय सीमा है 2 (ए) की उप धारा 3 में इस आशय का प्रावधान है कि व्यक्तिगत सेवा से हटाने के विवाद को तीन वर्ष की अवधि में उठाये जाने पर और 45 दिन में समझौता कार्यवाही पूरी नहीं होने पर सीधा श्रम न्यायालय में जा सकता है, यह अधिकार है जो आपने पढ़कर सुनाया, यह इसी में है और आप सही कह रहे हो। यह उप धारा 4 हमने इसलिए जोड़ी कि उससे व्यक्तिगत सेवा से हटने के विवाद को तीन वर्ष की अवधि में नहीं उठाये जाने पर उसे औद्योगिक विवाद समझा ही नहीं जाएगा। हमने इसलिए इस बात को जोड़ा है। इस प्रकार सभापति महोदय, उप धारा 3 विवाद को सीधे श्रम न्यायालय में उठाये जाने की समय सीमा तय करती है जबकि उप धारा 4 जो संशोधन हम लेकर आये हैं वो विवाद को उठाने की समय सीमा तय करती है। इसलिए यह संशोधन लेकर आये हैं। सभापति महोदय, होता क्या है कि जब ये इस प्रकार के डिस्प्यूट होते हैं और प्रकरण श्रम न्यायालय और श्रम कल्याण अधिकारी के पास वर्षों तक नहीं जाते हैं तो इसमें जो कारखाना मालिक है उसके मन में तो यह बात रहती है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि चूंकि अब विवाद की लिमिटेशन तो इसमें है नहीं और जनरल क्लाजेज के बारे में, जिस नियम के बारे में कहीं और नियम नहीं हैं वहां जनरल क्लाजेज के नियम लागू होते हैं उसमें भी प्रावधान हैं, समय सीमा उसमें भी तय कर रखी है। जब इसमें समय सीमा आज की तारीख में है नहीं तो नियोजक तो यह समझता है कि जो मैंने हटाये हैं वो कभी भी जाकर यह कहेंगे और कोई भी सक्षम न्यायालय अगर आदेश दे देगा तो आपको वापस रखने पड़ेंगे और वापस रखे तो उसके लिए सोचता है कि मैं यहां रिक्त पद रखूं या नहीं रखूं। सभापति महोदय, हरेक चीज की आजकल लिमिटेशन है, समय बदला है, आजकल मैन्युअल काम कम हो गये और अगर समय पर कोई विवाद नहीं उठायेगा, तीन साल का समय छोटा समय नहीं है तो वो व्यक्ति भी सोचेगा कि मेरे पास समय है, मैं कभी भी विवाद उठा लूंगा, मुझे वापस मिल जाएगा तो वो भी कोई दूसरा काम नहीं देखेगा, इस दृष्टि से इसको लेकर आये हैं।

सभापति महोदय, एक संशोधन जो इसमें हम लेकर आये हैं धारा 9 (सी) चैप्टर सैकण्ड में, यह तो रीनम्बरिंग का है। क्योंकि 1958 में एक संशोधन लेकर आये थे और उसमें 9 (सी) के रूप में उस संशोधन को इंद्राज किया था इस एक्ट में, केन्द्र सरकार एक संशोधन ले आई, केन्द्र सरकार ने भी जब संशोधन किया तो उन्होंने भी इसको इन्सर्ट किया और उसके कारण से यह कोई एक-दूसरे पर ऐसा नहीं लगे कि एक ही संशोधन तो राजस्थान में हमने किया और उसी धारा में दूसरा संशोधन केन्द्र सरकार का आ गया, मन्तव्य अलग-अलग थे इसलिए हमने इसको 9 (सी) करके रीनम्बरिंग का नाम दिया है और इसमें कोई लम्बी बात नहीं है।

सभापति महोदय, यहां बात उठी कि धारा 9 (डी) में प्रतिनिधि यूनियन के आवेदन करने के लिए श्रमिकों की संख्या 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत हमने क्यों की? सभापति महोदय, यह जो प्रिंसिपल एक्ट है 1947 का, इसमें कहीं भी प्रतिनिधि यूनियन का उल्लेख नहीं है। हां, यह सही है कि 1958 में राजस्थान की सरकार जो संशोधन लेकर आई थी 9 (डी) के अन्दर, उसमें यह प्रावधान किया था कि 30 प्रतिशत जो कामगारों की संख्या जिस यूनियन के साथ होगी वो प्रतिनिधि यूनियन मानी जाएगी। इसमें 9 (डी) के अन्दर आज भी किसी एक औद्योगिक संस्था में 6 संगठन प्रतिनिधि यूनियन आवेदन के लिए पात्र हैं। सभापति महोदय, हो क्या रहा है कि यूनियनों की आपस की प्रतिस्पर्द्धा, इंटरनल लेबर यूनियन के डिसफ्यूट, ये होने से एक तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कलैक्टिव बार्गेनिंग जो नियोजक के साथ ये कर सकते हैं उसमें कमी होती है और दूसरा वर्चस्व किसका बढ़े इसके कारण औद्योगिक उत्पादन पर भी असर पड़ता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपस में हिंसा होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारे इस सदन में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माननीय सदस्य ने इसका समर्थन कर दिया तो इस पर कुछ कहने की बात नहीं है पर मैं एक बात जरूरी कहना चाहूंगा...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो कुछ बाद में कहूंगा परन्तु यही स्थिति है। यूनियन्स के चक्कर में गुड़गांव का मारुति सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या हुआ था मारुति के अन्दर गुड़गांव में? आपके सामने है। राजस्थान में ऐसे किस्से तो नहीं हुए पर कुछ साल पहले अलवर का मत्स्य इण्डस्ट्रियल एरिया इन यूनियन के झगड़ों की वजह से बन्द हुआ। आज वहां की 90 प्रतिशत इण्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हुई हैं। आपके सामने है, धर्मपालजी को मालूम होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, जो यह इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट एक्ट, 1947 है इसमें एक वर्क्स कमेटी का भी प्रावधान कर रखा है। इस वर्क्स कमेटी में नियोजक और कामगार, इनके बराबर के प्रतिशत में वर्क्स कमेटी में बैठकर नीतिगत निर्णय लेते हैं। परन्तु इसमें प्रतिनिधि यूनियन के लोग ही इस वर्क्स कमेटी में आयें यह जरूरी नहीं है। होता यह है कि उद्यमी अपनी मर्जी से 4-5 नाम लिख लेते हैं। जब यह सारी बात सामने आई तो हम बड़ी गम्भीरता से विचार करते हैं और जब मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में आया कि वर्क्स कमेटी में जो प्रतिनिधि यूनियन है, प्रतिनिधि यूनियन वो जो 30 प्रतिशत कामगारों का विश्वास अर्जित रखती है, लोकतंत्र में जो ज्यादा लोगों का विश्वास जीतता है, आपने ज्यादा लोगों का विश्वास जीता, आपने सरकार बनाई तो जो प्रतिनिधि यूनियन 30 प्रतिशत कामगारों का विश्वास जीते हुए हैं उस प्रतिनिधि यूनियन के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। यह हम विचार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका संशोधन भी आवश्यकता पड़ने पर हम जल्दी ही लायेंगे। सभापति महोदय, 25 (क) जिसके बारे में यहां पर लूणी और कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बात कही....

अगर इसके मूल नियम 1947 को देखें तो इसके चैप्टर 5(बी) में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसका उल्लेख मैंने पहले किया, की धारा 5(एन) में नियोजक को ले-आफ करने का अधिकार है, उसके ऊपर दिया है। फिर 5(बी) में छंटनी का अधिकार है, फिर 25(ओ) में क्लोजर का अधिकार है।

सभापति महोदय, पूर्व में सरकार से अनुमति इनको लेनी पड़ती थी चाहे छटनी करो, चाहे ले-आफ करो, चाहे क्लोजर करो, 100 या 100 से अधिक श्रमिक हो। सभापति महोदय, मैं एक आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। राजस्थान में इस समय फैक्ट्रीज एक्ट के तहत 13,014 फैक्ट्रीज हैं, जिनमें इस समय काम कर रहे हैं 7,32,048 कामगार। अब इसकी केटेगरी पढ़कर सुना रहा हूं। 0-99 तक कामगार जहां काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्रीज की संख्या 11,464 और उनमें 3,22,353 कामगार काम कर रहे हैं। 100-199 तक कामगार जहां काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्रीज की संख्या है सिर्फ 987 और उनमें 1,11,351 कामगार काम कर रहे हैं। 200-299 तक कामगार जहां काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्रीज की संख्या है 307 और उनमें 71,604 कामगार काम कर रहे हैं। 300 से ज्यादा कामगार जहां काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्रीज की संख्या 256 हैं और कामगारों की संख्या 2,26,000 है। यानी 100 से कम राजस्थान के अन्दर श्रमिक संख्या वाली फैक्ट्रीज 90 प्रतिशत हैं और 10 प्रतिशत के अन्दर ये सारे आ जाते हैं। अब हो क्या रहा है। अगर हम वस्तुस्थिति में देखें तो वह नियोजक 99 तक रजिस्टर्ड कामगारों की संख्या रखता है और उसके बाद ठेकेदार को कह देता है कि तू ले आ। बिचौलिया ठेकेदार खड़ा हो जाता है, कांट्रेक्ट बेसिस के आधार पर वह लेबर को एंगेज करता है। लेबर को पूरा दाम मिलता नहीं, बीच में वह अपना पैसा कमाता है। मैं समझता हूं कि कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए और यह सारी बातें, हमने एकाएक इस कानून में संशोधन करके और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दिया और 300 तक की संख्या बढ़ाकर हमने कारखाने के मालिकों का कोई पक्ष ले लिया, ऐसी बात नहीं है।

सभापति महोदय, राष्ट्रीय श्रम आयोग है, उसकी 19 जून, 2002 की रिपोर्ट मैं लेकर आया हूं। आप कहो तो मैं टेबल कर दूंगा। उसमें यह सिफारिश की गई थी कि कामगारों की संख्या इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत 100 से बढ़ाकर 300 की जाये। इसके अलावा यह अधिकार आज भी इस कानून में सरकार के पास सुरक्षित है। औद्योगिक अशांति, उत्पीड़न हो तो सरकार के पास यह अधिकार है कि किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में चैप्टर 5(बी) के प्रावधान के अनुसार उस संख्या को 300 से कम करके 100 भी कर सकता है। यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)
आज डिस्क्रिशन सरकार के पास है इसलिए इसमें किसी तरह का कोई संशय माननीय सदस्यों को नहीं रहना चाहिये।

सभापति महोदय, यहां 25(एन) की उपधारा-1(ए) की उपधारा-9 में संशोधन कर छंटनी के लिए श्रमिकों को नोटिस देना आवश्यक करने के साथ तीन महीने की मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान करने के लिए संशोधन लेकर आये हैं। सभापति महोदय, दो विकल्प हैं। इस इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मुझे छंटनी करनी है तो दो विकल्प मेरे पास हैं। मैं अगर कारखाने का मालिक हूं, एक तो मेरे पास यह विकल्प है कि मैं तत्काल इसको नोटिस भी नहीं दूं और बुलाकर कहूं कि अपना तीन महीने का वेतन ले और चल। दूसरा विकल्प मेरे पास यह है कि तीन महीने का नोटिस देकर, नोटिस की अवधि पूरी होने पर उसको निकाल दूं। एक पैसा भी उसको नहीं मिले। यह अभी वर्तमान में है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 15 दिन का है मेरे हिसाब से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब जो संशोधन हम लेकर आये हैं, इसमें तीन महीने के नोटिस का तो बाध्यकारी कर ही रहे हैं, वह तो उसको देना ही पड़ेगा। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा सदन में, पर तीन महीने की अतिरिक्त मजदूरी भी उसको देनी पड़ेगी। यह एक तरह से श्रमिकों के हित के लिए हम लेकर आये हैं। तीन महीने का नोटिस भी देना पड़ेगा और तीन महीने की सैलेरी भी देनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, यह 25(ओ) क्लोजर का है। इसमें सैक्शन-8 में हम लेकर आये हैं। इसमें माननीय सदस्य कह रहे थे कि मौजूदा प्रावधान है। यह भी राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश पर हम लेकर आये हैं। इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 का चैप्टर 5(बी) है, उसकी धारा 25(ओ), उसमें एक वर्ष के 15 दिन औसत मजदूरी देने का वर्तमान में प्रावधान है। जितनी उसने नौकरी की एक साल में, एक साल में 15 दिन में जितना उसका वेतन बनता है, वह दो और उसको रवानगी करो। अब इसके साथ में हम एड कर रहे हैं संशोधन के माध्यम से, वह मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी, उसके साथ तीन महीने की मजदूरी और देनी पड़ेगी। इसके अन्दर भी यह जो संख्या 300 की है। अगर पर्याप्त आधार हो तो इसके अन्दर भी चैप्टर पांच में 300 से संख्या 100 करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित है।

सभापति महोदय, पहली बार पांचवीं अनुसूची पार्ट-सैकण्ड में पेरेग्राफ-5 में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसमें गो-स्लो की बात कही है। गो-स्लो को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परिभाषित किया गया है और मैं समझता हूं कि आज के समय में कभी पैन-डाउन हड़ताल, कभी कम काम करने की बात, यह सारी बातें हैं। इसलिए यह बहुत बड़ी आवश्यकता थी और इसके परिभाषित नहीं होने के कारण इस प्रकार के मामलों में निस्तारण की भी दिक्कत आ रही थी।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने धारा 2(ए) की उपधारा-3 में जो बात कही। इस आशय का प्रावधान है कि, जिस तरह मैंने व्यक्तिगत सेवा से हटाये जाने के बारे में पहले निवेदन किया। व्यक्तिगत सेवा से हटाये जाने के विवाद को तीन वर्ष की अवधि में उठाये जाने पर और 45 दिन में उस पर कार्यवाही नहीं करने पर, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोर्ट में जाने का प्रावधान पहले था। उसके लिए धारा-4 में संशोधन लाकर हमने उसको कहा कि आपको जो कुछ करना है, तीन वर्ष की अवधि में करना पड़ेगा। उसमें आप थोड़ा पूरा पढ़ लेते आगे से तो सारी बात सामने आ जाती।

यह 2(जी) में नियोजक को परिभाषित किया गया है। उसके बारे में आपने कहा। धारा 2(जी) में खण्ड-3, राजस्थान संशोधन अधिनियम, 1958 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पहले ही संशोधन हो चुका था। इस प्रावधान द्वारा ठेका श्रमिकों के लिए संस्थान के स्वामी, मुख्य नियोजक को नियोजक समझे जाने का प्रावधान किया गया था और 1970 में जिस तरह मैंने पहले आपसे निवेदन कर दिया कि अलग से भारत सरकार कानून ले आई, इसलिए अप्रासंगिक हो गये थे। इसलिए इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं।

मैं समझता हूं कि यह जो गो-स्लो के बारे में कहा, कौन तय करेगा। गो-स्लो के मामले को सुनने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा पूरे तथ्यों पर गौर करके निर्धारण किया जायेगा।

सभापति महोदय, मैंने कोशिश की कि मैं सभी माननीय सदस्यों की बात का जवाब दूं। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, धारा 25(एन) में नोटिस के प्रावधान को हमने समाप्त कर दिया। नोटिस की कोई अवधि होनी चाहिए, इसके बारे में अपनी बात कही।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, 25(एन)(1) में जो संशोधन कर रहे हैं, उसका आशय यह था कि वर्तमान में छटनी किये जाने वाले श्रमिकों को तीन माह का नोटिस अथवा नोटिस की अवधि की मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है। संशोधन द्वारा छंटनी के मामले में श्रमिकों को तीन माह का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नोटिस दिया जाना अनिवार्य किया गया है और नोटिस अवधि की मजदूरी देकर, बिना समय दिये छंटनी करने के विकल्प को समाप्त किया गया है। इसलिए सभापति महोदय, अंत में मेरा इतना ही कहना है कि जिस प्रकार की परिस्थिति राजस्थान में है और जिस प्रकार की मंशा माननीय मुख्य मंत्रीजी की है, राजस्थान जिसके माथे पर पिछड़े राज्य का कलंक लगा है, राजस्थान ने छलांग लगाना प्रारम्भ किया है। छोटे से कार्यकाल के इस खण्ड में जब से यह सरकार आई है, एक निवेश का वातावरण बना है। अभी जो नोर्थ समिट हुई है दिल्ली के अन्दर, कई बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने यह सोचकर कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बना है, निवेश के लिए रुचि दिखाई है। भारत सरकार के सामने भी बड़ी कम्पनियों के मैमोरण्डम गये हैं, उनमें भी 3,000 करोड़ से ज्यादा के मैमोरण्डम हैं। राजस्थान के अन्दर औद्योगिक वातावरण और उसके साथ श्रमिक और कामगार और नियोजक, इन सबके सम्बन्ध अच्छे रहें, श्रम कल्याण के लिए राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत हो, इस आशय को लेकर यह संशोधन लेकर आये हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरी इन सारी बातों के जवाब के बाद इस विधेयक को पारित किया जाए और सलेक्ट कमेटी का जो संशोधन है उसको अस्वीकार किया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय एक बात का जवाब दें। आप जिस औद्योगिक वातावरण की बात कह रहे हैं ये बिल तो आप अभी लाये हैं। माननीय वसुंधराजी की पिछली सरकार में 2003 से 2008 में 1 लाख 61 हजार करोड़ का विनियोजन आ गया था। क्या इस एक्ट की जरूरत पड़ रही थी विनियोजन के लिए? विनियोजन सरकारों की नीति से और सरकारों की गतिविधि से आता है और सरकारों के द्वारा जो संदेश औद्योगिक घरानों को दिया जाता है और जो विश्वास उनमें पैदा किया जाता है उसके आधार पर आता है। संशोधन होने से कोई विनियोजन हो जाएगा ऐसा नहीं समझें। मेरा निवेदन यह है कि आप सैक्शन-2 जो विधेयक का है औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2014 खण्ड-(छ) का विद्यमान उप-खण्ड (3) हटाया जायेगा। आप अनर्थ कर रहे हैं इस तीन को हटाकर के। आपको यदि यह समझाया जा रहा है कि इस खण्ड (3) को हटाने से, आप इसको पढ़ें खण्ड (3) को। खण्ड (3) में जब किसी उद्योग का स्वामी, उद्योग के संचालन के दौरान या उसके प्रयोजनार्थ

(श्री मानिक चन्द सुराना)

किसी सम्पूर्ण कार्य या उसके किसी भाग के, जो साधारणतः उस उद्योग का भाग है, मैं यहीं तक पढ़ता हूं और मैं कहता हूं आप यह लाइनें हटाइए। भले ही किसी संविदाकार द्वारा या उसके अधीन निष्पादन के लिए, किसी व्यक्ति के साथ संविदा करता है, तो उद्योग का स्वामी, उद्योग का स्वामी निजी प्राइवेट एंटरप्रिन्योर को तो आपको नियोजक रखना ही पड़ेगा और यदि आप हटा देते हैं तो नियोजक में एक भारत सरकार है, एक राजस्थान सरकार है, एक लोकल अथोरिटी है। नियोजक में प्राइवेट एंटरप्रिन्योर चला ही गया, निकल ही गया। यानी प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर निकल गया तो विवाद किससे? प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर ही नहीं है, वो नियोजक की परिभाषा में ही नहीं है तो फिर नियोजक कौन है, हवा है क्या, जिसके द्वारा उद्योग चलाया जा रहा है। आप इस पर पुनः गम्भीरता से विचार कर लें कि यह नियोजक को हटाकर के आप अनर्थ करेंगे। नियोजक की परिभाषा में तीन लाइनें जो मैंने पढ़ी हैं किसी संविदाकार द्वारा या उसके अधीन निष्पादन के लिए, किसी व्यक्ति के साथ संविदा करता है इनको हटा दीजिए। कान्ट्रैक्ट लेबर से यदि ये कवर्ड हैं तो इन लाइनों को हटा दीजिए। पर नियोजक तो किसी न किसी को रखिए यह मेरा निवेदन है। मुझे कोई जिद नहीं है सभापति महोदय, धारा-2 (क) में जो आपका संशोधन है जो तीन वर्ष का प्रावधान पहले से है। आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, आप रिपीट करें। यानी पहले से ही प्रावधान है और उसी को रिपीट करना है अपने को किसी न किसी भाषा में, किसी को संतोष देने के लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मूल बात यह है राजस्थान में 13 हजार फैक्ट्रीज आपने बताईं। मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि 300 की सीमा फ्रेश हाल्ड रखने से कितनी फैक्ट्रीज, अभी जो आपने 13 हजार फैक्ट्रीज बताई हैं उसमें से कितनी फैक्ट्रीज 300 की परव्यू में आएंगी और कितनी निकल जाएंगी? आपने खुद ने कहा है कि 11 हजार 414 फैक्ट्रीज हैं उसमें 0 से 99 लोग हैं तो कितनी फैक्ट्रीज इस परव्यू से निकल रही हैं यह हमको जरा बता दें ताकि मैं विथड्रा कर लूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि यह जो धारा-2 के अन्दर श्रमिक को परिभाषित किया है और एम्प्लायर को परिभाषित किया है, 1958 में जो राज्य संशोधन आया था ठेका श्रमिक और संस्थान के स्वामी के बारे में, उस समय 1970 का पार्लियामेंट द्वारा ठेका श्रमिक के सम्बन्ध वाला कानून सामने नहीं था इसलिए इस परिभाषा को रखा गया था। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है और आपने पूछा कि 300 से ज्यादा श्रमिक, इन फैक्ट्रियों की संख्या हैं सिर्फ 266 और 2 लाख 26 हजार 740 इनमें मजदूर काम कर रहे हैं। 300 से ज्यादा श्रमिक जिनमें पंजीकृत काम कर रहे हैं उन फैक्ट्रियों की संख्या है 266 और उनमें श्रमिक काम कर रहे हैं 2 लाख 26 हजार 740 सभापति महोदय, पहले ही 90 फीसदी कारख़ानों में किसी न किसी तरीके से 100 से कम लेबर को इसलिए एंगेज किया गया कि इस कानून की परिधि में नहीं आये। आज भी प्रायोगिक रूप से जो हो रहा है हम उसको एक तरह से कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं, हम खुद क्यों नहीं ऐसे क़ानूनों में संशोधन करें कि यथार्थ के साथ आंख मिलायें। क्यों लोगों को परहित करे कि किसी न किसी दूसरे तरीके से आकर इस तरह के कानून के परदे से बचने की कोशिश करें। इसलिए सभापति महोदय, मेरा आग्रह है आपसे कि कृपया औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2014 को पारित किया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैं मेरा संशोधन माननीय मंत्रीजी के सदभावनापूर्ण वक्तव्य के बाद वापिस लेता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री मानिक चन्दजी सुराना ने विधेयक को प्रवर समिति के निर्दिष्ट किए जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

प्रश्न यह है कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक का विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 से 10- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 10 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 एवं 10 स्वीकार किए गए।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: यदि कोई सदस्य बोलना चाहे तो? प्रश्न यह है कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक-2014 पारित किया गया।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

प्रभारी मंत्री।

विधेयक पर विचार

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री प्रहलादजी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 आज सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत है। इस विधेयक के माध्यम से जो केन्द्रीय अधिनियम है, में राज्य का विधान मण्डल संशोधन करके और राजस्थान...

श्री सभापति: एक मिनट माननीय सदस्य, क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह विचारार्थ नहीं लिया गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): केन्द्रीय इस मूल अधिनियम में संशोधन करके नियम बनाकर उसको विधेयक की शक्ल में पारित कराने के लिए सदन में सरकार ने पेश किया है। और ये कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय अधिनियम की धारा-1 की उप धारा-4 में ऐसे प्रत्येक संस्थापन पर लागू होता है जिसमें बीस या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित थे। यानी जिस संस्थान में बीस श्रमिक या उससे अधिक काम कर रहे हैं उस पर ठेका श्रम अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम के तहत लागू होता है और यह संस्थान के साथ-साथ ऐसे प्रत्येक ठेकेदार पर भी लागू होता है जो बीस या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन के लिए इससे अधिक कर्मकार किसी संस्थान में ठेके के माध्यम से नियोजित किये हों और इस संशोधन के माध्यम से केवल हम बीस के स्थान पर पचास या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक नियोजित करने का प्रावधान कर रहे हैं जो ऐसे प्रत्येक संस्थान पर लागू होगा जिसमें पचास या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित या पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन नियोजित हों और प्रत्येक ठेकेदार पर भी लागू होता है जो पचास या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या इससे पूर्ववर्ती बारह मासों में किसी भी दिन पचास या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किये थे।

माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन से श्रमिक ठेका पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। कोई भी नियोजक अपने संस्थान में ठेका श्रम अधिनियम की पेचीदगियों से बचने के लिए अगर पचास से कम लेबर लेगा तो निश्चित रूप से ठेकेदार के माध्यम से लेगा। औद्योगिक वातावरण बनेगा, कानूनी पेचीदगियां उद्योग लगाने वालों के सामने दूर होंगी। ये सब बातें ठीक हैं। नियोजक अपने आधार पर अपने व्यवसाय की सुविधा के अनुसार ठेकेदार के माध्यम से कर्मकार रख सकेगा लेकिन माननीय सभापति महोदय, जो पचास की सीमा के नीचे कर्मकार काम कर रहे हैं जब वो पचास की सीमा में आ जाएगा और उसके साथ किसी भी प्रकार का विवाद होता है इनजस्टिस होता है तो भारत

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के इस ठेका श्रम अधिनियम, 1970 के तहत उसको लिबर्टी मिलेगी। लेकिन अगर वो पचास से कम है तो पचास से कम संख्या में जो श्रमिक किसी भी कारखाने में काम कर रहा है उसको ठेका श्रम अधिनियम के कानूनों के नियम का लाभ नहीं मिल पाएगा। क्या गारंटी है माननीय सभापति महोदय, एक कारखाना संचालित हो रहा है और दो ठेकेदारों से 49-49 व्यक्ति काम में ले रहा है, कारखाना तो पचास लेबर काम करने के बाद जो कानूनी प्रभाव लागू होते हैं उससे कवर हो जाएगा लेकिन जो नीचे दो ठेकेदार 49-49 की लेबर लेकर काम कर रहे हैं उन ठेकेदारों को आपने इस सैकण्ड धारा-2 के खण्ड-ड के उपखण्ड-1 और 2 में जो संशोधन किया है माननीय सभापति महोदय, बीस

(15.54 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

की जगह पचास और ये नियोक्ता पर भी लागू होगा और ठेकेदार पर भी लागू होगा। मंशा ठीक है माननीय सभापति महोदय, लघु उद्योगों का विनिर्माण और क्रियाकलाप राजस्थान में बढ़ेगा और दस-बीस की न्यूनतम सीमा रेखा में संशोधन के बाद बीस और चालीस जो आपने प्रस्तावित किया है उससे रोजगार के अवसर भी अधिक सृजित होंगे लेकिन हमने ये सब करने के बाद उस श्रमिक के रोजगार के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई गारंटी के प्रावधान इस एक्ट में नहीं दिये। माननीय सभापति महोदय, जहां पचास की सीमा से कम किसी ठेकेदार या नियोक्ता के पास वर्षों से कोई लेबर काम कर रही है और किसी भी कारण से उसको घर बैठा दिया गया तो एक तरफ तो आप औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रस्तुत करते समय यह कह रहे हैं कि उसके कुछ अंश ठेका श्रम अधिनियम पारित होने के कारण निष्प्रभावी हो गये इसलिए उनको हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ ठेका श्रम अधिनियम में हम जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके हक अधिकार को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। औद्योगिक वातावरण और कारखाने अधिक लगें, ज्यादा से ज्यादा नियोजन हो इसके लिए ठेका श्रम अधिनियम पारित किया जाना निश्चित रूप से आवश्यक है लेकिन इसमें इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि ठेके का श्रमिक उसके साथ अगर कोई अकारण अन्याय होता है, अकारण निकाल दिया जाता है, जब छंटनी में आप तीन महीने का वेतन देते हैं तो कोई न कोई लिबर्टी का कानून में प्रावधान किया जाना चाहिए। अन्यथा यह प्रैक्टिस सामान्यत: बन जाएगी कि कोई भी कारखाना लगेगा चालीस मजदूर, 49 मजदूर डिप्लाय करेगा और ठेका श्रम कानून से बचने का प्रयास करेगा। विधेयक की मंशा पारित करते

(श्री प्रहलाद गुंजल)

समय सरकार की मंशा ठीक है। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनना चाहिए। लोगों को बीस से बढ़ा कर 49 करेंगे तो अधिक एम्प्लायमेंट नियोक्ता देने का प्रयास करेगा इन सारी बातों के बाद भी हमें उन सारी पेचीदगियों से बचने के लिए एक कारखाना दो ठेकेदारों से चालीस-चालीस लेबर ले रहा है, कारखाना तो आपके इस प्रावधान के तहत कवर हो जाएगा उसके अस्सी आदमी काम कर रहे हैं लेकिन आपने इस अधिनियम के सैकण्ड पैराग्राफ में जो दिया है कि प्रत्येक ठेकेदार पर भी लागू होता है। अब जब ठेकेदार पचास देगा ही नहीं, चालीस देगा और वो दो अलग-अलग मिलकर दे रहे हैं, दो अलग-अलग फर्मों के नाम से दे रहे हैं एक ही ठेकेदार अपनी दो अलग-अलग फर्मों से। उसको चैक लगाने के लिए, ठेकेदार पर चैक लगाने के लिए, इंडस्ट्री पर तो चैक लगेगा एक ठेकेदार की दो फर्मों से चालीस-चालीस आदमी जा रहे हैं। इंडस्ट्री में अस्सी लोगों की एन्ट्री हो रही है। इंडस्ट्री पर तो ऐसे संस्थापन पर तो लागू हो जाएगा ये लेकिन ऐसे ठेकेदार पर कैसे लागू होगा जो अपनी दो फर्मों से चालीस-चालीस दे रहा है? इस पर भी चैक लगाने के बारे में निश्चित रूप से कोई न कोई प्रावधान तय किया जाना चाहिए और ऐसे में अगर कोई ठेकेदार श्रमिक को निकालता है या अन्याय करता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के प्रावधान भी निश्चित रूप से किये जाने चाहिए। संशोधन वाजिब है, रोजगार बढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वातावरण बढ़ेगा। नियोक्ता और ठेकेदार निश्चित रूप से ठेकेदारी प्रथा पनपेगी। लीगल डिस्प्यूट्स में भी कमी आएगी। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन से मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने इस बिल पर मेरे को अपनी बात कहने का अवसर दिया। कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है और वास्तव में शंका लगती भी है उस ओर मैं ध्यान दिलाऊंगा। इस विधेयक में जो अमेंडमेंट किया गया है वो लेबर की संख्या को लेकर के कम या ज्यादा किया गया है। इस बात के लिए हम सब सहमत हैं कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण बनना चाहिए। ठेकेदार को, एम्प्लायर को, एम्प्लाई को, एंटरप्रिन्योर को, विवाद कम से कम होने चाहिए। एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए जिससे औद्योगिक प्रोत्साहन मिले और जो कामगार या एम्प्लाई हैं उसके हितों की

(श्री जोगाराम पटेल)

सुरक्षा होनी चाहिए। पिछले दस सालों से जैसा वातावरण संसार के विभिन्न भागों में बन रहा है, राजस्थान और भारत के विभिन्न भागों में बन

(16.00 बजे)

रहा है। धीरे-धीरे मशीनी युग आ रहा है। एक जमाने में हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक हुआ करती थी, आज हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या दिनों-दिन कम होती जा रही है, मशीनें आ रही हैं। किसी भी उद्योग में जाए, किसी भी कान्ट्रैक्टर के पास जाएं, उसको अगर 500, 700 या 1000 फीट की कोई खाई खोदनी थी तो वह लेबर लगा रहा था लेकिन आज वह एक जेसीबी मशीन लगा देता है, तो कम से कम 200 आदमियों का काम एक मशीन कर लेती है। इस अधिनियम में प्रोविजन को लाने से पहले हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्या इससे हम किसी का कोई हित कर रहे हैं या आने वाले समय में कोई विवाद बनने की सम्भावना? जिस मूल भावना से इस एक्ट को लाया गया है वह बिलकुल सही है। हमारा कमिटमेंट है कि हमारे राजस्थान में उद्योग बढ़ें। उद्योगों पर विवाद कम हो। जो रोजगार दे रहा है और जो रोजगार ले रहा है, दोनों के हितों की सुरक्षा हो। लेकिन मेरी यह शंका है जो मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी के सामने, सरकार के सामने रखना चाहता हूं, कि हम एम्प्लाई की जैसे तैसे व्यवस्था कर रहे हैं कि उसके साथ कम से कम विवाद हो, उसके साथ औद्योगिक विवाद कम हो, तो क्यों नहीं उसके साथ हम इस बात को भी ध्यान में रखें कि क्या संख्या कम कर देने से 50 की जगह 20 कर देने से या 20 की जगह 50 कर देने से, जो रोजगार दे रहा है वह इसका नाजायज फायदा तो नहीं उठा लेगा? धीरे-धीरे उसको संख्या से कम लाना है, 49 आदमी रखकर वह इस एक्ट से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद उस परिस्थिति का विचार करें, मेरे विचार से परिस्थिति आ सकती है कि यदि 49 आदमी किसी के पास काम कर रहे हैं, और 5-10 जेसीबी हैं, 5-7 डम्पर हैं, और कोई मशीने हैं, उसका बहुत बड़ा अपना साम्राज्य है, पर वह किसी भी लेबर को, किसी भी जगह, किसी भी क्षण निकाल सकता है। कोई उसके हित की सुरक्षा होने वाली नहीं है। उस परिस्थिति पर विचार करें। मैं इस बात को मानता हूं कि इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो प्रोवीजन किए गए हैं वह बिलकुल ठीक है, आज उसकी आवश्यकता है। औद्योगिक

(श्री जोगाराम पटेल)

वातावरण ठीक करने के लिए इस एक्ट की भी आवश्यकता है। आज की जो परिस्थिति है, जो मशीनी युग है, उस मशीनी युग के परिप्रेक्ष्य में विचार करना पड़ेगा। मशीनी युग के परिप्रेक्ष्य में विचार करें, मान लीजिए किसी आदमी के पास 100, 200, 500 ट्रक हैं और वह एक ही कम्पीटिशन में रखता है कि आपको आठ दिन का काम करना है और 49 आदमियों से वह 100 ट्रक चलवाता है तो यह एक्ट है वह इससे बाहर निकल जाएगा। एक आदमी के पास रोड का बहुत बड़ा कान्ट्रैक्ट है और उसके पास बहुत बड़ी मशीनरी है, सारी मशीनरी से वह 49 आदमियों से काम करवाता है तो वह इस एक्ट से बाहर निकल जाएगा। एक आदमी के पास उत्पादन की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है और वह 49 आदमी रखता है तो इससे बाहर निकल जाएगा।

ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने आ सकते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस विषय में एक बार गम्भीरता से विचार किया जाए कि क्या यह संख्या कम करनी, संख्या बढ़ानी, किसी भी रूप में वाजिब है कि नहीं है? मूल एक्ट में और इस एक्ट में 20 की जगह 50 का फर्क किया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की धीरे-धीरे महत्ता बढ़ रही है। आज की तारीख में ज्यादातर कान्ट्रैक्ट लेबर आ रहे हैं। इसलिए यह एक्ट आना बहुत जरूरी है। राजस्थान में जिस भावना से बजट में प्रोवीजन लाए गए हैं उस भावना से भी जरूरी है। मेरा तो यह मानना है कि ऐसी संख्या 20 से सीधे दुगनी से थोड़ी कम, एक बार विचार करें कि इससे क्या अपने कामगारों के हितों पर कोई सुरक्षा होगी। मेरा ऐसा मानना है कि इसका नाजायज फायदा कुछ बड़े घरानों के ठेकेदार, कुछ बड़े-बड़े ठेकेदार, कोई उद्यमी उठा सकते हैं। जो आपका एम्स एंड आब्जेक्ट है वह बिलकुल वाजिब है। एम्स एंड ओब्जेक्ट में आपने जो भावना दर्शित की वह बिलकुल सही है कि लघु उद्योग पनपें। हम सब चाहते हैं कि लघु उद्योग पनपे। लघु उद्योग पनपेगा तभी हमारे देश का, राजस्थान का विकास होगा। लघु उद्योग पनपाने के लिए हम यह भी ध्यान रखें कि हमारा लघु उद्योग को पनपाने वाला जो लेबर फोर्स है वह कम नहीं हो। यदि हमारा लेबर फोर्स कम हो गया तो, लेबर फोर्स के मन में यह शंका हो गई कि मेरे हितों की कहीं सुरक्षा नहीं होने वाली है, मजदूरी के लिहाज से,

(श्री जोगाराम पटेल)

रोजगार अवधि के लिहाज से, परिवार की सुरक्षा नहीं के लिहाज से, होने वाले एक्सीडेंट के लिहाज से, भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से, इंश्योरेंस के प्रोविजन है उसके लिहाज से, उसकी एक संख्या कम कर देने से सारे के सारे प्रोविजन बाहर निकल जाएंगे। उसकी एक संख्या बढ़ाने से यह प्रोविजन लागू हो जाएंगे। इसलिए इस संख्या को मात्र नहीं करके ऐसा कोई प्रोविजन बनाया जाए, हालांकि सरकार किसी भी वक्त गजट नोटिफाई करके इस प्रोविजन को लागू कर सकती है। लेकिन श्रीमान, वह गवर्नमेंट के पास जाए, अपनी लड़ाई लड़े, उसके बाद जाकर कब उसको न्याय मिले? इसलिए मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस वर्तमान मशीनरी युग को ध्यान में रखते हुए 20 की जगह 19 करने का काम करें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय बाबूलालजी ने मेरे को नमस्कार किया, मैंने नमस्कार किया, वह यह समझे कि मुझे यह कह रहे हैं कि कम बोलो। आप बोल सकते हो।

श्री सभापति: नहीं, यह कब से परिभाषित हुआ कि नमस्कार करने के बाद में आदमी कम बोलेगा।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुस्कराकर उन्होंने कहा मैं कम कर रहा हूं इसलिए उनके इशारे की वजह से मैं बोला हूं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैंने तो इशारा यह किया है कि आप कामगार की तरफ, आप उसके बहुत हितैषी हो, जो डाउन साइड से आता है उसकी हमेशा पैरवी करते हो। आप हमेशा उस छोटे आदमी की पैरवी करते हो, आप हमेशा उसके हितों की रक्षा करते हो। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद आपके ध्यान में नहीं आया, देखा ठीक ही है, यह तो राजस्थान के हितों के लिए है। हम सब चाहते हैं कि राजस्थान का विकास हो, औद्योगिक वातावरण बने, लघु उद्योग को प्रोत्साहन मिले, एम्प्लाई और एम्प्लायर दोनों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन एक बार आप विचार करें, मशीनरी युग को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, दिनों-दिन मशीनें और आएगी। मशीनें कम नहीं होंगी, मशीनें दिनों-दिन और आएगी। मशीनें अधिक आएंगी और मशीनें अधिक आने की वजह से जो प्रोब्लम पैदा होगी उसको ध्यान में

(श्री जोगाराम पटेल)

रखते हुए मेरा निवेदन है कि इसमें संख्या को कम किया जाए या जो पूर्व की संख्या है उसको कायम रखा जाए। मैं आपका और सरकार का आभारी हूं कि यह जिस भावना से लाया गया वह बिलकुल सही है। ऐसे प्रोविजन की आवश्यकता है, लघु उद्योग बढ़ाने की आवश्यकता है और इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं इस स्टेज पर ही मेरे द्वारा जनमत जानने का मैंने जो प्रस्ताव रखा है, सभापति महोदय उसको आपकी मार्फत विदड्रा करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का सुझाव दिया था उसके पीछे एक भावना थी, एक चिंता थी। वैसे मैं सहमत नहीं हूं कि संख्या कम की जानी चाहिए, संख्या तो बढ़ाई जानी चाहिए। राजस्थान विधान सभा में जो अभी बजट पास किया है उसके पैरा नम्बर 93 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जब मंत्री महोदय जवाब दें तो इसका भी थोड़ा समाधान करने का प्रयास करें, समाधान करें।

राजस्थान में वस्त्र उद्योग का वार्षिक टर्न ओवर 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इस उद्योग से लगभग 03 लाख लोगों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। वस्त्र उद्योग में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार एक ही प्रिमिसेज में अतिरिक्त निवेश की सीमा में संशोधन, मैं इसको जोड़ना चाहता हूं, ऋण लेने के समय से ही ब्याज अनुदान देने तथा अन्य निवेश फ्रेंडली प्रावधानों सहित संशोधित टैक्सटाइल प्रमोशन पालिसी भी इसी माह जारी की जाएगी। इसमें एक ही प्रिमिसेज की बात जो आई है, मैं उस पर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक ही प्रिमिसेज में आपका यह एक्ट क्या काम करेगा। यह जो आपने संख्या दी है।

अब उस प्रिमिसेज में यदि मैं दो उद्योग लगाऊं, तीन उद्योग लगाऊं, चार उद्योग लगाऊं तो आपने जो संख्या दी है, वह संख्या क्या उसको प्रभावित करेगी। इसका समाधान मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसमें देने का प्रयास करें।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसमें यदि संख्या, मूंछे तानते हो कि आप मजदूरों के हित की बात करते हो, लेकिन लघु उद्यमी, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लघु उद्यमी आज बहुत परेशान है। उस पर कई एक्ट्स लगाये जा रहे हैं, कई प्रतिबंध उस पर लगाये जा रहे हैं, कई पाबंदियां उसके सामने हैं। आपने जो दूसरा विधेयक अभी पारित किया, उसमे आपने सौ और तीन सौ, इसके बीच की जो संख्या रखी है, तो मैं सोचता हूं, इसमें 99 क्यों नहीं रख ली जाए। संख्या बढ़ाई जाए। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। निश्चित रूप से यह इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन जरा इसका जो एक ही प्रिमिसेज में कई यूनिट्स लग सकेंगी, एक से अधिक यूनिट लग सकेंगी तो उसमें आपका यह एक्ट कहां लागू होगा? इसमें उद्यमी को कहां राहत मिलेगी? यह थोड़ा सा क्लीयर करने का प्रयास करें। यह समाधान हो जाने के बाद, मैं सोचता हूं कि जनमत जानने का जो मैंने प्रस्ताव रखा, उसको मैं वापस लेने के लिये निवेदन कर रहा हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको विदड्रा करता हूं।

श्री सभापति: अगर समाधान नहीं हुआ तो?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं सोचता हूं कि मंत्रीजी इसका समाधान करेंगे।

श्री सभापति: श्रीमान मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य और सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक पर कुछ शंकाएं जाहिर की हैं। खास तौर से लूणी के माननीय विधायक ने तो यह कहा है कि हमें मजदूरों की तरफ ध्यान रखना है और ऐसा नहीं हो कि हम इम्बैलेंस हो जाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन लाया गया है, मोटे तौर पर 20 की जगह कान्ट्रैक्टर 50 रख सकेगा। निश्चित रूप से, सभापति महोदय, जो आब्जेक्ट और रीजंस हैं इस एक्ट को लाने के, उसमें यही कहा गया है कि 20 की सीमा कम होने से ऐसा देखा गया है कि निम्नतर सीमा या तो अनअनुपालन, यानि ओबे नहीं की जाती, अनअनुपालन को प्रोत्साहित करती है या मांग के अनुसार अपेक्षित श्रमिक को लगाये जाने को निर्बाधित करती है। सम्भव है, सभापति महोदय, जब 20 की सीमा है तो लोग रिकार्ड पर

(श्री मानिक चन्द सुराना)

20 रखेंगे और 10-15 जो आवश्यक हैं, उनको बिना रिकार्ड के, जिसको अपन कहें कि नम्बर-दो में रखेंगे और यह परम्परा चल रही है। इस परम्परा पर निश्चित रूप से आप सीमा 50 कर देंगे तो अनेक लोग, जो अभी दो नम्बर में मजदूरों को रखते हैं, एक नम्बर में रखने की उनकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। मूल रूप से कान्ट्रैक्ट लेबर पर काफी कुछ कहा गया है। अभी इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की बहस में जो धारा 2 (छ) को हटाया गया, खण्ड-2 में (छ) के उप खण्ड (iii) को हटाया गया, उसमें नियोक्ता ही हटा दिया गया और नियोक्ता हटाने पर कहा गया कि यह कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आ गया है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहता हूं कि कान्टैक्ट लेबर में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि कान्ट्रैक्ट लेबर जो है उसका नियोजक, दोनों का रखा गया। कान्ट्रैक्टर जो उसको एम्पलायी करता है, वह भी उसका नियोजक है और एस्टब्लिशमेंट, जिसके लिये वह कान्टैक्ट लेबर, ठेकेदार काम करता है, वह भी उसका मालिक है। यह डेफिनेशन आपके हिन्दी एक्ट में भी है और हिन्दी एक्ट के साथ जो अंग्रेजी एक्ट रिप्रोड्यूस किया गया है, उसमें भी यह डेफिनेशन है। मेरे पास मूल एक्ट है, उसमें, सभापति महोदय, यह साफ कहा गया है "It applies to every establishment in which fifty or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as contract labour" "every contractor" तो एस्टेब्लिशमेंट को भी यह एप्लाई करेगा, कान्ट्रैक्टर लेबर एक्ट, और उस कान्ट्रैक्टर को भी एप्लाई करेगा। मेरा निवेदन है कि इसकी सही व्याख्या भी आप करने की कृपा करें कि वह जो मूल एस्टब्लिशमेंट है, उसका भी वह कर्मचारी है या नहीं है, उसका कर्मकार है या नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान धारा 4 की तरफ आकर्षित करुंगा। आपका चूंकि यह सैण्ट्रल एक्ट है और धारा 4 में यह कहा गया है कि आपकी कोई एडवाइजरी कमेटी है, स्टेट एडवाइजरी कमेटी। माननीय मंत्री महोदय "The State Govt. may constitute a Board to be called the 'State Advisory Contract Labour Board" hereinafter referred to as the 'State Board' to advise the State Govt. on such matters arising out of the administration of this Act as may be referred to it and to carry out other functions assigned to it under the Act." स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ने पिछले दो, तीन, चार सालों में, कांग्रेस राज ने क्या किया और क्या नहीं किया, उसका लेखा-जोखा लेने की कृपा करें और कभी सदन को भी जो एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट हो, तो वह रिपोर्ट भी सदन के माननीय सदस्यों को सर्कूलेट कराने का कष्ट करें। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान धारा 4 के साथ जो दूसरे वैलफेयर के प्रोविजंस हैं, धारा 16 है कैन्टीन के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लिये। यदि आप 50 श्रमिकों को 20 की जगह एम्प्लाय करते हैं तो वह कैन्टींस की पूरी व्यवस्था सही रखें, धारा 16 में प्रावधान है। कैन्टींस में "The appropriate Govt. may make Rules requiring that in every establishment, to which this first Act applies; wherein work requiring employment of contract labour is likely to continue for such period as may be prescribed and wherein contract labour numbering 100 or more is ordinarily employed by a Contractor one or more canteens shall be provided and maintained by the Contractor for the use of such contract labour." मैं निवेदन करता हूं कि कान्ट्रैक्ट लेबर की संख्या तो बढ़ाएं। पर कान्ट्रैक्ट लेबर की जो भी सुविधाएं हैं, कैन्टीन के मामले में, रैस्ट रूम के मामले में और दूसरी फैसेलिटीज के मामले में, राज्य सरकार उनकी तरफ भी ध्यान दे और उनके क्रियान्वयन का कठोरता से पालन करवाये। मैं अधिक, सभापति महोदय, इस पर निवेदन नहीं करना चाहता। यही चाहता हूं कि राज्य सरकार जो सीमा बढ़ा रही है, उससे कुछ तो वे लोग भी रिकार्ड पर आ जाएंगे जो आज रिकार्ड पर नहीं हैं। यह लाभ होगा। इसके साथ ही जो भी लघु उद्यमियों को कठिनाइयां आई हैं उन सबके सरलीकरण के लिये आप यह जो विधेयक लाये हैं, कुल मिलाकर नीतिगत तौर पर मैं उसका समर्थन करता हूं और जनमत जानने का प्रस्ताव है, उसको सदन की अनुमति से वापस लेता हूं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री प्रहलाद गुंजल, श्री जोगाराम पटेल, श्री मदन राठौड़, श्री मानिक चन्द सुराना ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने के जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उन्हें वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं तो थोड़ा जो माननीय सदस्यों ने संशोधन दिए थे, उस पर विचार रखना चाह रहा था। चूंकि, अब आपने पारित कर दिया तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: वैसे तो इन्होंने अपने-अपने वापस ले लिये अगर फिर भी आप कोई कहना चाहते हैं तो आप पारण की स्टेज पर, पारण की जो थर्ड स्टेज आएगी, उस वक्त आप जो भी अपने श्रीमुख से फरमाना चाहें फरमा दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैंने जनमत जानने के लिए तो नहीं लिखा था लेकिन मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: वह स्टेज तो आने दीजिए, श्रीमान। हम धीरे-धीरे वहां ही आ रहे हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): कांट्रैक्ट लेबर 1970, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और आई.डी. एक्ट का जो हवाला आया है, मैं धाराओं में या उप-धाराओं में नहीं बोल रहा हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

महोदय से कि आप कांट्रैक्ट लेबर की संख्या बढ़ाना चाहते हैं वह बढ़ायें लेकिन ...(व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): फैक्ट्री एक्ट पर बोल रहे हैं यह तो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): नहीं-नहीं मैं कारखाना अधिनियम यह जो आये हैं ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): वह बाद में आयेगा, अभी तो यह ठेका वाला चल रहा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ठेका वाला, ठेके वाले पर ही बोल रहा हूं। मैं ठेके वाले पर ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: आप पहले यह तय कर लें कि आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हां, पहले ठेके वाले पर, उसमें यह निवेदन है कि लेबर की संख्या बढ़े या कम हो, विषय यह है कि उनको महरूम नहीं किया जाए, वंचित नहीं किया जाए बोनस एक्ट से, उनको वंचित नहीं किया जाए ग्रेच्युटी से और उनको वंचित नहीं किया जाए ई.एस.आई. और मेडिकल सुविधाओं से, यह ध्यान में रखकर संख्या बढ़ायें और इसमें अमेंडमैंट करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, अब आप कहें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पर जो इस सदन में माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात रखी संशोधन के माध्यम से और आज इससे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पर भी चर्चा हुई। आज इस सदन में तीन विधेयक आये हैं उनमें से एक विधेयक जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, यह विधेयक मूलत: तो ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में एक संशोधन है और वह श्रमिकों को लेकर है।

पहले 20 श्रमिकों की संख्या थी और अब उनको बढ़ाकर 50 की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह आवश्यकता क्यों पड़ी?

(श्री युनुस खान)

माननीय सभापति महोदय, जो छोटे-छोटे काम करने वाले उद्योग चलाने वाले लोग हैं उन लोगों के यहां पर जो श्रमिक जाते हैं उनकी संख्या आजकल, जब जमाना पुराना था, 1970 में जब यह कानून बना तो उस समय तो परिस्थितियां अलग थीं लेकिन आज परिस्थितियां अलग हो गईं क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा का युग आ गया और इस प्रतिस्पर्धा के युग में मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए यह संशोधन हम लेकर आये हैं।

माननीय सभापति महोदय, उत्पादन और उसकी सेवाओं के सम्बन्ध में मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, आजकल इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन हैं, उनके माध्यम से चलती हैं और वे श्रम कानून का बहुत ध्यान रखती हैं। वे यह कहते हैं कि आपने श्रमिकों को जो सुविधाएं देने वाली, चाहे वह उनके इंश्योरेंस की बात हो, मेडिकल की बात हो, उनको देने वाली फैसेलिटीज हैं, पीने के पानी की भी माननीय सदस्यों ने चर्चा की, इसके साथ-साथ में उनकी केंटीन की बात की, यह सारी सुविधाएं आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, इन चीजों को भी ध्यान में रखकर श्रमिकों को वह काम में लेते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस अधिनियम में, आज जो हम यह लेकर आये हैं इसमें माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं, विशेष रूप से माननीय प्रहलाद गुंजल साहब ने कहा कि जो इस तरीके के कांट्रैक्टर्स हैं वे 50 की संख्या को 49 के ग्रुप में भी बनाकर एक से अधिक ग्रुप बनाकर काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मतलब, चाहे 20 हो या 50 हो, सब पर श्रम कानून लागू है और लेबर डिपार्टमेंट में जो भी कांट्रैक्टर है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तो वह यह नहीं है कि 49, 49 का कराकर इससे बच जाएगा। उसको लेबर डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेबर कानून उस पर लागू है और अब परिस्थितियां बदल गईं इसलिए यह 50 की संख्या रखी है। दूसरा, माननीय जोगारामजी पटेल साहब ने भी यह तो कहा है कि संख्या बढ़ाना वाजिब है और जो संख्या बढ़ाई है उसको उन्होंने जस्टिफाई भी किया है, कोई विशेष ऐसी बात नहीं बताई और तीसरे माननीय सदस्य मदनजी राठौड़ ने इसमें यह सुझाव दिया कि यह संख्या अगर 99 भी हो जाती तो ठीक था मतलब, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बजट की चर्चा करते हुए बजट के पैरा नम्बर-93, वस्त्र उद्योग की चर्चा की।

(श्री युनुस खान)

उद्योग, जिसकी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 14 जुलाई के बजट भाषण में बात कही और उन्होंने 35 हजार करोड़ रुपये के टर्न-ओवर की बात कही, टैक्सटाइल पालिसी लाने की भी बात कही, लेबर का जैसे कि आज यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का भी आया और जो चर्चा आज हुई तो राजस्थान में यह जो लेबर रिफोर्म्स हुआ है, चाहे वह 20 श्रमिकों से बढ़ाकर 50 का हुआ हो या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का हो या कारखाना अधिनियम का हो, इसकी वजह से राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग लगाएंगे और उद्योग लगाकर यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी।

आपको ध्यान है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन में और हमारे 'सुराज संकल्प पत्र' के माध्यम से यह घोषणा की थी कि हम राजस्थान के अन्दर 15 लाख रोजगारों का सृजन करेंगे। जो 15 लाख रोजगारों का सृजन करेंगे यह खाली राजकीय सेवाओं से सम्भव नहीं है और राजकीय सेवाओं में आपको भी ध्यान है कि राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधन सीमित हैं। सरकारी नौकरियां देना ज्यादा सम्भव नहीं है। इस हेतु राजस्थान में चाहे छोटे उद्योग हो, चाहे बड़े उद्योग हो, उनको प्रश्रय देने के लिए मतलब, मुख्य मंत्रीजी ने अलग -अलग नीति बनाई है। बड़े उद्योगों का इन्वेस्टमेंट आये, उसके लिए अलग से नीति है लेकिन जो हमारे छोटे-छोटे कामगार छोटे-छोटे ठेकेदार हैं, उनको फैसेलिटी देने के लिए यह काम किया गया है। राजस्थान में ट्रेंड और अन-ट्रेंड लेबर के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा असुविधाएं नहीं हों क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, आप भी जानते हैं कि श्रम कानूनों में इंस्पेक्टर राज एक महत्वपूर्ण कड़ी है और एक आदमी 20 श्रमिक लेकर के काम कर रहा है या 25 श्रमिक लेकर काम कर रहा है। वह इंस्पैक्टर राज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी से बचने के लिये, कि एक जमाना था जब तो 20 लोगों की जरूरत थी, अब उसको 50 कर दिया तो यह संख्या वक्त की जरूरत थी। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत थी इसलिये माननीय सभापति महोदय, इस कार्य को किया गया है। माननीय मानिक चन्दजी सुराना साहब ने कांट्रैक्ट लेबर, नियोजक और ठेकेदार की बात कही, यह बात सही है कि लेबर के लिये नियोजक और ठेकेदार, दोनों उसके मालिक हैं। यह बात भी सही है लेकिन इसमें उन्होंने धारा 4 की एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट के बारे में कहीं कि पिछले कांग्रेस के शासन में जो स्टेट

(श्री युनुस खान)

एडवाइजरी बोर्ड है, उसने कितनी बैठकें कीं, क्या-क्या किया? उसकी वास्तव में पूरी सूचनाएं संग्रहण करके सदन को जब भी समय मिलेगा, मैं आपके माध्यम से बता दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक मुद्दा और आज हाउस में आया कि 50 लेबर से कम करने का भी प्रावधान इस कानून के अन्दर है। राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह इसको 50 से कम भी कर सकती है, उसका प्रोविजन भी उसमें किया हुआ है। यह जरूरी नहीं कि 50 लेबर ही हो तो यह लागू हो, इसमें 50 से कम ठेके के नियोजन की बात, जो आपने कही है, उस पर भी यह कानून लागू हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार को यह कानून बदलने का अधिकार है, या उसके पास यह अधिकार सुरक्षित है। इसलिये उससे कम लेबर भी होगी तो यह कानून लागू होगा। यह नहीं है कि 50 है तो भी लागू होगा। उसमें सरकार ने यह प्रोविजन किया हुआ है कि 50 से कम भी होगा तो यह कानून लागू होगा। जितनी आशंकाएं आपने बताई हैं, यह कोई भी नहीं होंगी। मैं तो आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि छोटे लोग पनप सकते हैं।

अब मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात को पूरा करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आम एक सीजनल चीज है। आम अगर पैदा होता है तो उस समय उसकी पैकिंग के लिये कान्ट्रैक्टर को लेबर चाहिये और उस समय कई बार उसको 20 चाहिये, कई बार 30 चाहिये, लेकिन बागवानी में 50 के आस-पास तक उसका काम चल जाता है। इसलिये वह एक सीजनल काम करता है, फिर इतने कानून, इंसपैक्टर के चक्कर काटो। कार्यालयों में चक्कर काटो। इसलिये इन छोटे-छोटे लोगों को प्रश्रय देने के लिये राजस्थान में छोटे-छोटे लोग मिलकर 50-50 लोगों को रोजगार देंगे, इस तरीके के श्रमिकों को प्रश्रय देंगे और उनकी फैसेलिटी का ध्यान रखेंगे तो राजस्थान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और लोग ज्यादा काम करेंगे। इसलिये सरकार ने एक प्रोग्रेसिव कदम उठाया है और जैसा कि पहले जो एक्ट आया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसमें चर्चा हुई थी हमारे राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के अखबारों ने भी इसकी बहुत सराहना की और आज भारत सरकार भी, जो हमारे संशोधन आ रहे हैं लेबर एक्ट में, उनको लेना चाह रही है। बहुत सारी स्टेट्स ने तो यह कहा है कि अपने स्टेट में इसकी कापी करके लागू कर दो। यह

(श्री युनुस खान)

सुधारवादी और प्रोग्रेसिव कदम हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बिल का प्रस्ताव जो रखा है, उसको पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया गया।

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, कारखाना अधिनियम, 1948 को राजस्थान राज्य में लागू करने के निमित्त और संशोधित करने के लिए जो कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पेश किया गया है, माननीय सभापति महोदय, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 की धारा (2) का जो संशोधन यहां पर रखा गया है, धारा 2 के खण्ड-ड के उप खण्ड (1) में विद्यमान शब्द 'दस' के स्थान पर शब्द 'बीस' और खण्ड-ड के उप खण्ड (2) में विद्यमान शब्द 'बीस' के स्थान पर 'चालीस' प्रतिस्थापित किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, जब हम मूल अधिनियम को पढ़ते हैं तो खण्ड-ड के उप खण्ड (1) में लिखा है 'दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे, या जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया सख्ती की सहायता से की जा रही है, या आम तौर पर इस तरीके से की जाती है। या ड का खण्ड(2) 'बीस या बीस से अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन काम कर रहे थे,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया सख्ती की सहायता के बिना की जा रही है, या आम तौर पर की जाती है।'

माननीय सभापति महोदय, इसमें निर्वचन में 'सख्ती' को डिफाइंड किया गया है। इस अधिनियम के खण्ड-2 के भाग (6) में 'सख्ती से विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई अन्य स्वरूप अभिप्रेत है। जिसका संचार यंत्र द्वारा किया जाता है और जिसका उत्पादन मानव या पशु द्वारा नहीं किया जाता।' यानि जो कारखाना ड के उपखण्ड (1) के अनुसार बिजली से चल रहा है, जहां पर पहले दस लेबर काम करती थी और कारखाना अधिनियम में कवर होता था और वह कारखाना, जो बिजली से नहीं चल रहा है, मैनुअल पावर से चल रहा है, किसी अन्य संसाधन से चल रहा है। जहां पर बीस लेबर काम करती थी, उसके स्थान पर आपने चालीस लेबर कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे संशोधनों के पीछे उद्देश्य और कारणों में आपने स्पष्ट किया कि राज्य में लघु उद्योग इकाइयों के द्वारा विनिर्माण एवं क्रिया-कलापों में वृद्धि के कारण दस और बीस की न्यूनतम सीमा रेखा को संशोधित करके बीस और चालीस किया जाना अत्यन्त आवश्यक था, ताकि लघु विनिर्माण इकाइयों की स्थापना से कर्मकारों के लिये नियोजन के अधिक से अधिक अवसर सृजित किया जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, सरकार की मंशा ठीक है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर बढ़ें और अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लायमेंट मिले। माननीय सभापति महोदय, यह अधिनियम 1948 में लाया गया था और उस समय यह तय किया गया था कि जो सख्ती से चलने वाले कारखाने हैं, उसमें अगर दस लेबर काम कर रही है तो यह कारखाना अधिनियम में कवर होगा। 1948 के बाद आज, माननीय सभापति महोदय, टैक्नोलोजी 100 गुना बढ़ गयी, टैक्नोलोजी के बढ़ने के कारण हिन्दुस्तान में नहीं, दुनिया में मानव श्रम की निर्भरता पर काम की बहुत कमी आ गयी और ऐसे में जब टैक्नोलोजी के कारण मानव श्रम पर जो आधार होता था काम का, वह कम हो गया। इस दस और बीस की सीमा को बीस और चालीस किया जाना कहां तक व्यवहारिक है और आज के समय में, टैक्नोलोजी में, जहां पर एक आदमी बैठकर दस आदमियों के बराबर काम कर रहा है, ऐसे समय के अन्दर दस और बीस श्रमिकों वाली इकाई को इससे बाहर निकाला जाना इस लिहाज से तो सरकार के तर्क से ठीक है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बढ़ेगा, कारखाना मालिकों को संरक्षण मिलेगा। लेकिन मजदूरों की दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, इस अधिनियम में दस मजदूरों वाले कारखाने के सम्बन्ध में भी शास्ति और अभ्यावेदन के प्रावधान हैं।

जिसमें कार्यरत श्रमिकों के साथ किसी प्रकार की क्षति पर नियोजक के साथ दंडनीय एवं भारी जुर्माना के प्रावधान थे। अब नये संशोधन में 20 और 40 से कम मजदूर होने की स्थिति में अगर कोई दुर्घटना और अपराध घटित होता है तो फिर किसी के पास 19 आदमी काम कर रहे हैं, किसी के पास 39 आदमी काम कर रहे हैं, हम कारखाना मालिक को बाउंड नहीं कर सकते कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना कारित होने पर आप जो आपका मजदूर काम कर रहा है उसको न्याय दिलाएं, उसके साथ कोई कानून सम्मत तरीके से, व्यावहारिक तरीके से मददगार बनें।

निश्चित रूप से इस प्रावधान से उद्योगों को तो बढ़ावा मिलेगा और उन उद्योगों को भी राहत मिलेगी जो छोटे उद्यमी कम पूंजी में अपना व्यापार चलाते हैं और कम पूंजी होने के कारण लेबर के, कारखाना एक्ट के प्रोविजंस का फालोअप नहीं कर पाते। ऐसे छोटे, लघु उद्यमियों को कारखाना एक्ट के प्रभावों से मुक्ति मिलने के कारण निश्चित रूप से छोटे उद्यमियों का निवेश और उनकी छोटी पूंजी उद्योग में लगेगी जो अब तक श्रमिक कानूनों के जंजाल से मुक्ति नहीं मिलने के कारण कई बार उद्योग लगाने से झिझकते थे। यह राजस्थान के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बदलाव किये जाने के इरादे से ठीक है लेकिन साथ-साथ इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि श्रमिक को उसके स्थान पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और उसके हितों की संरक्षा एक वैलफेयर स्टेट के नाते राज्य सरकार करे।

माननीय सभापति महोदय, एक संशोधन आपने दिया है 1948 के केन्द्रीय अधिनियम की संख्या 63 की धारा 105, 'की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा', '(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, राज्य सरकार द्वारा लिखित पूर्व मंजूरी से, निरीक्षक द्वारा किये गये परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।'

माननीय सभापति महोदय, यह ठीक उस प्रकार की स्थिति है कि राज्य में कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, ए.सी.डी. उसको ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है लेकिन जब तक राज्य सरकार परमिशन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नहीं देती, उस बेईमान अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ठीक उसी प्रकार से इण्डस्ट्री मालिक को जो इसमें संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, हमको बहुत गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट इस बात का डायरेक्शन दे चुकी है कि भ्रष्टाचार या अन्य अपराध के मामलों में कोई दोषी कर्मचारी और अधिकारी गिरफ्तार किया जाता है तो उसके खिलाफ चालान पेश करने के बारे में सरकारों से अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पर मैं समझता हूं कि गम्भीरतापूर्वक विचार करें, कल यह सदन पारित करेगा विधेयक। आपने धारा 105 के सब क्लोज, उप-धारा (1) में यह जो धारा स्थापित की, कोई भी लेबर यूनियन जायेगी और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेगी कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है सरकार से पूछने की जरूरत नहीं। कोई भी अपराध घटित होता है, कोई कानून हाथ में लेता है, कोई भ्रष्टाचार, बेईमानी करता है, गैर-कानूनी काम करता है उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया जाना चाहिए और दूसरी तरफ कोई विवाद होगा, निरीक्षक उसमें उसके खिलाफ आरोप तय कर देगा कोई इंस्पैक्टर लेकिन उसके बावजूद भी उसके खिलाफ चालान तब तक नहीं होगा, उसके खिलाफ प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक राज्य सरकार अनुमति नहीं दे देगी।

आप उस कारखाना मालिक को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से तो जरूर यह कानून बना रहे हो लेकिन आपको यह भी चिन्तन कर लेना चाहिए कि इस कानून के व्यावहारिक पक्ष, अव्यावहारिक पक्ष को लेकर अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा कर चैलेंज करता है तो निश्चित रूप से हमारा बनाया हुआ कानून कहां पर टिकेगा? इस पर भी पारित करने से पहले गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए।

अगला जो संशोधन आपने दिया है, माननीय सभापति महोदय, '1948 के केन्द्रीय अधिनियम की संख्या 63 में नयी धारा 106 ख का अन्त:स्थापन:- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 106 क के पश्चात् और विद्यमान धारा 107 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी,'

'106 ख अपराधों का शमन:- निरीक्षक, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अध्याधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय और पहली बार कारित किसी अपराध का, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, ऐसी प्रशमन फीस की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

रकम की वसूली पर, जो वह ठीक समझे, जो उस अपराध के लिए नियम जुर्माने की अधिकतम रकम से अधिक न हो, शमन कर सकेगा; और जहां इस प्रकार अपराध का शमन:-

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया गया हो तो अपराधी, ऐसे अपराध के लिए अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा, और यदि अभिरक्षा में हो, तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया गया हो तो शमन अपराधी की दोषमुक्ति के बराबर होगा।

मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह जो आप अमेंडमैंट लेकर आये हैं व्यवहारिक है। सामान्यत: कोई भी कारखाना मालिक अपने मजदूर के साथ दुर्भावनावश कोई घटना कारित नहीं करता है। यह बात सच है जब कारखाना सावधानी से चलता है, सदभाव से चलता है तो मालिक और मजदूर के बीच में परिवार की भावना पैदा हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी मशीनरी की तकनीकी खामी या मानव गलती से कोई दुर्घटना कारित होती है तो अब तक के प्रावधानों में कारखाना मालिक को उस दण्ड का भागीदार माना जाता है और यहां तक कि उसमें जुर्माने के साथ-साथ सज़ा का प्रावधान है। आपने जो संशोधन में यह नयी धारा अन्त:स्थापित की है 106 ख और इसमें तय कर दिया कि पहली बार की गलती पर एक निर्धारित जुर्माना तय कर के उसको मुक्त कर दिया जायेगा और अगर वो जेल में भी है, न्यायिक अभिरक्षा में है तो भी उसको रिहा कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि यह उस अपराध के लिए दोषी जिस उद्यमी को ठहरा दिया जिसमें उसकी अपराध कारित करने की कोई मंशा नहीं थी, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, फिजिकल रूप से उसमें उसका कोई योगदान नहीं था, निश्चित रूप से ऐसे उद्यमियों की भावना को बल मिलेगा, उनके साथ न्याय होगा, इन्साफ होगा। यह आप बहुत बढ़िया क्लाज लेकर के आये हैं बहुत ही जोरदार तरीके से। एक बात तय जरूर करनी चाहिए कि जैसे अब शहर में कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो सी.एस.आर. का प्रावधान है कि वो अपने मुनाफे में से सामुदायिक सेवाओं पर कुछ पैसा खर्च करेगी, इस एक्ट का लाभ तो हम इंडस्ट्री मालिक को दे रहे हैं कि कोई भी दुर्घटना कारित होगी, व्यक्ति मर गया, अपराध हो गया, उसमें उसको जुर्माना देकर पहले अपराध के लिए मुक्त कर दो लेकिन पीड़ित के पक्ष में कोई

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कम्पनसेशन की भी इसमें वाजिब बात तय की जानी चाहिए कि जो प्रभावित हो गया, प्रभावित होने का इन्टेंशन मालिक का नहीं था, नियोजक का नहीं था, संविदाकार का नहीं था, ठेकेदार का नहीं था लेकिन वो एक स्वाभाविक तकनीकी खामी से, मानवीय गलती से प्रभावित हो गया, हमने मान लिया कि फैक्ट्री मालिक को हम जुर्माने तक दंडित करेंगे लेकिन उस जुर्माने का या तो सम्पूर्ण हिस्सा या उससे अधिक की शास्ति कारखाने पर लगा कर निश्चित रूप से प्रभावित, पीड़ित पक्षकार, जो श्रमिक का है उसके साथ भी न्याय कराया जाना चाहिए तब तो निश्चित रूप से हम यह बात समझेंगे कि हमने दोनों पक्षों का ध्यान रखा है।

मैं समझता हूं इस एक्ट को लाने के पीछे सरकार की भावना पवित्र है कि अब लेबर 10 की जगह 20 होनी चाहिए पर हम यह भी देखें, टैक्नोलोजी का जमाना है, एक आदमी 10 का काम कर रहा है, फिर अगर हम इसके नकारात्मक पक्ष में जायेंगे तो, माननीय सभापति महोदय, वैलफेयर स्टेट का कंसेप्ट एक आदमी के हित की रक्षा, जो मैंने पहले भी कही थी। इस कानून को लाकर हम कारखानों को पनपा रहे हैं, कारखानों को अनुकूल वातावरण दे रहे हैं, लेबर और मालिक के डिस्प्यूट को कम कर रहे हैं, उनके बीच की जितनी पेचीदगियां हैं उनको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे टार्गेट में जो अकेला आदमी केन्द्र में है, चाहे शासन के केन्द्र में हो, चाहे समाज के केन्द्र में, वो जो एक अकेला आदमी है उसके हक-अधिकार के बारे में चिन्तन, मैं समझता हूं इन सारे के सारे कानूनों से बाहर निकलता जा रहा है। हालांकि सरकार ने अपने पास आर्डिनेंस के माध्यम से यह सारे पावर, सारे अधिकार सुरक्षित रखे हैं। लेकिन इस सबके बाद भी क्या हम उस एक आदमी को जो पुराने कानून हैं, उसकी संख्या 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, उसके हक, अधिकार को कितना संरक्षित कर पाएंगे, इन सारे तथ्यों पर विचार करके गम्भीरतापूर्वक इस बिल को पारित किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित रुप से सरकार की मंशा का भी समर्थन करता हूं और इससे जो आम आदमी प्रभावित होगा, उसकी भावना के रुप में मैं अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं और आपकी आज्ञा से मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

श्री जोगाराम पटेल।

विधेयक पर विचार

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, कारखाना अधिनियम, 1948 पर सरकार की ओर से जो संशोधन लाए गए हैं, उन संशोधनों में कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने 3 बिन्दुओं की ओर ध्यानाकर्षित किया है। मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा।

श्री सभापति: आपस में बातें नहीं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, जो नया प्रोवीजन धारा 106 बी के रूप में जोड़ा जा रहा है जिसको कंपाउंडिंग आफ ओफेन्सेज के लिए लगाया जा रहा है उसकी ओर ध्यान दिलाऊंगा। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि धारा 92 से लगाकर इस चैप्टर 10 में सारे ओफेंस हैं, उसकी पैनल्टी है, उसका प्रोसीक्यूशन है, यह प्रोविजन दिए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने आपके सामने कहा हम जो संशोधन लाए हैं कम्पाउंडिंग ओफेन्स का यह बहुत जोरदार है और बहुत फायदेमंद होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो इसमें कुछ ambiguity है, इसमें अगर आप सैक्शन 105 के सब क्लाज ए को पढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे तो यह क्लीयर होगा – "No court shall take cognizance of any offence under this Act except on complaint by an Inspector with the previous sanction in writing by the State Government." इसमें जो ओरिजनल प्रोविजन है वह 105 है – ''No court shall take cognizance of any offence under this Act except on complaint by, or with the previous sanction in writing of, an Inspector." तो अब इंस्पैक्टर की परमिशन से पहले कोई भी कर सकता था। अब गवर्नमेंट की परमिशन से इंस्पैक्टर कर सकता है। मेरे हिसाब से इतना फर्क किया गया है।

(श्री जोगाराम पटेल)

इस केस में जब इंस्पैक्टर कोई कम्प्लैंट करेगा then he becomes a complainant. With permission of the government, he can file a complaint for a particular offence as provided in section 92 to 106. अब वह कम्प्लेनेंट है, वह कम्प्लेनेंट ही यहां आकर के कम्पाउंडिंग का जज बन रहा है। जिस किसी भी ओफेंडर ने या जिस किसी भी एक्यूज्ड ने, या जिस किसी ने भी कोई ओफेंस किया है, वह कम्प्लेंनेंट खुद ही कम्पाउंड कर रहा है।

श्री सभापति: आपका कहने का मतलब है कि जज जूरी बन सकता है क्या?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एग्जेक्टिली सभापति महोदय। वह जो कम्प्लेंनेंट है उसको ही कम्पाउंड करने के पावर दिए गए हैं। एक तो मैं यह माननीय मंत्री महोदय से समझना चाहता हूं। दूसरा, हालांकि इसमें प्रोवीजन बनाया गया है कि वह गवर्नमेंट की परमिशन से कम्पाउंडिंग करेगा। लेकिन आप इसकी लैंग्वेज देखें - "106B. The Inspector may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only, and committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, …" Here the word is not complaint. " …. committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, …" There is a distinction between a complaint and prosecution. "….on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is so compounded,…" Now I pass on to sub-clause (ii), " …. after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender." एक्विटल तो वह तभी माना जायेगा जब वह एक्यूज्ड है और उसका प्रोसीक्यूशन हो रहा है। उसका प्रोसीक्यूशन हो रहा है, अंडर ट्रायल है, आप कम्पाउंड कर रहे हैं तो वह एक्विटल हो गया। जिस कोर्ट के सामने वह कम्प्लेंट पैंडिंग है, वह कोर्ट कौनसा एक्शन लेगी और किस वजह से विड्ड्रा करेगी? आप कोई एप्लीकेशन लगाओगे या आपका एक्विटल मानते हुए जज साहब उस फाइल को पेशी पर नहीं लेकर फेंक देंगे There must be some rule, there must be some provision. Either you withdraw the complaint, prosecution or either you may say, the court can compound the offence or court may, on our acquittal, permit me to withdraw the complaint. Complaint can't be dismissed. Either we may withdraw or decide on merit There is a central provision, if you move any prosecution before a particular court then either he may be acquitted or he may be punished. There is no other way. अब आप after the court; it is a provision, after the court, not before the court आप कोर्ट के बाहर कोई न कोई समझौता कर रहे हैं या कोई अपना एक्शन ले रहे हैं और उससे

(श्री जोगाराम पटेल)

कोई पर्टिकुलर फाइन ले रहे हैं। वह फाइन इतना हो सकता है, 1 लाख से कम नहीं हो सकता क्योंकि सैक्शन 92 में मिनिमम फाइन 1 लाख लिखा है। लेकिन वह whatever may be, वह 1 लाख का फाइन लोगे, उसकी रसीद काटोगे, उसके बाद यह कहोगे कि अब जाकर के एक्विटल हो गया इसलिए आप फ्री। लेकिन वह कोर्ट में जो प्रोसीक्यूशन पैंडिंग है उसका क्या होगा? उसका कोई प्रोविजन नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा रिक्वैस्ट है माननीय मंत्री महोदय से कि जो एक बार कम्प्लेंट कोर्ट में दर्ज हो गयी, जो अंडर ट्रायल है, चल रही है, आपने उस ओफेंस को कम्पाउंड कर दिया और आपकी निगाह के अनुसार वह एक्विटल माना जायेगा तो कोई एक प्रोविजन और जोड़ो जिसकी वजह से आइदर तो वह कम्प्लेंट विद्ड्रा हो जाये या कोर्ट सुओमोटो उसको एक्विटल मानते हुए उस कम्प्लेंट को खारिज कर दे। यह ambiguity है जिसको क्लियर करना है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो है sub-clause (i) "...before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty." तो प्रोसीक्यूशन हुआ नहीं, कोर्ट में प्रोसीक्यूशन दायर हुआ नहीं तो वह जेल में कैसे चला गया? Under which provision वह जेल में चला गया और कितने दिन वह जेल में रहा जिससे कस्टडी से लिबर्टी उसको मिल गयी कि वह फ्री हो गया। जिसने कस्टडी में लिया है वह कौन से प्रोविजन के तहत उसको लिबर्टी में कर देगा। यह दो ambiguity हैं जो मैं माननीय मंत्री महोदय से समझना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं अगर चैप्टर 10 को ध्यान से पढ़ा जावे तो जिसमें जनरल पैनल्टी का प्रोवीजन है वह प्रोवीजन है सैक्शन 92 – ''Save as otherwise expressly provided in this Act and subject to the provisions of section 93, if in or in respect of any factory there is contravention of any of provisions of this Act or any rules made thereunder or any other in writing given thereunder, the occupier and manager of the factory shall each will be guilty of an offence and punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both."

(17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, जनरल प्रोविजन में 'or either' generally or means either but in some cases as held by the Supreme Court in so many cases or may constitute as an 'end'. That means 'both'. अगर इस प्रोविजन को यूं पढ़ें, इस 'ओर' को 'एण्ड' पढ़ें तो वह जो प्रोसीक्यूशन उसका होगा, 1 लाख

(श्री जोगाराम पटेल)

रुपये का फाइन लगेगा और 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसको क्लियर यहां नहीं किया गया है। इस 'ओर' को in so many cases, Hon'ble Apex Court came to the conclusion this or miss it is understood as an 'end' and it may be constituted as an 'end' यह 'एण्ड' है और प्रोविजन दोनों offences को, offences is one और पनिशमैंट अगर दोनों को हो गया, फाइन भी हो गया, आपको 1 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी तो उस परिस्थिति में फिर यह कम्पाउण्ड प्रोसेस का क्या होगा? क्योंकि कम्पाउण्ड प्रोसेस सिर्फ फाइन वाले केसेज में कर रहे हैं। यह जो कम्पाउण्डिंग कर रहे हैं वह सिर्फ फाइन वाले केसेज में। 'in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only.' इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि अगर offence है, वह इसमें penalty only not for penalty. सज़ा का प्रावधान भी है तो उन केसेज में आपके कम्पाउण्डिंग प्रोसेस का क्या होगा? तीसरा और आखिर में मेरा निवेदन है कि जिस व्यक्ति से आप 1 लाख रुपये का फाइन ले रहे हो, या फाइन नहीं कहकर के आप यह कहो कि उससे रिसीव्ड कर रहे हैं, कम्पनसेशन ले रहे हैं, इन ए आइदर नेम, आप 1 लाख रुपये ले रहे हो और उसके बाद आप इसका सब क्लाज 2 में 'after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.' तो एक्विटल कैसे हो गया? वह तो 1 लाख रुपये देकर छूटता है। इसीलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है जैसा कि कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सारी बातें कहीं, कुछ बातों से मैं भी सहमत हूं। यह प्रोविजन लाये, जिस भावना से लाये वह भी बिलकुल ठीक है, यह लाना इस परिस्थिति में जरूरी भी है और माननीय मुख्य मंत्री महोदया का जो विजन है उस विजन के अनुसार यह जरूरी भी है लेकिन जो कांस्टीट्यूशन आफ लैंग्वेज हुई है, कंस्ट्रक्शन आफ लैंग्वेज हुई है, जो प्रोविजन्स बनाये गये हैं उसको एक बार और देखें। आई में बी रोंग, पर उसको एक बार और मेरी जो शंकाएं हैं, कृपया आप कोशिश करें कि उसका समाधान हो। मेरा निवेदन यह है कि अगर जरूरी है कि इसको अलग करें, अदरवाइज हमको हमेशा कोर्ट में और in any Tribunal, a difficulty may be arisen. और इन्सपैक्टर अपनी मर्जी से किसी भी जो कम्प्लेनेंट है, वह इन्सपैक्टर कभी भी कहीं भी जाकर के किसी भी कारखाना मालिक को तंग कर सकता है। आइदर किसी केस में तो कुछ रुपये लेकर विथड्रा कर लेगा, कम्पाउण्ड कर लेगा और किसी केस में नहीं करेगा, यह उसकी मर्जी पर हो गया तो इन्सपैक्टर राज कम करने का

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रोविजन नहीं हुआ, यह इन्सपैक्टर राज बढ़ाने का प्रोविजन हो गया। इसलिए इसमें जो धारा विशेष, मेरा निवेदन है वह 106 (बी) पर निवेदन है। मेरा निवेदन है कि सारी एम्बीग्यूटीज को क्लियर करे और जरूरी हो तो इस प्रोविजन को रखें। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। (अनुपस्थित)

श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) वह बाद में ले लेंगे। माननीय सभापति महोदय, कारखाना राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2014 इसको मैंने जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो प्रस्ताव किया था उसमें भी बहुत क्लियर है, निर्वचन में दिया है 'ड' में, इसमें बहुत साफ लिखा है, 'कारखाना' से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है। अब इसमें यह परिसर आ गया तो इसमें जैसे एक्सप्लेनेशन सैकण्ड में भी दिया है कि इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट वह इसमें नहीं जुड़ेगी, 'Computer unit is installed in any premises. If no manufacturing process is being carried on in such premises'; then what will we do. मतलब यदि मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस भी है, कम्प्यूटर यूनिट भी है, वहां इन्स्टाल्ड है वहां कुछ कर्मचारी काम कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है, तब आपकी यह संख्या कहां जायेगी? मंत्री महोदय जवाब दें तो इसको क्लियर करें। आपने संख्या बढ़ाई है कि नियोक्ता द्वारा 20 से कम यदि है, 'with the aid of power' तो उसे कारखाने में नहीं गिनेंगे और 40 से कम है 'without the aid of the power' तो उसको आप कारखाने में नहीं लेंगे। और कान्ट्रैक्टर के लिए भी आपने यह क्लियर किया है कि संख्या 20 से कम है 'with the aid of power' और 40 से कम है 'without the aid of power' यह तो ठीक है लेकिन जहां जिस परिसर के अन्दर यह मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट भी चल रही है उसी परिसर में उसी फैक्ट्री के निमित्त, उसी कारखाने के निमित्त इलैक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट भी काम कर रही है, उसी कारखाने में कम्प्यूटर यूनिट भी काम कर रही है तो यह सब जो रन कर रहे हैं तब आपकी यह संख्या कहां जायेगी इस पर आप थोड़ा सा अपने जवाब में क्लियर करने का जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, अभी पहले जो व्यवस्था दी गई थी कि

(श्री मदन राठौड़)

इसकी प्रशंसा के बारे में जो कुछ भी कह दिया जाये तो एक साथ ही कह देवें तो इसमें पहले जो प्रावधान था कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान किसी निरीक्षक द्वारा या उसकी लिखित पूर्व मंजूरी से, अब इसमें कलेक्टर यानी सरकार उसकी मंजूरी से, यानी निरीक्षक, यह बात बिलकुल सही है कि इन्सपैक्टर राज को यहां पर थोड़ा हतोत्साहित करने का प्रयास किया है क्योंकि इसमें सरकार बीच में आ गई, सरकार इसमें और मंजूरी देगी तो ही आगे कोई प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही होगी। एक इसमें और भी अच्छा प्रावधान दिया है कि उद्यमी केवल पैनेलाइज होगा, 'penalty not more than maximum' उसको जेल भेजना यह आवश्यक नहीं है। यदि वह पैनेल्टी भर दे, आर्थिक दण्ड भुगत ले तो उसको मुक्त कर दिया जायेगा, उसको मुक्त समझा जायेगा, यह एक प्रावधान किया है, मैं यह सोचता हूं कि यह अच्छी बात है। इसमें माननीय सभापति महोदय, एक विशेष बात यह है कि जो लम्बित मामले है कोर्टस में, इन्सपैक्टर मुकदमा दर्ज करवा देता है, कोर्टस में पैंडेंसी बढ़ती जा रही है और उसमें अन्ततोगत्वा यही स्थिति आती है, अंत में पैनेल्टी ही उस पर लागू की जाती है तो फिर व्यर्थ की कोर्ट की पैंडेंसी नहीं बढ़े उसके लिए यह प्रावधान धारा 106 (ख) में यह अन्त:स्थापित की जा रही है, जो पहले नहीं थी, यह नया प्रावधान इसमें रखा है, मैं यह सोचता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है। परिसर और जो बात मैंने कही है कम्प्यूटर प्रोसेसिंग, मैन्यूफैक्चरिंग और इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग इसको एक बार क्लियर करने का मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैंने जो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव किया है चूंकि यह बिल जो लाया जा रहा है यह इन्सपैक्टर राज को कम करने के लिए, उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है इसलिए मैं इस प्रस्ताव को वापस लेने के लिए आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रवर समिति के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, कारखाना राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2014 पर चर्चा चल रही है, प्रावधानों पर अब अधिक जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मूल रूप से जहां विद्युत के द्वारा उत्पादन किया जाता है उसमें 10 से 20 कर रहे हैं और जहां

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बिना विद्युत के 20 की संख्या थी उसको 20 से 40 किया जा रहा है। प्रस्ताव आपका उदारीकरण के अनुकूल चल रहा है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आज के आधुनिक युग में जिन पावरलूम पर 5 मजदूर लगते थे, जमाना इतना बदल गया है और इतनी आधुनिक मशीनें आ गयी हैं कि 5 पावरलूम पर दो आदमियों की आवश्यकता रहती है। 5 पावरलूम पर दो आदमी हैं। जितना मशीनीकरण होगा उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या घटेगी। उत्पादन तो मशीनों के द्वारा होना है, उसका उत्पादन तो बढ़ेगा। फिर भी कुल मिलाकर 10 से 20 और 20 से 40 का जो प्रावधान किया जा रहा है वह राजस्थान की परिस्थितियों के अनुकूल है, मैं माननीय मंत्रीजी से कंपाउंडिंग आफ आफेंसेज के बारे में प्रश्न बाद में पूछूंगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कानून तो आज सदन पास कर देगा, 10-5 दिन में गवर्नर साहब इस पर मोहर लगा देंगे। कानून पास होने के बाद जिन फैक्ट्रीज में कानून पास होने की तारीख से पहले 10 कर्मचारी थे और फैक्ट्री इंस्पैक्टर ने उनका चालान कर रखा है, आपने इसमें कोई सेविंग क्लाज नहीं दिया है कि जो एक्ट हो चुके हैं वे बिलकुल वैधानिक माने जाएंगे। आपका कानून पास होने के बाद 10 की परिधि में आने वाले सब कारखाने जो विद्युत से चलते हैं वे इस परिधि से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जब तक वे कानून की परिधि में कारखाना की परिभाषा में आते थे, उनके खिलाफ चालान हुए हैं और ऐसे संगीन मामलों में भी चालान हुए हैं जिसमें उनको सज़ा होनी है, उनका क्या होगा माननीय मंत्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं। आपने कहीं सेविंग क्लाज नहीं रखा है क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल जुरिस्प्रुडेंस का यह सिद्धांत है कि क्राइम जिस दिन कमिट हुआ, उसी दिन यदि वह क्राइम है तो माना जाएगा। जब वह कमिट हुआ तब तो वह क्राइम था और फैक्ट्रीज एक्ट की परिभाषा में 10 कर्मचारी आ रहे थे और उनके मालिक के द्वारा यदि कोई ऐसा कर्म किया गया फैक्ट्री एक्ट में जिसमें उसको सज़ा होनी है और चालान हुआ है तो वह चालान वापस नहीं होगा। उन चालान पर अदालतों को निश्चित रूप से उसका संज्ञान और उस पर निर्णय करने पड़ेंगे। अच्छा होता यदि आप ऐसा स्पष्टीकरण इसमें रखते।

कंपाउंडिंग आफ आफेंसेज में मैं सिर्फ भाषा की बात आपसे कर रहा हूं कि आपने लिखा है उसको बरी माना जाएगा। 106(ख) जो आपने बनाया है अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात किया गया हो तो सम्मन अपराधी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की दोषमुक्ति के बराबर होगा। सारे क्रिमिनल आर्फेसेज में कंपाउंडिंग आफ आर्फेस का जो प्रावधान हैं, आखिर सिर्फ फैक्ट्रीज एक्ट में ही थोड़े कंपाउंडिंग हैं। अनेक पचासों एक्ट हैं जिनमें कंपाउंडिंग के प्रावधान है। कंपाउंडिंग होने के बाद उसकी जो स्थिति अन्य कानूनों में है, अन्य सज़ा के कानूनों में है वही स्थिति रहनी चाहिए। आप यह लिख सकते थे कि Prosecution shall be deemed to be dismissed. यह भी काम कचहरी का है, आपका काम नहीं है यह। आप कहें कि बरी हो गया, तो बरी अदालत करेगी।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाषा का संशोधन आवश्यक है और मैंने इन सबको ध्यान में रखते हुए इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में और फैक्ट्रीज एक्ट में प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा था, बाकी दो कानूनों में जनमत जानने हेतु प्रस्ताव रखा था। दोनों में जो भिन्नता है उसको मद्देनजर रखते हुए ही मैंने प्रस्ताव दिया था। मेरा निवेदन है कि मैंने जो सैद्धांतिक आपत्तियां की हैं उन पर माननीय मंत्रीजी ध्यान करें और भाषा में संशोधन करना है तो अभी भी उस भाषा में संशोधन करें।

सभापति महोदय, मैं सदन की इजाजत से माननीय मंत्रीजी का जवाब सुनने के बाद यदि आवश्यकता होगी तो प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस लूंगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मैंने इस विधेयक पर जनमत जानने हेतु जो अपना प्रस्ताव किया था, उसे मैं विथड्रा करने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज हम सब इस हाउस में कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पर चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज जितने संशोधन विधेयक आये हैं वे लेबर पर ही आये हैं। राजस्थान अब एक ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जो लेबर रिफार्म्स के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पर चर्चा करते हुए हमारे वरिष्ठतम मंत्री माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के बारे में जो राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय अखबारों में खबरें छपीं उन सबके बारे में चर्चा की। उसके बारे में मैं दो मिनट, आपने इशारा किया तो कहना चाहूंगा। अलग-अलग लोगों ने इस रिफार्म्स को एक

(श्री युनुस खान)

प्रगतिशील कदम के रूप में लिया है। आज भारत सरकार भी और भारत के उद्योगपति यह सोच रहे हैं कि राजस्थान में धीरे-धीरे निवेश का माहौल बनने लगेगा। राजस्थान अब एक ऐसा औद्योगिक हब बनने जा रहा है जहां चाहे छोटे उद्योग हों, चाहे मझले उद्योग हों, चाहे बड़े उद्योग हों उनको बढ़ावा देने के लिए श्रमिक कानूनों में राजस्थान सरकार संशोधन करेगी। उन संशोधनों के माध्यम से यह एक तरीके से इण्डस्ट्रियल फ्रेंडली माहौल बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में कोई भी सरकार जन कल्याणकारी सरकार होती है। उसकी जिम्मेदारी है कि उसके युवाओं को रोजगार मिले, उसके श्रमिकों को रोजगार मिले। वह रोजगार तभी मिलेगा जब देश के अन्दर उद्योग लगेंगे और औद्योगिक माहौल बनेगा। इस माहौल को बनाने के लिए ये संशोधन किये जा रहे हैं।

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात का बार-बार जिक्र किया और हमारे ना पक्ष के माननीय सदस्य नहीं हैं, अब किसको कहें, इसलिए मैं कहूंगा कि यह सरकार 15 लाख रोजगार के अवसर कैसे पैदा करेगी। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि धीरे-धीरे हम, चाहे वह लेबर रिफार्म्स की बात हो, चाहे इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात हो, इन कदमों को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में इस माहौल को बनाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं विषय पर आ जाता हूं। कारखाना अधिनियम में अंतिम संशोधन 1987 में हुआ था। उसके बाद में आज हम संशोधन करने जा रहे हैं। इस अधिनियम में इसके अमेण्डमैंट का सैक्शन 2 है, जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां 2(एम)(1) व एम(2) में संशोधन के द्वारा छोटे-छोटे मंझले उद्योगों की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा जिससे राजस्थान में जो हमारे पंजीकृत कारखाने हैं, लगभग 3 हजार छोटे-छोटे कारखानों को इस सरलीकृत प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। हमने सैक्शन 85 में अमेण्डमैंट किया है उसमें जो बहुत ही जोखिमपूर्ण काम करने वाले कारखाने हैं उन कारखानों में उत्पादन इकाई लगी हुई है उनकी प्रवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावी करने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जैसे आरा मशीन है, काटन जिनिंग है, क्लोरिन काम में लेने वाली क्लोरिनेटेड पैराफिन वैक्स बनाने के कारखाने हैं, अमोनिया काम में लेने वाले बर्फ और कोल्ड स्टोरेज उद्योग हैं, कपड़ा धुलाई और रंगाई में केयर काम में

(श्री युनुस खान)

लेने वाले कारखाने हैं, 10 टन का भण्डारण कर एलपीजी बाटलिंग करने वाले कारखाने हैं। क्वार्टज स्टोन ग्राइंडिंग करने वाले उद्योग हैं, एस्बेस्टोस फाइबर काम में लेकर सीमेंट पाइप एस्बेस्टोस सीमेंट शीट बनाने वाले कारखाने हैं, इन सबको इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी 10 के स्थान पर 20 और 20 के स्थान पर इसको 40 किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसमें जिन हजार्डियस फैक्ट्रीज की मैंने चर्चा की उनमें काम करने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो इसलिए वक्त का तकाजा और जरूरत को देखकर यह संशोधन किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, एक दूसरे अमेंडमैंट की इस संशोधन के माध्यम से माननीय प्रहलादजी गुंजल साहब जो कोटा उत्तर से आते हैं, माननीय जोगाराम जी पटेल जो लूणी से हैं, माननीय मदनजी राठौड़ साहब और माननीय मानिक चन्दजी ने जो विषय रखे उसमें सैक्शन 105 में जो चर्चा इसके बारे में की, उसमें जो पावर इंस्पैक्टर के पास थे और इंस्पैक्टर उसके प्रोसीक्यूशन की इजाजत देता था। अलग-अलग इंस्पैक्टर अलग-अलग तरीके के मापदण्ड अपनाते थे इसलिए इसमें एकरूपता लाने के लिए, इसमें पारदर्शिता लाने के लिए, इसमें इंस्पैक्टर राज को खतम करने के लिए यह अधिकार राज्य सरकार को दिया है। अगर अलग-अलग जिलों से अलग-अलग इंस्पैक्टर्स के इस तरीके के प्रोसीक्यूशन के मामले आयेंगे और क्योंकि वो अलग-अलग जगह बैठे हैं तो वो अपनी मर्जी से अगर उसकी नाराजगी कारखाने वाले से हो गई या उसकी मन्शा के मुताबिक कारखाने वाले ने उसकी इच्छा पूर्ति नहीं की तो वो कोई इस तरीके का निर्णय बायस्ड होकर भी ले सकता है या उसके निर्णय में भिन्नता भी हो सकती है इसलिए राज्य सरकार को इस सैक्शन 105 में यह अधिकार दिया है।

माननीय सभापति महोदय, आगे जो हमारा 106 है, जिसकी हमने चर्चा की है और माननीय सुराना साहब ने भी इसके बारे में चर्चा की है, माननीय जोगाराम जी ने भी इसके बारे में चर्चा की, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कारखाना किसको कहते हैं, कारखाना जहां बिजली लग गई और एक पंखा लग गया। उदाहरण के तौर पर माननीय सभापति महोदय, अगर कुछ लोग इकट्ठे होकर, एक छोटा व्यक्ति दस आदमियों से काम करवा रहा है और उसमें उन्होंने उसकी सुविधा के लिए पंखा लगा दिया तो वो भी कारखाने की श्रेणी में आ

(श्री युनुस खान)

गया, अब कारखाने इस तरीके से चलते हैं। तो मैं आपसे निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि यह जो 106 बी की चर्चा आई, उसमें जो व्यक्ति पहली बार कारखाना लगाता है और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में उस कारखाने को लगाता है तो वो एक्ट पढ़कर तो लगाता नहीं है क्योंकि कारखाना अधिनियम, 1948 का एक्ट है, इसमें बहुत सारे प्रोविजन्स हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजों की उसको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं तो कानून का अज्ञानतावश उससे कई बार आफेंस हो जाता है। चूंकि वो पहली बार कारखाना लगा रहा है और उससे आफेंस हो गया तो उसको दण्डित करना तो एक तरीके से उसको हतोत्साहित करने वाली बात हो गई। हतोत्साहित नहीं हो, उसको पहले आफेंस में किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिले इसलिए इसको कम्पाउंडेबल बनाया गया है। जैसा कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने खुद ही कहा कि कानूनों में बहुत सारे प्रावधान हैं कि अगर कोई आफेंस होता है तो उसको कम्पाउण्ड किया जा सकता है। कम्पाउण्ड करने का अधिकार, यह आपने स्वयं ने भी स्वीकारा है और कानून में इसका प्रोविजन है। इसमें यह प्रोविजन नहीं था, पहले आफेंस पर ही उसको दण्ड देने का था। कोई व्यक्ति जो पहली बार कारखाना लगा रहा है, उसको दण्ड नहीं मिले इसलिए इसको कम्पाउंडेबल बनाया गया है। इसके पीछे सरकार की मन्शा कोई अपने पास अधिकार लेने की या किसी को बरी करने की नहीं है। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि इसमें कोर्ट के अधिकार लेने की मन्शा नहीं है। इसके पीछे सरकार की मन्शा सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी राजस्थान के अन्दर इण्डस्ट्री लगाता है तो वो हतोत्साहित नहीं हो और अज्ञानतावश उसने कोई अपराध कर दिया और उसका अपराध इस तरीके का है तो उसको कम्पाउण्ड कर दिया जाए और वो कम्पाउंडेबल है तो उसकी फीस ले ली जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापतिजी, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान 106 बी जिसका अभी आपने जिक्र किया है उसमें मैं तीसरी लाइन की तरफ आकर्षित करता हूं "special order of the State Govt. in this behalf'. The Inspector may subject to any general or special order of the State Govt. in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only' जिसमें सज़ा है, उसमें आप कम्पाउण्ड नहीं कर सकते, सिर्फ फाइन जिसमें है उसी में आप कम्पाउण्ड करने का अधिकार रखते हैं। पर मुझे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अफसोस यह है यानी इस कम्पाउंडिंग के नतीजे क्या होंगे तो आपने लिखा है 'before the institution of the prosecution' यानी यदि प्रोसीक्यूशन से पहले ही कम्पाउंडिंग हो रही है 'the offender shall not be liable to prosecution' बिलकुल समझ में आता है मेरे 'for such offence' और आगे यह क्या लिख दिया आपने 'and shall, if in custody, be set at liberty' साहब, जहां फाइन होना है, वहां वो आदमी कस्टडी में कैसे रहेगा? जब फाइन होना है तो फिर आपने यह आगे कैसे लिखा कि if he is already in custody, he shall be set at liberty. वो तो कस्टडी में हो ही नहीं सकता क्योंकि यह फाइन का ही प्रावधान है तो कस्टडी किस बात की? आप इसको बिलकुल ड्राप करिये यह जो वर्डस हैं 'if in custody' बस इतना ही काफी है 'liable to prosecution for such offence and shall not be liable to prosecution for such offence.' एण्ड के आगे जो लिखा है न आपने, तीसरी लाइन को आप ड्राप करिये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने 106 (ख) के अपराधों के सम्मन के सम्बन्ध में एक अभियोजन संसित किये जाने के पूर्व किया गया हो तो अपराधी ऐसे अपराधों के लिए अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा और यदि अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसमें अभिरक्षा शब्द का प्रावधान किया गया है। दो में अभियोजन संसित किये जाने के पश्चात् किया गया है तो सम्मन अपराधी को दोष मुक्ति के बराबर होगा। ये दोनों विषय आपने उठाये हैं तो ये दोनों इस 106 (ख) में प्रावधान किया गया है।

आपने दूसरी बात और कही थी कि इससे पहले अगर कोई प्रावधान, मतलब कम्पाउंडिंग के पहले कोई सेविंग क्लाज नहीं लाया गया। आपने एक बात यह कही थी इसका अर्थ यह है कि संशोधन प्रभावी होने के पूर्व जिन मामलों में अभियोजन न्यायालय में दायर कर दिये गये हैं वे यथावत चलते रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में निवेश आये, राजस्थान का माहौल इण्डस्ट्रियल बने, लोग यहां कारखाने लगायें और राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन लाये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, ये संशोधन हम तो आज ला रहे हैं पर उत्तर प्रदेश तो इस संशोधन को 1979 में ही ले आया था और बहुत सारे और स्टेट

(श्री युनुस खान)

भी लेकर आये हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों के बारे में मैंने आपके सामने बात रखी। राजस्थान में औद्योगिक माहौल बने, युवाओं को रोजगार मिले, राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बने और जो रिफार्म्स हमारी सरकार लेकर आई है, उन रिफार्म्स पर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा ऐसा नहीं है कि खाली हम उद्योग फ्रैण्डली हो रहे हैं, सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि जो हमारे लेबर हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। लेबर चाहे वो किसी भी तरीके का लेबर हो, कारखाने में काम करने वाला हो या अन्य कांट्रैक्ट लेबर हो, उनके हितों का भी सरकार पूरा ध्यान रखेगी, उनकी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखेगी और उनके हितों पर किसी भी तरीके का कुठाराघात नहीं हो। जो हमारे अन्तरराष्ट्रीय मानक बने हुए हैं क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर की कम्पनियां भी आती हैं, वो भी कांट्रैक्ट पर काम लेती हैं, वो भी काम करवाती हैं तो वो भी हमारी तरफ इस तरीके से नहीं देखें कि हम लेबर्स के मामले में बिलकुल नैग्लीजेंट हैं, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम जो विधेयक लेकर आये हैं वो पारित करने की कृपा करावें।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री प्रहलाद गुंजल, श्री जोगाराम पटेल, श्री मदन राठौड़ ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि श्री मानिकचन्द सुराना ने विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, ये जो ऊपर लिखा है कि सिर्फ फाइन से पैनल्टी, फाइन का ही जहां प्रावधान है, उसमें तो कम्पाउण्ड होगा, फिर नीचे अभिरक्षा का लिखा है। यह बिलकुल कंट्राडिक्टरी है। आप थोड़ा खुद गौर करें, माननीय माननीय मंत्री महोदय भी

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गौर करें। इस लाइन को इसमें से हटाने की कृपा करें और यदि अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जाये इसको।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, जब आप थर्ड रीडिंग पर बोलें तो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर देना।

प्रश्न यह है कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 5, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन, सूत्र नामादि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो अनुमति होगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, यह संशोधन बहुत जरूरी है, जिस भावना से लाया गया है, वह भी बहुत जरूरी है, राजस्थान के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है लेकिन थोड़ा सा हमारा भी धर्म बन जाता है कि आपने कहा है। सिर्फ हमारा संशय है, वह

(श्री जोगाराम पटेल)

है 106-बी। जो बातें हमने रखीं, उसका मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया। फिर भी मैं दुबारा निवेदन कर रहा हूं 'The Inspector may, subject to any general or special order of the State Govt. in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only' तो वह कम्पाउंडिंग आफेंस कम्पाउण्ड होंगे जो फाइन होने से पनिशेबल है। चैप्टर-10 में एक भी आफेंस ओनली फाइन वाले हैं ही नहीं। सारे आफेंसेज में पैनल्टी बोथ हैं। punishment as well as penalty. और जब कोई प्रोविजन ही नहीं है तो यह प्रोविजन कैसे बना? यहां आप बता दें। मेरे पढ़ने में फर्क है, फलां प्रोविजन है। कोई भी प्रोविजन नहीं है जो ओनली फाइन से पनिशेबल हो। एक तो मेरा निवेदन यह था।

दूसरा, मेरा निवेदन यह था कि जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके सामने निवेदन किया। यह प्रोविजन बनाने से पहले रीपील और सेविंग के क्लाज नहीं बनाये गये हैं और जो प्रोसीक्यूशन आज की तारीख में न्यायालयों में पैंडिंग हैं और ओनली फाइन से हैं तो उन पर ये प्रोविजन लागू होंगे कि नहीं होंगे? या ऐसे प्रोविजन हैं, आपके इस प्रोविजन बनाने से, 10 का 2 करने से, 5 का 10 करने से, संख्या घटाने-बढ़ाने से, जो आलरेडी प्रोसीक्यूशन कोर्टस में पैंडिंग हैं, उन पर ये लागू होंगे कि नहीं होंगे? कल को वह जाकर कहेगा कि मेरा तो आफेंस रहा ही नहीं क्योंकि मेरे तो 50 आदमी हैं ही नहीं, मेरे तो 20 आदमी हैं। मेरे 20 आदमी हैं ही नहीं, मेरे तो 50 आदमी हैं। तो रीपील एंड सेविंग का तो मेंडेटरी प्रोविजन है, वह बनाना ही पड़ेगा आपको अदरवाइज ये अमेंडमैंट ही लागू कैसे होंगे?

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि एक व्यक्ति ने ओनली फाइन का कोई आफेंस किया, उसका फिर भी कम्पाउण्ड नहीं हुआ, वह कोर्ट में चल रहा है और इसमें आपका आफेंस आ गया और सैकण्ड कम्प्लेंट उसकी फाइल हो गई जिसमें वह सैकण्ड आफेंस कर दिया तो क्या वह यह क्लेम कर सकता है कि मेरा जो प्रोसीक्यूशन हो रहा है, वह ओनली कम्पाउंडिंग होने योग्य है, क्योंकि ओनली फाइन का है परन्तु उसने सैकण्ड आफेंस भी कर दिया। उसकी कम्प्लेंट अलग चल रही है। पहले वाली कम्प्लेंट अलग चल रही है तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है, पहले तो आप यह बता दें चैप्टर-10 में ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जो ओनली फाइन से हैं? और जो ओनली फाइन नहीं हैं, उसमें अपने खुद के प्रोविजन में, आप कह रहे हैं 'exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence' वह पहले ले रहे हैं। इसका मतलब आप उसको प्रोसीक्यूट करके, उस पर पैनल्टी इम्पोज

(श्री जोगाराम पटेल)

कर रहे हैं। वह पैनल्टी इन मोनेटरी है, वह रिकवर करने के बाद उसको आप कम्पाउंड कर रहे हैं। फिर वह एक्विटल कैसे होगा? एक्विटल का तो बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने कोई आफेंस किया ही नहीं, आपके खिलाफ प्रोसीक्यूशन गलत हुआ है। एक्विटल की डैफिनेशन, कोई भी लीगल डिक्शनरी ले लें, इसका मतलब यही है कि the prosecution is falsely known against you. इसीलिए आपको सइज्जत बरी किया जाता है। आपने कोई गुनाह नहीं किया है और आप तो गुनाह मानते हैं। गुनाह मानने के बाद मैक्सिमम पैनल्टी ले रहे हैं। पैनल्टी लेने के बाद उसको कम्पाउंड कर रहे हैं तो कम्पाउंड तो तभी होगा, जब उसने आफेंस किया है। दो कंट्राडिक्शन प्रोविजन कभी हो ही नहीं सकते। इसमें कंट्राडिक्शन नहीं, डेस्ट्रिक्टरी प्रोविजन है। कम्पाउंड का मतलब है, उसने कोई गलती की है परन्तु उसकी छोटी गलती है, पहली बार की है इसलिए माफ की जाती है। यहां आप कह रहे हैं कि एक्विटल हो गया आपका तो। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है। ये जो तीन बातें हैं, इनका आप कृपया निराकरण करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि फैक्ट्रीज एक्ट में सिर्फ फाइन के लिए कोई भी आफेंस नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन और इसमें जो माननीय सदस्य बात कहते हैं, वह किसी वाद-विवाद का अंग नहीं है। यह कोई स्कूल में, कालेज में डिबेट नहीं हो रही है। उसको हमें गम्भीरता से लेना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है सिर्फ फाइन का। मान लीजिये, आपने गलती से रख दिया है तो सभापति महोदय, प्रस्ताव इसीलिए किया था कि यह प्रवर समिति के लायक मामला है। कम्पाउंडिंग के बारे में अभी जो लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पहले सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कम्पाउंड के बाद क्या माना जायेगा, वह एक सैट सिद्धान्त है। आप कौन हैं कहने वाले कि इसका एक्विटल हो गया? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तो प्रथम आफेंस में ही जहां ऊपर आप मानते हैं कि पहला जुर्म है और सिर्फ आफेंस के कारण हम कम्पाउंड कर रहे हैं, पूरी पैनल्टी मैक्सीमम ले रहे हैं और उसके नीचे ही आप पहले तो लिख रहे हैं। ''...और यदि अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जाये।'' सभापति महोदय, बिलकुल कंट्राडिक्टरी ही बात है। फर्स्ट आफेंस है, सिर्फ फाइन के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आधार पर ही हम उसको कम्पाउंड कर सकते हैं तो अभिरक्षा में कैसे आ गया सम्बन्धित व्यक्ति और कारखाने वाला? वह आ ही नहीं सकता, मेरा निवेदन है। यह आपकी कोई जिद हो तो अलग बात है कि भई, हमने गलती तो कर दी, पर हम इसको शुद्ध कैसे करें? अन्यथा साफ है कि यह हटाइये ''और यदि अभिरक्षा में हो तो स्वतंत्र कर दिया जायेगा'' और नीचे यह जो दोषमुक्ति का लिखा है। अपन घोषित नहीं कर सकते कि उसका एक्विटल हो गया और लेजिस्लेचर कैसे घोषित करेगी? क्या लेजिस्लेचर जूडिशियरी का स्थान ले लेगी? और घोषित करेगी कि अब ये एक्विटल हमने कर दिया। अब लेजिस्लेचर तो एक्विटल करते नहीं है। वह तो काम न्यायाधीशों का है, जूडिशियल मजिस्ट्रेट का है, वह करेंगे। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि 106-ख में या तो आप इसे अभी संशोधित करें, 10-15 मिनट का गैप हो जाये सभापति महोदय, और जो भी रिलेवेंट लोग हैं, वह इसको संशोधित करें अन्यथा यह एक, यानी अपन इसको सिर्फ एज इट इज पास करते हैं तो लीगल होगी।

श्री सभापति: At stage-3, I can't even allow that. That should have taken place when we were going through the basic amendments.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप देख लें, सभापति महोदय।

श्री सभापति: इसमें हैं, there are lots of rulings from the Chair. This should have come up at the time when amendments were being discussed. Chair cannot allow it. Of course, I will request, ….

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है….

श्री सभापति: एक मिनट आप विराजें। मैं मंत्री महोदय से यह जरूर निवेदन करुंगा कि प्रिंसीपली जो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य और लूणी से आने वाले माननीय सदस्य के अपने डाउट्स जो भी हैं, उन डाउट्स के बारे में आप एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छी तरह दे दें जिससे कि उनकी...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल, माननीय सभापति महोदय माननीय लूणी और लूणकरणसर से आने वाले दोनों सदस्यों ने जो डाउट्स बताये हैं। पहला तो मैं यह कहूंगा कि संशोधन से प्रभावी होने

(श्री युनुस खान)

से पूर्व जो मामले अभियोजन के लिए न्यायालय में चले गए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, वो सुन नहीं रहे हैं।

श्री सभापति: सुन रहे हैं वो. He is attentive.

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि संशोधन के प्रभावी होने से पूर्व जो मामले अभियोजन के लिए न्यायालय में दायर कर दिए गए हैं वो तो यथावत चलते रहेंगे, एक तो यह। दूसरा, आपने जो कंट्राडिक्टरी बात कही तो मैं उत्तर प्रदेश ने जो अमेण्डमैंट किया 106 (A) compounding of offences, माननीय, लूणकरणसर से आने वाले सदस्य को भी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने भी जो अमेण्डमैंट किया 106 (A) – “Compounding of offences.- The Inspector may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only, and committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is so compounded, -

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender.”

माननीय सभापति महोदय, यह जो एक्ट है हमारा फैक्ट्री एक्ट, 1948 इसमें उत्तर प्रदेश, जिसकी मैंने चर्चा की, उन्होंने अमेण्डमैंट किया है और यह अमेण्डमैंट 106 (A) में यह इस तरीके का प्रोविजन है। इसलिए यह नहीं है कि यह गलत किया है, तो आपकी दोनों बातें मैंने क्लियर कर दीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करुंगा कि आप इसको विथड्रा करें और मैं आपसे निवेदन करुंगा कि इस विधेयक को पास करें।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया गया।

शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (अनुपस्थित), श्री जोगाराम जी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, मेरे द्वारा इस विधेयक के संशोधन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव दिया गया शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 इसको मैं वापस लेने की अनुमति की प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित ही अपने जनमत जानने के प्रस्ताव को वापिस लूंगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय यह बिल पास होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 के पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पर सदन में चर्चा हो रही है। अभी इस सदन ने तीन विधेयक पारित किए हैं। माननीय सभापति महोदय, ये जो अधिनियम हैं यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं और अभी जब तीन विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो लगातार यह चर्चा हो रही थी कि सरकार की मंशा विधेयक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लाने के पीछे बहुत पवित्र है। लेकिन इन विधेयकों से जो राजस्थान का आम आदमी प्रभावित हो रहा है उसकी चिंता की जानी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह जो शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 जो लेकर आया जा रहा है यह अपने आपमें राजस्थान के नौजवानों के लिए कल्याणकारी विधेयक होगा। राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में पीपीपी माडल पर स्किल यूनिवर्सिटी खोलने का संकल्प और निर्णय किया था। माननीय सभापति महोदय, यह जो बिल है उस स्किल यूनिवर्सिटी का एक वृहत् स्वरूप है जो सारे राजस्थान में हर जिले में स्थापित हो जाएगा और इसीलिए इस बिल के उद्देश्य और कारणों में लिखा है ''कौशल क्षेत्र में और शिक्षु के लिए, कामकाज करते हुए सीखने के लिए किसी उद्योग में शाप-फ्लोर प्रशिक्षण के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। चूंकि राज्य के युवाओं को अधिक रोजगारपरक बनाये जाने के लिए विपण्य कौशल का सृजन राज्य की एक प्राथमिकता है, शिक्षा अधिनियम, 1961 के अधीन राजस्थान में शिक्षु प्रशिक्षण स्कीम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, अधिनियम में कई वर्तमान उपबंधों को तेजी से बदल रहे कौशल क्षेत्र के अनुरूप बनाने के लिए पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है।'' और इसी भावना से जो केन्द्र का शिक्षु अधिनियम, 1961 था उस मूल अधिनियम में राजस्थान में स्वीकार करते समय राजस्थान राज्य में लागू होने के निमित्त जो संशोधन किए गए हैं। वह अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। माननीय सभापति महोदय, विधेयक की धारा-2 में खण्ड-2 है, मूल अधिनियम की धारा-6 का जो संशोधन किया गया है, मूल अधिनियम की धारा-6 के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

''(ख) अन्य शिक्षुओं की दशा में शिक्षुता प्रशिक्षण की कालावधि उतनी होगी, जितनी राज्य शिक्षुता परिषद द्वारा विहित की जाए।''

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में राज्य शिक्षुता परिषद बनी हुई है लेकिन आज तक राजस्थान को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कई राज्य शिक्षुता परिषद राज्य के नौजवानों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रही है और इसीलिए इस बिल के माध्यम से राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने उस राज्य शिक्षुता परिषद को कानून सम्मत तरीके से बहुत पावरफुल बनाने का प्रयास किया है और अब राजस्थान का वह नौजवान जो इंजीनियरिंग के बाद, एमबीए के बाद

(श्री प्रहलाद गुंजल)

किसी प्रकार की टैक्नीकल और नान टेक्नीकल एजुकेशन के बाद किसी इंडस्ट्री में आईटीआई या कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो ये जो शिक्षुता परिषद है एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सम्बन्धित कारखाने के लिए अनिवार्य रूप से उसको लेना आवश्यक होगा और उसके पैरामीटर्स बनाने के लिए भी मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, ये केन्द्रीय अधिनियम सं. 52 की धारा-6 का संशोधन मूल अधिनियम की धारा-7 की उप धारा-3 के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसमें सारा उल्लेख दिया है माननीय सभापति महोदय, किस प्रकार से राज्य शिक्षुता सलाहकार परिषद काम करेगी और अधिनियम की धारा-8 में अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षकों की संख्या ये मिनिमम संख्या जो होगी इसको राज्य शिक्षुता परिषद तय करेगी लेकिन उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यह मिनिमम संख्या इससे अधिक लेने पर प्रतिबन्ध नहीं है, कारखाना उससे ज्यादा भी ले सकता है और ऐसा करने से मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का जो अप्रेन्टिश करने वाला बच्चा है, जो कौशल प्राप्त करने की ललक रखने वाला बच्चा है उसमें एक जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा और जिम्मेदारी का भाव दोनों तरफ पैदा हो इसके लिए जो 52 की धारा-3 का संशोधन किया कि उपबंधों में निर्बंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए नियोजक की असफलता के कारण पर्यवसित की जाए, वहां नियोजक शिक्षुओं को ऐसा प्रतिकर देगा, जो राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा अवधारित की गई हो। यानी नियोक्ता जो प्रशिक्षण कौशल प्राप्त करने वाला जो नौजवान है उसको प्रतिकर देगा लेकिन साथ ही नियोक्ता के हित को भी निर्धारित करने के लिए इसके उपखण्ड-ख में-शिक्षु की ऐसी असफलता के कारण पर्यवसित की जाए वहां शिक्षु प्रशिक्षण के खर्च के रूप नियोजक को उतनी रकम वापस करेगा जितनी राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा अवधारित की जाए। जब ये दोनों तरफ से होगा कि अगर नियोक्ता गड़बड़ी करेगा तो उसको प्रतिकर देना होगा और शिक्षु लापरवाही करेगा तो नियोक्ता के अधीन जिन शर्तों का वायलेशन करेगा उसके रूप में नियोक्ता को भी निश्चित रूप से प्रतिकर देना पड़ेगा और ये जब कानून लागू होगा तो निश्चित रूप से इस कानूनी एग्रीमेंट के तहत जो सीमा निर्धारित शिक्षुता परिषद ने एक अधिनियम के तहत धारा-8 में जो प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें दो-तीन, चार अलग-अलग किस प्रकार से कितनी संख्या होगी, किसकी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पालना किस प्रकार से होगी उसके तहत निश्चित रूप से पढ़ा-लिखा नौजवान इसकी ओर आकर्षित होगा और ये अनुपात ठीक तरीके से श्रमिक और प्रशिक्षु के अनुपात में रखा है।

माननीय सभापति महोदय, मूल अधिनियम शिक्षु अधिनियम की धारा-8, अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षकों की संख्या इस पूरे के पूरे को राजस्थान अमेंडमैंट में नयी धारा प्रस्थापित कर दी और इसके खण्ड-3 में जहां केन्द्रीय अधिनियम में कोई संख्या निहित नहीं की गई वहां राज्य ने अपने संशोधन में यह तय कर दिया परन्तु यह और राज्य शिक्षुता सलाहकार, किसी नियोजक द्वारा उससे अभ्यावेदन किये जाने पर और अधिक यथार्थवादी नियोजन सशक्तता, प्रशिक्षण सुविधाएं और अन्य सुसंगत कारकों को दृष्टिगत रखते हुए उसे किसी अभिहित व्यवसाय के लिए शिक्षकों की ऐसी संख्या नियुक्त करने की अनुज्ञा दे सकेगा जो उस व्यवसाय के अनुपात द्वारा आने वाली संख्या से कम हो, जो इस प्रकार आयी संख्या के तीस प्रतिशत से कम न हो। यानी एक इंडस्ट्री जिसमें हजार आदमी काम कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, यह बिल राजस्थान में आने के बाद उस हजार की इंडस्ट्री वाले व्यक्ति को तीन सौ प्रशिक्षुओं को कौशल प्रशिक्षण देना पड़ेगा और ये केवल हम उन पर कानून बना कर थोप नहीं रहे माननीय सभापति महोदय, इसके आगे जो कानून में प्रोविजन संशोधन किया गया है 1961 के अधिनियम 52 की मूल धारा-9 में विद्यमान उप धारा-1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, इसकी उप धारा-2 में उप धारा-8 के खण्ड-क में विद्यमान उप खण्ड-1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् यदि ऐसा नियोजक जो 250 या अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है तो ऐसी सीमा तक जो राज्य सरकार द्वारा अधिकथित की जाए, नियोजक और सरकार द्वारा समान अंशों में वहन की जाएगी तथा शिक्षु द्वारा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के प्रत्येक मामले में ऐसी रकम प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है माननीय सभापति महोदय, कि राज्य सरकार जो अप्रेन्टिस लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे कारखानों में 250 से अधिक जहां पर जिस कारखाने में लेंगे आधा पैसा राज्य सरकार देगी, आधा कारखाना देगा और जहां पर ढाई सौ से कम लोग काम करेंगे सारे का सारा पैसा अप्रेन्टिस का राज्य सरकार देगी। इसीलिए मैंने यह कहा था माननीय सभापति महोदय, ये स्किल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप है। राजस्थान के हजारों लाखों नौजवानों को इससे जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज काम कर रही है

(श्री प्रहलाद गुंजल)

किसी में पचास किसी में बीस किसी में दो सौ और कहीं-कहीं राजस्थान में ऐसे कारखाने हैं जिनमें दो-दो, चार-चार हजार लोग काम करते हैं अगर वहां पर तीस प्रतिशत के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण इस कानून के तहत राज्य के नौजवानों को मिलेगा तो एक बहुत बड़ा स्किल्ड मैनपावर हम राजस्थान की धरती पर खड़ा कर पाएंगे और उसके लिए न केवल राजस्थान बल्कि देश के तमाम कोनों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये विधेयक राजस्थान के नौजवानों के भविष्य के लिए एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाला विधेयक होगा। माननीय सभापति महोदय, इसमें यह भी तय किया है अभी वर्तमान में भी इस प्रकार के प्रावधान हैं कि जो अप्रेन्टिश करेगा उसको स्टाईपंड दिया जाएगा लेकिन वो स्टाईपंड कितना होगा इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं, कारखाना इसके लिए बाउंड नहीं और ये भी तय नहीं। कानून में स्पष्ट प्रावधान होने के कारण आदमी कारखाने में अप्रेन्टिस करने जाता है, संस्थान का लैटर जाता है, उसकी हाजिरी लिख दी जाती है, उसको कह दिया जाता है आप अपने हिसाब से इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लें, हम आपको सर्टीफिकेट जारी कर देंगे। लेकिन किस प्रकार का कौशल उसमें, प्रशिक्षण लिया जाएगा, कितने समय के लिए लिया जाएगा, ये सारा जो इस कानून में मैन्शन किया है कि आपको निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इतने निर्धारित समय तक लगातार आपको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये अनिवार्य रूप से लागू होने के बाद मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, कि ये राजस्थान के इतिहास में अपने आपमें एक ऐतिहासिक कदम होगा- धारा-13 में शिक्षुओं को संदाय, इसमें साफ तौर पर यह तय कर दिया कि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान हर शिक्षु को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-11) के अधीन अकुशल कर्मकार की श्रेणी में न्यूनतम मजदूरी जैसा कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई से अन्यून दर ऐसी वृत्तिका का संदाय करेगा, जैसी शिक्षुता संविदा में विनिर्दिष्ट हो और इस प्रकार विनिर्दिष्ट वृत्तिका ऐसे अन्तरालों पर ऐसी शर्तों के अध्यधीन संदत्त की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि जब राजस्थान सरकार उसको अप्रेन्टिस देगी तो निश्चित रूप से जो कौशल प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति है उसका रुझान बढ़ेगा और रुझान ही नहीं बढ़ेगा बल्कि वो आगे चल कर यथासम्भव प्रशिक्षण पाने का प्रयास करेगा। वर्ना सामान्यत: कारखाने की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लापरवाही और प्रशिक्षु की लापरवाही के कारण वो सर्टीफिकेट तो प्राप्त कर लेता है लेकिन कौशल प्राप्त नहीं कर पाता, इसके अभाव में रोजगार के संकट से जूझता रहता है। धारा-14 के अन्तर्गत वर्तमान में कारखाने में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु को चैप्टर 3, 4 और 5 कारखाना अधिनियम में स्वास्थ्य, क्षेम और वैलफेयर के सम्बन्ध में वो ही प्रावधान लागू होंगे जो उक्त कारखाने के श्रमिक पर लागू होंगे। मैं समझता हूं कि हमने उसके मन में ये प्रशिक्षण देते समय उसको जो कानून से कवर किया नियमों से, अधिनियम से ये भाव पैदा कर दिये कि वो उस कारखाने का सेमी एम्प्लाई है और जब उसमें सेमी एम्प्लाई की भावना से वो प्रशिक्षण लेगा, काम करेगा तो निश्चित रूप से उसकी कुशलता बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा और जब उसको उसका मानदेय मिलेगा, प्रतिकर मिलेगा तो निश्चित रूप से सम्पूर्ण रुचि के साथ वो बहुत तौर तरीकों से इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इस संशोधन के माध्यम से किसी भी दुकान अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु पर भी राजस्थान में राजस्थान शाप एंड कामर्शियल एस्टेब्लिशमैंट एक्ट के तहत उक्त संस्थानों में स्वास्थ्य, क्षेम और वैलफेयर के सम्बन्ध में वहां नियोजित श्रमिकों पर भी लागू होंगे, आपने इसके स्वरूप को व्यापक किया है। आज बड़े माल्स बन गए, सेन्टर्स बन गए, उनमें भी हजारों लोग काम करते हैं। आपने तय कर दिया कि यह रूल रेगूलेशन जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, दुकान, व्यावसायिक संस्थान, कई कम्प्यूटर सेंटर हैं, कई प्रकार के बड़े-बड़े सेंटर संचालित हो रहे हैं यह भी इस एक्ट में कवर होंगे। मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण राजस्थान के नौजवान की वैलफेयर की भावना को समाहित करते हुए आने वाले भविष्य में उसको एक स्किल्ड मैन के रूप में तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वकांक्षी योजना है ताकि उसके सामने रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित हो सकें। यह एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में जमीन पर आएगी, उससे कहीं चार गुणा, दस गुणा एक व्यापक स्वरूप में यह घर-घर, गांव-गांव तक, हर इण्डस्ट्री में मुख्य मंत्रीजी की भावना के अनुरूप स्किल्ड लेवर हम तैयार करेंगे, स्किल्ड मैन तैयार करेंगे। इसलिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के हित में, आम आदमी के हित में बहुत उपयोगी है। मैं इस विधेयक को पारित करने का समर्थन करते हुए जो मैंने जनमत जानने का प्रस्ताव दिया था, माननीय सभापति महोदय, मैं उसको वापस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्द सुराना। श्री मदनजी राठौड।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 जनमत जानने के लिए परिचालित करने का मैंने प्रस्ताव रखा उसमें एक मूल कारण था। मैं सोचता हूं कि मंत्रीजी जब जवाब दें तो उसका समाधान कर देंगे। केन्द्रीय अधिनियम संख्या 52 की धारा 14 का संशोधन, शिक्षुओं का स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण, मैं सोचता हूं कि कोटा ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य इस पर कैसे नहीं बोले? इसमें बहुत साफ है कि किसी खान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो तब खान अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) के अध्याय 5 के उपबंध शिक्षुओं के स्वास्थ्य, क्षेम और कल्याण के सम्बन्ध में ऐसे लोग होंगे मानो वे खान में नियोजित व्यक्ति हो। अब आप यह सोचें कि खान में नियोजित व्यक्ति और उसके स्वास्थ्य के बारे में आपको मालूम है कि हिन्दुस्तान का यह लेबर एक्ट है खान के लिए जो प्रावधान उन्होंने किए हैं वहां पर एम्बुलेंस होना बहुत जरूरी है, वहां पर पालना होना बहुत जरूरी है, वहां पर चिकित्सा के साधन होना बहुत जरूरी है, ये सारा, फर्स्ट-एड बाक्स तो खैर रखते ही हैं, यह सारे प्रावधान लागू किए गए हैं। मैं सोचता हूं कि कोई भी खान यह नहीं कर पाती, यह सम्भव नहीं है। यदि यह प्रावधान लागू किए जाएं तो मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा बोझ, खान मालिकों पर, जो खान चलाते हैं, उन पर लागू हो जाएगा। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसमें एक यह भी प्रावधान है कि कर्मचारी लगेंगे 250 या इससे अधिक तो आधा पैसा तो राज्य सरकार वहन करेगी और आधा पैसा नियोक्ता वहन करेंगे। 250 से भी कम हुए तो राज्य सरकार प्रतिपूर्ति करेंगी, तो क्या खान में भी करेंगी ? यह थोड़ा- सा प्रावधान आप क्लियर कर दें। यदि माइंस में भी राज्य सरकार वहन करती हो, चाहे वह नरेगा के माध्यम से मजदूर लगा दें, चाहे किसी भी माध्यम से लगा दें, यदि ये दो प्रावधान हो जाएं तो मैं सोचता हूं कि यह लाभप्रद होगा। अन्यथा माइंस के लिए तो यह घातक ही होगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इस एक्ट में जो शिक्षुओं के लिए प्रावधान किया गया है यह आलरेडी माइंस मिनरल एक्ट के अन्दर प्रावधान है, वहां काम करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य वगैरह के बारे में।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, आप किसकी इजाजत से बोले ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, यह प्रावधान यदि लागू

(श्री मदन राठौड़)

है तो मंत्रीजी अपने जवाब में क्लियर कर दें और यदि लागू है तो मैंने जो प्रस्ताव दिया था मैं उसको आपकी अनुमति से विदड्रा करना चाहूंगा।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री प्रहलाद गुंजल, श्री जोगाराम पटेल, श्री मदन राठौड़ ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रश्न यह है कि शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया ।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 8, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 8, स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 8, स्वीकार किए गए।

अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री कालीचरण सराफ प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आभार प्रकट करना चाहूंगा कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य, पहले प्रस्ताव करूं क्या? (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से, एक-दो आशंकाएं हैं इसमें व्यावसायिक संस्थानों के और दुकानों के बारे में कहा गया है। अभी भी कम्प्यूटर शिक्षण के बारे में कुछ संस्थाओं को मान्यता दी गई तो वहां केवल रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फीस जमा कराते हैं, सर्टिफिकेट ले जाते हैं, ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। इस कारण से यह बहुत अच्छा 15 लाख के रोजगार देने की बात कर रहे हैं उसके लिए वातावरण बनाने के लिए यह अच्छा प्रयास है। लेकिन इसमें यह आशंका लगती है कि दुकानों का उनको दिया गया इस कारण से कुछ प्रतिबंध नियमावली के माध्यम से बनाए जाएं जिससे इस प्रकार का फ्राड नहीं हो कि नकली ले लें और बाद में राजस्थान से निकलने वाले नौजवान रिजेक्ट किया जाएं। जैसे एक बार जब इंटर असेसमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुआ तो चण्डीगढ में एडमीशन नहीं होता था। तो इस प्रकार का नहीं हो। यह एक आशंका मुझे लगती है इस कारण से इसके बारे में कोई नियम बनाए जाएं। जो कारखाने वाले हैं वह तो निश्चित तौर पर होंगे क्योकि उनको तो काम मिलेगा। उनके यहां तो प्रोडक्शन में सहयोग मिलेगा। इस प्रकार की कुछ दुकानें होंगी तो वह नकली सर्टिफिकेट, नकली नहीं, बिना काम के सर्टिफिकेट देने की बात हो सकती है। इस प्रावधान के बारे में मेरे को आशंका लगती थी इस कारण से मैंने निवेदन किया।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, एक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी नियोक्ता इस एक्ट में जो प्रावधान किए हैं उसके अन्तर्गत अगर अपने हिस्से का प्रतिकर नहीं देगा तो उसकी वसूली का आधार और प्रशिक्षु को वह प्रतिकर दिलाये जाने के बारे में कानून में क्या प्रावधान है, यह स्पष्ट नहीं है। भू राजस्व अधिनियम के तहत उससे वसूली होगी या किस प्रकार से होगी, उसको बाउण्ड कैसे करेंगे, इस पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डालना चाहिए।

श्री सभापति: और कोई माननीय सदस्य। सम्मानीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य का, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य और लूणी से आने वाले सदस्य का। कि उन्होंने सरकार की भावना को समझा।

श्री सभापति: विराटनगर वालों को भी धन्यवाद दे दो।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हां...

श्री सभापति: विराटनगर वालों को भी धन्यवाद दे दो।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): विराटनगर से आने वाले सदस्य को भी धन्यवाद देना चाहूंगा ।

क्योंकि देश में स्थापित उद्योगों के विकास और उनकी मांग के अनुरूप प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने की दृष्टि से केन्द्र सरकार द्वारा अप्रेंटिस एक्ट, 1961 लागू किया गया। परन्तु इस अधिनियम में बदली हुई वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इसकी धाराओं और उप धाराओं में आंशिक संशोधन किया जाना इसलिये आवश्यक है कि हमारे प्रदेश में स्किल्ड लेबर्स की बहुत कमी है। इसी को ध्यान में रखकर हमने यह अमेंडमेंट लाने का निर्णय किया मंत्रिमण्डल में इसको अप्रूव किया और आज हम विधान सभा में, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हैं, उनको लाये हैं। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा लागू अप्रेंटिस एक्ट, 1961 के दायरे के अन्तर्गत ही हम प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन कर सकते हैं। अप्रेंटिस एक्ट, 1961 में राज्य स्तर पर लचीलापन न होने के कारण यह योजना विफल हो रही है। 11838 सीट्स नोटिफाइड हैं। उनमें से केवल 3889 स्थानों पर ही अप्रेंटिस लगे हुए हैं। इसका कारण यह है कि हम राज्य की मांग और आवश्यकता के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिये अब यह संशोधन हमने प्रस्तावित किया है। इन संशोधनों से स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल को हम अधिकृत कर रहे हैं। उनको यह अधिकार मिलेंगे कि किस उद्योग में कितने अप्रेंटिस प्रशिक्षण लेंगे। पाठ्यक्रम की अवधि निर्धारित करने का भी अधिकार इस काउंसिल को प्राप्त होगा। वर्तमान अप्रेंटिस और इण्डस्ट्रीज के मध्य विवाद होने पर आज वर्तमान में यह व्यवस्था है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप काउंसिल में जाना पड़ता है। विवाद को सोल्व होने में समय लगता है। इस संशोधन से स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल को विवाद निपटाने का अधिकार होगा जिससे समय भी कम लगेगा और धन की भी बचत होगी।

माननीय सभापति महोदय, अप्रेंटिसशिप में जो स्टाईपण्ड दिया जाता है, वह बहुत कम है। न्यूनतम मजदूरी से भी वह कम है। इसमें यह संशोधन करने का अधिकार हमको मिलेगा, इस अमेंडमैंट से कि स्टाईपण्ड की दर, जो वर्तमान में अकुशल मजदूर को भी दी जा रही है, न्यूनतम मजदूरी से भी जो कम है, उसको हम बढ़ा पायेंगे और कम से कम न्यूनतम मजदूरी, जो मिलती

(श्री कालीचरण सराफ)

है, उसके बराबर हम स्टाईपण्ड दे पायेंगे। माननीय सभापति महोदय, इस अमेंडमैंट से, जो 250 से कम वर्कर वाली इण्डस्ट्रीज हैं स्टेट में, उनमें 75 प्रतिशत और जो 250 से ज्यादा वर्कर वाले उद्योग हैं, उनमें बेसिक प्रशिक्षण की अवधि के दौरान हम 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सरकार की ओर से कर पायेंगे। माननीय सभापति महोदय, इस अमेंडमैंट से जो उद्योगों में नोटिफाइड स्थान हैं, उनके तीन प्रतिशत तक अप्रेंटिस लगाने की छूट का अधिकार भी स्टेट काउंसिल को मिलेगा। छोटे-छोटे औद्योगिक समूह सामूहिक रूप से भी अप्रेंटिस को ट्रेन करने के लिये व्यवस्था कर पायेंगे। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि माइन्स में जो अप्रेंटिस लगेंगे, वे भी इस एक्ट में समाहित हैं और उनको भी यह सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो यह जो अमेंडमैंट हम ला रहे हैं, इससे अधिसूचित स्थानों पर अप्रेंटिस की नियुक्ति में आशाजनक प्रगति सम्भव हो सकेगी और राज्य में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु अधिक सुविधाएं की जा सकेंगी व राज्य के औद्योगिक विकास हेतु कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं औद्योगिक विकास की गति तेज होगी। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो एक्ट है, इससे औद्योगिक विकास में यह अमेंडमैंट मील का पत्थर साबित होगा। इसलिये मैं अनुरोध करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.15 बजे शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त, 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलाड़ा के गांवों एवं ढाणियों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के कनेक्शन

266. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गांवों, ढाणियों, मंजरों और बिखरी आबादी को कुटीर ज्योति/राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत विगत पांच वर्षों में बिलाडा विधान सभा क्षेत्र में कितने-कितने कब-कब व कहां-कहां विद्युत कनेक्शन दिये गये? वर्षवार ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तार्गत विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किनको कब-कब और कहां-कहां एवं नहीं, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वंचित बी.पी.एल. परिवार के घरों को एक से अधिक पोल आने के कारण विद्युत कनेक्शन जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसे वंचित परिवारों को कब तक विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे एवं नहीं, तो क्यों? वंचित परिवारों की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में स्वीकृत कुटीर ज्योति/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतिकृत गांवों, ढाणियों, मंजरों और बिखरी हुई आबादी में स्थापित विद्युत तंत्र के पास (सर्विस लाइन से) निवास करने वाले बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं।

बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के तहत दिये गये विद्युत कनेक्शनों का वर्षवार ग्रामवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों का वर्षवार ग्रामवार सूची प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत

(ऊर्जा मंत्री)

स्वीकृति से वंचित रहे 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों में निवास करने वाले बी.पी.एल. परिवारों के लिए पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत हो चुकी है। निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में इन बी.पी.एल. परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जाना सम्भावित है। 100 से कम आबादी वाली ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार से भी सहयोग मांगा गया है जो विचाराधीन है। वंचित रहे बी.पी.एल. परिवारों की सूची प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बहरोड़ (अलवर) में कृषि मण्डी यार्ड हेतु अवाप्त भूमि

267. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बहरोड़, अलवर में कृषि मण्डी यार्ड हेतु कब व कितनी भूमि अवाप्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डी यार्ड में दुकानों एवं अन्य निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई? निर्मित दुकानों में से कितनी दुकानें विक्रय/आबंटित की जा चुकी हैं व कितनी दुकानें शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कृषि मण्डी यार्ड को पूर्ण कृषि मण्डी का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति खैरथल के गौणमण्डी यार्ड बहरोड़ हेतु 2.50 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है। विवरण परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) गौणमण्डी यार्ड बहरोड़ में मण्डी समिति द्वारा दुकानों का निर्माण नहीं किया गया है। अन्य निर्माण कार्यों पर 175.01 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र मण्डी घोषित करने हेतु 40 लाख रुपये वार्षिक आय के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। गौणमण्डी यार्ड बहरोड़ की आय 40 लाख रु. से कम होने से उक्त मण्डी यार्ड को पूर्ण मण्डी का दर्जा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माही बांध का पानी टनल बनाकर भीखा भाई नहर में लाने की योजना

268. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार माही बांध का पानी भीखा भाई नहर को टनल बनाकर ग्राम पंचायत सुराता एवं झांमरी, बेडा, पोहरी खातुरात, मालचोकि भीण्डा, करावाडा, पाडली, सांसरपुर पंचायतों में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार माही बांध से संचालित भीखा भाई नहर को अंतिम छोर तक कुंआ, डूंगरसारण तक लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि उक्त ग्राम पूर्व में स्वीकृत भीखाभाई, सागवाड़ा नहर के तल से दायीं तरफ लगभग 50 मीटर ऊंचाई पर स्थित है एवं टनल बनने के पश्चात भी उक्त गांवों की जमीन टनल के आखिरी लेवल से ऊपर रह जाती है।

(2) माही बांध से संचालित भीखाभाई नहर के अंतिम छोर को कुंआ क्षेत्र तक लाये जाने हेतु भीखाभाई लघु सिंचाई परियोजना दशम एवं एकादशम स्वीकृत है। परियोजना हेतु प्रक्रियाधीन भूमि अवाप्ति की कार्रवाई पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करवाया जाना प्रस्तावित है।

डूंगरसारण क्षेत्र की भूमि नहर तल से ऊंचे लेवल पर होने से इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

धोद में 250 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना

269. श्री गोरधन (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में कितने गांव 250 या इससे कम जनसंख्या वाले सड़कों से (राजस्व गांव) जुडे हुये नहीं हैं? क्या सरकार इनको सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कें टूटी हुई व क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण व पेचवर्क कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री गोरधन)

(3) सीकर जिले में "गौरव पथ" "धार्मिक स्थलों को जोड़ने" के लिये किन-किन मार्गों का चयन किया गया है? उक्त मार्गों का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में जनगणना 2001 पर 250 एवं कम जनसंख्या का एक राजस्वा गांव ओला की ढाणी (185), डामर सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है तथा जनगणना-2011 पर 250 तक एवं कम आबादी के 12 गांव हैं, जो डामर सड़क से बिना जुड़े हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद में सड़कों की कुल लम्बाई 553.25 कि.मी. में से 89.70 कि.मी. सड़कें आंशिक क्षतिग्रस्त हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

जी हां। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2014-15 के अनुसार ओ.डी.आर. एण्ड ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य आउट पुट एण्ड परफोरमेन्स बेस्ड रोड कान्ट्रेक्ट (ओ.पी.आर.सी.) पद्धति के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) राज्य बजट की घोषणा वर्ष 2014-15 के अनुसार राज्य की 9 हजार से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 0.5 से 2.00 कि.मी. सड़क का चयन कर आगामी तीन वर्षो में 1 हजार आठ सौ करौड़ रुपये की लागत से सी.सी. की सड़कें तथा नालियों का निर्माण कर इन्हें ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सीकर जिले की धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर जिले में विद्युत चोरी के प्रकरण

270. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षो में अजमेर जिले के सरकारी भवनों, आवासों में विद्युत चोरी व अवैध कनेक्शन के कितने प्रकरण कब-कब पकड़े गये तथा कितने प्रकरणों में वीसीआर भरी गई? स्थानवार, विभागवार व तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा किससे कितनी जुर्माना राशि वसूली गई? प्रकरणवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्तं प्रकरणों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों (2011-12, 2012-13, 2013-14) में अजमेर जिले में स्थित सरकारी भवनों, आवासों में विद्युत चोरी व अवैध कनेक्शनों के पकड़े गये तथा वीसीआर भरे गये प्रकरणों का स्थानवार, विभागवार व तिथिवार पूर्ण विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उक्त प्रकरणों में अजमेर डिस्काम का कोई कर्मचारी/अधिकारी शामिल नहीं होने के कारण अजमेर डिस्काम द्वारा कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है, तथापि सरकारी भवनों/संस्थानों के विरुद्ध निगम द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

प्रपत्र-अ

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

गत तीन वर्षों में अजमेर जिले में स्थित सरकारी भवनों, आवासों में विद्युत चोरी व अवैध कनेक्शन के प्रकरणों का विवरण

क्रम संख्या	दिनांक	वीसीआर संख्या	स्थान	श्रेणी	विभाग	दोष	जुर्माना राशि	जमा राशि	रसीद संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	14-12-2012	9244/07	माताजी का खेड़ा, बिजयनगर	Mix Load	प्राध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय	विद्युत चोरी	10320	10320	05/15-2-12	
2.	29-7-2013	9621/19	बस स्टैण्ड, रलावता, रूपनगढ़	NDS	सरपंच, ग्राम पंचायत रलावता, रूपनगढ़	दुरुपयोग	13826	13826	54/30-08-13	
3.	28-09-2013	9737/20	पाटन चौराहा, किशनगढ़	NDS	सरपंच, ग्राम पंचायत	विद्युत चोरी	36786	—	—	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज, रिपोर्ट संख्या 67/14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	31-01-2014	9888/34	दौराई, अजमेर	NDS	अजमेर को-ओपरेटिव सोसायटी	विद्युत चोरी	56006	—	—	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज, रिपोर्ट संख्या 127/14
5.	11-03-2014	9905/01	बोर्ड कालोनी, अजमेर खाता संख्या 2355/28	DL	सचिव, एजुकेशन बोर्ड कालोनी	विद्युत चोरी	7798	7798	1581150/ 05-04-14	
6.	11-03-2014	9905/02	बोर्ड कालोनी, अजमेर खाता संख्या 2355/37	DL	सचिव, एजुकेशन बोर्ड कालोनी	दुरुपयोग	6043	—	—	उपभोक्ता के खाता संख्या2355/37 में उक्त राशि सी.सी. एण्ड ए.आर. संख्या 4642/04/24 दिनांक 25.07.2014 द्वारा डेबिट कर दी गयी है।
7.	01-11-2013	19942/19	मसूदा	NDS	पुलिस विभाग	विद्युत चोरी	6659	6659	54042/44, 88, 494/49	

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

जोधपुर जिले में उन्नत एवं प्रमाणित बीज की आपूर्ति

271. **श्री जोगाराम पटेल** (लूणी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार आगामी खरीफ की फसल की बुआई से पूर्व जोधपुर जिले के समस्त काश्तकारों को आवश्यक, उन्नत व प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा आगामी खरीफ की फसल के समय जोधपुर जिले के समस्त काश्तकारों द्वारा बोई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों के लिये कुल कितने प्रकार के प्रमाणिक बीज विभिन्न फसलों के लिए काश्तकारों को वितरित किये जायेंगे? बीज वितरण करने के लिये क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं और उसके अनुसार कुल कितने प्रकार के, कुल कितने बीज, कितने काश्तकारों को वितरण करने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर जिले में खरीफ फसल की बुवाई से पूर्व आवश्यकतानुसार उन्नत एवं प्रमाणित बीज की उपलब्धता सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं, सहकारी उपक्रमों एवं निजी बीज संस्थाओं/विक्रेताओं के माध्यम से करवाई गई है।

(2) जोधपुर जिले में खरीफ-2014 हेतु प्रमाणित एवं उन्नत बीज वितरित/विक्रय किये जा रहे हैं। खरीफ-2014 हेतु जोधपुर जिले में विभिन्न फसलों के बीजों की अनुमानित आवश्यकता, उपलब्धता एवं वितरण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदर्शन/ मिनिकिट आयोजन हेतु भी प्रमाणित/उन्नत बीज कृषकों को उपलब्ध करवाया जाता है। योजनावार मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। खरीफ-2014 में जोधपुर जिले में मिनिकिट/प्रदर्शन आयोजन हेतु उपलब्ध कराये जा रहे बीज का योजनावार, फसलवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणकरणसर के गांवों को कंवरसेन लिफ्ट योजना से पेयजल आपूर्ति

272. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम पंचायत शेखसर के ग्राम शेखसर, खोडाला व धीरदान के ग्रामीणों को स्थानीय स्रोत से आपूर्ति किये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने से पानी पीने के लिये उपयुक्त नहीं है? क्या, उक्त पानी के सेवन से ग्रामीण 40-45 की उम्र में ही बुढ्ढे दिखने व अनेक प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुंई (तहसील लूणकरणसर) के ग्राम सुंई व ग्राम पंचायत दुचासर के ग्राम बखुसर, ढाणी पुरवाणा, ढाणी गोपेराव व ढाणी करनाणा में स्थानीय स्रोत से आपूर्ति किये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के उपरान्त भी ग्रामीणों को यह पानी मजबूरन पीना पड़ रहा है?

(3) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील के 29 ग्राम जिनमें उपरोक्त दो ग्राम पंचायत के गांव भी सम्मिलित हैं, अभी तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पेयजल की योजनाओं से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाये जाने के कारण सरकार उपरोक्त गांवों को लूणकरणसर की कंवरसेन लिफ्ट नहर से योजना बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त कार्यक्रम के लिये योजना इसी वर्ष बनाकर उसकी क्रियान्विती हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की ग्राम पंचायत, शेखसर के ग्राम शेखसर, खोडाला व धीरदान के स्थानीय भू-जल स्रोतों से उपलब्धं पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में ही है अत: इस कारण इन जल स्रोतों से उत्पादित पेयजल के उपभोग से फ्लोराइड सम्बन्धी बीमारियां नहीं होती हैं। इन जल स्रोतों से उपलब्ध जल में टी.डी.एस. एवं क्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से कुछ अधिक होने के कारण पानी खारा है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर की ग्राम पंचायत, सुई (तहसील लूणकरणसर) के ग्राम सुई, दुलचासर एवं बखुसर के जल स्रोतों तथा ग्राम सुई से लाभान्वित ढाणी पुरवाणा, ढाणी गोपेरा एवं ढाणी करनाणा में उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में है। इन जल स्रोतों से उपलब्ध जल में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

टी.डी.एस. एवं फ्लाराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा से कुछ अधिक होने के कारण पानी खारा है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत, शेखसर एवं सुई के कुल 6 ग्रामों सहित लूणकरणसर तहसील के 25 ग्रामों की पेयजल योजनाएं वर्तमान में भू-जल स्रोतों पर आधारित हैं। इन ग्रामों के स्थानीय भू-जल स्रोतों से उपलब्ध पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में होने के कारण इन ग्रामों को कंवरसेन लिफ्ट नहर से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं।

किशनगढ़-रेनवाल से करड तक की क्षतिग्रस्त सड़क

273. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र किशनगढ़-रेनवाल में करड जाने वाले सड़क मार्ग में पानी भरने के कारण सड़क काफी क्षतिग्रस्त हो रही है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त मार्ग पर खारडे तक सी.सी. सड़क बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग पर खारडे तक सी.सी. सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका क्षेत्र किशनगढ़-रेनवाल में करड जाने वाला मार्ग, रेनवाल कस्बे में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से 700 मीटर लम्बाई में वर्ष 2011 से क्षतिग्रस्त है।

(2) इस सड़क मार्ग पर खारड़े तक तात्कालिक मरम्मत कराने हेतु विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि मद में आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राशि रुपये 6.00 लाख के प्रस्ताव जिला कलक्टर को सितम्बर, 2013 में प्रस्तुत किये गये। प्रस्ताव की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। इस क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग पर सी.सी. सड़क निर्माण की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगी।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) में सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय की स्थापना

274. **श्री भीमा भाई** (कुशलगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुशलगढ़ और सज्जनगढ में अलग-अलग उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय संचालित हैं तथा सहायक अभियन्ता (विद्युत) का कार्यालय कुशलगढ़ में ही स्थित है? क्या सरकार सज्जनगढ़ क्षेत्र में सहायक अभियन्ता (विद्युत) का कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि विद्युत विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय कुशलगढ़ में स्थापित है। इसमें लगभग 24000 उपभोक्ता हैं।

विद्युत वितरण निगमों में सहायक अभियन्ता कार्यालय उपखण्ड एवं तहसीलवार नहीं होते हैं। तथापि 17500 उपभोक्ताओं पर सहायक अभियन्ता कार्यालय स्थापित किये जाने का प्रावधान है। सज्जनगढ़ से कुशलगढ़ की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। सज्जनगढ़ क्षेत्र में वर्तमान में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 11000 होने के कारण वर्तमान में नया सहायक अभियन्ता कार्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। सज्जनगढ़ क्षेत्र में उपभोक्ताओं की विद्युत समस्याओं के निस्तारण हेतु सज्जनगढ़ में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय स्थापित है।

चौमूं में आंवला मण्डी एवं पैक हाउस के निर्माण की योजना

275. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा चौमूं में आंवला मण्डी और पैक हाउस का निर्माण कराया गया था? यदि हां, तो उक्त दोनों योजनाओं पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं का लाभ अब तक किसानों को नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इनको विधिवत रूप से शुरु करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विशिष्ट, आंवला मण्डी एवं पैक हाउस पर व्यय हुई राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। विशिष्ट आंवला मण्डी प्रांगण चौमूं (हाथनौदा) के मण्डी यार्ड में जिन व्यवसाइयों को भूखण्ड आबंटित किये गये हैं उनके द्वारा दुकानों का निर्माण करवाये जाने पर मण्डी विधिवत रूप से प्रारम्भ हो सकेगी। मण्डी प्रांगण में निर्मित पैक हाऊस को संचालित करने हेतु शीघ्र निविदा जारी कर विधिवत रूप से शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।

परिशिष्ट "अ"

विशिष्ट आंवला मण्डी चौमूं में निर्मित कार्यों पर व्यय हुई राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		व्यय राशि	कार्यपूर्णता तिथि
		दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6
1.	2 नग ढके निलामी चबूतरों का निर्माण कार्य	06.10.2005	83.86	82.26	20.06.2008
2.	एप्रोच रोड (बीटी) एवं सी.सी. रोड का निर्माण कार्य	06.10.2005	87.18	85.06	20.06.2008
3.	2 नग कियोस्क	06.10.2005	1.50	0.68	20.06.2007
4.	2 नग वाटर हट (प्लाऊ)	06.10.2005	1.50	0.71	20.06.2007
5.	2 नग चैक पोस्ट एवं चारदीवारी का मय गेट का निर्माण कार्य	06.10.2005	21.30	19.58	20.06.2007
6.	कार्यालय भवन (सबयार्ड)	06.10.2005	3.17	2.81	20.06.2007
7.	2 नग वाटर ट्रफ (खेल)	06.10.2005	0.60	0.59	20.06.2007

1	2	3	4	5	6
8.	लेबर शेड 1 नग	06.10.2005	1.07	0.97	20.06.2007
9.	यूरिनल ब्लाक 2 नग	06.10.2005	0.50	0.46	20.06.2007
10.	स्ट्रोर्म वाटर ड्रेन	06.10.2005	10.00	5.14	20.06.2007
11.	वाटर सप्लाई एरेन्जमेंट	06.10.2005	12.32	10.57	13.08.2006
12.	आंवला मण्डी में भूमि समतलीकरण का कार्य	08.06.2007	4.50	3.29	31.03.2008
	योग		**227.50**	**212.12**	

पैक हाउस चौमूं के निर्माण पर व्यय हुई राशि का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		व्यय राशि	कार्यपूर्णता तिथि
		दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6
1.	निर्माण कार्य पैक हाउस चौमूं	29.07.2006	373.50	371.20	26.08.2009

रायपुर (भीलवाड़ा) के लिए स्वीकृत एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. योजना

276. श्री बालूराम चौधरी (सहाड़ा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्र की योजना नेशनल रूरल ड्रिकिंग वाटर प्रोग्राम (NRDWP) जो 2011 में तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में स्वीकृत हुई थी, में जून, 2014 तक क्या प्रगति हुई तथा दो वर्ष में पूर्ण होने वाला प्रोजेक्ट 2014 तक क्यों लम्बित रहा?

(2) क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व उक्त प्रोजेक्ट कब तक पूर्ण होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत भीलवाड़ा जिले के ब्लाक रायपुर की समस्त 22 ग्राम पंचायतों में जल सुरक्षा प्लान तैयार करने की स्वीकृति एस.एल.एस.सी.सी. (राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी) की बैठक दिनांक 17.02.2012 को जारी की गई। इस कार्य के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स स्टूडैन्ट रिलीफ सोसाइटी, जयपुर को कार्यादेश दिनांक 19.06.2012 को जारी कर दिनांक 25.06.12 को अनुबन्ध सम्पादित किया गया। अनुबन्ध की अवधि 2 वर्ष थी जिसके अनुसार कार्य दिनांक 24.06.2014 तक पूर्ण किया जाना था। संवेदक फर्म द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

(2) प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में विलम्ब का कारण संवेदक फर्म द्वारा कार्य धीमी गति से सम्पादित किया जाना रहा है। अनुबन्ध की शर्तों के तहत विभाग द्वारा दिनांक 19.10.2012, 31.10.2013, 29.04.2014 एवं 17.07.2014 को कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) द्वारा दिनांक 18.07.2014 को संवेदक फर्म के साथ की गई मीटिंग में सम्पूर्ण कार्य दिनांक 30.08.2014 तक पूर्ण करने के लिये निर्देशित किया है। कार्य में देरी के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

अजमेर में जाम से निजात दिलाने हेतु रिंग रोड व एलिवेटेड रोड का निर्माण

277. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार अजमेर के व्यस्तम् यातायात मार्गों पर जाम से राहत दिलाने हेतु मास्टर प्लान के अनुरूप स्टेशन मार्ग पर रिंग रोड पर एक एलिवेटेड रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2033 (प्रारूप) में प्रस्तावित यातायात संरचना में पुराने राजस्थान लोक सेवा आयोग भवन से मार्टिन्डल ब्रिज तक (स्टेशन मार्ग) एलीवेटेड रोड बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है, क्योंकि प्रारूप मास्टर डवलपमेंट प्लान का अनुमोदन नहीं हुआ है। मास्टर डवलपमेंट -2033 में रिंग रोड प्रस्तावित नहीं है।

बड़ी सादड़ी में फीडर सुधार कार्यक्रम

278. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विगत सात वर्षों में फीडर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने फीडरों पर कार्य कराया गया?

(2) क्या उक्त फीडरों से हटाया गया सम्पूर्ण पुराना सामान स्टोर में जमा करा दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस फीडर व स्थान से हटाया गया एवं कितना-कितना सामान जमा कराया गया? फीडरवार, स्थानवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि फीडरों से हटाया गया सामान अभी भी ठेकेदारों के पास है और जमा नहीं करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विगत सात वर्षों में फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत 26 फीडरों पर कार्य कराया गया।

(2) उक्त फीडरों से हटाया गया अधिकांशत: सामान स्टोर में जमा करा दिया है। स्टोर में जमा कराये गये सामान का फीडरवार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। स्थानवार विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत फीडरों से हटाया गया अधिकांशत: सामान ठेकेदारों द्वारा जमा कराया जा चुका है। फिर भी जिन ठेकेदारों द्वारा सामान की संख्या के विवरण (BOQ) के अनुरूप सामान जमा नहीं कराया गया है, उनके बिलों में से लेखाधिकारी (सी.पी.सी.) द्वारा सामान का उचित मूल्य निर्धारित कर कटौती दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 तक कर दी जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना

279. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कृषि कार्यों में कुल कितने प्रकार की रासायनिक खाद एवं जैविक खाद का उपयोग किया जाता है? उक्त प्रत्येक खाद का निर्धारित मात्रा में उपयोग होने पर क्या लाभ मिलता है?

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) प्रदेश में गत दस वर्षों में कृषि कार्यों में उक्त प्रत्येक प्रकार की रासायनिक खाद एवं जैविक खाद की खपत की मात्रा एवं व्यय राशि कितनी है?

(3) क्या यह सही है कि जल्दी और अधिक मात्रा में फसल लेने के लिए किसानों द्वारा तय मात्रा से अधिक रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है और ऐसी फसलों से उपजे खाद्य पदार्थों के सेवन से मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? यदि हां, तो क्या-क्या?

(4) क्या सरकार रासायनिक खादों से किसानों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ और इनके प्रयोग से भूमि और मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के मद्देनजर जैविक खाद और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं इसके अब तक के क्रियान्वयन के क्या परिणाम रहे?

उत्तर

(1) प्रदेश में कृषि कार्य में उपयोग किये जाने वाले रासायनिक एवं जैविक खादों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त खादों का तकनिकी सिफारिश अनुसार उपयोग करने पर फसलोंत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इनके उपयोग से पौधो में वानस्पतिक वृद्धि, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि होती है।

(2) प्रदेश में गत 10 वर्षों में कृषि कार्यों में उपयोग की गई रासायनिक/जैविक खादों से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि उर्वरकों का निर्धारित मात्रा से ज्यादा उपयोग होने पर भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित होने की सम्भावना रहती है। तकनिकी सिफारिश से अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों से उत्पादित खाद्य पदार्थों के सेवन से मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की अधिकारिक जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(4) जी हां। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2014 – 15 में राज्य के 10 जिलों में 2000 हैक्टेयर क्षेत्र मैं जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें जैविक खेती करने वाले कृषकों को 8000 रुपये प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष की दर से तीन वर्ष तक अनुदान देय है। इसमें 3000 रुपये पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण शुल्क भी सम्मलित है।

(कृषि मंत्री)

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के 16 जिलों में फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित जैविक खेती के 1100 प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जायेगा ताकि कृषकों को जैविक खेती की तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सके। प्रति प्रदर्शन 0.4 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु जैविक आदान लागत का 50 प्रतिशत या 2000 रुपये जो भी कम हो, अनुदान देय है।

उद्यानिकी फसलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को निम्नांकित सहायता प्रदान की जा रही है :-

1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत कृषकों को जैविक खेती हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 रुपये प्रति हैक्टेयर 3 वर्षो में देय है।

2. किसानों के समूह द्वारा जैविक उत्पाद के प्रमाणीकरण हेतु 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के समूह के लिये 5 लाख रुपये की सहायता देय है।

3. वर्मीकम्पोस्ट इकाई की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 50000, जो भी कम हो की दर से अनुदान देय है।

4. एच.डी.पी.ई वर्मी बेड इकाई की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 8000, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है।

राज्य में उक्त योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत 4227 हैक्टेयर में जैविक खेती की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तिजारा के गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति

280. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा के कौन-कौन से गांव एवं कस्बों में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या है तथा पानी में फ्लोराइड एवं टी. डी. एस. की कितनी-कितनी मात्रा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के फ्लोराइड युक्त गांवों में किस योजना में किस प्रकार एवं कब तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों

(मास्टर मामन सिंह यादव)

भिवाड़ी, नगर परिषद खुशखेड़ा, टपूकड़ा चौपानकी क्षेत्र के गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी की गम्भीर समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार विधान सभा क्षेत्र तिजारा के 8 मुख्य ग्रामों (दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार) के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

क्षेत्र के कस्बा तिजारा एवं भिवाड़ी में शहरी पेयजल योजनाओं से उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा क्रमश: 0.5 एवं 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर तथा टी.डी.एस. की मात्रा क्रमश: 733 एवं 954 मिलीग्राम प्रति लीटर है जो निर्धारित मानक मात्रा की सीमा में है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र तिजारा के उक्त 8 मुख्य ग्रामों में से ग्राम पंचायत मुख्यालय, लुहादेरा को दूरस्थ सही पेयजल गुणवत्ता के जल स्रोत निर्मित कर लाभान्वित कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत, भिण्डूसी के ग्राम रामनगर को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करने हेतु माह जून, 2014 में योजना की स्वीकृति जारी की गई है।

1.5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा वाले शेष 6 ग्रामों हेतु प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा। विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र तिजारा के नगर परिषद भिवाड़ी, इसकी सीमा में सम्मिलित खुशखेड़ा एवं चौपानकी तथा टपूकड़ा औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न पेयजल योजनाओं से उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की सीमा में है।

परिशिष्ट-अ

जिला अलवर के विधान सभा क्षेत्र तिजारा के वर्णित ग्रामों में फ्लोराइड एवं टी.डी.एस. की मात्रा का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	मुख्य ग्राम	फ्लोराइड का मात्रा (मिलीग्राम प्रति लीटर)	टी.डी.एस. की मात्रा (मिलीग्राम प्रति लीटर)	योजना का प्रकार	विशेष विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	तिजारा	लूहादेरा	लुहादेरा	लुहादेरा	2.4	476	पम्प एवं टैंक	ग्राम से दूरस्थ उचित जल गुणवत्ताका पेयजल स्रोत निर्मित कर ग्राम में निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
2	तिजारा	भिन्डूसी	रामनगर	रामनगर	2.2	584	हैण्डपम्प	उक्त ग्राम की हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक में परिवर्तित जल योजना की स्वीकृति राशि रुपये 27.07 लाख की एस.एल.एस.एस.सी. की 12वीं बैठक द्वारा दिनांक 23.06.2014 को जारी कर दी गई है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	तिजारा	बिछाला	डबहेरा	डबहेरा	1.8	442	हैण्डपम्प	योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा।
4	तिजारा	बिछाला	सालाहेडा	सालाहेडा	1.8	468	हैण्डपम्प	
5	तिजारा	चावण्डी कला	बई	बई	3.2	1100	हैण्डपम्प	
6	तिजारा	चावण्डी कला	बरहेडा	बरहेडा	1.6	1050	हैण्डपम्प	
7	तिजारा	भिन्डूसी	बिचपुरी	बिचपुरी	1.8	807	हैण्डपम्प	
8	तिजारा	लुहादेरा	बामनथेडी	बामनथेडी	2.6	422	हैण्डपम्प	

पाली में राष्ट्रीय राज मार्ग पर सकड़े पुलों का निर्माण

281. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन में तब्दील कर देने पर प्रदेश की अनेक सम्पर्क सड़कों से फोरलेन पर आवागमन दुर्गम हो गया है? यदि हां, तो उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रदेश की सम्पर्क सड़कों से किस प्रकार जोड़ा जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फोरलेन निर्माण में प्रदेश की सड़कों के लिए अनेक पुल सकड़े या कम चौड़े बना दिए गए हैं? यदि हां, तो प्रदेश की सड़कों की चौड़ाई के अनुरूप फोरलेन में चौड़े पुल किस प्रकार व कब तक बनाये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अपग्रेडेशन में प्रदेश की सड़कों के लिए यथास्थान मीडियन नहीं दिए गए हैं? यदि हां, तो प्रदेश की सड़कों का हक किस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पाली जिले से गुजरने वाले ब्यावर-पाली-पिण्डवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग-14 तथा जोधपुर-पाली राजमार्ग-65 के फोरलेन में तब्दील करने के कार्य क्रमश: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे हैं। राजमार्ग-14 के बारे में भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) से प्राप्त उत्तर के अनुसार प्रदेश की किसी भी सम्पर्क सड़क से रा.रा. मार्ग-14 पर आवागमन दुर्गम नहीं हुआ है। परियोजना का निर्माण कार्य प्रगतिरत होने से कुछ सम्पर्क सड़कों से फोरलेन पर आवागमन में असुविधा हो सकती है, जिसका निराकरण परियोजना का कार्य पूर्ण होने से पहले सुनिश्चित कर लिया जायेगा। भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त उत्तर दिनांक 08.07.2014 एवं दिनांक 26.07.2014 की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं 2 पर प्रस्तुत है। एन.एच.-65 के चारलेन पर भी आवागमन दुर्गम नहीं हुआ है। कार्य प्रगति में है व प्रचलित तकनीकी मानदण्डों के आधार पर समुचित सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वतन्त्र इन्जीनियर की अनुशंसा के अनुरूप समस्त विकसित एप्रोच रोड व क्रोस रोड से सुगम यातायात रियायतग्राही अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त उपरोक्त उत्तर के अनुसार उचित आकार के पुल (अण्डरपास) निर्माण किये गये हैं। निर्मित संरचनाओं की सूची परिशिष्ट-1 के संलग्न-ख पर प्रस्तुत है।

एन.एच.-65 पर पुल (अण्डरपास) उचित चौड़ाई के ही बनाये गये हैं।

(3) जी नहीं। भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त उपरोक्त उत्तर के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 के उन्नयन के दौरान प्रदेश की सड़कों के लिए यथा सम्भव वांछित स्थलों पर मीडियन में कट दिये जाने का अनुबन्ध में प्रावधान है। जिन सड़कों के लिये मीडियन में कट दिया जाना सुगम और सुरक्षित यातायात के दृष्टिगत उचित नहीं पाया गया है उनकी सूची परिशिष्ट-1 के संलग्नक-ग पर प्रस्तुत है। एन.एच.-65 पर मीडियन में कट यथास्थान रखे गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डग में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को विद्युत बिल में छूट

282. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र डग में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बिजली के बिल के भुगतान में छूट देने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य सरकार ने इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने की घोषणा की थी। जिसकी आदेश की प्रति प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

विधान सभा क्षेत्र डग में उक्त आदेश की अनुपालना में तहसील से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट की जांच के उपरान्त वर्तमान तक 552 कृषि उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है जिनमें से 302 उपभोक्ताओं को उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुसार 4 माह की अवधि (नवम्बर, 2013 से फरवरी 2014 तक) के जारी विद्युत बिलों की राशि 4.72 लाख रुपये माफ की जा चुकी है। शेष बचे उपभोक्ताओं को छूट देने की प्रक्रिया जारी है।

प्रपत्र-अ

जेपीआर 5-723

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वा.)

कमरा नं. 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302008

फोन नं.-0141-2747041, फैक्स नं.-0141-2744803

ईमेल-c_comml@yahoo.com

क्र. जेपीडी/अ.अ.(वा.)/सी-1/एफ.4(236) पार्ट-II/प्रे. 07 जयपुर, दिनांक-03.04.2014

आदेश

विषय – ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के लिए 4 माह के बिजली के बिलों के भुगतान की राशि माफ करने बाबत्।

राज्य सरकार ने इस वर्ष ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु दिनांक 28.02.2014 को निम्न सहायता पैकेज घोषित किया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :—

(1) लघु एवं सीमान्त कृषकों को, जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, उनके चार बिलिंग माह नवम्बर 2013, दिसम्बर 2013, जनवरी 2014 एवं फरवरी 2014 के विद्युत बिलों की राशि माफ की जायेगी।

(2) जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है, इस राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।

(3) यह राहत पैकेज सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित उन कृषकों को भी दिया जा सकता है जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है किन्तु उन्होंने भूमि पर ठेकेदारों/बांटेदारी से फसल की है।

इस विषय में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (पवस), जिला कलक्टर से सम्पर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। इस सूची के आधार पर ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा 4 माह के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाएगी।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं

उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी (ATR) जयपुर डिस्काम, जयपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी (ATR) इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगे, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

आज्ञा से
ह./-
(पी.के. मित्तल)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रदेश में मिलावटी मेहंदी पर रोक के उपाय

283. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार किसानों को मेहंदी का उचित मूल्य दिलवाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बाजार में बिक रही कलर केमिकल मेहंदी के नाम से बेची जा रही मेहंदी पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मेहंदी में मिलावट रोकने के लिये कोई नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में किसानों को मेहंदी का उचित मूल्य दिलाने हेतु कोई कार्य योजना नहीं है। वर्तमान सरकार के सुराज संकल्प 2013 में मोठ, मूंग, मेहंदी, चौंला, ग्वार, जीरा, बाजरा, धनियां, लहसुन, ईसबगोल, ग्वारपाठा, अरण्डी सहित सभी प्रकार की कृषि उपजों एवं वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्यों की परिधि में सम्मिलित करने की घोषणा है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। मेहंदी (हिना पाउडर एवं पाउडर हेयर डाई) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कास्मेटिक की श्रेणी में होने से बाजार में उपलब्ध उत्पादों के नमूने जांच हेतु लिये जाते हैं, एवं अवमानक कोटि का घोषित होने पर इनके विरुद्ध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(कृषि मंत्री)

(3) मेहंदी (हिना पाउडर एवं पाउडर हेयर डाई) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत कास्मेटिक की श्रेणी में आती है। उक्त अधिनियम के तहत मेहंदी में मिलावट/अवमानक कोटि की पाये जाने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। अत: राज्य सरकार द्वारा अलग से नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नगर व डीग पंचायत समिति में स्वीकृत सिंगल फेस ट्यूबवैल

284. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत पांच वर्ष में नगर व डीग पंचायत समिति में सिंगल फेज ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प की कितनी स्वीकृति जारी की गई? क्या उक्त को निर्धारित स्थानों पर लगाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सिंगल फेज ट्यूबवैल के कनैक्शन बिजली के बिल समय पर नहीं भरने के कारण कट गये हैं? यदि हां, तो बिल समय पर नहीं भरने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां । वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में नगर तथा डीग पंचायत समिति के ग्रामों में क्रमश: 438 एवं 206, कुल 644 हैण्डपम्प तथा 79 एवं 41, कुल 120 सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई।

इस स्वीकृति के विरुद्ध नगर तथा डीग पंचायत समिति के ग्रामों में क्रमश: 432 एवं 206, कुल 638 हैण्डपम्प तथा 63 एवं 21, कुल 84 सिंगल फेज नलकूपों का निर्माण कार्य स्वीकृति अनुरूप निर्धारित स्थानों पर ही किया गया है।

(2) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बामनवास की बौंली तहसील में पेयजल आपूर्ति

347. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में पीने के पानी की भयंकर समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान में भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्राम में टेंकरों द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में सम्मिलित कुल 100 ग्रामों में से ग्राम पंचायत मुख्यालय, बौंली के अतिरिक्त शेष 99 ग्रामों भू-जल उपलब्धता अनुरूप विभिन्न जल योजनाओं से की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है।

तहसील बौंली के पाइप जल योजना से लाभान्वित ग्राम बौंली में स्थानीय एवं इसकी परिधि में भू-गर्भीय जल उपलब्ध नहीं होने के कारण वर्तमान में 122 टैंकर ट्रिपों द्वारा (ग्रीष्म 2014 में अधिकतम) प्रतिदिन 488 किलोलीटर पेयजल ग्राम स्थित स्वच्छ जलाशय तथा देवलदा कुएं में एकत्रित किया जाकर, पहाड़ी पर निर्मित जलाशय तथा सीधे बूस्टिंग द्वारा पेयजल उपलब्धे कराया जा रहा है।

दीर्घकालिक उपायों के अन्तर्गत तहसील बौंली के ग्रामों सहित तहसील खण्डार, चौथ का बरवाड़ा एवं मलारना डूंगर के कुल 331 ग्रामों में पेयजल के स्थाई समाधान के लिये चम्बल नदी के पालीघाट एवं बनास नदी के ईसरदा बांध से जल स्रोत की उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के कार्य की राशि रुपये 232.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति दिनांक 05.09.2012 को जारी की गई है। इस कार्य हेतु मैसर्स मार्स प्लानिंग एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड, अहमदाबाद को राशि रुपये 1.12 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

सर्वेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य माह सितम्बर, 2014 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

(2) तहसील बौंली के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम बौंली में स्थानीय एवं इसकी परिधि में भू-गर्भीय जल की उपलब्धता नगण्य होने के कारण वर्तमान में 122 टैंकर ट्रिपों द्वारा प्रतिदिन 488 किलोलीटर पेयजल ग्राम स्थित स्वइच्छ जलाशय तथा देवल्दा कुएं में एकत्रित किया जाकर, पहाड़ी पर निर्मित जलाशय तथा सीधे बूस्टिंग द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

तहसील बौंली के शेष 99 ग्रामों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप विभिन्न जल योजनाओं से की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारु एवं संतोषप्रद है।

अलवर जिले में सैक्टर रिफार्म पेयजल योजना का संचालन

348. श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में सैक्टर रिफार्म, पेयजल योजना संचालित है? यदि हां, तो कितने गांवों में व इन योजनाओं का संचालन एवं व्यवस्था कौन कर रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सैक्टर रिफार्म योजना पेयजल हेतु ग्रामीणों को ग्राम सोसायटी बना कर सरकार द्वारा सौंपी गई थी? अधिकांश योजना ग्राम सोसायटी द्वारा नहीं चल पाई, जिनको सरकार ने ग्राम पचांयतों को सुपुर्द कर दिया? क्या उक्त योजनाओं को सरकार जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के सैक्टर रिफार्म कार्यक्रम अन्तर्गत जिला अलवर में कुल 301 पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। इनमें से 135 पेयजल योजनाओं का सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समितियों, 123 पेयजल योजनाओं का सम्बन्धित ग्राम पंचायतों तथा 11 पेयजल योजनाओं का शाला प्रबन्धन समितियों के पास संचालन एवं संधारण की व्यवस्था है।

शेष 32 पेयजल योजनाएं ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा हाथ में नहीं लिये जाने के कारण इन योजनाओं के संवर्धन उपरान्त

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

संचालन एवं संधारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है। वांछित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सैक्टर रिफार्म पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य एवं तत्पश्चात संधारण का कार्य भारत सरकार के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ही किया जाना है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति प्रणालियों और संसाधनों के स्थायित्व के लिए सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिये दिनांक 25 दिसम्बर, 2002 से देश भर में स्वजलधारा योजना प्रारम्भ किये जाने पर सैक्टर रिफार्म योजना भी स्वजलधारा योजना में परिवर्तित हो गई। स्वजलधारा गाइड लाइन्स के अनुसार सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा ही इन योजनाओं का संचालन एवं संधारण कार्य किया जा रहा है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणी के ग्राम माणकलाव में पाइप लाइन डालने में अनियमितताएं

349. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम माणकलाव से कडवड स्थित आई.आई.टी. के लिये जो 250 एम.एम. की 8 कि.मी. पानी की पाइप लाइन बिछाई गई है, वह पूर्व में इसी लाइन के नीचे स्थित 100 एम.एम. की पाइप लाइन के ऊपर महज एक फीट उंचाई पर बिछाई गई है? ठेकेदार को इस पाइप लाइन को वर्क आर्डर के अनुसार कहां पर किस तरह बिछानी थी? क्या इस पाइप लाइन बिछाने में ठेकेदार ने वर्क आर्डर की अवहेलना की है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम माणकलाव हैडवर्क्स से भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आई.आई.टी.), जोधपुर को उनकी पेयजल मांग के अनुरूप जलापूर्ति करने हेतु विभाग द्वारा डिपोजिट मद अन्तर्गत स्वीकृत योजना में 250 मिलीमीटर व्यास की कुल 14,440 मीटर लम्बाई में डी.आई.

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पाइप लाइन निविदा की शर्तो एवं कार्यादेश अनुसार विभागीय मापदण्डों के अनुरूप ही बिछाई गई है । यह पाइप लाइन किसी अन्य योजना अन्तर्गत पूर्व में बिछी हुई पाइप लाइन के ऊपर नहीं बिछाई गई है परन्तु, तीन जगह क्रास हुई है ।

मालपुरा की ढाणियों में ट्यूबवैल की व्यवस्था

350. **श्री कन्हैयालाल** (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की समस्त ढाणियों में ट्यूबवैल (बोरिंग) लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त क्षेत्र की कितनी ढाणियों में अब तक कितने ट्यूबवैल लगाये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा शेष रही ढाणियों में इस वर्ष टयूबवैल की व्यवस्था कर दी जायेगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की तहसील मालपुरा एवं टोडारायसिंह में सम्मिलित क्रमश: 207 एवं 64, कुल 271 ढाणियां बीसलपुर बांध से स्वीकृत परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित हैं।

इन 271 ढाणियों में से तहसील मालपुरा एवं टोडारायसिंह की क्रमश: 102 एवं 64, कुल 166 ढाणियों को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। तहसील मालपुरा की शेष 105 ढाणियों को उक्त परियोजना से लाभान्वित करने का कार्य प्रगति पर है। बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित तथा इससे वर्तमान में नहीं जुड़ी हुई ढाणियों में क्रियाशील हैण्डपम्प/सिंगल फेज नलकूपों से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

अत: उक्त परिप्रेक्ष्य में इन ढाणियों में नये नलकूपों का निर्माण नहीं किया जाना है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की तहसील मालपुरा एवं टोडारायसिंह की क्रमश: 9 एवं 3, कुल 12 ढाणियों में 12 सिंगल फेज नलकूप स्थापित किये गये हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की समस्त ढाणियों में क्रियान्वित की जा रही पेयजल योजना एवं वर्तमान में संचालित जल योजनाओं से पेयजल आपूर्ति सुचारु होने के कारण इनमें नलकूपों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

भरतपुर-धौलपुर चम्बल सिंचाई परियोजना में कार्यरत मृत आश्रित को पेंशन

351. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या जल स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत एक वर्ष में भरतपुर-धौलपुर चम्बल सिंचाई परियोजना में कार्यरत मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति देने, पारिवारिक पेंशन एवं बकाया भुगतान के लिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच द्वारा कोई निर्णय पारित किया गया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त निर्णय की पालना कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक पालना कर दी जायेगी? क्या सरकार विलम्ब के लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर-धौलपुर चम्बल सिंचाई परियोजना नाम की कोई परियेाजना निर्माणाधीन या निर्मित नहीं होने से जल संसाधन विभाग के किसी मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति देने, पारिवारिक पेंशन एवं बकाया भुगतान के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है।

(2) पारित निर्णय जल संसाधन विभाग के किसी मृत कर्मचारी के सम्बन्धित नहीं होने से पालना किये जाने की स्थिति नहीं बनने से कोई दोषी नहीं है।

महत्ती देवास परियोजना से मावली को पेयजल आपूर्ति

352. श्री दलीचन्द डांगी (मावली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री दलीचन्द डांगी)

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की महत्ती देवास परियोजना के फेज तृतीय एवं चतुर्थ पर कार्य योजना तैयार कर ली गई है? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना से उदयपुर जिला स्थित तहसील मावली एवं वल्लाभनगर के विभिन्न ग्रामों को पेयजल दिया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों को व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मावली की पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र को उक्त योजना से लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उदयपुर जिले की महत्ती देवास परियोजना के फेज तृतीय एवं चतुर्थ की कार्य योजना की डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य मैसर्स बेपकोर्स लिमिटेड को आबंटित किया गया है। परियेाजना की डी.पी.आर. सितम्बर, 2014 तक प्राप्त होनी प्रस्तावित है।

(2) जी नहीं। उदयपुर शहर की वर्ष 2021 की अभिकल्पित पेयजल मांग 128.82 मिलियन लीटर प्रतिदिन के विरुद्व उपलब्धह जल स्रोतों से शहर का कुल पेयजल उत्पादन वर्तमान में 89.32 मिलियन लीटर प्रतिदिन है।

देवास तृतीय व चतुर्थ योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन से पेयजल हेतु क्रमश: 17.64 एवं 17.99 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल की उपलब्धता अनुमानित है तथा जल वृद्धि की इन मात्राओं को सम्मिलित करते हुए उदयपुर शहर में कुल संभावित जल उपलब्धता 124.95 मिलियन लीटर प्रतिदिन होगी जो वर्ष 2021 की पेयजल मांग पूर्ति हेतु अपर्याप्त है। उक्त कारण से दोनों योजनाएं उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति की मांग हेतु ही प्रस्तावित होने से मावली एवं वल्लभनगर के विभिन्न गांवों को पेयजल हेतु पानी दिया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(3) जी नहीं। देवास तृतीय व चतुर्थ योजनाएं उदयपुर शहर की पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित की गई हैं अत: इनसे विधान सभा क्षेत्र मावली को पेयजल उपलब्ध कराना विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र मावली के कुल 218 ग्रामों में भू-जल/सतही जल

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

स्रोतों से जल उपलब्धता अनुरूप विभिन्न जल योजनाओं एवं स्थापित हैण्डपम्प से की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है।

प्रदेश में आर्गेनिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि

353. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार आर्गेनिक खेती के लिए किसानों को किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा आर्गेनिक खेती (जैविक खेती) को बढ़ावा देने हेतु जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम एवं फारमर्स फिल्ड स्कूल आधारित जैविक खेती प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत निम्न सहायता प्रदान की जा रही है-

कृषि विभाग के माध्यम से-

1. जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत कृषकों को रु. 8000/- प्रति हैक्टर (खरीफ फसल हेतु 2000 रु. रबी फसल हेतु 3000 रु. तथा शेष 3000 रु. पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु प्रति हैक्टर) अनुदान दिया जा रहा है। एक कृषक को अधिकतम 2 हैक्टर क्षेत्र हेतु अनुदान देय है।
2. फारमर्स फील्ड स्कूल आधादरित जैविक खेती प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तहर्गत प्रति प्रदर्शन (0.4 हैक्ट0र क्षेत्र), जैविक आदान लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु. 2000/- जो भी कम हो, अनुदान देय है।

उद्यान विभाग के माध्य्म से-

1. जैविक खेती प्रोत्साहन हेतु प्रथम वर्ष 4000/- दूसरे वर्ष में 3000/- तथा तृतीय वर्ष 3000/- (तीन वर्ष में 10000/-) प्रति हैक्टर अनुदान देय है। एक कृषक को अधिकतम 4 हैक्टर क्षेत्र हेतु अनुदान देय है। यह कार्यक्रम जैविक खेती प्रमाणीकरण से जुड़ा है।

(कृषि मंत्री)

2. जैविक फसल प्रमाणीकरण हेतु 50 हैक्टर कलस्टर क्षेत्र के लिए रु. 10000/- प्रति हैक्टर की दर से राशि रु. 05 लाख (प्रथम व दूसरे वर्ष में 1.5 लाख तथा तृतीय वर्ष में 2.00 लाख) की सहायता देय है। एक कृषक को अधिकतम 4 हैक्टर हेतु सहायता देय है। यह सहायता आई.सी.एस. संस्था या प्रमाणीकरण संस्था को देय है।

3. पक्का वर्मीकम्पोस्ट इकाई तथा एचडीपीई वर्मीकम्पोस्ट इकाई निर्माण हेतु लागत का 50 प्रतिशत या क्रमश: 50 हजार तथा 08 हजार रु. तक का अनुदान देय है।

फलौदी (जोधपुर) में कृषि विभाग के कार्यालय की स्थापना

354. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा कृषि अधिकारियों के नवीन पद सृजन एवं नवीन कार्यालय स्थापना किये जाने के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1994 से 2014 तक जोधपुर जिले के उपखण्ड फलौदी, औसियां एवं बाप के सिंचित क्षेत्र रकबा में कितनी वृद्धि हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में ऐसे स्थान जो कि डार्क जोन हो गये हैं, उन स्थानों पर स्थापित कृषि कार्यालयों को समानीकरण कर नये विकसित सिंचित क्षेत्रों में स्थानान्तरित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार उपखण्ड फलौदी मुख्यालय पर कृषि विभाग का कार्यालय स्थापित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस स्तर का कार्यालय एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य के प्रत्येक जिले में जिला परिषद के अधीन 1 उप निदेशक कृषि (विस्तार) के पद का प्रावधान है। इस पद के अतिरिक्त अन्य पद यथा सहायक निदेशक कृषि, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक इत्यादि के क्षेत्रफल, फसल बुवाई क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, फसल विशेष का बुवाई क्षेत्र आदि को ध्यान में रखते हुए सृजित किये जाते हैं।

(कृषि मंत्री)

(2) जोधपुर जिले के उपखण्ड फलौदी, औसियां एवं बाप क्षेत्र में वर्ष 1994-95 में 36847 हैक्टर सिंचित क्षेत्र था जो वर्ष 2013-14 में बढकर 252489 हैक्टर हुआ है। सिंचित क्षेत्र में 585 प्रतिशत वृद्वि हुई है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य में डार्क जोन घोषित क्षेत्रों में कृषि कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कम पानी से अधिक पैदावार लेने की नई तकनीकी यथा बूंद-बूंद सिंचाई, फव्वारा संयंत्र, फार्म पौण्ड, डिग्गी, कम पानी की आवश्यकता वाली उन्नत किस्में, फल बगीचों की स्थापना आदि का प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्षा आधारित कृषि का भी कार्य उनके द्वारा किया जाता है। इस कारण से डार्क जोन के अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यालयों को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) फलौदी मुख्यालय पर विभाग का अन्य कार्यालय खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उपखण्ड मुख्यालय फलौदी पर विभाग का सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक का मुख्यालय है। वर्तमान में फलौदी पंचायत समिति में कुल 6 सहायक कृषि अधिकारी एवं 32 कृषि पर्यवेक्षकों के मुख्यालय हैं, जिनके द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों का संचालन सुचारु रूप से किया जा रहा है। नवीन कार्यालय खोला जाना एक नीतिगत प्रकरण है जो गुणावगुण व संसाधनों की उपलब्धता एवं क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1994 से 2014 तक जोधपुर जिले के उपखण्ड फलौदी, औसियां एवं बाप का सिंचित क्षेत्र रकबा

क्र. सं.	तहसील	वर्षवार सिंचित क्षेत्र रकबा (हैक्टर में)											
		1994-95	**1995-96**	**1996-97**	**1997-98**	**1998-99**	**1999-2000**	**2000-01**	**2001-02**	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**2005-06**
1.	फलौदी	2732	3636	4729	6362	10402	12963	17418	19520	21167	25380	32015	31914
2.	औसियां	34115	36504	38116	42400	46689	52500	52534	51785	54842	60293	69371	69371
3.	बाप	0											
	योग	**36847**	**40140**	**42845**	**48762**	**57091**	**65463**	**69952**	**71305**	**76009**	**85673**	**101386**	**101285**

क्र. सं.	तहसील	वर्षवार सिंचित क्षेत्र रकबा (हैक्टर में)									वृद्धि	
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	क्षेत्र है.	प्रतिशत
1.	फलौदी	56202	56202	54384	97455	113694	124026	106459	93470	प्राप्त नहीं	90738	3321
2.	औसियां	90935	102062	102062	115744	129813	138717	121757	117151	प्राप्त नहीं	83036	243
3.	बाप							32935	41868	प्राप्त नहीं	41868	0
	योग	**147137**	**158264**	**156446**	**213199**	**243507**	**262743**	**261151**	**252489**		**215642**	**585**

नोट :— तहसील बाप का गठन सितम्बर 2012 में ही हुआ है। इससे पूर्व इसका क्षेत्र फलौदी तहसील में था।
2014-15 की गिरदावरी होना शेष है।

संयुक्त निदेशक कृषि (वि.)
कृषि आयुक्तालय राज., जयपुर

मण्डरायल (करौली) चम्बल नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण

355. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला करौली में मण्डरायल के पास चम्बल नदी पर पुल निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो पुल निर्माण कब तक कराया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इसके लिए शीघ्र ही एन.ओ.सी. जारी करने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या एन.ओ.सी. जारी कर दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) सरकार द्वारा चम्बल नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई है? एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार अब कब तक इस पुल का निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा भरतपुर सम्भाग के भ्रमण के दौरान दिनांक 18.02.2014 को कैबीनेट की मीटिंग में जिला करौली में मण्डरायल के पास चम्बल नदी पर पुल निर्माण हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग की अनापत्ति पर शीघ्र निर्णय करवाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया। पुल का निर्माण राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारस्परिक सहमति से किया जावेगा।

उक्त पुल स्थल घडियाल सेन्चुरी के अन्तर्गत आता है। अत: पुल का निर्माण केन्द्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति के पश्चात् कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। उक्त पुल के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश एवं राजस्थान प्रदेश के स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा एन.ओ.सी. जारी कर दी गई है।

(3) चम्बल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु मध्य प्रदेश एवं राजस्थान प्रदेश के स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा एन.ओ.सी. जारी कर दी गयी है तथा उक्त प्रस्ताव सचिव (वन विभाग) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.1(48)फोरेस्ट/2014 दिनांक 01.07.2014 द्वारा डी.जी. (वाइल्ड लाइफ) नई दिल्ली को प्रेषित किये गये। मुख्य अभियन्ता (पथ) द्वारा दिनांक 15.01.2014 को अनापत्ति प्रमाण पत्र उपवन संरक्षक (वन्य जीव) राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सवाई माधोपुर को प्रस्तुत कर दिया गया है। राजस्थान सरकार की पारस्परिक सहमति से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बी.ओ.टी. पर निर्माण करने हेतु 94.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये।

(4) उक्त पुल स्थल घड़ियाल सेन्चुरी के अन्तर्गत आता है। अत: केन्द्रीय वाइल्ड लाइफ एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुमति के पश्चात् पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

पचपदरा के ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण/नवीनीकरण

356. श्री अमराराम (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की निम्नांकित ग्रामीण सडकों क्रमश: पारलू से उमरलाई, बालोतरा से मंगडा, सांखलों की ढाणी से रणिया दसीपुरा, सिणली जागिर से किथ्सावारी, हूमली से रोडवा खुर्द, खीपली खेडा से कपूरडी तक की क्षतिगस्त सड़कों का डामरीकरण/ नवीनीकरण/मरम्मत का कार्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में ग्रामीण सड़कों की कुल लम्बाई 586.50 कि.मी. में से 56.10 कि.मी. लम्बाई की सड़कें आंशिक क्षतिग्रस्त हैं।

जी हां। प्रश्न में वर्णित 6 सड़कों की लम्बाई 45.00 कि.मी. में से 36.50 कि.मी. सड़कें क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2014-15 के अनुसार ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य आउट पुट एण्ड परफोरमेन्स बेस्ड रोड कांन्ट्रेक्ट (ओ.पी.आर.सी.) पद्धति के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

विधानसभा क्षेत्र पचपदरा के अधीन आने वाली क्षतिग्रस्त सड़कों की वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई (किमी.)	क्षतिग्रस्त भाग के चैनेज	क्षतिग्रस्त लम्बाई (किमी.)	क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण/गत नवीनीकरण वर्ष	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पारलू से उमरलाई	ग्रामीण सड़क	16.00	0/0 to 6/0 & 8/0 to 16/0	14.00	2003	किमी. 5/0 से 6/0 व 12/0 से 16/0 तक 5 कि.मी. नान पेचेबल है।
2.	बालोतरा से मूगड़ा	ग्रामीण सड़क	4.50	2/0 to 4/500	2.50	2011	संवेदक की गारंटी अवधि 30.12.16 तक है। पेच मरम्मत का कार्य करवा दिया गया है।
3.	सांखलो की ढाणी से रणियादेशीपुरा	ग्रामीण सड़क	7.00	3/0 to 7/0	4.00	2005	कि.मी. 3/0 से 7/0 तक 4 कि.मी. नान पेचेबल है।
4.	सिणली जागीर से कतवारी	ग्रामीण सड़क	9.00	0/0 to 7/50	7.50	2001	कि.मी. 0/0 से 7/500 सड़क का निर्माण कृषि मण्डी द्वारा किया गया था जो नान पेचेबल है।

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	थूम्बली से रोड़वा खुर्द	ग्रामीण सड़क	4.50	0/0 to 4/500	4.50	2004	किमी. 0/0 से 4/50 नान पेचेबल है।
6.	खींपली खेड़ा से कपूरड़ी	ग्रामीण सड़क	4.00	0/0 to 4/0	4.00	2007	किमी. 0/0 से 4/0 नान पेचेबल है।
		योग	**45.00**		**36.50**		

बूंदी के ग्राम डाबी में सी.सी. सडक का निर्माण

357. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बून्दी के ग्राम डाबी में अंहिसा सर्किल से चमन चौराहे तक 12 इंच की सी.सी. सड़क निर्माण की स्वीकृति कब जारी की गई थी तथा वर्तमान में इस सड़क के निर्माण की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डाबी पूर्णत: खनन क्षेत्र है, जहां भारी वाहनों का आवागमन रहता है, ऐसे में उक्त सड़क की महती आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बून्दी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डाबी में चमन चौराहे से पावर हाउस तक 2 कि.मी. लम्बाई में सी.सी. सड़क निर्माण हेतु 80.00 लाख रुपये की दिनांक 03.09.2013 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। गत सरकार द्वारा बजट प्रावधानों से अधिक राशि के स्वीकृत कार्यो की सरकार द्वारा समीक्षा करके उक्त कार्य को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त सी.सी. सड़क का निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भादरा की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/मरम्मत

358. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भादरा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत या नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भादरा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की कुल लम्बाई 632.67

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कि.मी. है इनमें से 145.50 कि.मी. सड़कें क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं, इनमें से 6.00 कि.मी. लम्बाई में चौड़ाईकरण का कार्य प्रगति पर है। क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2014-15 के अनुसार राज्य की स्टेट हाइवे एवं एम.डी.आर. सड़कों का विकास पी.पी.पी. योजनान्तर्गत एवं शेष ग्रामीण सड़कों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण का कार्य आउटपुट एण्ड परफोरमेन्स बेस्ड रोड कोन्ट्रेक्ट (ओ.पी.आर.सी.) पद्धति के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

भादरा में क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का वर्गीकरण	सड़क का नाम मय चैनेज	लम्बाई (किमी)	विशेष विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	वीआर	शेरड़ा से गालड़ हरियाणा बोर्डर सीमा तक किमी 2/0 से 3/550	1.55	—
2	वीआर (मण्डी सड़क)	सागड़ा से सवाईछानी किमी 0/0 से 4/900	4.90	—
3	वीआर	लाखनवास से गढ़ीछानी किमी 0/0 से 5/100	5.10	—
4	वीआर (मण्डी सड़क)	उज्जलवास से ढिलकी किमी 0/0 से 7/500	7.50	—
5	वीआर	सम्पर्क सड़क बरवाली बस स्टैण्ड से हरियाणा सीमा किमी 0/0 से 8/400	8.40	—
6	वीआर	सम्पर्क सड़क धोलपालिया किमी 0/0 से 5/0	5.00	—
7	वीआर	डुंगराना-जिगासरी सड़क किमी 0/0 से 12/0	12.00	—

1	2	3	4	5
8	वीआर	सम्पर्क सड़क डुंगरसिंहपुरा किमी 0/0 से 3/750	3.75	—
9	वीआर	डुंगराना से घेठ वाया जाटान सड़क किमी. 2/0 से 12/200	10.20	—
10	वीआर	सम्पर्क सड़क रामगढ़ किमी 0/0 से 2/500	2.50	—
11	वीआर	रामगढ़ से उज्जलवास किमी 0/0 से 3/0	3.00	—
12	एमडीआर-31	भादरा साहवा सड़क किमी 3/0 से 7/0, 9/0 से 12/0 एवं 30/0 से 33/200 (डीएलपी सड़क)	10.20	—
13	एमडीआर-31	भादरा साहवा सड़क किमी 2/0 से 3/0, 7/0 से 9/0 एवं 12/0 से 15/00	6.00	उपरोक्त सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य 13वें वित्त आयोग (प्लान) में प्रगति पर है।
14	एमडीआर-66	भादरा-लुदेसर सड़क किमी 0/0 से 0/300	0.30	
15	वीआर	गदरा से चुरू बोर्डर सड़क किमी 0/0 से 2/600	2.60	
16	वीआर	गोगामेड़ी से निठराना सड़क किमी 5/0 से 10/0	5.00	
17	वीआर	अप्रोच सड़क आसन किमी 3/0 से 4/0	1.00	
18	वीआर	मुन्सरी-नथवानिया सड़क किमी 0/0 से 5/0	5.00	
19	वीआर (मण्डी सड़क)	गढीछानी से भिरानी सड़क किमी 0/0 से 6/500	6.50	

1	2	3	4	5
20	वीआर (मण्डी सड़क)	भोजासर से चक भोजासर किमी 0/0 से 3/500	3.50	
21	वीआर (मण्डी सड़क)	गढड़ा से भानगढ़ वाया झिलोदा किमी 0/0 से 10/0	10.00	
22	वीआर (मण्डी सड़क)	डाबड़ी से हरियाणा बोर्डर किमी 0/0 से 1/500	1.50	
23	वीआर (मण्डी सड़क)	नोहर-भादरा-बालसमंद-हिसार सड़क	30.00	
		योग :—	**145.50**	

गांधीनगर (जयपुर) के राजकीय आवास एम-8 के सामने निर्मित ट्यूबवैल

359. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में गांधीनगर में राजकीय आवास संख्या एम-8 के सामने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ट्यूबवैल कराया गया था? यदि हां, तो कब व कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या कार्य कराये गये थे? कार्यादेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ट्यूबवैल गत चार वर्ष से भी अधिक समय से खराब पड़ा है? यदि हां, तो इसको अब तक ठीक न किये जाने के क्या कारण रहे हैं और इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ट्यूबवैल के खराब पड़े होने के कारण आसपास स्थित राजकीय आवासों में रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को पेयजल की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो अब कब तक उक्त ट्यूबवैल को ठीक करा दिया जाएगा या ठीक नहीं होने की स्थिति में नया ट्यूबवैल कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में गांधीनगर में राजकीय आवास संख्या एम -8 के सामने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ट्यूबवैल का निर्माण कराया गया था। इसका निर्माण वर्ष 1995-96 में राशि रुपये 03.59 लाख व्यय कर कराया गया था। जिसमें सम्पूर्ण ट्यूबवैल का निर्माण एवं पाइप लाइन के कार्य कराये गये थे। कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त ट्यूबवैल 4 वर्ष से भी अधिक समय से खराब पड़ा है इसे भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण ठीक कराया जाना सम्भव नहीं है। अत: इसके लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) जी हां। इस ट्यूबवैल के खराब होने से आस-पास स्थित राजकीय आवासों में रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को पानी की उपलब्धता में कुछ कमी रही है, परन्तु इन आवासों में पेयजल हेतु पी.एच.ई.डी. से पानी कनेक्शन किये हुए हैं, एम.एल.ए. फ्लेट्स, एम. एवं एन. श्रेणी के आवासों में पी.एच.ई.डी. के अतिरिक्त ट्यूबवैल से भी आवश्यकतानुसार पानी की सप्लाई हेतु कनेक्शन किये गये थे। गर्मी के दिनों में पानी का उपयोग ज्यादा होने पर पी.एच.ई.डी. लाइन में पानी का प्रेशर कम होने से कुछ एम.एल.ए. फ्लेटों में पानी कम प्रेशर से आता है। ट्यूबवैल की लाइन के पानी का स्तर ज्यादा गिरने के कारण ट्यूबवैल से पानी सप्लाई नहीं की जा सकती है। जिसके समाधान हेतु नवीन ट्यूबवैल बनाया जाना आवश्यक है, जिस पर अब लगभग 5.50 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। जो राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केशोरायपाटन के राजस्व ग्रामों की सम्पर्क सड़कें

360. श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केशोरायपाटन (बून्दी) विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राजस्व गांव सड़कों से जुडे हुए हैं? गांव का नाम व सम्पर्क सड़क की लम्बाई की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सड़क से बिना जुडे गांवों के नामों की सूची वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों की सूची जिसमें

(श्री बाबूलाल वर्मा)

सड़क का नाम, दूरी, स्वीकृत राशि, दिनांक एवं व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केशोरायपाटन (बून्दी) विधान सभा क्षेत्र में जनगणना 2011 के आधार पर कुल 318 गांवों में से 254 राजस्व गांव सड़कों से जुड़े हैं। गांव का नाम व सम्पर्क सड़क की लम्बाई का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में सड़क से बिना जुड़े गांवों का विवरण वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में गत तीन वर्षों में स्वीकृत सड़कों का नाम, दूरी, स्वीकृत राशि, दिनांक एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ की स्वीकृत सड़कों का निर्माण

361. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2008 से नवम्बर, 2013 के मध्य किस-किस योजना में सड़क निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अवधि में स्वीकृत सड़कों का निर्माण किया जा चुका है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कहां से कहां तक के लिये सड़कें स्वीकृत की गईं, उनमें से कितनी पूर्ण हुईं तथा कितनी अपूर्ण और कितनी सड़कों का निर्माण कार्य ही प्रारम्भ नहीं किया गया? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्ष 2008 से नवम्बर, 2013 तक विभिन्न योजनाओं में करवाये गये सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति का मय राशि विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। विभिन्न योजनाओं में सड़क निर्माण कार्यों पर व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) उक्त अवधि में स्वीकृत कुल 33 सड़क निर्माण कार्यों में से 17 कार्य पूर्ण, 8 कार्य प्रगतिरत एवं शेष 8 कार्यों में से 6 कार्य सरिस्का/रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में होने से सरकार के निर्णयानुसार ग्रेवल स्तर तक ही कार्य कराये जा सकते हैं। 1 कार्य भूमि विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं हुआ तथा 1 कार्य रामगढ़ बांध के कैचमेन्ट एरिया में आने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में नहीं करवाया जा सका। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शेरगढ़ में नवीन एनिकट के प्रस्ताव

362. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर 2008 से मई 2014 तक कौन-कौन से गांवों में एनीकट बनाये गये, इनमें से कितने पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अपूर्ण एनीकटों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार के पास जोधपुर जिले में नवीन एनीकट बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं या विचाराधीन हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों व अन्य नवीन एनीकट बनाने के प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में खिरजा तिबना से बोलनाडी नदी तट की बंधाई नहीं होने के कारण बारिश के दौरान नदी का पानी गांवों, ढाणियों, खेतों में फैलने से क्षेत्र में काफी क्षति हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षति के मध्य नजर बाढ़ बचाव कार्य खिरजा तिबना से बोलनाडी तक नदी तट बंधाई का कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर 2008 से मई 2014 तक

(जल संसाधन मंत्री)

किसी भी एनीकट का निर्माण नहीं हुआ है। वर्ष 2013-14 में एक सब सरफेस बेरियर का निर्माण बस्त्वा माताजी में कराया गया था, जो पूर्ण है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कोई भी एनीकट अपूर्ण नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में नवीन एनिकट बनाने के प्रस्ताव नहीं होने से कोई स्वीकृति विचाराधीन नहीं है।

(5) जी हां। खिरजा तबना से बोलनाडी नदी तट की बंधाई एवं मरम्मत हेतु 57.30 लाख का प्रस्ताव तैयार कर आपदा मद के अन्तर्गत जिला कलक्टर जोधपुर (आपदा) को वित्तीय स्वीकृति हेतु तखमीना दिनांक 05.06.2014 को भिजवाया जा चुका है, जो स्वीकृति की अग्रिम कार्यवाही के अन्तर्गत विचाराधीन है।

प्रदेश में बांधों से सिंचाई/पेयजल हेतु जल का उपयोग

363. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विगत वर्ष प्रदेश के कुछ बांधों का पूरा पानी पेयजल के लिए आरक्षित कर दिया गया था? यदि हां, तो कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को किस प्रकार राहत प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के अनेक ऐसे बांध हैं, जिनका पानी सिंचाई एवं पेयजल के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा? यदि हां, तो क्यों तथा उस पानी का क्या उपयोग किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत वर्ष प्रदेश में जोधपुर सम्भाग के कुछ बांधों का पूरा पानी पेयजल के लिए आरक्षित किया गया, उन बांधों का एवं कमाण्ड क्षेत्र के किसानों को राहत के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के ऐसे बांध जिनके पानी का उपयोग सिंचाई एवं पेयजल हेतु नहीं किया जा रहा है एवं उस पानी के अन्य उपयोग सहित विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगनहर बीकानेर कैनाल के पानी की रोकथाम

364. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पंजाब से गंगनहर बीकानेर कैनाल का 0 से 45 आर.डी. तक पानी व्यर्थ पाकिस्तान जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसको रोककर प्रदेश को उपलब्ध करवाने हेतु बीकानेर नहर की क्षमता बढ़ाकर उसे पक्का करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में राजस्थान को गंगनहर हेतु पानी का आबंटित हिस्सा हरिके बैराज पर निर्धारित है। बीकानेर कैनाल को हरिके बैराज से निकलने वाली फिरोजपुर फीडर के माध्यम से आर.डी. 45 पर पानी उपलब्ध कराया जाता है। बीकानेर कैनाल आर.डी. 0 से 45 का वर्तमान में उपयोग नहीं होने से इसे पक्का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भीलवाड़ा जिले की भोजपुरा फीडर की कार्य योजना

365. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाडा की भोजपुरा फीडर का कार्य कौन से वर्ष में प्रारम्भ हुआ?

(2) उक्त फीडर में अब तक किस-किस मद से कुल कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त फीडर का कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(4) उक्त फीडर से कौन-कौन से गांवों के कितने तालाबों में पानी पहुंचाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा की भोजपुरा फीडर का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 में प्रारम्भ हुआ।

(2) उक्त फीडर पर विगत 5 वर्षों में व्यय की गई राशि का मदवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(जल संसाधन मंत्री)

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मद	महानरेगा मद
2008-09	34.21	0.00
2009-10	4.57	5.02
2010-11	4.01	6.60
2011-12	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00
योग	**42.79**	**11.62**

(3) उक्त फीडर का 97 प्रतिशत कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। शेष रहे कार्य को संसाधन उपब्धतानुसार शीघ्र पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त फीडर से पिछौला, पीपली का वाडिया, हतौला, जोगीधरा, नायला एवं बडगासन गांवों के तालाबों को पानी पहुंचाने की योजना है।

सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत हरियाणा से पानी की आपूर्ति

366. **श्री संजीव कुमार** (भादरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा से कितना पानी लेना निर्धारित है और वर्तमान में एक बार में कितना क्यूसेक पानी दिया जा रहा है तथा क्या सिद्धमुख नहर परियोजना में हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिल रहा है?

(2) क्या सरकार क्षेत्र के किसानों की समस्या को देखते हुये सिद्धमुख नहर परियोजना में हरियाणा से पूरा पानी लेने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा से रावी व्यास का अधिशेष 0.47 एम.ए.एफ. पानी लेना निर्धारित है और वर्तमान में हरियाणा द्वारा 0.30 एम.ए.एफ. पानी ही दिया जा रहा है। सिद्धमुख नहर में हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिल रहा है।

(2) जी हां। बार-बार आग्रह करने के उपरान्त भी हरियाणा द्वारा पूरा

(जल संसाधन मंत्री)
पानी नहीं देने के कारण सर्वोच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अन्य प्रदेशों से इन्दिरा गांधी/गंगनहर को उपलब्ध पानी से सिंचाई

367. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में नहरों से किस-किस क्षेत्र में कौन सी परियोजनाओं एवं किस पद्धति से सिंचाई हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन सिंचाई परियोजनाओं से राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दिया जा रहा है? यदि हां, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंग नहर परियोजना को प्रति वर्ष कितना पानी मिल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जिन नहरी परियोजनाओं द्वारा सिंचाई हो रही है, उनका क्षेत्रवार/जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नहरी परियोजनाओं का नाम	क्षेत्र/जिले का विवरण
1	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण)	हनुमानगढ़, चूरू, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर
2	भाखड़ा सिंचाई प्रणाली	हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर
3	गंगनहर परियोजना	श्रीगंगानगर
4	सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना	हनुमानगढ़, चूरू
5	चम्बल बहुउद्देशीय अन्तरराज्यीय परियोजना	कोटा, बारां, बूंदी
6	नर्मदा नहर परियोजना	जालौर, बाड़मेर
7	भरतपुर फीडर	भरतपुर
8	गुडगांव मैन कैनाल	भरतपुर

इन सभी परियोजनाओं में से नर्मदा नहर परियोजना एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (द्वितीय चरण) में तीन लिफ्ट स्कीमों से आंशिक क्षेत्र

(जल संसाधन मंत्री)

में स्प्रींक्लर सिंचाई पद्धति एवं शेष में फ्लो पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(2) जी नहीं। रावी-व्यास नदियों के अधिशेष जल में राज्य के निर्धारित 8.60 एम.ए.एफ. हिस्से के विरुद्ध 8.00 एम.ए.एफ. पानी मिल रहा है, जिससे इन्दिरा गांधी नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर एवं सिद्धमुख नोहर नहर प्रणाली को पूरा पानी नहीं मिल रहा है।

नर्मदा नहर प्रणाली एवं चम्बल नहर प्रणाली में राजस्थान को उपलब्ध/आवश्यतकतानुसार अपने हिस्से का पानी मिल रहा है।

यमुना से भरतपुर जिलों की गुडगांव कैनाल एवं भरतपुर फीडर को पूरा पानी नहीं मिल रहा है।

बाड़मेर-जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र की ढाणियों का विद्युतीकरण

368. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर और जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में लोग दूर-दूर तक ढाणियों में निवास करते हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि दूर-दूर तक ढाणियों में बसे होने के कारण अधिकांश घरों में आज भी अंधेरा छाया हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार मरूस्थलीय जिले बाड़मेर व जैसलमेर में घरेलू बिजली कनेक्शनों में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रत्येक घरेलू कनेक्शन के लिए 500 मीटर की दूरी पर 5-6 विद्युत पोल देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उपरोक्त जिलों में घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए 500 मीटर की परिधि में साध्य पाये जाने वाले आवेदकों को विद्युत कनेक्शन देय है। 5-6 विद्युत पोल से विद्युत कनेक्शन देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इन ग्रामीण इलाकों में ढाणियों में निवास करने वाले घरों में वर्तमान में निम्न योजनाओं के तहत विद्युत सम्बन्ध जारी किये जा रहे हैं।

1. 100 व 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में निवास करने वाले घरेलू परिवार को 5 के ग्रुप में मुख्यमंत्री सबके लिये विद्युत योजना (संशोधित) के तहत विद्युत सम्बन्ध जारी किए जा रहे है।

(ऊर्जा मंत्री)

2. 12वीं पंचवर्षीय की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों को विद्युतीकृत किया जाना प्रस्तावित है। जोधपुर डिस्काम में बाड़मेर एवं हनुमानगढ़ जिले को छोड़कर सभी जिलों की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा कार्य प्रारम्भ के लिए निविदायें प्रक्रियाधीन हैं। इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य योजनानुसार आगामी दो वर्षो में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जैसलमेर जिले की स्वीकृत योजना में 1666 अविद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण एवं 927 विद्युतीकृत ढाणियों का संघन विद्युतीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

बाड़मेर जिले की योजना हेतु आर.ई.सी.पी., डी.सी.एल. द्वारा 100 से अधिक जनसंख्या वाली ढाणियों के वास्तविक सर्वे का कार्य किया जा रहा है जिसके पूर्ण होने पर योजना बनाकर स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।

इन दोनों जिलों में बी.ए.डी.पी. योजना के तहत भी विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही घरेलू विद्युत कनेक्शन देने हेतु निम्न योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं।

अ. पूर्व में स्थापित ट्रांसफार्मर से 500 मीटर की परिधि में साध्य पाये जाने वाले आवेदक

ब. स्व-वित्त पोषित योजना जिसमें लाइन एवं ट्रांसफार्मर की सम्पूर्ण राशि आवेदक द्वारा वहन की जाती है।

स. एम.पी./एम.एल.ए. राशि से विस्तार किये गये विद्युत तंत्र के अन्तर्गत साध्य पाये जाने वाले आवेदक।

इसके अतिरिक्त दूर-दराज के गांवों एवं ढाणियों, जहां जनसंख्या कम है, के विद्युतीकरण हेतु सौर उर्जा आधारित योजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट में की गई है। विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार से भी सहयोग मांगा गया है जो विचाराधीन है।

प्रदेश की विद्युत कम्पनियों में छीजत रोकने की कार्य योजना

369. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश की विद्युत कम्पनियां वर्ष 2008 से 2013 तक की अवधि में कितनी-कितनी घाटे में रहीं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) उक्त विद्युत कम्पनियों में वर्ष 2008 से 2013 की अवधि में छीजत के कारण कितना घाटा रहा है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा छीजत रोकने के लिए कोई उपाय किये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? क्या इन उपायों के बाद छीजत में कमी आई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की बिजली कम्पनियां वर्ष 2008 से 2013 तक की अवधि में घाटे का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विद्युत वितरण कम्पनियों में छीजत विभिन्न तकनीकी एवं वाणिज्यिक कारणों से होती है। वर्ष 2008 से 2013 तक छीजत के कारण हुई हानि का वर्षवार विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। विद्युत वितरण निगमों द्वारा छीजत को कम करने हेतु किये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रयास निम्न प्रकार हैं:-

1. कृषि कार्य के लिए छोटे विद्युत ट्रांसफार्मरों की स्थापना
2. एल.टी. लाइन में ए.बी. केबल का उपयोग।
3. ग्रामीण घरेलू कनेक्शनों के लिए आरमर्ड केबल डालना।
4. पुशफिट मीटरों की स्थापना कर ऊर्जा खपत का सही आंकलन करना।
5. भार केन्द्र पर ट्रांसफार्मरों की स्थापना।
6. ग्रामीण फीडरों को शहरी फीडर से अलग करना।
7. विद्युत चोरी पर प्रभावी कार्यवाही।
8. विद्युत तंत्र का समय सीमा में कुशलता पूर्वक विस्तार।
9. 33 केवी एवं 11 केवी फीडरों पर दी जा रही बिजली की गणना के लिये मीटर लगाना।

उक्त उपायों से विद्युत वितरण निगमों में छीजत में कमी आई है जो प्रपत्र 'स' पर उपलब्ध है।

प्रसारण निगम द्वारा विद्युत तंत्र में विद्युत भार की आवश्यककता के अनुसार विद्युत तंत्र को सुगठित करने के लिए प्रसारण की नई योजनाएं बनाई जाती हैं जो कि प्रसारण तंत्र में विद्युत छीजत को राजस्थान विद्युत विनियामक

(ऊर्जा मंत्री)

आयोग द्वारा निर्धारित तय सीमा में रखने में सहायक होती है। इसलिए प्रसारण तन्त्र में केवल प्रसारण छीजत को कम करने के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़ी में 33 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना

370. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में 33 के.वी. के 11 जी. एस. एस. स्वीकृत है तथा इस स्वीकृति के बावजूद इनका स्थापन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इन जी. एस. एस. के स्थापन का कार्य प्रारम्भ कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में निम्न 33 के. वी. के 11 नहीं 10 सब स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है :-

1. रजोराखुर्द, 2. दौनारी, 3. किलेदार का नगला, 4. गडरपुरा, 5. टोंटरी, 6. गढी सुक्खा, 7. नगलादूल्हे खां, 8. बसईडांग, 9. मत्सूरा एवं 10. सेवरपाली।

सब स्टेशनों के निर्माण का कार्य पूर्व में टर्न-की आधार पर दिया गया था। उसके पश्चात उक्त निविदा को निरस्त कर दिया गया है।

(2) स्वीकृत सब स्टेशनों का निर्माण कार्य भविष्य में उपलब्ध संसाधनों, वित्तीय प्रबन्ध के अनुसार प्राथमिकता निर्धारण कर बनाये जावेंगे।

सिरोही में अघोषित विद्युत कटौती

371. श्री ओटाराम (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा सिरोही विधान सभा क्षेत्र में लोड सेटिंग के नाम पर अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो सिरोही विधान सभा क्षेत्र में निरन्तर विद्युत कटौती के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ओटाराम)

(2) क्या यह सही है कि मंत्री महोदय स्तर पर जयपुर में विद्युत शिकायत निवारण केन्द्र स्थापित है? यदि हां, तो क्या शिकायत करने पर शिकायत निस्तारण में कोई कार्यवाही होती है? यदि हां, तो किस प्रकार और कितने दिनों में कार्यवाही होती है तथा क्या शिकायत करने वाले को उसके शिकायत का निस्तारण होने अथवा नहीं होने की सूचना दी जाती है? यदि हां, तो कब व किस माध्यम से और यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सिरोही जिले में अधिकांशत: आवश्यकतानुसार विद्युत सामग्री में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे, जिसके कारण सिरोही विधान सभा क्षेत्र में जले एवं खराब ट्रांसफार्मर को बदलने में किसानों को लम्बे दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(4) क्या यह भी सही है कि सहायक अभियंता कालन्द्री में ट्रांसफार्मर लोड करने की विभागीय क्रेन मशीन खराब पड़ी है? यदि हां, तो क्यों व नहीं, तो कालन्द्री में नियुक्त अभियंताओं के द्वारा विभागीय क्रेन मशीन के खराब होने की आड़ में आमजन को परेशान क्यों किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामान्यत: वर्तमान में सिरोही विधान सभा क्षेत्र में निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कभी-कभार क्षेत्र में लोड डिस्पेच सेन्टर द्वारा प्राप्त कटौती के मैसेज, लाइनों/सब स्टेशनों के रख-रखाव एवं मरम्मत, ट्रांसफार्मर बदलने एवं लाइन फाल्टो होने पर उसे ठीक करने के लिए आवश्यकतानुसार लाइनों के शटडाउन लेकर लाइनों को बंद किया जाता है। माह अप्रैल, 2014 से जून, 2014 तक विद्युत लाइनों में फाल्ट के कारण एवं लोड डिस्पेच सेंटर द्वारा आदेशित बंद हुई बिजली का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। विद्युत सम्बन्धी किसी कार्य की शिकायत करने पर शिकायत निस्तारण के लिए तुरन्त सम्बन्धित अधिकारी से लगातार सम्पर्क कर शीघ्रातिशीघ्र नियमानुसार उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं।

जी हां। शिकायतकर्ता की शिकायत निस्तारण होने अथवा नहीं होने की सूचना दूरभाष के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र सम्पर्क स्थापित करके दी जाती है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) सिरोही जिले में आवश्यकतानुसार विद्युत सामग्री में ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। जले हुए ट्रांसफार्मरों को सामान्यतया निश्चित समयावधि में बदला जा रहा है। सिरोही जिले में माह अप्रैल 2014 से 23 जुलाई, 2014 तक सिंगल फेज के 41 एवं थ्री फेज के 454 ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए जिनमें से 41 सिंगल फेज एवं 454 थ्री फेज के ट्रांसफार्मर निर्धारित अवधि 72 घंटे में बदल दिये गये।

(4) सहायक अभियंता, कालन्द्री कार्यालय में ट्रांसफार्मर लोड करने के लिए विभागीय क्रेन मशीन नहीं है। अपितु सामान परिवहन के लिए एक ट्रक है। आवश्यकता पड़ने पर लोडिंग के लिए क्रेन भी उपलब्ध करा दी जाती है।

प्रपत्र-अ

Interruption of 33 KV feeders due to Line Fault/Bird Fault/ Insulator Puncher

Month	Name of 33 KV feeder	No. of Tripping	Duration in hrs.
1	2	3	4
April-14	Jawal Ag.	20	4.1
	Palri M	12	2.05
	Krishnaganj	4	0.4
	Velangari	16	2.4
	Posaliya	13	1.1
	Kalandri	11	1
May-14	Jawal	8	1.45
	Palri M	10	1.25
	Krishnaganj	4	0.45
	Velangari	38	12.47
	Posaliya	12	2.4
	Kalandri	11	1.55

1	2	3	4
June-14	Jawal	6	1.05
	Pairi M	13	2.45
	Krishnaganj	4	1.4
	Velangari	18	4.4
	Posaliya	10	3.05
	Kalandri	14	0.55

33 KV Interruption due to LD Message

Month	Name of 33 KV feeder	No. of Tripping	Duration in hrs.
April-14 to June-14	Jawal Ag.	49	20.42
	Pairi M	49	20.42
	Krishnaganj	49	20.42
	Velangari	49	20.42
	Posaliya	44	21.3
	Kalandri	44	15.35

झालावाड़ जिले में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

372. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार झालावाड़ जिले में पवन उर्जा संयंत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में स्थित थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयां प्रारम्भ की जा चुकी हैं तथा उनसे वर्तमान में कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है? पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पवन ऊर्जा संयंत्र निजी निवेशक कम्पनियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं। पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु स्थान का चयन निजी निवेशक

(ऊर्जा मंत्री)

द्वारा ही किया जाता है। इस हेतु निवेशक द्वारा विण्ड मानिटरिंग स्टेशन स्थापित कर पवन ऊर्जा घनत्व एवं वेग का अध्ययन कर, पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता का आंकलन करवाया जाता है। आंकलन में ऊर्जा उत्पादन हेतु स्थान के उपयोगी पाये जाने पर पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है।

किसी भी निजी निवेशक द्वारा झालावाड़ जिले में आदिनांक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु कोई पंजीयन नहीं करवाया हुआ है।

(2) झालावाड़ जिले में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा स्थापित की जा रही 2x600 मेगावाट, कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की प्रथम इकाई 600 मेगावाट को दिनांक 02.05.2014 को कमीशन किया जाकर दिनांक 07.05.2014 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। इस इकाई से उपलब्धता एवं ग्रिड की आवश्यकता के अनुसार वर्तमान में लगभग 110 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली का उत्पादन हो रहा है।

भीलवाड़ा जिले में ट्रांसफार्मरों का क्रय/मरम्मत कार्य

373. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत विभाग में नवीन खरीदे गये ट्रांसफार्मर थ्री फेस व सिंगल फेस की कितने समय तक आपूर्तिकर्ता द्वारा पुन: रिपेयर करने की जिम्मेदारी होती है?

(2) जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2012-13 व 2014-15 में कितने ट्रांसफार्मर क्रय किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ट्रांसफार्मर का किन-किन अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्रय किये गये थ्री फेस व सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में से कितने जल गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इनकी मरम्मत कराई गई व उनमें से कितने पुन: जल गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि बार-बार विद्युत ट्रांसफार्मर जलने के कारण कृषक, ग्रामीण व विभाग को आर्थिक नुकसान होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई कदम उठा रही है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नवीन खरीदे गये थ्री फेज व सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की गांरटी अवधि विभिन्न टेण्डरों के अनुसार सामान्यत: ढाई साल, तीन साल व पांच साल की होती है और आपूर्तिकर्ता को इसी निर्धारित गांरटी अवधि में जले हुए ट्रांसफार्मर को पुन: नि:शुल्क रिपेयर करने की भी पूर्ण जिम्मेदारी होती है।

(2) अजमेर डिस्काम द्वारा डिस्काम क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी जिलों की आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर क्रय किये जाते हैं, अलग से भीलवाड़ा जिले के नाम से क्रय नहीं किये जाते हैं तथा उन्हें निगम के विभिन्न भण्डारों में आवश्यकतानुसार आबंटित किया जाता है। जिला भीलवाड़ा वर्ष 2012-13, 2013 -14 व 2014-15 में आबंटित किये गये थ्री फेज ट्रांसफार्मरों व सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(3) अजमेर डिस्काम में क्रय किये गये ट्रांसफार्मरों का भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारियों की सूची प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध है।

(4) इन क्रय किये गये थ्री फेज व सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों में से जले हुए ट्रांसफार्मरों का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। इन्हें पुन: मरम्मत कराया गया/कराये जा रहे हैं व उनमें से पुन: जल गये ट्रांसफार्मरों का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(6) जी हां। विभिन्न कारणों से यथा ओवरलोड/आन्तरिक दोष, लाइन फाल्टस एवं आकाशीय बिजली गिरने आदि के कारण ट्रांसफार्मर जलते हैं। जले हुये ट्रांसफार्मरों को डिस्काम द्वारा 72 घंटे की समयावधि के अन्दर बदले जाने का प्रावधान है। जिसकी सामान्यत: पालना की जा रही है। ट्रांसफार्मर जलने की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से वितरण निगमों द्वारा फीडर सुधार कार्यक्रम एवं ट्रांसफार्मर ओवरहालिंग कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जहाजपुर (भीलवाड़ा) तहसील में ओम मैटल फीडर से जारी विद्युत कनेक्शन

374. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जहाजपुर में ओम मैटल फीडर से कुल कितने विद्युत कनेक्शन किस-किस श्रेणी के जारी किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुचलवाड़ा खुर्द के उपभोक्ताओं को कृषि

(श्री धीरज गुर्जर)
कनेक्शन का तकमीना ओम मेटल फीडर से बनाया गया था? यदि हां, तो क्या उसके अवरुद्ध विद्युत कनेक्शन जारी किया गया एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील जहाजपुर में ओम मैटल फीडर से कुल 2720 विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन जारी किये गये हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	**श्रेणी**	**कनेक्शन की संख्या**
1	घरेलू	2320
2	अघरेलू	244
3	रोड लाइट	1
4	कृषि	56
5	मिश्रित भार	4
6	लघु उद्योग	80
7	**मध्यम श्रेणी उद्योग**	15

(2) ग्राम कुचलवाड़ा खुर्द के एक कृषि आवेदक का तकमीना ओम मैटल फीडर से बनाया गया था, चूंकि उक्त फीडर पर थ्री फेज विद्युत आपूर्ति 24 घण्टे है, जिस पर सामान्य श्रेणी के उपभोक्ता को इस फीडर से कनेक्शन जारी नहीं किया गया एवं आवेदक को ग्रामीण फीडर से पुन: तकमीना बनाकर ग्रामीण फीडर से कनेक्शन जारी किया गया है।

प्रदेश में पंचायत मुख्यालयों पर गौशालाओं का संचालन

375. **श्रीमती गोलमा** (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा प्रदेश से गौ तस्करी रोकने के लिये क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने गौ वंश को राज्य धरोहर घोषित किया है? यदि हां, तो क्या सरकार गौ वंश को बचाने हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौशाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश से गौ तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं :-

1. राजस्थान में गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 की पालना सुनिश्चित की जा रही है।

2. गौवंश की तस्कारी के प्रभावी रूप से नियंत्रण के लिए नियमित नाकाबन्दीय की जाती है व सूचना प्राप्त होने पर अविलम्बं घटना स्थल पर पहुंचकर कार्यवाही की जाती है।

3. गौवंश की तस्कारी वाले स्थानों की जानकारी की जाकर कार्यवाही की जाती है।

4. पशुओं के मेले या अन्यथा विक्रय स्थल होने पर उदगम स्थान पर ही परमिट की चैकिंग की जाती है व गंतव्य स्थल के रूट वाले जिले व थानों को इसके सम्बन्ध में सूचित किया जाता है।

5. गौ तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामवासी या सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय पुलिस का सहयोग चाहे जाने पर उन्हें नियमानुसार सहयोग दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

प्रदेश में जयपुर डेयरी द्वारा दूध की कीमतों पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

376. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में जयपुर डेयरी द्वारा निर्मित विभिन्न श्रेणी के दूध की कीमतों में जनवरी, 2009 से जून, 2014 तक कितनी-कितनी बढ़ोतरी कब-कब की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दूध की कीमतों पर नियंत्रण रखने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर डेयरी द्वारा विभिन्न श्रेणी के दूध की कीमतों में जनवरी, 2009 से जून, 2014 तक की गई बढ़ोत्तरी का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(डेयरी मंत्री)

(2) जिला दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को देय दुग्ध क्रय दर की वृद्धि, संघ विशेष की वित्तीय स्थिति, बाजार परिदृश्य, प्रोसेसिंग लागत में वृद्धि, मांग आपूर्ति इत्यादि को ध्यान में रखकर ही दूध दरों में वृद्धि की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में दुग्ध संग्रहण में अनियमितता

377. **श्री सुरेन्द्र पारीक** (हवामहल) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में वर्ष 2005-06 व 2006-07 में दुग्ध संग्रहण की कितनी मात्रा थी तथा इसके संग्रहण के लिए कितने श्रमिक, ठेका श्रमिक कार्यरत हैं?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2006-07 में वर्ष 2005-06 के मुकाबले दुग्ध संग्रहण कम मात्रा में था? यदि हां, तो कितना एवं वर्ष 2006-07 में ठेका श्रमिक व श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार उक्त लापरवाही व राजकीय राशि एवं पद के दुरुपयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में वर्ष 2005-06 में 6,74,81,200 किलोग्राम एवं 2006-07 में 5,95,96,105 किलोग्राम दुग्ध का संग्रहण किया गया । वर्ष 2005-06 में कुल 3529 एवं वर्ष 2006-07 में कुल 4129 ठेका श्रमिकों से दुग्ध संग्रहण कराया गया ।

(2) जी हां। वर्ष 2006-07 में वर्ष 2005 06 के मुकाबले 78,85,095 किलोग्राम दुग्ध संग्रहण कम हुआ। वर्ष 2006-07 में दुग्ध संघ द्वारा शाहपुरा में नया दुग्ध अवशीतन केन्द्र चालू करने, चित्तौड़गढ़ अवशीतन केन्द्र पर जाब बेसिस ठेकेदार द्वारा काम बन्द करने के कारण श्रमिक लगाने, दुग्ध संकलन गतिविधियों के संचालन एवं विपणन कार्यों में वृद्धि अर्जित करने के उददेश्य से ठेका श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई।

(3) जी नहीं। ठेका श्रमिकों में वृद्धि कार्य की आवश्यकता के मध्यनजर

(डेयरी मंत्री)

की गई। अत: इसमें किसी प्रकार की लापरवाही, राजकीय राशि एवं पद का दुरुपयोग नहीं होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनजाति समुदाय की 42 सूत्रीय मांगों पर समीक्षा/ क्रियान्वयन/ पालना

378. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभागीय आज्ञा क्रमांक प.6(14)प्र.सु./अनु-3/2011 दिनांक 26-4-2011 के द्वारा जनजाति समुदाय की 42 सूत्रीय मांगों की समीक्षा, क्रियान्वयन एवं पालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने एक समिति का गठन किया था? यदि हां, तो 42 सूत्री मांगें कौन-कौन सी थीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त 42 मांगों में एक मांग कोटड़ा में भूख से मरे 33 लोगों को एक-एक लाख रुपये के मुफ्त आवास का निर्माण, मुफ्त अनाज आदि की घोषणा सरकार ने की थी? यदि हां, तो उक्त परिवारों को क्या - क्यां सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार के पत्रांक 6(14) प्र.सु./अनु-3/2011 दिनांक 7-5-2014 के आदेश के द्वारा जनजाति समुदाय के हितों के लिये गठित उक्त समिति को समाप्ति किये जाने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) हां। सरकार ने एक समिति का गठन किया है। प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग, जयपुर के आदेश की प्रति परिशिष्ट-"अ" संलग्न है। 42 सूत्री मांगों की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। विभाग द्वारा इन मांगों पर की गयी कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट परिशिष्ट-"स" पर संलग्न' है।

(2) ऐसी कोई घोषणा राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। भूख से हुई मौत नामक शीर्षक से कोटड़ा के झेर गांव में हुई आदिवासी की मृत्यु के सम्बन्ध में दिनांक 12.06.2010 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के क्रम में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति उत्तर के साथ परिशिष्ट- "द" पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) समिति द्वारा सभी बिन्दुओं का विश्लेषण किये जाने के उपरांत अधिकांशत: बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही का समिति द्वारा संतोष प्रकट किया गया व कार्यवाही ड्राप की गई। इसके अतिरिक्त समिति के संयोजक व अन्य सदस्य आम चुनाव विधान सभा चुनाव 2013 में जनप्रतिनिधि नहीं रह जाने आदि के कारण समिति की उपादेयता नहीं रह गई थी इसलिए समिति को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7.5.2014 द्वारा विघटन कर दिया गया।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले में मत्स्य पालन/संवर्द्धन की संचालित योजनाएं

379. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द में मत्स्य विभाग कब प्रारम्भ किया गया? इसमें किस वर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं?

(2) विगत एक वर्ष में प्रत्येक माह के कितने कार्यदिवसों में राजसमन्द कार्यालय पूर्णत: बंद रहा एवं क्यों?

(3) राजसमन्द कार्यालय द्वारा विगत एक वर्ष में मत्स्य पालन एवं संवर्द्धन के क्या-क्या कार्य किए गए एवं उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए?

(4) सरकार द्वारा मत्स्य पालन एवं संवर्द्धन की क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? राजसमन्द जिले में इन योजनाओं की क्रियान्विति की क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले में मत्स्य विकास अधिकारी का कार्यालय दिनांक 21.02.2013 को प्रारम्भ किया गया है। कार्यालय हेतु स्वीकृत कार्यरत पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत एक वर्ष में राजसमन्द कार्यालय कार्य दिवसों में बन्द नहीं रहा है।

(3) राजसमन्द जिले में वर्ष 2013-14 के दौरान 17 जलाशयों के मत्स्याखेट ठेकों से रुपये 16.64 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ एवं 421 मैट्रिक टन का मत्स्य उत्पादन किया गया है। साथ ही विभिन्न जलाशयों में 70.00 लाख मत्स्य बीज का संग्रहण कराया गया है। वर्ष 2014-15 में अब तक 41 जलाशयों के मत्स्याखेट ठेकों से रुपये 23.14 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(मत्स्य पालन मंत्री)

(4) विभाग द्वारा मत्स्य पालन एवं संवर्धन हेतु चलाई जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। राजसमन्द जिले में मत्स्य विकास अधिकारी का नवीन कार्यालय दिनांक 21.02.2013 को खोला गया तथा वर्ष 2013-14 में रुपये 12.31 लाख का व्यय सुपरवाइजरी स्टाफ निर्देशन एवं प्रशासन मद में किया गया है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय मत्स्य विकास अधिकारी, राजसमन्द में सृजित पदों का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पद की संख्या	कार्यरत
1	मत्स्य विकास अधिकारी	1	1
2	मत्स्य क्षैत्रिक	1	—
3	मत्स्य पालक	5	2
	योग	**7**	**3**

परिशिष्ट-2

विभाग द्वारा मत्स्य पालन एवं संवर्धन की चलाई जा रही योजनाएं

1. मत्स्य प्रशिक्षण, शिक्षा एवं विस्तार।
2. मत्स्य बीज उत्पादन ।
3. मत्स्य फार्मों का विकास।
4. जलाशयों में सघन मत्स्य विकास।
5. सुपरवाइजरी स्टाफ-निर्देशन एवं प्रशासन।
6. अन्तर्देशीय मत्स्य एवं जलकृषि विकास
7. राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण कार्यक्रम।
   (I) आदर्श मछुआरा गांव का विकास।
   (II) बचत-सह राहत।
   (III) सक्रिय मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा।

बिलाड़ा (जोधपुर) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद हेतु केन्द्र

380. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना खरीद हेतु खरीद केन्द्र खोले गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां कब-कब एवं खरीद हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के कई ग्रामों के (जो जोधपुर तहसील में आते हैं) किसानों की चना उपज को खरीदने हेतु खरीद केन्द्र नहीं खोले गये? यदि हां, तो इन किसानों के चने की फसल क्यों नहीं खरीदी गई? यदि खरीद केन्द्र खोले गये तो कहां-कहां कब-कब खोले गये?

(3) क्या यह सही है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद हेतु गुणवत्ता एवं मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या एवं नहीं, तो क्यों? गुणवत्ता एवं मानदण्ड एवं दर का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार किसानों के चने की खरीद हेतु गुणवत्ता एवं मानदण्डों में शिथिलता देने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में समर्थन मूल्य पर चना खरीद हेतु बिलाड़ा एवं पीपाड़सिटी में खरीद केन्द्र दिनांक 31.03.2014 से 28.06.2014 तक खोले गये।

समर्थन मूल्य पर चना खरीद हेतु अपनाई गई प्रक्रिया परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बिलाडा विधान सभा क्षेत्र के कई गांव जोधपुर तहसील में आते हैं इन क्षेत्रों के किसानों की जिला कलक्टर, जोधपुर की अनुशंसा पर राजफैड द्वारा जोधपुर तहसील का चना बिलाड़ा केन्द्र पर खरीद किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीद के लिए गुणवत्ता एवं मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। गुणवत्ता एवं मानदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

वर्ष 2014-15 के लिए भारत सरकार द्वारा चने का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया।

(4) गुणवत्ता एवं मानदण्डों में शिथिलता देने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में नकली बीज की प्राप्त शिकायतें

381. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीज निगम द्वारा बीज प्रमाणित करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? जिला अलवर में किन-किन बीजों को प्रमाणित किया जाता है? मानदण्ड एवं बीजों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला अलवर में नकली बीज होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्ष में नकली बीज के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीज निगम द्वारा बीज प्रमाणीकरण का कार्य नहीं किया जाता है। राज्य में बीज प्रमाणीकरण का कार्य राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किया जाता है। बीजों को प्रमाणित करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा जिला अलवर में बीज निगम द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों का विवरण परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(2) जिला अलवर में गत तीन वर्षो में नकली बीज होने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु बीज निरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से तथा खरीफ एवं रबी मौसम पूर्व विशेष गुण नियंत्रण अभियान का संचालन कर बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं बीज नमूने आहरित किये जाते हैं। आहरित बीज नमूनों को परीक्षण हेतु राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को भिजवाये जाते हैं। विगत तीन वर्षों में जिला अलवर में बीज निरीक्षकों द्वारा लिये गये नमूनों का विवरण निम्नानुसार है:-

(कृषि मंत्री)

वर्ष	आहरित नमूनों की संख्या	मानक पाये गये नमूने	अमानक पाये गये नमूने
2011-12	322	315	07
2012-13	297	295	02
2013-14	217	207	10
योग	**836**	**817**	**19**

अमानक नमूनों के 11 प्रकरणों में माननीय न्यायालय में सम्बन्धित बीज निरीक्षकों द्वारा वाद दायर करवाये जा चुके हैं तथा शेष 8 प्रकरणों में वैधानिक कार्यवाही की प्रकिया जारी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कृषि अनुसंधान केन्द्र हेतु निर्धारित मानदण्ड

382. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या प्रदेश में कृषि अनुसंधान केन्द्र भी खोले गये हैं? यदि हां, तो कब व कहां?

(2) क्या यह सही है कि सरकार उद्यानिक फसलों पर किसानों को अनुदान भी देती है? यदि हां, तो यह अनुदान कब से देना शुरु किया गया है तथा किस योजना के अन्तर्गत दिया जाता है व अनुदान का मानदण्ड क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में कितना अनुदान किसानों को दिया जा रहा है? क्या अनुदान के लिए किसानों की श्रेणी भी निर्धारित की गई है? अनुदान के लिए क्या-क्या नियम एवं प्रावधान किए गए हैं? इस योजना से अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में 10 कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं, जो कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, नवगांव-अलवर, दुर्गापुरा-जयपुर, मण्डौर-जोधपुर, फतेहपुर-सीकर, श्रीगंगानगर, आरजिया-भीलवाडा व केशवाना-जालौर में स्थापित हैं।

(2) जी हां। राज्य योजना के तहत वर्ष 1989 से, राष्ट्रीय बागवानी

(तकनीकी शिक्षा {कृषि] मंत्री)

मिशन के तहत वर्ष 2005-06 से, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2008-09 से तथा राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के तहत वर्ष 2009-10 से अनुदान दिया जा रहा है। उक्त योजनाओं में अनुदान के मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राज्य योजना, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उद्यानिकी फसलें जैसे- फल, फूल, सब्जी, मसाला एवं औषधीय फसलों के नये बगीचों की स्थापना पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

(3) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को दिये जाने वाले अनुदान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जी हां, अनुदान हेतु कृषकों को सामान्य, लघु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। उक्त योजनाओं के मुख्य दिशा-निर्देश व प्रावधान परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है। उक्तन योजनाओं में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक कुल 112749 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पदमपुर (श्रीगंगानगर) में कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन

383. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र हेतु कितनी भूमि उपलब्ध है? वर्तमान में वहां क्या गतिविधियां संचालित हो रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पदमपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में कृषि विज्ञान केन्द्रों के पास 20.0 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है। कृषि विज्ञान केन्द्र पदमपुर में कृषि विस्तार की गतिविधियां जैसे-कृषि प्रशिक्षण, कृषक गोष्ठी प्रदर्शन, युवा कृषक प्रशिक्षण, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, बीज उत्पादन कार्यक्रम इत्यादि संचालन किये जा रहे हैं।

(2) श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में कृषि विज्ञान केन्द्र वर्ष 2000 से संचालित है।

सदस्यवार-सूची

गुरुवार, 31 जुलाई, 2014

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अजय सिंह (डेगाना), राज्य मंत्री	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-सीकर के किसानों के चने के बकाया भुगतान में विलम्ब	71
श्री अध्यक्ष	
व्यवस्था	
-आसन के पांवों पर होने की स्थिति में अधिकारी दीर्घा से जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही	31
श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-सागवाड़ा के राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद	37
श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-अजमेर में जाम से निजात दिलाने हेतु रिंग रोड व एलिवेटेड रोड का निर्माण	180
श्रीमती अनीता (नगर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-नगर व डीग पंचायत समिति में स्वीकृत सिंगल फेस ट्यूबवैल	191
श्री अमराराम (पचपदरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-पचपदरा के ग्रामों की सड़कों का डामरीकरण/नवीनीकरण	204
श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-बिलाड़ा (जोधपुर) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद हेतु केन्द्र	233

नाम	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बिलाड़ा के गांवों एवं ढाणियों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के कनेक्शन	167
श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-जयपुर स्थित लालकोठी क्षेत्र में बिना मानदण्डों के संचालित कोचिंग संस्थान	72
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-महिला कार्मिकों के लिए चाइल्ड केयर लीव	45
श्री अशोक डोगरा (बूंदी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-बून्दी के ग्राम डाबी में सी.सी. सड़क का निर्माण	207
श्री ओटाराम (सिरोही)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-सिरोही में अघोषित विद्युत कटौती	221
सूचना	
-सिरोही के संजीवनी अस्पताल में आपरेशन के दौरान मृत्यु	37
श्री कुंजीलाल (बामनवास)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-बामनवास की बौंली तहसील में पेयजल आपूर्ति	192
श्री कन्हैयालाल (मालपुरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-मालपुरा की ढाणियों में ट्यूबवैल की व्यवस्था	195
श्री कैलाश चौधरी (बायतू)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बाड़मेर-जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र की ढाणियों का विद्युतीकरण	218

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बालोतरा का औद्योगिक नगरी के रूप में विकास	39
श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-प्रदेश में मिलावटी मेहन्दी पर रोक के उपाय	190
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-प्रदेश में एपीएल परिवारों को आटा वितरण में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार	55
श्री कालू लाल गुर्जर (माण्डल), मुख्य सचेतक	
व्यवस्था का प्रश्न	
-आसन के पांवों पर होने की स्थिति में अधिकारी दीर्घा में आवागमन	30
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	138
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	156
श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर), मंत्री	
विधेयक का पारण	
-शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	163
विधेयक पर विचार	
-शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	156
स्थगन प्रस्ताव	
-शिक्षण संस्थाओं की हड़ताल	34
श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
मत्स्य पालन	
-राजसमंद जिले में मत्स्य पालन/संवर्द्धन की संचालित योजनाएं	231
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-भीम की फ्लड डेमेज में क्षतिग्रस्त सड़कें	5

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. किरोड़ी लाल (लालसोट)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जनजाति क्षेत्रीय विकास	
-जनजाति समुदाय की 42 सूत्रीय मांगों पर समीक्षा/क्रियान्वयन/पालना	230
श्री किशनाराम (डूंगरगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-श्रीडूंगरगढ़ के गांवों को कंवरसेन लिफ्ट नहर से जलापूर्ति	48
श्री गजेन्द्रसिंह (लोहावट), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-लसाड़िया (उदयपुर) में विद्युत उपखण्ड कार्यालय की स्थापना	7
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जाखम बांध से विद्युत उत्पादन	53
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-जयपुर स्थित लालकोठी क्षेत्र में बिना मानदण्डों के संचालित कोचिंग संस्थान	72
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-रावला-घड़साना में आवासीय पट्टों का आबंटन	54
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बाल लिंगानुपात में बढ़ रही विषमता में सहायक नियमों को समाप्त करना	63
श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बाड़ी में 33 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना	221
श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-बड़ी सादड़ी में फीडर सुधार कार्यक्रम	181

नाम	पृष्ठ संख्या
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जाखम बांध से विद्युत उत्पादन	52
श्री गोतमलाल (धरियावद)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-लसाड़िया (उदयपुर) में विद्युत उपखण्ड कार्यालय की स्थापना	7
डा. गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बीकानेर के पश्चिम ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव	39
श्री गोरधन (धोद)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-धोद में 250 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना	169
श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-प्रदेश में पंचायत मुख्यालयों पर गौशालाओं का संचालन	227
श्री घनश्याम (टोडाभीम)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-जमवारामगढ़ की स्वीकृत सड़कों का निर्माण	212
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-प्रदेश की विद्युत कम्पनियों में छीजत रोकने की कार्य योजना	219
कृषि	
-प्रदेश में आर्गेनिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि	198
श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-प्रदेश में सोयाबीन उत्पादों को प्रोत्साहन की योजना	10

नाम	पृष्ठ संख्या
सूचना	
-अनुदानित छात्रावासों में प्रवेश के सम्बन्ध में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश से उत्पन्न स्थिति	49
श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-अलवर के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों हेतु आवासीय बस्तियों का अभाव	47
श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-अलवर जिले में सैक्टर रिफार्म पेयजल योजना का संचालन	193
डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-अलवर जिले में नकली बीज की प्राप्त शिकायतें	234
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि विपणन	
-बहरोड़ (अलवर) में कृषि मण्डी यार्ड हेतु अवाप्त भूमि	168
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बहरोड़ में पीने के पानी की समस्या का समाधान	42
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-लूणी के ग्राम माणकलाव में पाइप लाइन डालने में अनियमितताएं	194
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-जोधपुर जिले में उन्नत एवं प्रमाणित बीज की आपूर्ति	174
सार्वजनिक निर्माण	
-निवाई/पीपलू में ओवरलोड वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कें	28
विधेयक का पारण	
-कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	151

नाम	पृष्ठ संख्या
विधेयक पर विचार	
-औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	76
-कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	138
-ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	119
-शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	156
श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर)	
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	
-सीकर के किसानों के चने के बकाया भुगतान में विलम्ब	70
श्री दलीचन्द डांगी (मावली)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जल संसाधन	
-महत्ती देवास परियोजना से मावली को पेयजल आपूर्ति	196
श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-जहाजपुर (भीलवाड़ा) तहसील में ओम मैटल फीडर से जारी विद्युत कनेक्शन	226
-भीलवाड़ा जिले में ट्रांसफार्मरों का क्रय/मरम्मत कार्य	225
श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-झालावाड़ जिले में पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना	224
श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-प्रदेश में जयपुर डेयरी द्वारा दूध की कीमतों पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना	228
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-किशनगढ़-रेनवाल से करड तक की क्षतिग्रस्त सड़क	176

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री पब्बाराम (फलौदी)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-फलौदी (जोधपुर) में कृषि विभाग के कार्यालय की स्थापना	199
श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी)	
स्थगन प्रस्ताव	
-खेतड़ी के ग्राम गौरीर में भूमाफिया द्वारा किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा	29
श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बाल लिंगानुपात में बढ़ रही विषमता में सहायक नियमों को समाप्त करना	64
श्री प्रभू लाल सैनी (अन्ता), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-प्रदेश में सोयाबीन उत्पादों को प्रोत्साहन की योजना	10
डा. प्रेम चन्द बैरवा (दूदू)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-दूदू में सिवाय चक व बहाव क्षेत्र में आवासीय बस्तियों का विकास	40
श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर)	
विधेयक का पारण	
-शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	164
विधेयक पर विचार	
-औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	86
-कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	132
-ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	116
-शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	156
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बाल लिंगानुपात में बढ़ रही विषमता में सहायक नियमों को समाप्त करना	65

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-विराटनगर में स्वीकृत पेयजल योजनाएं	19
सार्वजनिक निर्माण	
-भीम की फ्लड डेमेज में क्षतिग्रस्त सड़कें	4
विधेयक का पारण	
-शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	164
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बाल लिंगानुपात में बढ़ रही विषमता में सहायक नियमों को समाप्त करना	64
श्री बाबू सिंह (शेरगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जल संसाधन	
-शेरगढ़ में नवीन एनिकट के प्रस्ताव	213
श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-केशोरायपाटन के राजस्व ग्रामों की सम्पर्क सड़कें	211
डा. बालूराम चौधरी (सहाड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जल संसाधन	
-रायपुर (भीलवाड़ा) के लिए स्वीकृत एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. योजना	179
श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-प्रदेश में सोयाबीन उत्पादों को प्रोत्साहन की योजना	16
श्री भीमा भाई (कुशलगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा) में सहायक अभियन्ता (विद्युत) कार्यालय की स्थापना	177

नाम	पृष्ठ संख्या
म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर)	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बाल लिंगानुपात में बढ़ रही विषमता में सहायक नियमों को समाप्त करना	59
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जल संसाधन	
-प्रदेश में बांधों से सिंचाई/पेयजल हेतु जल का उपयोग	214
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-निवाई/पीपलू में ओवरलोड वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कें	27
-पाली में राष्ट्रीय राज मार्ग पर सकड़े पुलों का निर्माण	187
विधेयक पर विचार	
-औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	93
-कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	142
-ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	123
-शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	162
श्री मनोज कुमार (सादुलपुर)	
स्थगन प्रस्ताव	
-सादुलपुर में फसल का बीमा क्लेम	69
श्री मान सिंह (गंगापुर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-निवाई/पीपलू में ओवरलोड वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कें	28
श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-लूणकरणसर के गांवों को कंवरसेन लिफ्ट योजना से पेयजल आपूर्ति	174
विधेयक का पारण	
-कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	153

नाम	पृष्ठ संख्या
विधेयक पर विचार	
-औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	97
-कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	143
-ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	124
स्थगन प्रस्ताव	
-शिक्षण संस्थाओं की हड़ताल	33
मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-तिजारा के गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति	183
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जल संसाधन	
-भरतपुर-धौलपुर चम्बल सिंचाई परियोजना में कार्यरत मृत आश्रित को पेंशन	196
श्री यूनुस खान (डीडवाना), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-निवाई/पीपलू में ओवरलोड वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कें	24
-भीम की फ्लड डेमेज में क्षतिग्रस्त सड़कें	2
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-वन क्षेत्र में पक्की सड़क के निर्माण की अनुमति	51
विधेयक का पारण	
-कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	151
-ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	127
विधेयक पर विचार	
-कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	132
-ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	116

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री रमेश (सपोटरा)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण

-मण्डरायल (करौली) चम्बल नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण 203

श्री राजेन्द्र गुर्जर (देवली-उनियारा)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-राजस्थान स्टेट टेनेरीज लिमिटेड, टोंक की पुनर्स्थापना के अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं 44

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री

विधेयक का पारण

-औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 116

विधेयक पर विचार

-औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 76

व्यवस्था का प्रश्न

-आसन के पांवों पर होने की स्थिति में अधिकारी दीर्घा में आवागमन 30

सूचना

-चौमूं कस्बे में आबादी क्षेत्र में लगे मोबाइल टावर्स से लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव 58

स्थगन प्रस्ताव

-कापड़ियों की ढाणी (हंसीयास) मेड़ता रोड, नागौर में लिग्नाइट माइन्स में 126 काश्तकारों की खातेदारी जमीन 69

-राज्य में बाल लिंगानुपात में बढ़ रही विषमता में सहायक नियमों को समाप्त करना 65

श्री रामचन्द्र (डग)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ऊर्जा

-डग में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को विद्युत बिल में छूट 188

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि विपणन

-चौमूं में आंवला मण्डी एवं पैक हाउस के निर्माण की योजना 177

नाम	पृष्ठ संख्या
सूचना	
-चौमूं कस्बे में आबादी क्षेत्र में लगे मोबाइल टावर्स से लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव	57
श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ऊर्जा	
-अजमेर जिले में विद्युत चोरी के प्रकरण	170
श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जल संसाधन	
-भीलवाड़ा जिले की भोजपुरा फीडर की कार्य योजना	215
श्री शंकरसिंह (ब्यावर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-भीम की फ्लड डेमेज में क्षतिग्रस्त सड़कें	6
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-वन क्षेत्र में पक्की सड़क के निर्माण की अनुमति	50
श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा)	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में बाल लिंगानुपात में बढ़ रही विषमता में सहायक नियमों को समाप्त करना	63
श्री श्रीराम भींचर (मकराना)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-मकराना में सीवरेज व सड़क निर्माण कार्य का भुगतान	46
श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-रावला-घड़साना में आवासीय पट्टों का आबंटन	53
श्री सुखाराम (मेड़ता)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-मेड़ता सिटी के राजकीय चिकित्सालय का क्रमोन्नयन	43

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री संजीव कुमार (भादरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जल संसाधन	
-सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत हरियाणा से पानी की आपूर्ति	216
सार्वजनिक निर्माण	
-भादरा की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण/मरम्मत	207
श्री सभापति	
विधेयक का पारण	
-औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	116
-कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	155
-ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	132
-शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	166
श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
डेयरी एवं पशुपालन	
-भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में दुग्ध संग्रहण में अनियमितता	229
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-पदमपुर (श्रीगंगानगर) में कृषि विज्ञान केन्द्र का संचालन	236
जल संसाधन	
-गंगनहर बीकानेर कैनाल के पानी की रोकथाम	215
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-प्रदेश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजना	181
श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-प्रदेश में सोयाबीन उत्पादों को प्रोत्साहन की योजना	15

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री सुशील कटारा (चौरासी)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जल संसाधन	
-माही बांध का पानी टनल बनाकर भीखा भाई नहर में लाने की योजना	169
श्री सांवर लाल (नसीराबाद), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी	
-विराटनगर में स्वीकृत पेयजल योजनाएं	20
श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-रायसिंहनगर की पंचायत 90 जीबी में चक 91 जीबी के अन्दर घग्घर नदी के बहाव क्षेत्र में पुल निर्माण	41
श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
जल संसाधन	
-अन्य प्रदेशों से इन्दिरा गांधी/गंगनहर को उपलब्ध पानी से सिंचाई	217
स्थगन प्रस्ताव	
-कापड़ियों की ढाणी (हंसीयास) मेड़ता रोड, नागौर में लिग्नाइट माइन्स में 126 काश्तकारों की खातेदारी जमीन	66
श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-प्रदेश में एपीएल परिवारों को आटा वितरण में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार	56
श्री हरिसिंह रावत (भीम)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-भीम की फ्लड डेमेज में क्षतिग्रस्त सड़कें	1

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हीरालाल (निवाई)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-गांधीनगर (जयपुर) के राजकीय आवास एम-8 के सामने निर्मित ट्यूबवैल	210
तारांकित प्रश्नोत्तर	
सार्वजनिक निर्माण	
-निवाई/पीपलू में ओवरलोड वाहनों से क्षतिग्रस्त सड़कें	23
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-निवाई की ग्राम पंचायत पहाड़ी में वन विभाग द्वारा मकान खाली करवाने के नोटिस	38
श्री हीरालाल नागर (सांगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-प्रदेश में कृषि अनुसंधान केन्द्र हेतु निर्धारित मानदण्ड	235
तारांकित प्रश्नोत्तर	
कृषि	
-प्रदेश में सोयाबीन उत्पादों को प्रोत्साहन की योजना	18